संस्कृति IAS

करेंट अफेयर्स

वर्ष 1 : अंक 6 : अक्तूबर 2021 : ₹ 100

चर्चित विषयों पर महत्त्वपूर्ण लेख

मासिक करेंट अफेयर्स संकलन

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में

करेंट अफेयर्स आधारित मानचित्र अध्ययन

उपयोगी अभ्यास-प्रश्न

(प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा)

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार-संग्रह

(योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ई.पी.डब्ल्यू.)

अखिल मूर्ति के निर्देशन में
टीम वही, मैगज़ीन नई

VISIT…

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

करेंट अफेयर्स की समग्र तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर

करेंट अफेयर्स के साथ-साथ और भी बहुत-कुछ...

फॉलो करें

www.sanskritiias.com

न्यूज़ आर्टिकल

- अंग्रेज़ी के प्रमुख अखबारों (द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट) से परीक्षोपयोगी समाचारों का हिंदी में विश्लेषण।
- पीआईबी, पीआरएस तथा अन्य महत्त्वपूर्ण वेबसाइट्स से परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समाचारों का दैनिक विश्लेषण।
- राज्य सभा टीवी (RSTV) के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का हिंदी में विश्लेषण।

जिस्ट

करेंट अफेयर्स की महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, ई.पी.डब्ल्यू.) के प्रमुख लेखों का मासिक सार-संग्रह।

PT Card

प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के किसी विषय पर प्रतिदिन एक PT-Card.

कॉन्सेप्ट थ्रू इंफोग्राफिक्स

करेंट अफेयर्स के महत्त्वपूर्ण विषयों का इंफोग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुतीकरण।

PT Quiz

प्रारंभिक परीक्षा के लिये प्रतिदिन करेंट अफेयर्स आधारित 5 प्रश्न और उनके व्याख्या सहित उत्तर।

मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्नोत्तर

प्रतिदिन मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन) के प्रत्येक प्रश्नपत्र से एक प्रश्न तथा उसके उत्तर की मॉडल फ्रेमिंग।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली

समसामयिक घटनाओं तथा सामान्य अध्ययन के विषयों से संबंधित चर्चित अवधारणाओं/शब्दों का परिभाषिक अर्थ तथा संबंधित तथ्य

नोट : यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन एक से डेढ़ घंटा इस वेबसाइट पर आकर पढ़ाई करते हैं, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि करेंट अफेयर्स की तैयारी और मुख्य परीक्षा उत्तर-लेखन अभ्यास के लिये आपको किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं रहना होगा।

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | संपर्क करें: 9555-124-124, 7428085757/58

Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

संस्कृति करेंट अफेयर्स

वर्ष 1 | अंक 6 | अक्तूबर 2021 | ₹100

प्रधान संपादक

अखिल मूर्ति

परामर्शदाता मंडल

श्री अमित कुमार सिंह, श्री ए.के. अरुण, श्री सीबीपी श्रीवास्तव, श्री कुमार गौरव, श्री राजेश मिश्रा, श्री रीतेश आर. जायसवाल, श्री विकास रंजन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

शिवेश मिश्रा

कार्यकारी संपादक

सुशील नाथ कुमार

संपादन सहयोग

मनोज कुमार, अजेंद्र कुमार सिंह, किरनदीप कौर, रणंजय पाण्डेय, द्विजेंद्र कौशिक, रंजीत झा, कमलेश पाण्डेय, अर्पित कुमार पाण्डेय

लेखन एवं संकलन

अभिषेक शुक्ला, पंकज तिवारी, रश्मि नहाटा, एकता शर्मा, शिवम नीखरा, पुनीत पाल, शुभम ओझा, शिव कुमार चौबे अमित कुमार भारती, अभिजीत यादव, कृष्ण कुमार

विज़ुअलाइज़ेशन

मो. साजिद सैफी

टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग

तनवीर खान, रोशन, सचिन कुमार, जसवीर सिंह, संतोष कुमार झा, पवन कुमार

संपादकीय पत्र व्यवहार

कार्यकारी संपादक,
संस्कृति करेंट अफेयर्स,
संस्कृति पब्लिकेशन्स,
636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © कॉपीराइट: संस्कृति पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों के लिये संपर्क (Whatsapp) करें – 8800873762 (सुशील नाथ कुमार)

वितरण व विज्ञापन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें- 9311378518 (प्रमोद सिंह कनवाल)

पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिये संपर्क (Whatsapp) करें- 7428085757 (नरेंद्र प्रताप)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अखिल मूर्ति द्वारा 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 से प्रकाशित एवं एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

इस अंक में

संपादकीय 6

लेख खंड 7–14

मजार-ए-शरीफ से काबुल तक : कितना बदला तालिबान 7–10

आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट ने मानवता के सामने बजाई खतरे की घंटी 11–14

करेंट अफेयर्स खंड 16–94

प्रश्नपत्र-1 16–25

इतिहास, कला एवं संस्कृति 16

भूगोल 20

सामाजिक मुद्दे 22

प्रश्नपत्र-2 26–56

राजव्यवस्था एवं शासन 26

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 35

सामाजिक न्याय एवं कल्याण 46

प्रश्नपत्र-3 57–92

आर्थिक घटनाक्रम 57

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 73

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 83

आंतरिक सुरक्षा 86

आपदा प्रबंधन 92

प्रश्नपत्र-4 93–94

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि 93

विविध 95–101

मानचित्र अध्ययन 102–103

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार 104–135

योजना *104–115*

भारतीय प्रशासन तंत्र 103

प्रशासनिक सेवाओं से मिलती गति 104

शासन में ईमानदारी 105

सामाजिक बदलाव के लिये लोक प्रशासन 108

लोक सेवाओं में सुधार 111

कोरोना महामारी से सबक 113

कुरुक्षेत्र *115–122*

भारत में कृषि : पुनरावलोकन एवं संभावनाएँ 114

कृषि स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता विकास 116

भारत में व्यवहार्य कृषि वित्त का विस्तार 119

डाउन टू अर्थ *122–129*

सामूहिक कृषि 121

जल संचयन की हवेली व्यवस्था 123

संतुलित आहार में दाल की प्रासंगिकता : संबंधित पक्ष 123

विश्व में निर्धनता और बच्चों की स्थिति 126

गंगा घाटी में जलीय पौधों की विविधता में कमी 126

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली *129–135*

एफ.पी.टी.सी. अधिनियम और एकीकृत आपूर्ति शृंखला 129

परिवर्तन के साथ निरंतरता : पंद्रहवें वित्त आयोग का दृष्टिकोण 131

भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्रिप्टोकरेंसी का विनियमन 133

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में 136–143

करेंट अफेयर्स आधारित अभ्यास प्रश्न 144–154

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न 144

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न 150

संपादकीय

सपनों को साकार करने के लिये जीवटता ज़रूरी है!

प्रिय पाठकों,

हम सभी अपने जीवन में कई सपने देखते हैं और उन्हें साकार करना चाहते हैं। सपने देखना इंसान का नैसर्गिक गुण है क्योंकि कोई भी लक्ष्य बनाने से पहले उसकी चाह होनी आवश्यक है, यही चाह हमारा सपना होता है। सामान्य तौर पर देखें तो हर उम्र के हिसाब से हम सब अलग-अलग सपने देखते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सपना ऐसा होता है जिसे साकार करके हम दुनिया-समाज के सामने खुद को साबित करते हैं। इस संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है– "सपने वह नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।" कलाम साहब यहाँ उसी सपने की बात कर रहे हैं जो देश-दुनिया में आपके होने को चरितार्थ करता है। ऐसे सपने को साकार करने के लिये मन में हर संभव प्रयास करने की दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिये, यही इच्छाशक्ति 'जीवटता' कहलाती है।

दुनिया में अभूतपूर्व जीवट के कई उदाहरण मौजूद हैं, जिन्होंने अपने समय-काल में पूरी पीढ़ी के लिये प्रेरणा बनकर जीवन-संघर्ष की अमिट मिसाल कायम की। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय वर्ष 1942 में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में चिकित्सक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। वह बचपन से ही तेज़ दिमाग वाला और शरीर से चुस्त-दुरुस्त था। बहुआयामी प्रतिभा का धनी वह बालक पढ़ाई में बहुत अच्छा था इसलिये हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। स्कूल के दिनों से ही विज्ञान के विषयों में उसकी ख़ास रुचि थी। विज्ञान के प्रति विशेष अनुराग के चलते उसने स्कूल के समय ही दुनिया के रहस्यों का पता लगाने के लिये एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखा। चूँकि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था इसलिये सभी को उसकी बातों पर यकीन था, लेकिन दुर्भाग्यवश महज़ 21 वर्ष की उम्र में वह एक असाध्य एवं दुर्लभ बीमारी 'मोटर न्यूरोन' का शिकार हो गया। इस बीमारी की वजह से पूरे शरीर में सिर्फ मस्तिष्क को छोड़कर सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया; यह एक तरह से उसके वैज्ञानिक बनने के सपने के साथ-साथ उसके सक्रिय जीवन का अंत था। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब इस बच्चे के पास जीने के लिये सिर्फ दो वर्ष शेष हैं। अगर यह घटना किसी भी सामान्य युवा के साथ घटित होती तो निश्चित रूप से वह जीने की उम्मीद त्याग चुका होता, लेकिन इस बालक के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने सपनों को याद किया और निश्चय किया कि वह अपने सपने को साकार अवश्य करेगा। हौसले और इच्छाशक्ति से लबरेज उस बालक ने 'मस्तिष्क की बात सुनकर आवाज़ देने वाले कंप्यूटराइज्ड वॉइस सिंथेसाइज़र' जैसे उन्नत उपकरण को खोज निकाला। इस तकनीक के सहारे उसने अपनी बीमारी से पैदा हुई सारी चुनौतियों को पीछे छोड़ दिया। इसी शारीरिक स्थिति में रहते हुए उसने कठिन परिश्रम करते हुए विज्ञान में बारह डिग्रियाँ हासिल कीं और ब्रह्माण्ड की गुत्थियों को समझने के लिये 'बिग-बैंग थ्योरी' के अध्ययन के दौरान वर्ष 1974 में 'ब्लैक होल' सिद्धांत की खोज की। इसके अलावा, पहली बार विज्ञान के 'क्वांटम सिद्धांत' और 'सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत' को एक-साथ ला दिया। मैं बात कर रहा हूँ, अभूतपूर्व जीवट वाले इतिहास के महानतम भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग की। 'ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम' जैसी विश्व विख्यात पुस्तक लिखकर उन्होंने अपने सिद्धांतों को अमरता प्रदान की। दुनिया के लिये जीवंत किंवदंती बन चुके स्टीफ हॉकिंग आजीवन व्हीलचेयर पर रहे।

ज़रा सोचकर देखिये, आखिर वह कौन-सी शक्ति थी जिसने स्टीफन हॉकिंग को विषम जीवन दशाओं में भी एक महान सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाई। सच है कि स्टीफन हॉकिंग जैसा जीवट इतिहास में कदाचित ही देखने को मिलता है, लेकिन यह भी सच है कि इस स्तर की कठिनाई न सही लेकिन हम सभी के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, जब सबकुछ छोड़ देने को दिल करता है। ऐसी स्थिति में बहुत-से लोग लक्ष्य को छोड़कर ताउम्र लक्ष्यविहीन जीवन जीते हैं या फिर निराश होकर जीवन का त्याग कर देते हैं; वहीं इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं और समाज एवं देश-दुनिया में अपनी पीढ़ी के लिये प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। आपके जीवन में जब कभी वह मोड़ आए जब आप परिस्थितियों से हताश हो जाएँ तो इन दोनों श्रेणियों को याद करना और सोचना कि आप किस श्रेणी में रहना पसंद करेंगे? आपको अपना जवाब अवश्य मिल जाएगा।

शुभकामनाओं सहित

(अखिल मूर्ति)

मजार-ए-शरीफ से काबुल तक : कितना बदला तालिबान

–डॉ. रहीस सिंह

तालिबान की काबुल विजय आधुनिक इतिहास के इस कालखंड में किसी क्रांति के रूप में दर्ज की जाएगी या किसी युद्ध में महान विजय के रूप में दर्ज की जाएगी, यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन, जिस तरह से विश्व शक्तियाँ इसे जियो-पॉलिटिकल गेम का हिस्सा बना रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि वे इसके ज़रिये दुनिया को शीतयुद्ध काल के मनोवैज्ञानिक युद्धों के बीच घसीटने का उपक्रम कर रही हैं। क्या यह एक ऐसा उपक्रम हो रहा है जहाँ अंततः कोई जीतेगा नहीं लेकिन मानवता हार जाएगी? यदि ऐसा हो रहा है तो क्या इस समय ऐसी कोई विश्व संस्था है जो दुनिया को इससे बचा सके? फिलहाल तो अभी कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा कि पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के बीच के कालखंड में दिखाई दिया था। उस समय विश्व शक्तियाँ नित नए गेम प्लान कर रहीं थी और लीग ऑफ नेशंस जैसी संस्था सुषुप्तावस्था में थी या फिर उसने आँखों एवं कानों पर ऐसी पट्टी बाँध रखी थी कि उसे केवल उतना ही सुनाई देता था जितना वैश्विक शक्तियाँ बताती थीं और उतना ही दिखाई देता था जितना पश्चिमी शक्तियाँ दिखा रही थीं। क्या इस कालखंड में भी वैसा ही कुछ हो रहा है? यदि हाँ, तो इसे रोकेगा कौन?

प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लगता है। ध्यान रहे कि शीतयुद्ध के दौर में दो गुट थे– नॉटो और वारसा पैक्ट। नॉटो का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और वारसा पैक्ट का सोवियत संघ (अब रूस) कर रहा था। इनमें पहला, पूंजीवादी, उदार लोकतंत्रवादी था और दूसरा, समाजवादी एवं लोक गणराज्यवादी। दोनों ही गुट लोकहितों के संरक्षण का दावा करते थे, लेकिन दोनों तरफ से लोकहितों को दरकिनार भी किया गया। पूँजीवादी खेमा अपने आप को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मसीहा बताता था, लेकिन साम्यवाद का विरोध करने के लिये उसके द्वारा सैनिक तानाशाहों और निरंकुश राजतंत्रों को संरक्षण दिया गया। उदाहरण के तौर पर, उसने ईरान व सऊदी अरब जैसे शाहों को साम्यवाद के विरोध के लिये आवश्यक माना था और थाईलैंड, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के सैनिक तानाशाहों तथा फिलीपीन्स के राष्ट्रपति मार्कोस जैसे जनतंत्र-विरोधी नेताओं को भी प्रश्रय दिया था। इसी तरह से सोवियत खेमे ने भी पूँजीवाद के खिलाफ सोमालिया, इथोपिया, सूडान, लीबिया जैसे देशों के सैनिक तानाशाहों अथवा अधिनायकवादियों को समर्थन दिया था। पिछले कुछ वर्षों के भू-राजनीतिक परिदृश्य को गौर से देखें तो जिस कालखंड को नवउदारवादी बताया जा रहा है उसमें ऊपर दी गई विशेषताएँ किसी-न-किसी रूप में स्वयं को दोहराती हुई दिखाई देंगी। अफगान तालिबान की काबुल विजय किसी ऐसी ही पटकथा के दोहराव का उदाहरण लगती है। यह वही प्रभाव है कि कुछ देश इसे आतंकवाद की विजय के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे यह कहकर वैधता प्रदान कर रहे हैं कि यह तालिबान 2.0 है जो तालिबान 1.0 से पूरी तरह भिन्न है, उदार है और बस थोड़ा-सा रेडिकल है। तो क्या मजार-ए-शरीफ से काबुल तक की यात्रा के दौरान तालिबान वास्तव में उतना ही बदल गया है जितना कि रूस और चीन बता रहे हैं या फिर उनके ऐसा कहने की वजहें कुछ और हैं?

काबुल पर विजय के पश्चात् तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने आया तो उसने तालिबान का ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश की जो 1996-2001 वाले तालिबान से अलग था। उसने कहा कि "हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम यह तय करेंगे कि अफगानिस्तान अब संघर्ष का मैदान नहीं रह गया है। हमने उन सभी को माफ कर दिया है जिन्होंने हमारे

खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ीं। अब हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है। हम शरिया व्यवस्था के तहत महिलाओं के हक तय करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। महिलाएँ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रही हैं।" तालिबान प्रवक्ता का यह वक्तव्य कितना कृत्रिम और झूठा था इसका अनुमान हर वह व्यक्ति लगा सकता है जिसने अफगानिस्तान से आ रही खबरों को देखा है या पढ़ा है। अफगानिस्तान की एक 30 वर्षीय महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बुर्के की कीमत रातों-रात छह गुना बढ़ गई है और अब ज़्यादा तादाद में महिलाएँ ऐसे कपड़ों के बिना निकलने में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वह लिखती हैं कि "काश! यह सब एक बुरा सपना होता।" एक छात्रा ट्विटर पर लिखती है कि जब वह घर का सामान लेने बाज़ार गई तो तालिबान ने उन्हें पीटा, क्योंकि उनके हाथ पर टैटू दिख रहा था। वह आगे लिखती है, "मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। बस मैं तालिबान, युद्ध और विवाद से मुक्त देश में रहना चाहती हूँ। क्या यह बहुत बड़ी मांग है?" एक युवा इंटरप्रेन्योर ने लिखा है कि "अफगान शहरों की गलियाँ, रेस्तराँ और दुकानों में रखे टी.वी. से आती संगीत की आवाज़ों से भरी रहती थीं। अब एक भुतहा खामोशी ने गलियों को ढक लिया है।" यही नहीं, तालिबान लड़ाके घर-घर तलाशी ले रहे हैं। यही वजह है कि एक फुटबॉल टीम की कैप्टन ने अपने लोगों को संदेश दिया कि सभी लोग अपने उपकरण कहीं फेंक दो, अपनी यूनिफार्म कहीं जला दो, आप अपनी पहचान कहीं मत बताना कि आप एक खिलाड़ी हो। यह कैसी उदारता? इसके बावजूद यदि रसियन थिंक टैंक तालिबान की काबुल विजय को एक वास्तविक बदलाव के रूप में देख रहा है, तो यह चिंता की बात है। रूसी थिंक टैंक कह रहा है कि कानून का राज लौट आया है, जिससे सालों तक चले रक्तपात का अंत हो गया। यह उतना ही बड़ा झूठ है जितना बड़ा कभी अमेरिका ने यह कहकर बोला था कि 'डार्क एण्ड पेनफुल एरा हैज ओवर'।

तालिबान की काबुल विजय के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण

काबुल विजय के बाद एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन तालिबान अभी तक अपने स्टैब्लिशमेंट स्ट्रक्चर को सुनिश्चित नहीं कर पाया है। यही नहीं, तालिबानी नेताओं के चेहरे भी अभी सामने नहीं आए हैं, बल्कि वे अभी कट्टर इस्लामवाद के नकाब से ढके हुए हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि तालिबान 2.0 अपने पीआर पर विशेष ध्यान दे रहा है या यूँ कहें कि वह पी.आर. रणनीति के तहत काबिज़ हुआ है, उसी के सहारे दुनिया के सामने अपने आप को बदला हुआ पेश करना चाहता है। यह उसकी पी.आर. का ही नतीजा है कि कुछ देशों ने उसकी काबुल विजय को 'ब्लडलेस रिवॉल्यूशन' (रक्तहीन क्रांति) नाम दिया है। लेकिन, यह व्याख्या ठीक वैसी ही है जैसी कि ब्रिटेन की 'ग्लोरियस रिवॉल्यूशन' (गौरवपूर्ण क्रांति) की की गई थी, जिसमें वास्तव में 'ग्लोरियस' कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार यहाँ भी रक्तहीन कुछ भी नहीं है।

क्या तालिबान की काबुल विजय वास्तव में कोई लोकतांत्रिक विजय निहित है जैसा कि रूस बता रहा है? स्पष्टतः नहीं, क्योंकि तालिबान और कट्टर इस्लामवाद में लोकतंत्र के लिये कोई जगह है ही नहीं। तालिबान एक अमीरात की स्थापना चाहते हैं, जिसकी व्यवस्था शरिया पर आधारित होगी और शरिया आधारित शासन का वीभत्स दृश्य 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में देखा जा चुका है, जिसे याद कर लोग काँप उठते हैं। फिर रूस ऐसा क्यों कह रहा है? इसलिये कि इसके पीछे एक डर्टी डिप्लोमैटिक गेम है जो जियो-पॉलिटिक्स का हिस्सा है। दरअसल, अफगानिस्तान की यह दुर्दशा जिओ-पॉलिटिकल गेम का ही परिणाम है। इस गेम में कठपुतली कोई करजई या गनी नहीं है और शायद तालिबान भी नहीं, बल्कि अफगान हैं। उनकी सुरक्षा का, उनकी समृद्धि का, उनके नैतिक मूल्यों का, उनकी सांस्कृतिक धरोहरों का और उनके अधिकारों के लिये जिसमें कोई स्थान नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ अफगानिस्तान को सांस्कृतिक, राजनीतिक, भू-सांस्कृतिक, परंपरागत एवं नृजातीय रूप से एक ग्रेट डिवाइड (महान विभाजक) का हिस्सा बनाना चाहती हैं। अगर यह ग्रेट डिवाइड एक संस्थागत रूप लेने में सफल हो गई तो भावी अफगानिस्तान का स्वरूप कैसा होगा, यह अभी कोई नहीं सोच रहा है। इसलिये जब अफगानिस्तान के सामान्य नागरिक से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तक अपनी डिजिटल ज़िंदगियों को काट-छाँट रहा हो या पिछले 20 साल में बड़ा हुआ और परिपक्व हुआ न्यूली मिडिल क्लास (नवोदित मध्यम वर्ग) दम तोड़ने जैसी स्थिति में पहुँच रहा हो तब यह बताना कि अफगानिस्तान में कोई गौरवपूर्ण क्रांति हो गयी है या लोकतंत्र की कोई भारी विजय हो गई, एक बेहद निम्न दर्जे की हरकत है।

हालाँकि ऐसे बयानों की शुरुआत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से हुई, जिन्होंने तालिबान की काबुल विजय को अफगानिस्तान की आज़ादी के रूप में पेश किया। इसके बाद उनके सुर को मज़बूती दी चीन और रूस ने। दरअसल यह पाकिस्तान द्वारा तालिबान को वैधता प्रदान करने की कोशिश है। पाकिस्तान इसे इसलिये वैधता दे रहा है क्योंकि उसको लगता है कि इनके ज़रिये उसका अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। या फिर पाकिस्तान खुद जिससे वर्षों से डरा हुआ है यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से, उसे अफगानिस्तान की ज़मीन से न लड़ने देने के लिये अफगान तालिबान से सौदा कर रहा है। पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि यदि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का संबंध अफगानिस्तान तालिबान से स्थापित हो गया तो पाकिस्तान का क्या होगा। हालाँकि पाकिस्तान ने इसकी एक काट निकाल ली है और वह है इस्लामिक स्टेट खुरासान जिसने अभी हाल ही में हुए काबुल धमाके की ज़िम्मेदारी ली है। इस्लामिक स्टेट खुरासान पाकिस्तान के टुकड़ों पर ही पल रहा है, जिसके ज़रिये पाकिस्तान अफगान तालिबान को

काउंटर करने या दबाव में लेने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन भी तालिबान के साथ दो उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है। पहला है 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का लीथियम भंडार तथा अन्य खदान (माइंस), जिनका ठेका चीन को चाहिये। दूसरा है टर्किस इस्लामिक मूवमेंट और उइगर्स को तालिबान की तरफ से किसी भी प्रकार का सहयोग व सहायता न मिलने पाए। यानी तालिबान उन्हें किसी भी तरह से आश्रय और लड़ने के लिये अफगानी भूमि का इस्तेमाल न करने दे। तालिबान के लिये भी यह फायदे का सौदा है, अत: वह इससे इनकार नहीं कर सकता। ईरान को अमेरिका फूटी आँखों नहीं भा रहा और फिलहाल तो तालिबान एक ऐसा विजेता है जिसने अमेरिका को हराया है, इसलिये ईरान उसे हीरो के तौर पर देख रहा है तथा उससे बातचीत करने का प्रयास भी कर रहा है।

जहाँ तक रूस की बात है तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उसे सोवियत युग में ले जाना चाहते हैं और यह तभी संभव हो पाएगा जब विश्वव्यवस्था में एक धुरी के रूप में स्थापित अमेरिका का पराभव हो या वह कमज़ोर पड़े। यह कार्य तालिबान करता हुआ दिख रहा है। ध्यान रहे कि यह वही तालिबान है जिसने अलकायदा के साथ मिलकर वर्ष 1989 में रूस को अफगानिस्तान में धूल चटाई थी। यही नहीं, इसी पराजय के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ और रूस विश्वशक्ति की परिधि से भी बाहर हो गया था। फिर सवाल यह उठता है कि एक पुराना या यह कहें कि सनातन दुश्मन अब आपका दोस्त कैसे हो गया? यह वही है जो कहता था कि सोवियत संघ दुनिया के शरीर पर एक कैंसर की तरह है तथा जिसने उसके द्वारा सत्ताशीन कराए गए राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को लैंप पोस्ट पर सरेआम फाँसी दे दी थी। अब वही तालिबान उन्हें बेहद सौम्य, उदार और लोकतंत्र का समर्थक क्यों लगने लगा? इसलिये क्योंकि उसने अफगानिस्तान में अमेरिका की वही दुर्गति कर दी जो कभी सोवियत संघ की की थी। फिलहाल, रूस की खुशी का यह दृष्टिकोण बेहद निम्नस्तरीय है। इसके अतिरिक्त, चीन के विषय में एक पक्ष यह है कि उसका अमेरिका के साथ लंबे समय से व्यापार युद्ध (trade war) चल रहा है। साथ ही, चीन, अमेरिका के साथ और भी कई तरह के छिपे हुए युद्ध लड़ रहा है, ताकि वह इनमें विजय हासिल कर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में स्वयं को शीर्ष पर स्थापित कर सके, जो तभी संभव है जब अमेरिका पराजित हो। चूँकि, तालिबान ने अमेरिका को हराया है, इसीलिये चीन की नज़र में तो तालिबान हीरो हैं, जिसने चीन का काम आसान कर दिया।

इन परिस्थितियों में भारत को क्या करना चाहिये? क्या भारत को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिये अथवा नहीं? भारत उस श्रेणी में नहीं आता जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान या ईरान आते हैं। साथ ही, भारत की अमेरिका के साथ कोई प्रतिद्वंद्विता भी नहीं है, बल्कि भारत तो अमेरिका का रणनीतिक और प्रमुख रक्षा साझेदार भी है। भारत उसके साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 'क्वाड' की स्थापना कर चुका है, जिसका एक छिपा हुआ पक्ष दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते विस्तार और आक्रामकता को रोकना है। दूसरी बात यह कि इस समय अफगानिस्तान में तकनीकी रूप से दो व्यवस्थाएँ एवं सत्ताएँ हैं। एक व्यवस्था है– इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान जो काबुल हाईजैक के बाद तालिबान द्वारा घोषित की गई। यह

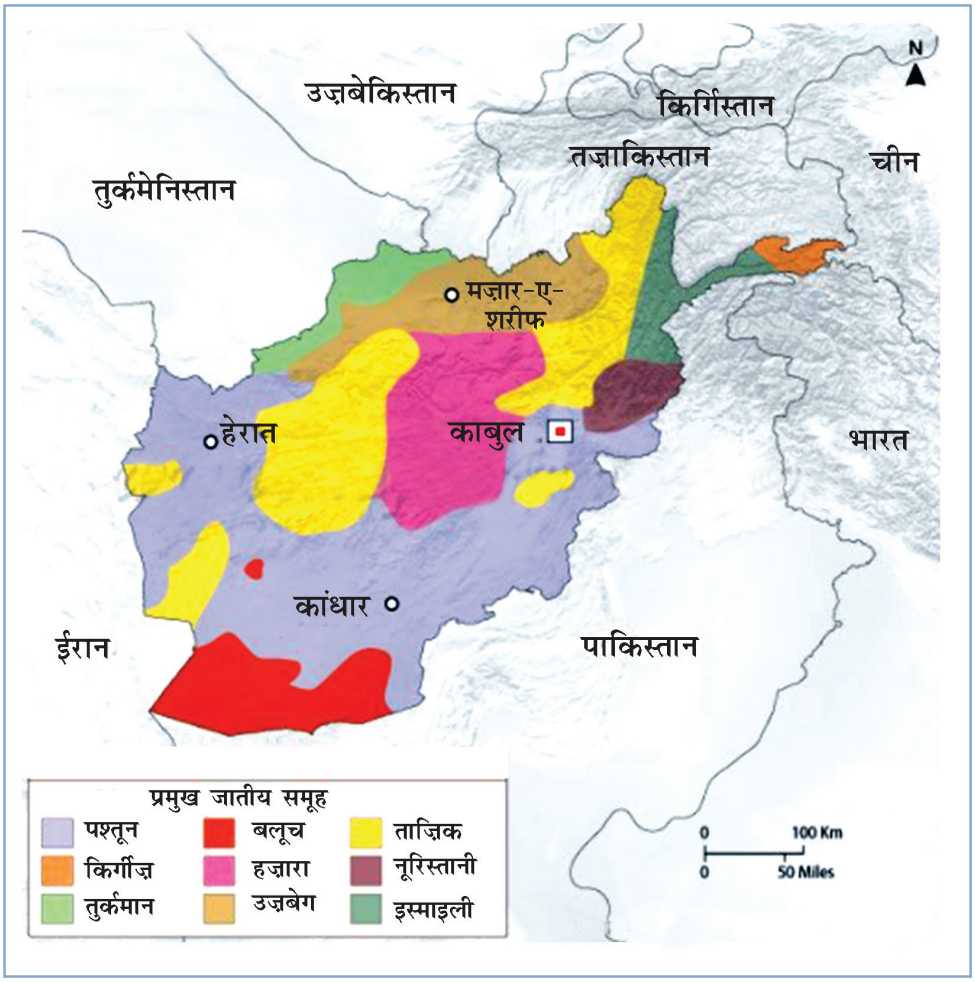

'डि फैक्टो' (वास्तविक) पावर तो है लेकिन 'डि ज्योर' (विधिक) नहीं। दूसरी तरफ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, जिस पर अमरुल्लाह सालेह की दावेदारी है और अभी तक वही 'डि ज्योर' पावर है। 'डि फैक्टो' पावर का अभी तक स्वरूप और संरचना तय नहीं हो पाई है। दूसरा यह कि तालिबान अभी भी अफगानिस्तान में सर्वस्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में एक तरफ अमीरात है जिसका अभी तक कोई ढाँचा या ताना-बाना स्पष्ट नहीं है और दूसरी तरफ इस्लामिक रिपब्लिक है जो पहले से ही स्थापित है, जिसमें तमाम अफगानियों ने एक अच्छे जीवन का सपना देखा है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में पिछले 20 वर्षों में उदित हुआ नवोदित मध्यम वर्ग लोकतंत्र और खुलेपन का स्वाद चख चुका है, अत: वह कभी भी तालिबान शासन के अधीन रहना नहीं चाहेगा। इस स्थिति में तालिबान निर्विवाद और बेहतर शासन व्यवस्था कभी नहीं दे पाएगा। ऐसे में भारत के लिये ज़रूरी है कि वहाँ हो रहे परिवर्तनों और संभावित चुनौतियों पर गहरी नज़र रखे और सही समय पर उचित कदम उठाए।

आंतरिक संकट

क्या वास्तव में तालिबान वहाँ अनचैलेंज्ड पावर है? जैसा कि रूस और चीन प्रचारित कर रहे हैं? नहीं, वह बिल्कुल अनचैलेंज्ड नहीं है। पहली बात तो यह कि तालिबान सत्ता में क्रांति अथवा गृहयुद्ध के बल पर आए हैं। विश्व इतिहास इस बात का गवाह है कि क्रांतियों या युद्धों के ज़रिये हुए सत्ता के अधिग्रहण फलीभूत नहीं हुए हैं। वे सिर्फ परंपरागत शासक को सत्ता से हटा पाए लेकिन एक अच्छी व्यवस्था कभी नहीं दे पाए, इसीलिये प्राय: प्रतिक्रांतियाँ हुई या फिर किसी तानाशाह का उदय हुआ है। संभव है कि अफगानिस्तान भी इस इतिहास को दोहराए, क्योंकि तालिबान कभी भी एक अच्छी व्यवस्था का निर्माता नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि कुछ विश्लेषकों व कुछ राजनेताओं का मत है कि तालिबान बदल गया है। लेकिन, सच तो यह है कि तालिबान न बदल सकता है और न सुधर सकता है, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में वह तालिबान रह ही नहीं जाएगा। तालिबान रेडिकलिज़्म एवं टेररिज़्म का समिश्र है और वही रहेगा। यदि ये दोनों तत्त्व उसमें से निकल गए तो फिर वह सामान्य नागरिक की श्रेणी में आ जाएगा और यह स्थिति उसके अस्तित्व के समापन जैसी होगी। अगर वे वाकई में बदल गए होते तो ऊँचा पायजामा, चप्पल और मशीनगनों को लहराते हुए सड़कों पर टहलते तथा लोगों के घरों की तलाशी लेते नहीं दिखते। दूसरी तरफ, उन्हें इंटरनल चैलेंज भी मिल रहा है, क्योंकि उनके जो लीडर्स हैं या उनका जो काडर लड़ रहा है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में (खास करके पाकिस्तान के मदरसों में) पैदा हुआ है। वहाँ उनके मस्तिष्क में कट्टर इस्लामी विचारधारा ठूँस-ठूँसकर भरी गई है। यह विचारधारा असल में कुरान की आयतों से नहीं ली गयी है, यह तो शरीयत आधारित है और शरीयत भी वह नहीं जिसे मध्य एशियाई विचारकों ने कभी तैयार किया था, बल्कि वह पाकिस्तान के कठमुल्लों द्वारा तैयार की गई है। यह तालिबानी शरीयत है जो लोगों को कभी भी अधिकार संपन्न नहीं बना सकती। यही वजह है कि अफगानिस्तान में नवोदित मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं ने प्रतिरोध शुरू कर दिया है। ध्यान रहे कि पिछले 20 वर्षों में जो 'नवोदित मध्यम वर्ग' पैदा हुआ उसके सामने दो ही विकल्प हैं। एक यह कि वह खत्म हो जाए और दूसरा, वह संघर्ष करे। दूसरे में संभावनाएँ हैं, जबकि पहले में अस्तित्व की सीधी मौत। 'नवोदित मध्यम वर्ग' की अपनी एक पहचान, एक प्रवृत्ति (टेंडेंसी) होती है। वह दोनों स्थितियों में अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है। इसलिये उसके पास बेहतर विकल्प यही है कि वह लड़े, अन्यथा खत्म होने के लिये तो उसे कुछ करना ही नहीं है।

अंतिम बात, अफगान तालिबान पश्तून हैं। दरअसल, अफगानिस्तान बहुत-से कबीलों में बँटा हुआ है, जैसे– उज़बेक, हजारा, इस्माइली, ताजिक....आदि। इनकी अपनी जियो-फिजिक्स, कल्चर और जीवनशैली है। ताजिक, इस्माइली, उज़बेक और हजारा, पश्तूनों की सत्ता को नहीं स्वीकारते और न ही स्वीकारेंगे। गौरतलब है कि पंजशीर घाटी इसका अच्छा उदाहरण बनी हुई है। वहाँ पर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अशरफ गनी के आर्मी जनरल भी वहाँ पर मौजूद हैं और आगे की संभावना यह है कि रसीद दोस्तम भी इसमें शामिल हों। यदि ताजिक, उज़बेक और हजारा ट्रैंगल बन गया तो यह तालिबान को कड़ी चुनौती पेश करेगा।

बहरहाल, ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान अभी एक लंबे संघर्ष से गुज़रेगा। अगर ऐसा हुआ तो वह एक ग्रेट डिवाइड का भी शिकार हो सकता है। ऐसे में मूल विषय यह है कि अफगानिस्तान की जो ऐतिहासिक विरासतें रही हैं, उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए? अफगानों को किस तरह से बचाया जाए? इन सबके मद्देनज़र यह विचार स्वाभाविक है कि ऐसे में भारत को क्या करना चाहिये? क्या उसे तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिये? दरअसल, भारत की नज़र में ही नहीं, दुनिया की नज़र में भी तालिबान एक मिलिशिया है और किसी भी मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत सैद्धांतिक तौर पर संबंध नहीं बना सकता। लेकिन, वहाँ पर भारत के नागरिक और भारतीय पूंजी से निर्मित संपत्तियाँ हैं जिनकी सुरक्षा का दायित्व भारत पर है, इसलिये यह संभव है कि भारत उन स्थितियों में तालिबान से कूटनीतिक संबंध बनाने पर विचार करे जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे मान्यता प्रदान कर दे। ध्यान रहे कि अफगानिस्तान में भारत ने जितना मानव विकास, संरचनात्मक विकास एवं लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया है, किसी अन्य देश ने नहीं किया। यही वजह है कि आम अफगान के मन में भारत के प्रति बहुत आदर है। फलत: भारत को इस भावनात्मक संबंध को भी ध्यान में रखकर काम करना होगा।

❐❐❐

आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट ने मानवता के सामने बजाई खतरे की घंटी

–कबीर संजय

रविवार यानी बाइस अगस्त को आर्कटिक प्रदेश में एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना घटी। ग्रीनलैंड में स्थापित आर्कटिक रिसर्च स्टेशन या ग्रीनलैंड समिट स्टेशन ने इतिहास में पहली बार बारिश दर्ज की है। गौरतलब है कि बर्फ की मोटी परत वाली इस जगह पर बारिश नहीं होती। यह स्टेशन समुद्र तल से दस हज़ार 551 फिट की ऊँचाई पर मौजूद है। यहाँ पर तापमान का स्तर इतना निम्न रहता है कि पानी द्रव की बजाय ठोस अवस्था अर्थात् बर्फ के रूप में ही रहता है। लेकिन, बारिश के साथ ही यहाँ पर नौ घंटे तक लगातार ऐसा तापमान दर्ज किया गया जो कि हिमांक बिंदु से ऊपर था। जाहिर है कि आर्कटिक प्रदेश में जमी बर्फ के लिये इस बरसात को कोई शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है।

गौरतलब है कि पहले ही यहाँ पर बर्फ पिघलने की दर नई बर्फ जमने की दर से ज़्यादा हो गई है। इसके चलते बर्फ की परत लगातार पतली हो रही है और इसका आकार भी सिकुड़ता जा रहा है। ऐसे में होने वाली बरसात और हिमांक बिंदु से ऊपर का तापमान यहाँ मौजूद बर्फ की परत के पिघलने की दर में को और भी वृद्धि करेगी, जिसके नतीजे बहुत ही भयावह साबित होने वाले हैं।

इस बात को इसके सांकेतिक और वास्तविक दोनों ही अर्थों में लिया जाना चाहिये कि इससे मात्र तेरह दिन पहले यानी नौ अगस्त को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल या इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाईमेट चेंज (आई.पी.सी.सी.) ने अपनी रिपोर्ट रखी थी। यह रिपोर्ट इसी खतरे को कुछ और भी ज़्यादा पुख्ता तरीके से सामने रखती है। पिछले कुछ सालों में दुनिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में जलवायु परिवर्तन अथवा जलवायु संकट सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है। हर दिन इस तबाही की तस्वीर और स्पष्ट होती जा रही है। आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट बताती है कि संकट इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है, जितना कि हम समझते हैं। पूरी रिपोर्ट ने एक प्रकार से मानवता के सामने खतरे और चेतावनी की घंटी बजा दी है।

आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट के मुताबिक धरती की सतह के औसत तापमान में वर्ष 2040 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी पहले के अनुमानों से भी एक दशक पहले ही धरती के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाएगी। दुनिया भर में पर्यावरण संबंधी 1400 से ज़्यादा शोध व अध्ययनों के आधार पर ज़ारी रिपोर्ट 'ऑन द फिजिकल साइंस बेसिस' में धरती के भूत और भविष्य के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें कही गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगले बीस सालों में वैश्विक तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगी। पिछला दशक बीते 1.25 लाख सालों के मुकाबले गर्म रहा था। वर्ष 1850 से लेकर 1900 के बीच के वैश्विक औसत तापमान के मुकाबले 2011 से 2020 का दशक 1.09 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म रहा है। यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी प्रकार से ज़ारी रहा तो इक्कीसवीं सदी के मध्य में ही वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी दो डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर पहुँच जाएगी। तापमान में होने वाली बढ़ोतरी बारिश की घटनाओं की तीव्रता को बढ़ा देगी। यहाँ तक कि तापमान में होने वाली हर एक डिग्री की बढ़ोतरी भारी बारिश की घटनाओं की तीव्रता को सात फीसदी तक बढ़ा देगी। गौरतलब है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पिछले बीस लाख सालों से भी सबसे ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त, सागरीय जल स्तर में पिछले तीन हज़ार सालों में सबसे तेज़ वृद्धि हो रही है। आर्कटिक समुद्री बर्फ भी एक हज़ार सालों में सबसे निम्न स्तर पर है।

रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित भी कर दें, तब भी अगले एक हज़ार सालों तक बर्फ का पिघलना ज़ारी रहेगा। समुद्र के स्तर में वृद्धि भी सैकड़ों वर्षों तक ज़ारी रहेगी। महासागरों का गर्म होना ज़ारी रहेगा। वर्ष 1970 के दशक से यह दो से आठ गुना तक बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते तापमान से दुनिया भर में मौसम से जुड़ी भयंकर आपदाएँ आएंगी। दुनिया पहले ही बर्फ की चादरों के पतला होने और उनका आकार सिकुड़ने, समुद्र के बढ़ते स्तर और बढ़ते अम्लीकरण में अपरिवर्तनीय बदलाव झेल रही है। पैनल का नेतृत्व कर रहीं वैलेरी मैसन डेलोमोट ने कहा कि कुछ बदलाव सौ या हज़ारों सालों तक ज़ारी रहेंगे। उन्हें केवल उत्सर्जन में कमी से ही धीमा किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वायुमंडल को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन जिस तरह से ज़ारी है, उसके कारण सिर्फ दो दशकों में ही तापमान की सीमाएँ टूट चुकी हैं। अध्ययन से जुड़े शोधकर्ताओं का यहाँ तक मानना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस शताब्दी के अंत तक समुद्र का जल स्तर लगभग दो मीटर तक बढ़ जाए। जाहिर है कि इसका परिणाम समुद्र तटीय क्षेत्रों और द्वीपों में बसे टापुओं को डुबाने वाला ही होगा।

रिपोर्ट के भारत के लिये क्या हैं मायने

आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया के लिये भी चेताने वाली है। रिपोर्ट पर्यावरण का विनाश रोकने के लिये कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर ध्यान आकर्षित रही है। कार्बन उत्सर्जन के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। भारत यह पहले ही कह चुका है कि वह पेरिस जलवायु समझौते के अपने

वायदे को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है और वर्ष 2005 के स्तर के अनुसार वह वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33-35 प्रतिशत तक की कमी करेगा। ध्यातव्य है कि पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य दुनिया के तापमान को दो डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देने और उसे 1.5 डिग्री पर रोक देने का है। लेकिन, आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि, दुनिया के कई देश तेज़ी से कार्बन उत्सर्जन को कम नहीं कर पा रहें हैं। हालाँकि, दुनिया के कई बड़े कार्बन उत्सर्जक देश वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन के मामले में न्यूट्रल होने की घोषणा कर चुके हैं। चीन ने भी वर्ष 2060 तक के लिये अंतिम तिथि तय की हुई है। ऐसे में इस रिपोर्ट पर और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।

आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट इस बात का संकेत देती है कि इक्कीसवीं सदी में दक्षिण एशिया में गर्मी एवं लू का प्रकोप और भी ज़्यादा भयावह होने जा रहा है। साथ ही, तिब्बत के पठार और हिमालय में एक सामान्य आर्द्रता रहेगी। इसके अतिरिक्त, इस सदी में भारी बारिश की घटनाओं में भी बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि कैसे शहरीकरण ने जलवायु को प्रभावित किया है और बाढ़ की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। धरती की पर्यावरण प्रणाली में इस दौरान बड़ी घटनाएँ होने की आशंका है। जिनमें भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन, लू से जंगलों में आग लगने या समुद्री और चक्रवाती तूफान आने की घटनाएँ बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी संस्था ऑक्सफेम के मुताबिक, मौसम संबंधी आपदाओं के चलते बीते दस दशकों में दो करोड़ से अधिक लोगों को हर साल विस्थापित होना पड़ता है। इस तरह की आपदाएँ बीते तीस सालों में तीन गुनी हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2000 के बाद से सूखे, बाढ़ और जंगल में आग लगने के चलते लगभग 12.3 लाख लोगों की मौत हुई है और 4.2 अरब लोग प्रभावित हुए हैं।

भारत सरकार ने पिछले साल जलवायु परिवर्तन पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें कहा गया था कि वर्ष 1951 से 2016 के बीच सूखे की गति और तीव्रता में बढ़ोतरी हुई है। इस बात की भी आशंका जाहिर की गई है कि सदी के अंत तक लू चार गुना ज़्यादा तीव्र हो जाएगी। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की 2019 की वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत उन सत्रह देशों में से एक है जहाँ पर पानी को लेकर बहुत अधिक दबाव है। इसमें कहा गया है कि भारत मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के उन देशों के साथ इस सूची में है, जहाँ भू और सतह का जल समाप्त हो रहा है। ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के अनुसार, बीते साल आए अंफान तूफान के चलते 1.3 करोड़ लोगों पर असर पड़ा और इसके कारण 13 अरब डॉलर की संपदा का नुकसान हुआ।

रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मौसम की चरम घटनाओं में बीस फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। परिणामस्वरूप, पश्चिमी तट पर बाढ़ और चक्रवात जैसी घटनाएँ आम हो जाएंगी। साथ ही, दक्षिण एशिया और भारत में लू और सूखे की घटनाएँ भी बढ़ सकती हैं। आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट के मुताबिक, इक्कीसवीं सदी में समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी और ऐसा तब भी होगा जब कार्बन उत्सर्जन कम से कम होगा। समुद्र का गर्म होना और बर्फ का पिघलना इसकी मुख्य वजह होगी। भारत जैसे देश जहाँ साढ़े सात हज़ार किलोमीटर लंबा समुद्री तट और एक बड़ी आबादी समुद्र पर निर्भर है, इस तरह के परिवर्तन से बुरी तरह से प्रभावित होंगी। समुद्र तल में होने वाली वृद्धि का प्रभाव चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, सूरत और विशाखापत्तनम जैसे शहरों पर होगा, जहाँ करोड़ों लोग निवास करते हैं। गौरतलब है कि यदि समुद्री जल स्तर में 50 सेंटीमीटर की भी वृद्धि होती है, तो इसका प्रभाव लगभग चार लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर संपत्ति पर पड़ेगा।

इंटरनेशनल फोरम फॉर एंवायरमेंट, सस्टेनिबिलिटी और टेक्नोलॉजी के प्रमुख चंद्रभूषण कहते हैं कि भारत के ऊपर इसका दोगुना प्रभाव पड़ने वाला है। वे कहते हैं कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को इसके प्रभाव से बचाना होगा। हमें ऐसा सामाजिक तंत्र और ढाँचा विकसित करना होगा जो बढ़ते मौसम की मार को सहने में सक्षम हो। इसके साथ ही हमें जलवायु परिवर्तन को रोकने की ओर कदम उठाना होगा। वे कहते हैं कि आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट हमारी अर्थव्यवस्था और मानव जीवन दोनों के लिये चेतावनी है। भविष्य में होने वाली जिन घटनाओं की चेतावनी हम देते आए थे, वैसा अब होने लगा है। जो घटनाएँ भविष्य में काफी देर में होनी थी वह अभी घटने लगी हैं। इसमें लू, मानसून का बिगड़ा रुख, बादल फटने की घटनाएँ, अत्यधिक वर्षा जैसी मौसमी घटनाएँ शामिल हैं। यदि हमने तेज़ी से और कड़े कदम नहीं उठाए तो स्थिति और भी गंभीर होती जाएगी।

क्या है आई.पी.सी.सी. और इसकी रिपोर्ट क्यों इतनी अहम

'इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज' यानी आई.पी.सी.सी. संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है, जो जलवायु विज्ञान और जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन करती है। आई.पी.सी.सी. से जुड़े वैज्ञानिक तेज़ी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में आने वाले खतरों की समीक्षा करते हैं। साथ ही, इससे होने वाले नुकसान को कम करने और दुनिया के तापमान को स्थिर रखने के विकल्पों के बारे में उपाय भी सुझाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वर्ष 1988 में आई.पी.सी.सी. की स्थापना की थी। यह संस्था जलवायु के बारे में मूल्यांकन करके कुछ सालों के अंतराल पर रिपोर्ट ज़ारी करती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाने के लिये इस रिपोर्ट को बेहद आसान भाषा में ज़ारी किया जाता है।

आई.पी.सी.सी. दुनिया भर से वैज्ञानिकों का चुनाव करती है, ताकि साथी वैज्ञानिकों, सरकार और उद्योग जगत से जुड़ी रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद मूल्यांकन रिपोर्ट ज़ारी की जा सके। जलवायु

परिवर्तन की स्थिति को जानने और उसके प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिये हज़ारों रिपोर्टों और शोध से जुड़े लेखों का अध्ययन किया जाता है। हाल के वर्षों में संगठन की ओर से विशेष रिपोर्टों की एक सीरीज प्रकाशित की गई थी। इसमें धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की वजह से ज़मीन, महासागर और बर्फीली जगहों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई थी।

'क्लाइमेट चेंज 2021, द फिजिकल साइंस बेसिस' नाम से ज़ारी यह रिपोर्ट आई.पी.सी.सी. कार्य समूह की छठी आकलन रिपोर्ट (ए.आर.) है। यह ए.आर.-6 का पहला भाग है, जबकि पूरी रिपोर्ट वर्ष 2022 में ज़ारी होने वाली है। आकलन रिपोर्ट प्रक्रिया में तीन कार्य समूहों की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। पहला कार्य समूह जलवायु परिवर्तन के भौतिक विज्ञान आधारित समझ को समेटे हुए होता है। दूसरा कार्य समूह इसके प्रभाव, निपटने की तैयारी और हमारी कमज़ोरी का उल्लेख करता है। तीसरा कार्य समूह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये किये जा रहे प्रयासों पर बात करता है तथा ज़रूरी प्रयासों पर बल देता है। आई.पी.सी.सी. की इस रिपोर्ट को 195 सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुमोदन मिला हुआ है। उल्लेखनीय है कि अन्य दो कार्य समूहों की रिपोर्ट वर्ष 2022 तक आएगी।

आई.पी.सी.सी. की यह रिपोर्ट नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाली जलवायु परिवर्तन पर सालाना बैठक 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज' (कॉप) से पहले आई है। इस रिपोर्ट का असर कॉप की बैठक में भी देखने को मिलेगा। ब्रिटेन सरकार में मंत्री और कॉप-26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा इस रिपोर्ट पर कहते हैं कि हमारे आस-पास जलवायु संकट की घटनाएं दिखने लगी हैं। अगर हमने अभी पहल नहीं कि तो इसका बुरा असर हमारे जीवन, रोज़गार और प्राकृतिक आवास पर पड़ेगा। वे कहते हैं कि सभी देशों, सरकारों, व्यापार और समाज के लिये हमारा संदेश साफ है। अगला दशक निर्णय का दशक है। हमें विज्ञान को अपनाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य ज़िम्मेदारी के साथ पूरा करना होगा। हम साथ मिलकर ऐसा कर सकते हैं। हमें कोयला ऊर्जा संयंत्रों को अभी बंद करना होगा, हमें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार तेज़ करनी होगी। वनों की कटाई रोकनी होगी। इन सभी कदमों को उठाए जाने से उत्सर्जन में कमी आएगी। संयुक्त राष्ट्र का कॉप-26 सम्मेलन एक महत्त्वपूर्ण मौका साबित हो सकता है अगर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में लाने पर सहमति बन जाए। 196 देशों के नेता मिलकर एक बड़े लक्ष्य के लिये इसकी कोशिश करेंगे और अपनाए जाने वाले उपायों पर सहमति देंगे। आलोक शर्मा कहते हैं कि दुनिया विनाश को बचाने के लिये लगभग सारा समय खो चुकी है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव फिलहाल ज़ारी हैं। वहीं, भारत सरकार की ओर से आई.पी.सी.सी. रिपोर्ट का स्वागत किया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट करके कहा कि विकसित देशों के लिये उत्सर्जन में तत्काल कमी करने का समय आ गया है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था कार्बन मुक्त हो सके। रिपोर्ट ज़ारी होने के बाद भारत सरकार ने इस पर बयान ज़ारी कर कहा कि विकसित देशों ने कार्बन बजट से काफी अधिक कार्बन उत्सर्जित किया है। साथ ही, यह भी कहा कि केवल नेट ज़ीरो तक पहुँचना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह विकसित देशों के कुल उत्सर्जन का ही नतीजा है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। गौरतलब है कि आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट में सामने आई बातों से भी भारत के इस रुख की पुष्टि होती है कि इतिहास में जो कुल उत्सर्जन हुए हैं, जलवायु संकट उसी का नतीजा है। भारत का संचयी और वर्तमान प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से से काफी नीचे और बहुत कम है। बयान के मुताबिक, भारत ने अपने लक्ष्य को पाने के लिये घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट तक बढ़ाया है।

पिछली रिपोर्ट से क्या है अलग

वर्ष 2018 में आई आई.पी.सी.सी. की विशेष रिपोर्ट में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को लेकर कहा गया था कि सामान्य परिस्थितियों में वर्ष 2030 से 2052 तक वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। लेकिन, नई रिपोर्ट का कहना है कि वर्ष 2040 तक ही 1.5 डिग्री सेल्सियस का आँकड़ा पार हो जाएगा। नई रिपोर्ट में आकलन के तरीके को ज़्यादा सटीक माना जा रहा है। इसका कहना है कि अगले बीस सालों में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने वाला है। पुरानी रिपोर्ट की तुलना में यह दस वर्ष पहले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की बात कहती है। ए.आर.-6 के आकलन में पूर्व में बढ़ी गर्मी का आँकड़ा भी 1.1 डिग्री आंका गया है जो कि ए.आर.-6 से 0.3 डिग्री अधिक है। ए.आर.-5 को 2011 के आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था और उसके बाद एक दशक बीत चुका है। पिछला दशक अपेक्षाकृत अधिक गर्म रहा है, इसकी वजह से भी आँकड़ों में बदलाव देखने को मिला है।

आई.पी.सी.सी. की हालिया रिपोर्ट के एक अध्याय में मौसम की संभावित चरम घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इसके पीछे के कारणों और इससे होने वाले नुकसान को भी बताया गया है। इसमें अलग-अलग स्थानों से लू, बाढ़, गर्मी, सूखा और तूफान की घटनाओं का उदाहरण भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि यह तय है कि लू जैसी गर्मी से प्रभावित घटनाओं में वर्ष 1950 के बाद वृद्धि होने के साथ-साथ इसकी मारक क्षमता भी बढ़ी है। साथ ही, ठंड से प्रभावित घटनाओं की संख्या और मारकता में कमी देखी गई है। यह तय है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से यह परिवर्तन देखे जा रहे हैं। बीते दिनों में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिनकी कल्पना मानवीय गतिविधियों के नहीं होने की स्थिति में नहीं की जा सकती थी। वर्ष 1980 के बाद समुद्र में लू की घटनाएँ तकरीबन दोगुनी हो गई हैं और इसमें भी मानवीय गतिविधियों का योगदान दिखता है। वर्ष 2006 के बाद से तो इन गतिविधियों का योगदान स्पष्ट रूप से दिखता है।

स्थिति गंभीर, बहानेबाज़ी का नहीं रहा अब वक्त

दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि अब जलवायु संकट को लेकर बहानेबाज़ी या देर करने का वक्त नहीं रहा। एक-दूसरे पर दोषारोपण से भी कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि यह एक ऐसा संकट है, जो आसन्न है। जो हर किसी की नज़र में साफ हो चुका है। जलवायु संकट के चलते अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं का सामना तो पूरी दुनिया पहले से ही करती आ रही थी, लेकिन अब उसकी आवृत्ति लगातार तेज़ होती जा रही है। साथ ही वे पहले से ज़्यादा घातक भी होती जा रही हैं। इस लिहाज से देखें तो आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट उन्हीं बातों की पुष्टि करती है, जिनकी संभावना पहले ही व्यक्त की जा चुकी है। इनमें शामिल हैं तापमान में बढ़ोतरी के कारण दावानल, वन भूमि में नमी की कमी, तीव्र वर्षा के कारण प्रलयंकारी बाढ़, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि के कारण चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति आदि। यह सबकुछ हमारी आज की दुनिया का सच है। बस यह कहा जा सकता है कि जिस भविष्य की आशंका जताई जा रही थी, जिसे लेकर आगाह किया जा रहा था, वह वक्त अब आ चुका है।

रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वैश्विक तापमान वर्ष 2040 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। अर्थात् दो दशक के बाद दुनिया के लिये साँस लेना भी मुश्किल होने वाला है। वर्ष 1880 के बाद से अब तक पहले ही तापमान में 1.09 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। रिपोर्ट इस तरफ भी इशारा करती है कि जैसे-जैसे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जाएगा धरती के उसे सोखने की क्षमता में कमी आती जाएगी। समुद्र, जंगल और भूमि ये तीनों अपनी सोखने की क्षमता के चलते ही धरती का प्राकृतिक सफाई तंत्र माने जाते हैं। ये तीनों मिलकर कुल सालाना उत्सर्जन का लगभग पचास फीसदी सोख लेते हैं। अगर ये कार्बन उत्सर्जन को सोखने की ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे होते तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान अब तक बढ़ चुका होता। हम इन तीनों स्रोतों पर इसका भरोसा नहीं कर सकते कि आने वाले समय में भी ये उसी अनुपात में उत्सर्जन सोखते रहेंगे। इसलिये शून्य उत्सर्जन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। इस लक्ष्य के अनुसार अमेरिका ने वर्ष 2050 तक और चीन ने 2060 तक अपने उत्सर्जन को कम करने का ऐलान किया है।

रिपोर्ट का यह आशय है कि कार्बन सोखने की धरती की क्षमता अपने शीर्ष स्तर तक पहुँच चुकी है, इसे और बढ़ाने के लिये दुनिया को पेड़ लगाने एवं अन्य महत्त्वपूर्ण प्रयास करने होंगे। इसलिये साफ कहा जा सकता है कि अब समय गँवाने के लिये नहीं है। बहानेबाज़ी का वक्त नहीं रहा। खासतौर पर कोविड के चलते ठप पड़ी अर्थव्यवस्था के रफ्तार पकड़ने के साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी तेज़ी आने की संभावना है। पटरी पर उतर चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से आगे बढ़ाने के लिये अलग-अलग देशों की ओर से प्रयास किया जाएगा। इसके चलते कोयला, गैस और तेल का उपयोग बढ़ेगा। साथ ही, निर्माण से जुड़ी गतिविधियों में भी तेज़ी आएगी। जबकि, ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 45-50 फीसदी कम करके साल 2030 तक साल 2010 के नीचे के स्तर पर लाने और साल 2050 तक शून्य उत्सर्जन करने की ज़रूरत है। विशेषज्ञ इसके लिये कठोर कदमों के उठाए जाने की आवश्यकता जताते हैं।

पर्यावरणविद् और सेंटर फॉर साइंस एंड एंवायरमेंट की प्रमुख सुनीता नारायण वैज्ञानिकों द्वारा पूरा सच सामने नहीं रखने की बात भी कहती हैं। वे कहती हैं कि यह कौन नहीं जानता कि जलवायु परिवर्तन में बड़ा हिस्सा कुछ मुट्ठी भर देशों का है। दुनिया के कुल वार्षिक उत्सर्जन का आधा भाग अमेरिका एवं चीन द्वारा किया जाता है। अगर हम वर्ष 1870 से 2019 के बीच उत्सर्जन को देखें तो इसमें अमेरिका और यूरोपीय संघ का योगदान 27 फीसदी ब्रिटेन, जापान और चीन का योगदान 60 फीसदी मिलता है। दूसरी ओर, कार्बन डाइ-आक्साइड को नियंत्रित करने के लिये इन देशों का बजट उस सीमा तक नहीं, जितना उनका उत्सर्जन है। इसलिये इस बड़े अंतर को समझना ज़रूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि वास्तव में हमें क्या करना है। वे कहती हैं कि हमें भारत की भूमिका पर भी बात करनी चाहिये। भारत सालाना कार्बन डाइ-आक्साइड उत्सर्जन के मामले में तीसरे नंबर पर है। अगर हम यूरोपीय संघ को एक समूह मान लें तो उसका नंबर चौथा हो जाता है। चीन जहाँ सालाना 10 गीगाटन और अमेरिका पाँच गीगाटन कार्बन डाइ-आक्साइड का उत्सर्जन करता है, वहीं भारत 2.6 गीगाटन का उत्सर्जन करता है। अगर हम देश के मौजूदा बिजनेस माहौल के आधार पर देखें तो वर्ष 2030 तक भी हम चीन के एक-तिहाई और अमेरिका के आज के उत्सर्जन से कम कार्बन डाइ-आक्साइड उत्सर्जित कर रहे होंगे। लेकिन, इसका यह मतलब नहीं कि भारत को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिये। देश में होने वाली भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और तापमान बढ़ने जैसी घटनाओं का हम अपने लोगों पर असर पहले से ही देख रहे हैं। अत: हमें अपने हित के लिये जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये बड़े स्तर पर और तेज़ी से कदम उठाने होंगे।

जाहिर है कि आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट ने पहले से ही मंडराते जलवायु संकट के खतरे को और भी ज़्यादा पुख्ता तरीके से सामने रखा है। रिपोर्ट पूरी मानवता के सामने एक प्रकार से खतरे की घंटी जैसी है। इस रिपोर्ट के बाद अब विश्व समुदाय की नज़रें नवंबर में ग्लासगो में होने वाली कॉप-26 बैठक पर टिकी हुई हैं। कुछ विशेषज्ञ इस रिपोर्ट को आशा भरी निगाह से भी देखते हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट ने खतरे को बहुत ज़्यादा स्पष्ट तरीके से सामने रखा है। इसलिये अब उनका समाधान खोजने की तरफ भी पहले से ज़्यादा मुस्तैदी से लगा जा सकेगा।

❐❐❐

करेंट अफेयर्स खंड

प्रश्नपत्र –1

इतिहास, कला एवं संस्कृति 16
- अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं पुण्यतिथि 16
- धौलावीरा : विश्व विरासत सूची में शामिल 17
- वाँचुवा महोत्सव और तिवा जनजाति 17
- सैंधव सभ्यता और द्रविड़ भाषाओं में सह-संबंध 18

भूगोल 20
- कोलोराडो नदी बेसिन में जल की कमी 20

सामाजिक मुद्दे 22
- बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अधिक संरक्षण की आवश्यकता 22
- भारत की वयोवृद्ध जनसंख्या : चुनौतियाँ एवं अवसर 23
- मातृभाषा में शिक्षा और भाषायी धरोहर 24

प्रश्नपत्र –2

राजव्यवस्था एवं शासन 26
- न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 26
- पश्चिम बंगाल : मुख्यमंत्री पद का संकट 27
- बाल तस्करी : कानून के क्रियान्वयन का अभाव 28
- राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश की आवश्यकता 29
- श्रम कानून सुधारों की अस्थिर बुनियाद 30
- संसद की निगरानी संबंधी भूमिका में कमी 31
- सहकारी समिति : 97वाँ संविधान संशोधन 33
- हड़ताल : मौलिक अधिकार नहीं 33

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 35
- अफगानिस्तान मुद्दे से दूर होते खाड़ी देश 35
- अमेरिका-चीन गतिरोध : नए शीतयुद्ध की आहट 36
- खाड़ी देशों में बदलते समीकरण 37
- गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा 38
- चीन के परमाणु शस्त्रगार में वृद्धि 40
- चीन के निराधार समुद्री दावे 41
- क्वाड के विरुद्ध गठित पाँच देशों के गुट के निहितार्थ 42
- समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के संबंध में प्रधानमंत्री का संबोधन 44

सामाजिक न्याय एवं कल्याण 46
- 75वें स्वतंत्रता दिवस की प्रमुख पहलें 46
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 46
- कोविड टीकाकरण अभियान 47
- चावल में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का समावेशन 48
- मिशन पोषण 2.0 50
- विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट और भारत 51
- शिक्षा का अधिकार और अल्पसंख्यक विद्यालय 52
- संवाद (SAMVAD) कार्यक्रम का दूसरा चरण 53
- समग्र शिक्षा योजना 54

प्रश्नपत्र –3

आर्थिक घटनाक्रम 57
- 'ऑयल बॉण्ड' से संबंधित पक्ष 57
- अर्थव्यवस्था की गति एवं रोज़गार सृजन में असंतुलन 58
- आर्थिक सुधारों को नई दिशा देने की आवश्यकता 59
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण – 2019-20 60
- आहार तथा चारा विकास संबंधी उप-मिशन 61
- निम्न संवृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति का चक्र 63
- पूर्वव्यापी कर की समाप्ति 64
- भारत में दलहन नीति की आवश्यकता 65
- भारतीय रिज़र्व बैंक की डिजिटल मुद्रा संबंधी योजना 66
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा 68
- 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट - 2021 69
- वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों का प्रभाव 70
- विकेंद्रीकृत खरीद योजना 71

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 73
- आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट 73
- कीटनाशकों का मधुमक्खियों पर प्रभाव 75
- जलवायु परिवर्तन का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव 75
- जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में ओज़ोन संधि 76
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की रिपोर्ट 77
- नेट ज़ीरो कार्बन लक्ष्य के समक्ष चुनौतियाँ 79
- हाइड्रोजन उत्पादन की नई विधि और ऊर्जा-दक्षता 81
- हिमालय का महत्त्व 81

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 83
- अंतरिक्ष और परमाणु प्रौद्योगिकियों से संबंधित नए उद्यम 83
- पॉलीहाउस तकनीक और गैर-मौसमी फसलों की खेती 84

आंतरिक सुरक्षा 86
- एक राष्ट्र, एक पुलिस 86
- साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ 87

आपदा प्रबंधन 90
- पुराने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करने का निर्णय 90
- भारत-नेपाल बाढ़ प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता 91

प्रश्नपत्र –4

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि 93
- कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति 93

विविध

- विविध 95

1 इतिहास, कला एवं संस्कृति

अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं पुण्यतिथि

संदर्भ

- अवनींद्रनाथ टैगोर को उनकी 150वीं पुण्यतिथि पर वर्षभर ऑनलाइन कार्यशालाओं तथा वार्ताओं के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।
- 'अवनींद्रनाथ एट 150 : विचित्र रिविजिटेड' शीर्षक से उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

अवनींद्रनाथ टैगोर

- अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाली चित्रकला के प्रमुख चित्रकार थे। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में भारत में राष्ट्रवादी भावनाएँ बढ़ रही थीं। इसी दौरान भारतीय सांस्कृतिक इतिहास और आध्यात्म के क्षेत्र में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई।
- परिणामस्वरूप चित्रकला की एक नई शैली 'बंगाली चित्रकला' का विकास हुआ, जिसे पुनर्जागरण स्कूल या रिवाइवलिस्ट स्कूल कहा जाता है।
- अवनींद्रनाथ टैगोर ने अरेबियन नाइट श्रृंखला में पहले से चली आ रही भारतीय चित्रकलाओं से भिन्न बंगाल शैली प्रस्तुत की।
- इस शैली में अवनींद्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी कला के प्रभावों को कम करने तथा स्वदेशी मूल्यों से युक्त चित्र निर्मित करने का प्रयास किया।
- अवनींद्रनाथ टैगोर ने 'भारत माता' और मुगल विषयवस्तु पर आधारित चित्र बनाए।

बंगाल कला की अन्य चित्रकलाएँ

1. कालीघाट चित्रकला

- कालीघाट चित्रकला का विकास 19वीं सदी में कलकत्ता के 'कालीघाट मंदिर' से माना जाता है।
- इसमें चित्र बनाने के लिये पक्षी और बछड़े के बाल से बने ब्रश का प्रयोग किया जाता है।
- इस शैली के चित्रों में 'नव-धनाढ्य वर्ग के तौर-तरीकों पर कटाक्ष' का चित्रण किया गया है।
- इसके अंतर्गत महिला शिक्षा की शुरुआत के परिणामस्वरूप महिलाओं एवं पुरुषों की बदलती भूमिकाओं पर भी चित्र बनाए गए हैं।
- इस चित्रकला में मिल में तैयार कागज़ों पर जलीय रंगों से चित्र बनाए जाते थे।
- कालीघाट चित्रकला में मुख्यत: हिंदू देवी-देवताओं तथा पारंपरिक किंवदंतियों के पात्रों का चित्रण विशेष रूप से होता है।

2. पटुआ कला

- बंगाल की पटुआ चित्रकला लगभग एक हज़ार वर्ष पुरानी है।
- इसकी शुरुआत मंगल काव्यों या देवी-देवताओं की कहानियों को वर्णित करने वाले चित्रकारों की ग्रामीण परंपरा के रूप में की गई थी।
- इसके अंतर्गत परंपरागत रूप से कपड़ों पर चित्र बनाए जाते थे और इनमें धार्मिक कथाओं का चित्रण किया जाता था।
- यह कला सामान्यत: पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले से संबंधित है।

अन्य प्रमुख तथ्य

- अवनींद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शासन के दौरान पाश्चात्य कला को चुनौती दी और चित्रकला की 'मुगल व राजपूत शैलियों' का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया।
- उनके द्वारा की गई स्वदेशी विषयों की उनकी अनूठी व्याख्या ने एक नई जागृति पैदा की और भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धार किया।
- अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर वर्ष 1907 में कलकत्ता में 'इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियंटल आर्ट्स' की स्थापना की।
- बंगाल शैली के एक अन्य प्रमुख चित्रकार नंद लाल बोस हैं। इन्होंने भी आधुनिक चित्रकला के विकास में अपना योगदान दिया। काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से बनाया गया 'गांधीजी का चित्र' नंद लाल बोस की एक प्रमुख रचना माना जाता है।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि अवनींद्रनाथ टैगोर उच्च कोटि के चित्रकार थे। उन्होंने समकालीन भारत में अपने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उनके चित्र न सिर्फ भारतीय चित्रकला की आधुनिकता के सूचक थे, बल्कि वे आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से भी परिपूर्ण होते थे। इसके अलावा, अवनींद्रनाथ टैगोर एक 'राष्ट्रवादी तथा विचारोत्तेजक कवि' भी थे। अत: हमें भारत की वर्तमान पीढ़ी का अवनींद्रनाथ टैगोर से परिचय कराना चाहिये।

धौलावीरा : विश्व विरासत सूची में शामिल

संदर्भ

- हाल ही में, यूनेस्को ने गुजरात स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल 'धौलावीरा' को उसकी नियोजित सड़कों, जटिल जल प्रबंधन प्रणाली और स्थापत्य सुविधाओं के लिये अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है।
- यह विश्व विरासत सूची में शामिल 40वाँ भारतीय स्थल है। इसके अलावा, यह 'धौलावीरा टैग' प्राप्त करने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला भारतीय स्थल भी है।

धौलावीरा से संबंधित प्रमुख तथ्य

- 'भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण' (ASI) के पूर्व महानिदेशक जगतपति जोशी ने वर्ष 1968 में इस स्थल की खोज की थी। यह स्थल 3000-1500 ई. पूर्व के मध्य का है, यहाँ लगभग 1500 वर्षों की निरंतर बस्ती के साक्ष्य मिले हैं।
- भारत द्वारा यूनेस्को के समक्ष किये गए नामांकन के अनुसार, वर्ष 1989 से 2005 के दौरान गुजरात में एक स्थल का उत्खनन किया गया। तब एक ऐसे शहर का पता चला, जो "तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौर के हड़प्पावासियों की अनूठी और उत्कृष्ट कृतियों" को अपने में समेटे हुए था।
- माना जाता है कि इस शहर के मेसोपोटामिया और ओमान प्रायद्वीप के साथ व्यापारिक संबंध थे। लगभग 70 हेक्टेयर में फैला धौलावीरा एक किलेबंद शहर था।
- मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और गनवेरीवाला के बाद 'धौलावीरा' पाँचवाँ सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल था। धौलावीरा सबसे अच्छी संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक था।
- यहाँ पर एक दीवार वाला शहर, एक महल, एक औपचारिक मैदान, दो मौसमी धाराएँ और विभिन्न श्रेणियों के घर मिले हैं, जो एक सामाजिक पदानुक्रम दर्शाते हैं।
- यहाँ की 'जल प्रबंधन प्रणाली' शुष्क क्षेत्र में लोगों का जीवित रहने का कौशल दर्शाती है। उत्खनन में ताँबा, खोल, कीमती व अर्द्ध-कीमती पत्थर, टेराकोटा और स्वर्ण वस्तुएँ आदि मिले हैं।

धौलावीरा : एक उत्कृष्ट उदाहरण

- एक पुरातत्त्ववेत्ता के अनुसार, धौलावीरा 'अंकगणित और ज्यामिति' दोनों प्रकार की सटीक गणितीय गणनाओं के साथ नियोजित हुआ पहला उत्कृष्ट नगर था। उन्होंने कहा कि यहाँ से सुंदर वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर की खदानें मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से प्राप्त हुई मोतियों जैसी वस्तुएँ धौलावीरा से ले जाई गई थीं।
- यहाँ पर कई द्वार भी मिले हैं, इनमें से एक उत्तरी द्वार है। इसके ऊपर अपनी तरह का पहला साइनबोर्ड लगा था।
- धौलावीरा को एक महल, मध्य शहर और निचले शहर में विभाजित किया जा सकता है। यह विभाजन विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिये किया गया होगा। शायद 'महल' में विशेष व्यक्ति, 'मध्य शहर' में अमीर व्यापारी व सेनापति और 'निचले शहर' में आम लोग रहते थे।
- इसके अलावा, यहाँ से गोदाम रूपी एक भवन, दो मैदान, मनका बनाने का कारखाना और कुछ कब्रें भी मिलीं। पुरातत्त्ववेत्ता ने बताया कि दो मैदानों में से एक बड़ा मैदान है, जिसमें आज के एक स्टेडियम की तरह चारों ओर दर्शक बैठ सकते थे। इसे कार्ट-रेसिंग, जानवरों की दौड़ और मनुष्यों की दौड़ के लिये भी इस्तेमाल किया जाता था।
- जल प्रबंधन प्रणाली में दो मानसून चैनलों के माध्यम से निर्मित नाले और जलाशयों की एक कैस्केडिंग प्रणाली शामिल थी। निचले और मध्य शहर के घरों में सेप्टिक टैंक प्राप्त हुए हैं, जबकि महल में एक मुख्य नाली से जुड़ी नालियों का एक भूमिगत नेटवर्क मौजूद था।

धौलावीरा स्मारक

- धौलावीरा स्मारकों से पता चलता है कि वे व्यक्ति की मृत्यु के एक साल बाद बनाए गए थे क्योंकि यहाँ कोई कंकाल नहीं मिला है।
- पुरातत्त्ववेत्ता के अनुसार, यह किसी प्रियजन के गुज़र जाने के एक वर्ष को चिह्नित करने वाले श्राद्ध समारोह की तरह था। इन स्मारकों की डिज़ाइन बौद्ध स्तूपों से मिलती-जुलती है।
- धौलावीरा को विश्व विरासत का दर्जा मिलने से इसका बेहतर संरक्षण हो सकेगा।

चिंताएँ

- ए.एस.आई. ने इस स्थान पर लोगों की आवाजाही में वृद्धि पर चिंता जताई है। यहाँ लगभग 20,000 आगंतुकों के आने की सूचना मिली है। इससे खुदाई में प्राप्त अवशेष लोगों के पैरों तले कुचले जाते हैं, जिससे साक्ष्य विरूपित हो जाते हैं।
- अत: पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से खुदाई में प्राप्त अवशेषों के संरक्षण के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है।

वाँचुवा महोत्सव और तिवा जनजाति

संदर्भ

हाल ही में, तिवा जनजाति ने एक पारंपरिक नृत्य के साथ असम के 'कार्बी आंगलोंग' ज़िले के मोर्टेन गाँव में 'वाँचुवा उत्सव' में भाग लिया।

वाँचुवा महोत्सव

- यह पहाड़ों पर निवास करने वाली तिवा जनजाति के महत्त्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। पारंपरिक रूप से इसका संबंध कृषि से है, जो उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है।
- इस उत्सव के दौरान फसल की प्रचुर उत्पादकता के साथ-साथ कीटों और प्राकृतिक आपदाओं से फसल की सुरक्षा के लिये प्रार्थना की जाती है।
- उत्सव में पारंपरिक रिवाज का पालन करते हुए महिलाएँ चावल के दाने अलग करती हैं तथा पुरुष औपचारिक रूप से बड़े लकड़ी के मोर्टार में चावल को लयबद्ध रूप से बाँस की डंडियों के माध्यम से पीटकर चूर्ण बनाते हैं।
- चावल को पीटने के दौरान कभी-कभी एक घेरा बनाकर उसके चारों तरफ घूमते भी हैं।
- लोग उस चावल के चूर्ण का लेप अपने चेहरे पर लगाकर नृत्य में हिस्सा लेते हैं। साथ ही, चावल की ताज़ी बीयर को बनाना भी उत्सव का एक प्रमुख हिस्सा है।
- इस उत्सव में समुदाय के युवा पुरुषों द्वारा चमकदार चपटे नारंगी कीनू दुपट्टा पहनकर नृत्य किया जाता है।
- इस अनुष्ठान में उनके द्वारा सूअर की खोपड़ी और हड्डियों का रूप लिया जाता हैं, जो देवताओं के रूप में अभिनय करते हैं और कई पीढ़ियों तक संरक्षित रहते हैं।

तिवा जनजाति

- तिवा जनजाति को 'लालुंग' के नाम से भी जाना जाता है, असम और मेघालय में रहने वाला स्वदेशी समुदाय है। साथ ही, ये अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी निवास करते हैं।
- इस जनजाति को असम राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह जनजाति 'झूम कृषि' करती है तथा सूअर उनके आहार और संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा है।
- तिवा जनजाति को 2 उप-समूहों में विभाजित किया जाता है।

पहाड़ी तिवा–

- ये कार्बी आंगलोंग ज़िले के पश्चिमी क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा तिब्बती-बर्मन भाषा बोलते हैं।
- ज़्यादातर मामलों में, पति अपनी पत्नी की पारिवारिक बस्ती (मैट्रिलोकैलिटी) में रहने के लिये चले जाते हैं और उनके बच्चे माँ के कबीले में शामिल होते हैं।
- ये स्थानीय देवताओं की पूजा करते हैं।

मैदानी तिवा–

- ये ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिणी तट की समतल भूमि पर निवास करते हैं।
- अधिकतर लोग असमिया को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। इनकी वंश प्रणाली पितृवंशीय है।

तिवा जनजाति के अन्य प्रमुख त्यौहार

तीन पीसू (बिहू), बोरोट उत्सव, सोगरा पूजा, वाँचुवा उत्सव, जोनबील मेला, कबला, लंगखोन पूजा और यांगली पूजा आदि तिवा जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं।

सैंधव सभ्यता और द्रविड़ भाषाओं में सह-संबंध

संदर्भ

- हाल ही में, 'नेचर ग्रुप ऑफ जर्नल ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशन्स' में 'अल्ट्राकंजर्व्ड द्रविड़ियन टूथ-वर्ड रिवील्स डीप लिंग्विस्टिक एनसेस्ट्री एंड सपोर्ट जेनेटिक्स' शीर्षक से प्रकाशित शोध-पत्र में सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्त्वपूर्ण आबादी द्वारा 'पैतृक द्रविड़ भाषाएँ' बोले जाने की संभावना व्यक्त की गई।
- उल्लेखनीय है कि यह अनुमान हड़प्पावासियों और उनके संपर्क में आने वाली संस्कृतियों के बीच साझा किये गए कुछ शब्दों के आधार पर व्यक्त किया गया।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु

- यह अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता में 'पैतृक द्रविड़ भाषाओं' के निश्चित अस्तित्व के निर्धारण के माध्यम से दक्षिण एशिया के प्राचीन इतिहास की पहेली के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को हल करने का प्रयास करता है।
- सिंधु घाटी सभ्यता के गूढ़ लिखित दस्तावेजों के अभाव में, हड़प्पा सभ्यता की भाषाओं की पहचान करने का कोई सीधा या साधारण तरीका नहीं है।
- वस्तुतः इस अध्ययन के माध्यम से उन आद्य-शब्दों के संगत आरंभिक बिंदु की खोज करना है, जिनकी सिंधु घाटी सभ्यता में संभावित उत्पत्ति की पुष्टि ऐतिहासिक और भाषायी साक्ष्यों के आधार पर होती है।
- जबकि, पुरातात्त्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि उन आद्य-शब्दों से संकेतित वस्तुएँ सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित और उपयोग की जाती थीं।

पुरातात्त्विक विश्लेषण

- विभिन्न पुरातात्त्विक, भाषायी और ऐतिहासिक साक्ष्यों के विश्लेषण करने पर कुछ आद्य-शब्द प्राप्त होते हैं।
- इनका दावा है कि काँस्ययुगीन मेसोपोटामिया में 'पुरी', 'पुरू' ('pīri', 'pīru') हाथी के लिये इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं।

- हाथी शब्द 'अमरना पत्र के हुरियन भाग' में इस्तेमाल किया गया था।
- 1400 ईसा पूर्व और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन फारसी दस्तावेजों में हाथीदाँत के लिये सामान्य-शब्द ('पुरु'/'pîruš') को दर्ज किया गया था।
- सभी शब्द मूल रूप से 'पलू' (pīlu), हाथी के लिये प्रयुक्त एक प्रोटो-द्रविड़ियन शब्द से लिये गए थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित था।
- हालाँकि, व्युत्पन्न रूप से प्रोटो द्रविड़ियन दाँत-शब्द 'पाल' और इसके वैकल्पिक रूपों ('*pel'/'*pīl'/'*pi') से संबंधित था।
- द्रविड़ व्याकरण और स्वर विज्ञान के विश्लेषण के अनुसार, हाथी शब्द के लिये 'पल्लू', 'पल्ला', 'पल्लव', 'पिलुवम', आदि का प्रयोग किया गया है। ये विभिन्न द्रविड़ शब्दकोशों में प्रमाणित हैं। साथ ही, प्रोटो-द्रविड़ियन दाँत-शब्द 'पाल' से संबंधित हैं।
- उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में हाथीदाँत कों प्रतिष्ठित विलासिता की वस्तु माना जाता था।

द्रविड़ भाषा समूह

- इस समूह में दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएँ शामिल हैं।
- प्राचीन द्रविड़ भाषा से 21 भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जिनमें कन्नड़, तमिल, मलयालम आदि प्रमुख हैं।
- भारत की लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या इस समूह की भाषाएँ बोलती है। इस समूह को प्रमुख रूप से तीन भाषा समूहों में वर्गीकृत किया गया है–

1. उत्तरी समूह–

- इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से तीन भाषाएँ– ब्राहुई, माल्टो तथा कुरुख शामिल हैं।
- इसमें ब्राहुई भाषा बलूचिस्तान, माल्टो भाषा बंगाल और ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में तथा कुरुख भाषा ओडिशा, बिहार और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाती हैं।

2. केंद्रीय समूह–

- इसके अंतर्गत 11 भाषाएँ शामिल हैं, जिनमें अधिकतर जनजातीय भाषाएँ हैं।
- इस समूह की भाषाओं में– गोंडी, खोंड, कुई, मंडा, पर्जी, गड़ावा, कोलामी, पैंगो, नैकी, कुवी और तेलुगू शामिल हैं।
- इन भाषाओं में तेलुगू सभ्य भाषा बन सकी, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में मुख्यतया बोली जाती है।

3. दक्षिणी समूह–

- द्रविड़ परिवार के इस समूह में सात भाषाएँ– तमिल, कन्नड़, मलयालम, टोडा, कोटा, तुलु और कोडगु शामिल हैं।
- तमिल इस समूह की सबसे प्राचीन और प्रमुख भाषा है, जबकि कन्नड़ और मलयालम इस समूह की मुख्य भाषाओं में शामिल हैं।

सिंधु घाटी सभ्यता

- 20वीं सदी के दूसरे दशक तक माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, किंतु वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा (पाकिस्तान के पंजाब प्रांत) में उत्खनन के पश्चात् ज्ञात हुआ कि वैदिक सभ्यता से भी ज़्यादा विकसित, समृद्ध और प्राचीन एक अन्य सभ्यता भी है।
- प्रारंभिक उत्खननों से सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल केवल हड़प्पा व उसके आस-पास के क्षेत्र में ही मिले थे, फलतः इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता किया गया था।
- बाद में अन्य पुरास्थलों की खोज सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के आस-पास के क्षेत्र में होने के कारण इसे 'सिंधु घाटी सभ्यता' का नाम दिया गया।
- इस सभ्यता का काल लगभग 2350 ई.पू. से 1750 ई.पू. तक माना गया है, यह सभ्यता 2200-2000 ई.पू. के मध्य में अपनी परिपक्व अवस्था में थी।
- हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काँसे से निर्मित उपकरणों का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता था।
- सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा (जम्मू कश्मीर), दक्षिण में दैमाबाद (महाराष्ट्र), पश्चिम में सुत्कागेंडोर (बलूचिस्तान) तथा पूर्व में गंगा-यमुना दोआब में स्थित आलमगीरपुर (मेरठ, उत्तर प्रदेश) तक था।
- अब तक इस सभ्यता से संबंधित 2800 से अधिक पुरास्थलों की खोज की जा चुकी है, इसमें से दो-तिहाई पुरास्थल भारतीय क्षेत्र में मिले हैं।

निष्कर्ष

आज भी, सिंधु घाटी क्षेत्र में लोग इंडो-आर्यन, डार्डिक, ईरानी सहित कई भाषाएँ बोलते हैं। अतः लगभग दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली सिंधु घाटी सभ्यता में केवल एक ही भाषा या भाषा-समूह का प्रयोग किया जाता होगा, यह कहना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अपितु, यह संभव है कि 'पैतृक द्रविड़' हमारे पूर्वजों द्वारा बोली जाने वाली सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक रही होगी।

❐❐❐

2 भूगोल

कोलोराडो नदी बेसिन में जल की कमी

संदर्भ

हाल ही में, अमेरिका की संघीय सरकार ने ऐतिहासिक सूखे के कारण कोलोराडो नदी बेसिन में पानी की कमी की घोषणा की है।

भूमि-सुधार ब्यूरो की संस्तुति

- 'ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन' (भूमि-सुधार ब्यूरो) के अगस्त 2021 के अनुमानों के अनुसार, ऐतिहासिक सूखे के कारण 'लेक मीड' और 'लेक पॉवेल' नामक जलाशयों से पूरी क्षमता से पानी न छोड़े जाने के कारण पूरा कोलोराडो नदी बेसिन प्रभावित होगा। इसके परिणामस्वरूप दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका और उत्तर-पश्चिमी मैक्सिको के कुछ हिस्सों के निवासी प्रभावित होंगे। विदित है कि ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन जल और विद्युत् वितरण का प्रबंधन करता है।
- उटाह/यूटा, ओरेगन, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, इडाहो, मोंटाना, नेवादा, न्यू मैक्सिको, उत्तरी डकोटा और वाशिंगटन सहित दस पश्चिम अमेरिकी राज्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से इन राज्यों में 'संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी' (फेमा) के माध्यम से सूखा आपदा घोषित करने का अनुरोध किया था। इससे इन राज्यों के हजारों किसानों को सहायता प्राप्त होगी।
- राज्यों के अनुसार, तापमान में अत्यधिक वृद्धि से ऐतिहासिक सूखे की स्थिति और गंभीर हो गई है, जिसका प्रभाव किसानों, उद्योगों, स्थानीय समुदायों तथा अर्थव्यवस्था द्वारा महसूस किया जा रहा है।

प्रभावित होने वाले प्रमुख राज्य

- इससे अक्तूबर 2021 से कुछ दक्षिण-पश्चिमी राज्यों को पानी की कटौती का सामना करना पड़ेगा। इससे मुख्यत: एरिजोना, नेवादा और मैक्सिको के निवासी प्रभावित होंगे। एरिजोना को वार्षिक जल विभाजन में 18 प्रतिशत की कटौती और नेवादा व मैक्सिको को क्रमश: 7 व 5 प्रतिशत की कटौती का सामना करना पड़ेगा।
- कुल मिलाकर, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, उटाह, कोलोराडो और वायोमिंग के 40 मिलियन से अधिक निवासी जल की कमी से प्रभावित होंगे क्योंकि इस नदी प्रणाली का उपयोग सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत के लिये किया जाता है।

कोलोराडो नदी का प्रवाह

- कोलोराडो नदी रॉकी पर्वत से दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका और मैक्सिको में बहती है। यह नदी रॉकी और वाशेच पहाड़ों में हिमपात (Snowmelt) से पोषित होती है और सात राज्यों व मैक्सिको से होते हुए 2,250 किमी. से अधिक की दूरी तय करती है।
- कोलोराडो नदी बेसिन ऊपरी (वायोमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, उटाह और उत्तरी एरिजोना) और निचले बेसिन (नेवादा, एरिजोना, कैलिफोर्निया, दक्षिण-पश्चिमी उटाह और पश्चिमी न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्से) में विभाजित है।
- निचले बेसिन में निर्मित हूवर बाँध बाढ़, जल वितरण और भंडारण को नियंत्रित करता है। इसके अलावा डेविस बाँध, पार्कर बाँध और इंपीरियल बाँध भी निर्मित है जो हूवर बाँध से छोड़े जाने वाले जल को नियंत्रित करता है।

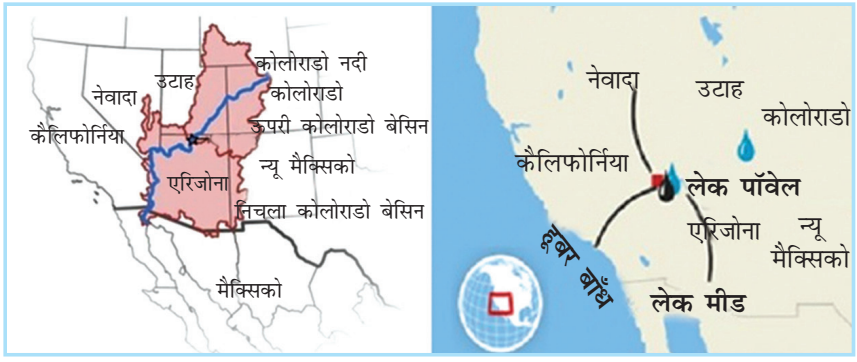

संघीय सरकार द्वारा पहली बार पानी की कमी की घोषणा का कारण

- वर्ष 2000 से कोलोराडो नदी बेसिन दीर्घकालिक सूखे का सामना कर रहा है। 'कोलोराडो रिवर डिस्ट्रिक्ट' के अनुसार वर्ष 2008, 2010 और 2014 को छोड़कर लगभग शेष वर्ष ज्यादातर शुष्क ही रहे हैं। लगातार सूखे और इन वर्षों में जल की बढ़ती माँग ने इस बेसिन के जलाशयों में पानी के स्तर को कम कर दिया है।

- पानी की इस कमी के केंद्र में दो जलाशय प्रमुख हैं। इसमें लेक मीड प्रथम है, जो नेवादा राज्य में स्थित है। लेक मीड परिमाण के मामले में अमेरिका का सबसे बड़ा जलाशय है और 1930 के दशक में हूवर बाँध द्वारा निर्मित किया गया था। लेक मीड के पानी का मुख्य स्रोत रॉकी पर्वत से पिघलने वाली बर्फ है।
- दूसरा जलाशय 'लेक पॉवेल' है, जो एरिजोना में ग्लेन कैन्यन बाँध द्वारा निर्मित जलाशय है। 20 मिलियन से अधिक लोग अपने जीवन के लिये इस झील पर निर्भर हैं। पिछले दो दशकों से लगातार सूखे की वजह से इन दोनों जलाशयों का जल स्तर कम हो रहा है।
- पिछले कुछ वर्षों में इस बेसिन से पानी की माँग में वृद्धि हुई है, जबकि आपूर्ति में कमी आई है। साथ ही, इस वर्ष इस नदी प्रणाली का ऊपरी बेसिन अत्यधिक शुष्क रहा है। उच्च तापमान के कारण अत्यधिक शुष्क मृदा अधिकांश जल (अपवाह) को सोख लेती है।

❐❐❐

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स

इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के ऐप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कूरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

9555-124-124, 7428085757 | Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

3 सामाजिक मुद्दे

बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अधिक संरक्षण की आवश्यकता

संदर्भ

- महामारी के कारण लाखों बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन गैजेट्स का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ रहा है। वे ऑनलाइन कक्षाओं और इंटरैक्टिव सत्रों से लाभान्वित हो रहे हैं।
- हालाँकि, इस दौरान बच्चों को इंटरनेट के नकारात्मक पहलूओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में गूगल ने 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं (Users) को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिये कई उपायों की घोषणा की है।

गूगल की योजना

- गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों और किशोरों को सुरक्षित रखने के लिये कई मोर्चों पर काम कर रहा है। यह अवयस्कों (Minors) को 'उनके डिजिटल फुटप्रिंट पर अधिक नियंत्रण' प्रदान कर रहा है।
- इस सेगमेंट के लिये गूगल उत्पाद आधारित अनुभवों को भी समाहित कर रहा है और विज्ञापनों में बदलावों के साथ-साथ डिजिटल देखभाल उपकरण (Digital well-being Tools) की भी घोषणा की है।

अवयस्कों को अधिक नियंत्रण प्रदान करना

- गूगल ने अपनी नई नीति में घोषणा की है कि 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं और उनके माता-पिता या अभिभावक गूगल के छवि परिणामों (Image Results) से अपनी तस्वीरों (Photos) को हटाने का अनुरोध करने में सक्षम होंगे।
- हालाँकि, यह केवल खोज परिणामों (Search Results) से छवियों को हटाएगा, न कि इसे होस्ट करने वाली वेबसाइट को। इससे अवयस्कों के लिये ऑनलाइन जोखिम को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करना होगा।

गूगल के उत्पादों का अपडेट

- यूट्यूब पर अवयस्कों द्वारा अपलोड किया गया कोई भी वीडियो अब डिफॉल्ट रूप से 'प्राइवेट मोड' (Private Mode) में होगा। इसके साथ ही यूट्यूब इस सेगमेंट के लिये और अधिक डिजिटल वेल-बीइंग कंटेंट लाएगा और बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिक सामग्री (Content) के बारे में भी सिखाएगा।
- गूगल सर्च की स्थिति में 'सेफ सर्च' 18 वर्ष से कम आयु के सभी उपयोगकर्ताओं के लिये डिफॉल्ट रूप से चालू हो जाएगी। सेफ सर्च स्पष्ट परिणामों को फिल्टर करता है। वर्तमान में यह केवल 13 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिये ही लागू है।
- यह गूगल सुइट (वर्तमान में गूगल वर्कप्लेस) पर उपस्थित स्कूल एकाउंट्स के लिये भी डिफॉल्ट रूप से शुरू हो जाएगा। गूगल असिस्टेंट के माध्यम से अवयस्क उपयोगकर्ताओं के पास स्मार्ट डिस्प्ले सहित वयस्क सामग्री से बचाव के लिये 'डिफॉल्ट सुरक्षा' भी होगी।
- इसके अलावा, जल्द ही अवयस्कों की 'लोकेशन हिस्ट्री' (Location History) स्वत: (By Default) बंद (Turned Off) हो जाएगी और बिना किसी की देख-रेख के इसे शुरू करने का कोई विकल्प मौजूद नहीं होगा।
- ऐप्स के मामले में 'गूगल प्ले' अभिभावकों को यह बताएगा कि कौन से ऐप्स उनकी पारिवारिक नीतियों का पालन करते हैं, जिससे अभिभावक बच्चों के लिये उपयुक्त ऐप के प्रयोग को सुनिश्चित कर सकेंगे।
- साथ ही, विशेष आयु-वर्ग के प्रति संवेदनशील विज्ञापन अब किशोरों को नहीं दिखाए जाएंगे और विज्ञापनदाता आयु, लिंग या स्थान का उपयोग करके 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिये अपने उत्पादों को लक्षित करने में सक्षम नहीं होंगे।
- नए डिजिटल वेल-बीइंग टूल्स के साथ-साथ गूगल अवयस्कों के लिये सर्वोत्तम डाटा प्रथाओं का पता लगाने के लिये आसानी से समझ में आने वाली सामग्री भी जारी करेगा। नए डिजिटल वेल-बीइंग टूल्स उपयोगकर्ताओं को 'समाचार, पॉडकास्ट और वेब' से सामग्री को फिल्टर करने की अनुमति देता है।

कारण

- सर्च इंजन गूगल सहित अन्य बड़ी तकनीकी कंपनियों पर अवयस्क उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा उपाय प्रदान करने का दबाव है। अमेरिका में वर्ष 1998 के 'बाल ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम' को जल्द ही 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिये अपडेट किया जा सकता है। वर्तमान में यह 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर नज़र रखने और लक्ष्य करने को प्रतिबंधित करता है।

- वर्ष 2019 में गूगल को इस अधिनियम का उल्लंघन करने और माता-पिता की सहमति के बिना बच्चों का डाटा एकत्र करने के लिये $170 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा था।
- फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने भी हाल ही में ऐसे बदलाव किये हैं, जिसके तहत किशोरों के लिये बहुत सारी सुविधाओं को डिफॉल्ट रूप से प्राइवेट बना दिया गया है।

भारत की वयोवृद्ध जनसंख्या : चुनौतियाँ एवं अवसर

संदर्भ

- भारत के 'जनसांख्यिकीय लाभांश' के विषय पर पर्याप्त चर्चाएँ होती रही हैं। देश अपने 'जनांकिकीय संक्रमण' के एक 'अनोखे चरण' में है, जिसकी विशेषता इसकी युवा आबादी का उभार है, जो तीव्र संवृद्धि के लिये एक अवसर साबित हो सकती है।
- हालाँकि, आर्थिक संवृद्धि के परिप्रेक्ष्य में समानांतर रूप से वृद्ध जनसंख्या की बढ़ोत्तरी पर भी समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

वैश्विक स्थिति एवं भारत

- प्रजनन दर में गिरावट एवं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण लगभग सभी देशों में वृद्ध आबादी में बढ़ोतरी हो रही है।
- संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार, 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की संख्या वर्ष 2019 में 703 मिलियन थी, जो वर्ष 2050 में लगभग दोगुनी होकर 1.5 बिलियन हो जाएगी। इस प्रकार वैश्विक जनसंख्या में वृद्धों की हिस्सेदारी लगभग 16 प्रतिशत हो जाएगी।
- भारत जैसे विकासशील देश तेजी से वृद्ध आबादी के बढ़ने का अनुभव कर रहे हैं। 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के अनुसार, वर्ष 2050 तक भारत की वृद्ध आबादी मौजूदा 60 मिलियन से बढ़कर 227 मिलियन हो जाएगी।
- तदनुसार, वृद्धावस्था 'निर्भरता अनुपात' 9.8 से बढ़कर 20.3 हो जाएगा। इस प्रकार, भले ही जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक संवृद्धि में सहायक है, लेकिन वृद्ध आबादी की वृद्धि और पेंशन प्रणालियों पर बढ़ता दबाव सरकार के प्रयासों को प्रभावित कर सकता है।

नीतिगत चुनौतियाँ

- वृद्धों की बढ़ती आबादी दो नीतिगत चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है– आय सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा उच्च वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात से उत्पन्न होने वाली वित्तीय लागत को कम करना।
- हालाँकि, वृद्धों का बढ़ता अनुपात राजकोषीय चुनौतियों को जन्म देता है तथा उनकी आय सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की मांग भी करता है।
- यह एक ऐसी चिंता है, जिसे केवल अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिये नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।

जीवन गुणवत्ता सूचकांक

- राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में वृद्धों के जीवन की गुणवत्ता का आकलन प्रस्तुत करने के लिये 'जीवन की गुणवत्ता सूचकांक' निर्धारित किया गया है।
- यह सूचकांक चार मानकों पर उनके कल्याण का आकलन करता है, जो आगे आठ उप-मानकों में विभाजित है, जिसमें 45 संकेतक शामिल हैं।
- यह सूचकांक भारत की वृद्ध आबादी के समग्र कल्याण पर केंद्रित है तथा 'आय सुरक्षा' इसका एक अभिन्न अंग है।
- इस सूचकांक के निष्कर्ष बताते हैं कि 'आय सुरक्षा' वृद्धों के कल्याण की राह में सबसे बड़ी चुनौती है।
- सूचकांक के अनुसार, आय सुरक्षा का राष्ट्रीय औसत स्कोर सबसे कम 33.03 (100 में से) है। उक्त मानक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सहायता कार्यक्रमों जैसे– पेंशन, भविष्य निधि आदि पर आधारित है।
- सूचकांक के अनुसार, 21 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने वृद्धों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये स्वीकृत राष्ट्रीय निधि का 50 प्रतिशत से भी कम उपयोग किया है, जबकि चंडीगढ़ और दादरा व नगर हवेली को कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी।
- अधिकांश राज्य गरीबी रेखा से नीचे के वृद्धों के लिये मौजूदा पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान करने में भी पिछड़ गए हैं।

सूचकांक के अन्य निष्कर्ष

- सूचकांक स्कोर वृद्धों को आय समर्थन सुनिश्चित करने की दिशा में नीतिगत दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं पर व्यय करता है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा अटल पेंशन योजना इस संबंध में प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेप हैं।
- इस प्रकार, केंद्र और राज्यों दोनों को अपने प्रयासों को बढ़ाने की ज़रूरत है, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ वृद्ध आबादी का अनुपात अधिक है।
- अर्थव्यवस्था पर वृद्ध आबादी बढ़ने के वित्तीय दबावों से संबंधित चिंताओं के बावजूद, वास्तविकता यह है कि आय समर्थन प्रणाली अपने मौजूदा स्वरूप में आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम नहीं है, जबकि उनकी आबादी का अनुपात केवल 8.6 प्रतिशत है।
- यह चिंता का विषय है कि जब आबादी में वृद्धों का हिस्सा बढेगा, तो पेंशन प्रणाली कितनी अच्छी होगी? अतः इसके लिये बेहतर फंडिंग और कवरेज के ज़रिये पेंशन प्रणाली को मज़बूत करना समय की मांग है।

सुझाव

- अर्थव्यवस्था को बढ़ती वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात से उत्पन्न होने वाली राजकोषीय लागतों को कम करने की आवश्यकता है। इसके समाधान की दिशा में पहला कदम वृद्धावस्था से जुड़े नकारात्मक अर्थ को परिवर्तित करना है।
- वैज्ञानिक विकास के समय में मानवता ने अनेक खतरनाक बीमारियों पर काबू पा लिया है, जिसके कारण औसत जीवन काल काफी बढ़ गया है। अत: ऐसे में यह मान लेना नासमझी होगी कि एक व्यक्ति 60 वर्ष आयु सीमा पार करने के बाद एक मूल्यवान संसाधन नहीं रह जाता है।
- तदनुसार, वृद्धों के लिये नियोजित शब्दावली को 'बोझ' से 'संपत्ति' में परिवर्तित करने की आवश्यकता है।
- भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश कम हो रहा है और पेंशन प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है, सूचकांक बताता है कि चरणबद्ध तरीके से भविष्य में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ानी चाहिये, ताकि युवा पीढ़ी के अवसरों के समक्ष खतरा उत्पन्न न हो।
- यह वास्तव में एक 'बहु-पीढ़ी कार्यबल' (Multi-Generational Workforce) की शुरुआत करेगा, जो अनुभवी कार्यबल को युवा ऊर्जा के साथ एकीकृत करेगा।

भावी राह

- सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करना भी एक चुनौती होगी। इसके लिये ज़रूरी है कि देश इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दे। साथ ही, दूसरे जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिये 'संस्थागत और नीतिगत ढाँचा' इस इच्छित परिवर्तन के अनुकूल होना चाहिये।
- यह भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि भविष्य में वृद्धों का कल्याण आज की कार्यशील आबादी के कल्याण से अंतर्संबंधित है।
- एक मज़बूत बहु-पीढ़ी कार्यबल भविष्य में तभी संभव है, जब आज के युवाओं के पास 'सामाजिक वस्तुओं और रोज़गार के अवसरों' तक पर्याप्त पहुँच हो।

निष्कर्ष

- भारत एक 'जनसांख्यिकीय संक्रमण' का अनुभव कर रहा है, जो आर्थिक संवृद्धि को इंगित करता है, इसलिये नीति निर्माताओं को जनसांख्यिकीय लाभांश के दोनों पक्षों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त, आने वाले दशकों में वृद्धों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, नीति निर्माताओं को राजकोषीय चुनौतियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ऐसा न हो कि कल की चुनौतियाँ आज के लाभों पर भारी पड़ जाएँ।

मातृभाषा में शिक्षा और भाषायी धरोहर

संदर्भ

हाल ही में, आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने आगामी सत्र से अपने यहाँ चुने हुए पाठ्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

अन्य निर्णय

- इसके साथ ही 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्' (AICTE) ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप बी.टेक. पाठ्यक्रमों को 11 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
- 11 स्थानीय भाषाओं में हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बांग्ला, असमिया, पंजाबी और उड़िया शामिल हैं।

नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को महत्त्व

- नई शिक्षा नीति, 2020 में प्राथमिक विद्यालय से ही शिक्षा को मातृभाषा में दिये जाने पर बल दिया गया है, जिससे बच्चों की शिक्षा और समझ में सुधार हो सके।
- विभिन्न अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि वे बच्चे, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होती है, वे उन बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी अन्य भाषा में हुई हो।
- यूनेस्को और अन्य संस्थाएँ इस पर बल देती रही हैं कि मातृभाषा में सीखना, आत्मसम्मान और अपनी पहचान बनाने तथा बच्चे के संपूर्ण विकास के लिये भी आवश्यक है।
- हालाँकि, भारतीय समाज में अभिभावक और शिक्षक अंग्रेज़ी शिक्षा पर बल देते हैं। परिणामस्वरूप बच्चे की मातृभाषा विद्यालय में दूसरी या तीसरी भाषा बन जाती है।

मातृभाषा में विज्ञान की शिक्षा

- प्रख्यात भौतिकशास्त्री और नोबल पुरस्कार से सम्मानित सर सी.वी. रमन ने कहा था कि "हमें विज्ञान को मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहिये, अन्यथा वह एक गर्व या घमंड का विषय बन जाएगा, वह ऐसा विषय नहीं बन सकेगा जिसमें हर कोई भागीदारी कर सके।"
- वर्तमान शिक्षा तंत्र में अभूतपूर्व प्रसार हुआ है, लेकिन विगत वर्षों में विद्यार्थियों की प्रगति के रास्ते में कई शैक्षणिक बाधाएँ उत्पन्न हुई हैं।
- अंग्रेज़ी माध्यम के कुछ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के एक छोटे से इकोसिस्टम का चलन है, जबकि तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्थानीय भाषाएँ पिछड़ रही हैं।

वैश्विक प्रथाएँ

- जी-20 के अधिकांश देशों में अत्याधुनिक विश्वविद्यालय हैं, जहाँ उनके नागरिकों को मुख्य भाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- दक्षिण कोरिया में 70 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में शिक्षण कोरियन भाषा में ही होता है। अंग्रेज़ी के प्रति अभिभावकों में बढ़ते रुझान को देखते हुए वर्ष 2018 में सरकार ने विद्यालयों में कक्षा तीन से पहले अंग्रेज़ी की पढ़ाई पर ही प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की कोरियाई भाषा में प्रवीणता कम हो रही थी।
- इसी प्रकार, जापान के विश्वविद्यालयों में अधिकांश पाठ्यक्रम जापानी भाषा में ही पढ़ाए जाते हैं। यही स्थिति चीन में भी है।
- फ्राँस और जर्मनी की शिक्षा पद्धति यह प्रदर्शित करती है कि राष्ट्र अपनी भाषा को कैसे संरक्षित रख सकते हैं।
- विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में फ्राँस में 'केवल फ्राँसीसी' नीति को अपनाया गया है।
- जर्मनी में शिक्षा की प्रमुख भाषा जर्मन है, यहाँ तक कि तृतीयक शिक्षा में अर्थात् मास्टर्स कार्यक्रमों में से 80 प्रतिशत से अधिक जर्मन भाषा में पढ़ाया जाता है।
- कनाडा भाषायी विविधता वाले देश की तस्वीर को प्रदर्शित करते हुए शिक्षा के लिये एक समावेशी दृष्टिकोण दिखाता है।
- कनाडा के अधिकांश प्रांतों में अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रमुख माध्यम है, बहुसंख्यक फ्राँसीसी-भाषी क्यूबेक प्रांत में फ्रेंच प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम है।
- इस वैश्विक परिदृश्य में यह विडंबना है कि भारत में अधिकांश व्यावसायिक पाठ्यक्रम अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाते हैं।
- विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान एवं विधि में तो स्थिति और भी दयनीय है, जहाँ स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम न के बराबर हैं।

सुधार की आवश्यकता

- एन.ई.पी. शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता में सुधार करते हुए स्थानीय भाषाओं के संरक्षण को प्रदर्शित करते हुए रोडमैप तैयार करता है।
- प्राथमिक शिक्षा (कम से कम कक्षा पाँच तक) छात्र की मातृभाषा में प्रदान करनी चाहिये और इसे धीरे-धीरे इसे बढ़ाना चाहिये।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के संबंध में 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा की गई पहल सराहनीय है। स्थानीय भाषा के संरक्षण के लिये पूरे देश में इस तरह के और प्रयासों की आवश्यकता है।
- निजी विश्वविद्यालयों को इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कुछ द्विभाषी पाठ्यक्रमों की पेशकश करनी चाहिये।
- छात्रों के लिये स्थानीय भाषाओं में उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों की कमी है, विशेषत: तकनीकी पाठ्यक्रमों में और इसे तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है।

विभिन्न प्रयास

- डिजिटल युग में दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रों तक भारतीय भाषा पाठ्यक्रमों की पहुँच बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है।
- डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम, जो अभी भी हमारे देश में एक आरंभिक डोमेन में है, जिसमें अधिकांश बच्चे शामिल नहीं हैं, इसे बेहतर करने की आवश्यकता है।
- इस संबंध में ए.आई.सी.टी.ई. और आई.आई.टी. मद्रास ने 'स्वयं' (SWAYAM) पोर्टल के पाठ्यक्रमों का तमिल, हिंदी, तेलुगू, कन्नड़, बंगाली, मराठी, मलयालम और गुजराती जैसी आठ क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिये सहयोग किया है।
- गौरतलब है कि 'स्वयं' एक आईटी प्लेटफॉर्म है। यह भारतीय विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के ऑनलाइन कोर्सेज नि:शुल्क उपलब्ध कराता है।
- यह इंजीनियरिंग छात्रों को बाद के वर्षों में अंग्रेज़ी-प्रधान पाठ्यक्रम में अधिक आसानी से स्थानांतरित करने में मदद करेगा।
- उच्च शिक्षा का वास्तव में लोकतंत्रीकरण करने के लिये और अधिक तकनीकी नेतृत्व वाली पहल की आवश्यकता है।

भावी राह

- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने का अर्थ यह नहीं है कि हम मुख्यधारा से अलग-थलग हो जाएँ।
- प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएँ सीखनी चाहिये, लेकिन आवश्यकता है कि मज़बूत नींव मातृभाषा में ही पड़े।
- 'मातृभाषा बनाम अंग्रेज़ी' की बजाय मातृभाषा के साथ अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति पर विचार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यदि मातृभाषा को नज़रंदाज किया जाता है, तो न सिर्फ ज्ञान की एक बहुमूल्य निधि को खोने की आशंका होती है, बल्कि अपनी भावी पीढ़ियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होने का भय भी रहता है। साथ ही, वे सामाजिक एवं भाषायी धरोहर से वंचित हो सकते हैं। अत: इसके लिये आवश्यक है कि मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिये नवीन प्रयास किये जाएँ।

❐❐❐

4 राजव्यवस्था एवं शासन

न्यायाधिकरण सुधार विधेयक

संदर्भ

हाल ही में, संसद में 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2021' पारित किया गया है।

अधिकरण सुधार विधेयक, *2021*

- राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 अप्रैल, 2021 को 'अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 जारी किया था। इसमें अपीलीय निकायों के रूप में कार्य करने वाले आठ अधिकरणों को भंग करने और उनके कार्यों को मौजूदा न्यायिक निकायों, जैसे- सिविल न्यायालयों या उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था।
- मानसून सत्र, 2021 में वित्त मंत्री ने 'अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) विधेयक' के स्थान पर 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2021' प्रस्तुत किया था, जिसे संसद ने पारित कर दिया है। यह विधेयक उक्त अध्यादेश का स्थान लेगा।
- विधेयक के अनुसार, भंग किये जाने वाले अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्य तीन माह के वेतन के बराबर 'मुआवज़े और भत्ते' के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, इसमें कुछ अन्य अधिकरणों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया गया है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2021 के माध्यम से चलचित्र अधिनियम 1952, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994, व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 तथा कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।
- इस विधेयक में न्यायाधिकरणों में 'खोज और चयन समितियों' के सदस्यों के लिये एकसमान वेतन का प्रावधान है। इसमें न्यायाधिकरण के सदस्यों को हटाने का भी प्रावधान है। कुछ शर्तों के अधीन 'खोज-सह-चयन समिति' की सिफारिश पर केंद्र सरकार किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकती है।
- अधिकरणों के अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायिक निकायों की स्वतंत्रता और कामकाज को लेकर अधिक जवाबदेही की आवश्यकता है।
- राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के लिये 'खोज-सह-चयन' समिति में राज्य के मुख्य सचिव तथा संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शामिल होंगे और इनके पास मतदान का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य के सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव या प्रधान सचिव भी समिति में शामिल होंगे, किंतु उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होगा।
- इससे चयन प्रक्रिया में सरकार की भूमिका में वृद्धि होगी, क्योंकि समिति का नेतृत्व करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास निर्णायक मत का अधिकार नहीं होगा।

विधेयक द्वारा भंग किये जाने वाले आठ अधिकरण

अधिनियम के तहत गठित अधिकरण	भंग किये गए अधिकरण	कार्यों का स्थानांतरण
चलचित्र अधिनियम, 1952	फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण	उच्च न्यायालय
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड	उच्च न्यायालय
कॉपीराइट अधिनियम, 1957	बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड	उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक प्रभाग
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण	उच्च न्यायालय
पेटेंट्स अधिनियम, 1970	बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड	उच्च न्यायालय
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994	विमानपत्तन अपीलीय अधिकरण	केंद्र सरकार और उच्च न्यायालय
राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि व यातायात) अधिनियम, 2002	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण	सिविल न्यायालय
वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड	उच्च न्यायालय

कारण

- सरकार का तर्क है कि विगत तीन वर्षों के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अधिकरणों ने त्वरित न्याय नहीं प्रदान किया, इस कारण राजकोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
- उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में अधिकरणों से उच्चतम न्यायालय में सीधे अपील दायर करने का विरोध किया है। अत: अधिकरणों के अधिक सरलीकरण की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि इससे राजकोष पर दबाव कम होगा और त्वरित न्याय प्रदान किया जा सकेगा।
- भारत में अब कुल 16 अधिकरण हैं। इनमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण सहित अन्य अधिकरणों में कई पद रिक्त हैं।

आलोचना

- यह विधेयक न्यायपालिका के अधिकार पर अतिक्रमण करने का एक प्रयास हो सकता है। साथ ही, इन अधिकरणों के मामलों को उच्च न्यायालयों या वाणिज्यिक सिविल न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस कदम की प्रभावशीलता को लेकर कानूनी विशेषज्ञों के बीच मतभेद है।
- ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि नियमित न्यायालयों में संबंधित विषय-विशेषज्ञों की कमी से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

पश्चिम बंगाल : मुख्यमंत्री पद का संकट

संदर्भ

हाल ही में, पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कॉन्ग्रेस ने भारी जनादेश के साथ जीत दर्ज की थी, परंतु निवर्तमान मुख्यमंत्री अपना विधानसभा चुनाव हार गई थीं।

पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति

- विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था।
- संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सामान्य स्थिति में निर्वाचन आयोग को रिक्त सीटों पर उपचुनाव कराने के लिये अभी तक अधिसूचना जारी कर देनी चाहिये थी।
- हालाँकि एक प्रावधान ऐसा भी है जिसमें 'विशेष परिस्थितियों' में उपचुनाव को 6 महीने के लिये टाला जा सकता है।

विधिक प्रावधान

- 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 151क निर्वाचन आयोग को पद रिक्ति की तिथि से छह महीने के भीतर उपचुनाव के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं की आकस्मिक रिक्तियों को भरने का आदेश देती है।
- बशर्ते कि रिक्ति के संबंध में सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष या उससे अधिक शेष रहना आवश्यक होता है।
- गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग के पास केंद्र या राज्य के चुनाव को रद्द करने की शक्ति नहीं होती है। लेकिन, यह किसी सदस्य की मृत्यु या आपराधिक दोषसिद्धि के मामले में एक सीट के चुनाव को रद्द कर सकता है, क्योंकि यह आमतौर पर केंद्र या राज्य में विधानसभा के गठन को प्रभावित नहीं करता है।
- आर.पी.ए. की धारा 153 तथा संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, चुनाव आयोग किसी भी चुनाव को संपन्न कराने के लिये निर्धारित समय-सीमा को बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा समय-सीमा का विस्तार छह माह से अधिक नहीं होना चाहिये।
- अनुच्छेद 172(1) के अनुसार, आपातकाल की स्थिति में चुनाव को एक वर्ष के लिये स्थगित किया जा सकता है। परंतु, आपातकाल की समाप्ति के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह माह से अधिक नहीं होगा।
- यदि निर्धारित समय से छह महीने के भीतर उपचुनाव संपन्न नहीं होता है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होगा।
- ऐसा इसलिये है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 164(4) में कहा गया है कि एक मंत्री, जो लगातार छह महीने की अवधि के लिये राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
- उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2001 के एक निर्णय में तेज़ प्रकाश सिंह की पुन: नियुक्ति से संबंधित मामले में इसकी पुष्टि की थी।
- उक्त मामले में कहा गया था कि यदि एक व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित हुए बिना छह महीने तक मंत्री के रूप में कार्य करता है, तो इस अवधि के दौरान विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, अन्यथा उसे मंत्री के रूप में पुन: नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

संबंधित अन्य मामले

- वर्ष 2014 में, झारखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार अर्जुन मुंडा विधानसभा चुनाव हार गए, जबकि उनकी पार्टी ने राज्य में जीत हासिल की थी। तदुपरांत पार्टी ने रघुबर दास को झारखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था।
- वर्ष 2017 में, गोवा विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर अपना चुनाव हार गए थे, तब मनोहर पर्रिकर को गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, जो उस समय केंद्रीय रक्षा मंत्री थे।
- वर्ष 2017 में, जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, तब वे उत्तर प्रदेश विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।
- परंतु, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के छह महीने के भीतर उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया था।

पश्चिम बंगाल में उच्च सदन की अनुपस्थिति

- पश्चिम बंगाल की परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश से उलट हैं, क्योंकि यहाँ विधानमंडल का उच्च सदन अर्थात् विधान परिषद् अनुपस्थित है।
- हालाँकि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में उच्च सदन के गठन के संबंध में एक संकल्प पारित किया है, लेकिन इसकी त्वरित मंजूरी की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके लिये संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
- असम और राजस्थान, दोनों राज्यों ने भी क्रमशः वर्ष 2010 और 2012 में अपनी विधानसभाओं में उच्च सदन के लिये प्रस्ताव पारित किये थे, लेकिन ये प्रस्ताव अभी भी राज्यसभा में लंबित हैं।

विधान परिषद् के गठन एवं उन्मूलन की प्रक्रिया

- संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार, संसद किसी राज्य में विधान परिषद् का उत्सादन (जहाँ पहले से मौजूद है) अथवा सृजन (जहाँ यह पहले से मौजूद नहीं है) कर सकती है।
- इसके लिये उस राज्य की विधानसभा को इस आशय का संकल्प 'विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत' द्वारा पारित करना आवश्यक होता है।
- अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद् में सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक, किंतु 40 से कम नहीं होनी चाहिये।

निष्कर्ष

यदि उपचुनाव समय पर संपन्न होते हैं, तो वर्तमान मुख्यमंत्री का उपचुनाव में निर्वाचित होना आवश्यक होगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा।

बाल तस्करी : कानून के क्रियान्वयन का अभाव

संदर्भ

प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक स्तर पर 'मानव तस्करी निरोध दिवस' आयोजित किया जाता है।

तस्करी से संबंधित वर्तमान आँकड़े

- बाल अधिकारों के लिये एक समर्पित गैर-सरकारी संगठन (NGO) के अनुसार, अप्रैल 2020 और जून 2021 के मध्य अनुमानित 9,000 बच्चों को तस्करी से बचाया गया है।
- दूसरे शब्दों में, लगभग 15 महीनों में प्रतिदिन 21 बच्चों की तस्करी की गई है। 'चाइल्डलाइन इंडिया हेल्पलाइन' को 10 महीनों में 44 लाख संकटग्रस्त कॉल आए हैं।
- एक वर्ष में 2,000 बच्चे इस एन.जी.ओ. के आश्रय-गृहों में पहुँचे हैं और 800 को खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों से बचाया गया है।

बढ़ती सुभेद्यता

- 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम कराने के लिये तस्करी की जाती है। जहाँ कारखाना मालिक कोविड-19 जनित नुकसान की भरपाई के लिये सस्ते श्रम की ओर रुख कर रहे हैं।
- नवंबर 2020 में, बिहार से राजस्थान में मज़दूरी के लिये गए 12 से 16 वर्ष के चार बच्चों की मौत हो गई तथा उनमें से कुछ अन्य को मारपीट के कारण गंभीर चोटें भी आई थीं।
- बाल विवाह भी बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। अप्रैल से अगस्त 2020 के मध्य 10,000 से अधिक मामलों को 'ट्रैक' किया गया था।
- मध्य प्रदेश में, अप्रैल से मई 2021 के मध्य लगभग 391 बाल विवाहों को रोका गया है, जबकि ओडिशा में जनवरी से मई 2021 के मध्य 726 बाल विवाह रोके गए हैं।
- 'दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग' के साथ काम करने वाले एक बाल अधिकार एन.जी.ओ. ने बड़े पैमाने पर बाल-श्रम की समस्या पर चिंता जताई है।
- तस्करी के प्रति बढ़ती सुभेद्यता के लिये उत्तरदायी कारकों को चिह्नित किया जा सकता है। इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण आय और आजीविका का नुकसान हुआ है, जिससे परिवारों की लंबी अवधि में बच्चों की देखभाल करने की क्षमता प्रभावित हुई है।
- कोविड-19 के कारण कुछ अभिभावकों की मृत्यु हो जाने से उनके बच्चे देखभाल से वंचित हो गए हैं, ऐसी स्थिति में उनकी तस्करी का खतरा रहता है।

तस्करी के अन्य कारक

- वर्तमान समय में इंटरनेट की पहुँच में वृद्धि ने साइबर-तस्करी को भी जन्म दिया है।
- भारत में एक बाल अधिकार समूह की अगस्त 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकप्रिय 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मुफ्त मैसेजिंग ऐप' का प्रयोग अक्सर युवाओं एवं बच्चों से संपर्क करने के लिये किया जा रहा है।

महामारी का तस्करी पर प्रभाव

- तस्करी पर महामारी के प्रभाव को 'ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' की एक हालिया रिपोर्ट द्वारा रेखांकित किया गया है।
- इसमें कहा गया है कि तस्कर आजीविका के नुकसान का फायदा उठा रहे हैं और पीड़ितों को फँसाने के लिये 'ऑनलाइन जालसाज़ी' का प्रयोग करते हैं।
- इसमें सोशल मीडिया पर 'झूठी नौकरियों' का विज्ञापन भी शामिल है। इसके अलावा, लॉकडाउन के कारण बाल यौन शोषण सामग्री की ऑनलाइन माँग बढ़ गई है।

आँकड़ों की अनुपलब्धता

- सरकार ने हाल ही में संसद में स्वीकार किया कि वह साइबर तस्करी के मामलों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर आँकड़ों का रख-रखाव नहीं करती है।
- साइबर अपराधों की जाँच और अभियोजन में सुधार के लिये गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाओं की प्रभावशीलता देखा जाना शेष है।
- वैश्विक मानव तस्करी पर अपनी रिपोर्ट में भारत को अभी भी अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा टियर-2 देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसका अर्थ है कि सरकार अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिये यू.एस. और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करती है, लेकिन अनुपालन करने के लिये प्रयास कर रही है। कार्यान्वयन की कमी 'मानव तस्करी रोधी इकाइयों' (AHTU) की स्थिति से स्पष्ट होती है।
- ए.एच.टी.यू. विशेष ज़िला टास्क फोर्स हैं, जिनमें पुलिस और सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं।
- वर्ष 2010 में, यह कल्पना की गई थी कि देश भर में 330 ए.एच.टी.यू. स्थापित किये जाएंगे।
- अगस्त 2020 में आर.टी.आई. से पता चला कि लगभग 225 ए.एच.टी.यू. स्थापित किये गए थे, लेकिन केवल कागज़ पर।

मसौदा विधेयक एवं न्यायिक मुद्दे

- केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 'एंटी-ट्रैफिकिंग बिल' को पारित करने के साथ-साथ पहले से मौजूद कानून और नीतियों को प्रभावी तौर पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।
- मसौदा विधेयक राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर ए.एच.टी.यू. के लिये भी प्रावधान करता है।
- अवैध व्यापार के मामलों में अभियोजकों और न्यायाधीशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- तस्करी से संबंधित सरकारी आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में 140 लोगों को बरी किया गया, जबकि केवल 38, दोषी ठहराए गए।
- इसके अलावा, ऐसे मुकदमे वर्षों तक चलते हैं, पीड़ित कभी-कभी तस्करों द्वारा डराए-धमकाने जाने के बाद अपनी शिकायतें वापस ले लेते हैं। इसके लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णयों को लागू करने के लिये उचित प्रबंधन की आवश्यकता है।
- अन्य समस्याओं में मौद्रिक मुआवज़े तक लाभार्थियों की कम पहुँच तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श का अभाव शामिल है।
- मसौदा विधेयक के कुछ हिस्से पुनर्वास के महत्त्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका कार्यान्वयन भी महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- तस्करी के अधिकांश शिकार निम्न-आय वाले समुदायों से हैं, जिनके लिये कोविड-19 और इससे जनित लॉकडाउन ने दीर्घकालिक वित्तीय संकट उत्पन्न किया है।
- चूँकि भारत में अधिकांश विद्यालय बंद हैं और महामारी का कोई निश्चित अंत नहीं दिख रहा है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता है कि तस्करी की घटनाएँ 'सामान्य स्थिति' की बहाली के साथ कम होंगी।
- इसके अलावा, मौजूदा संकट को दूर करने के लिये सरकार और अन्य हितधारकों को अब निवारक कार्रवाई करनी चाहिये।

राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश की आवश्यकता

संदर्भ

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने आठ राजनीतिक दलों पर न्यायालय के निर्देशों की अवमानना करने के लिये जुर्माना लगाया है। राजनीतिक दलों पर आरोप था कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों की 'आपराधिक पृष्ठभूमि' के बारे में नागरिकों को सूचित नहीं किया था।

भारतीय राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण

- भारतीय राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण निरंतर चर्चा में रहने वाला विषय है। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) के अनुसार, वर्तमान लोकसभा में सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
- पिछली लोकसभाओं की बात करें, तो वर्ष 2014 में 187, वर्ष 2009 में 162 और वर्ष 2004 में 128 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे।

न्यायालय का आदेश

- उच्चतम न्यायालय के वर्तमान आदेशों ने चुनाव आयोग को ठोस कार्रवाई करने के लिये एक नया दायित्व प्रदान दिया है। उदाहरणार्थ, किसी भी उम्मीदवार की विस्तृत आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करने के लिये एक नया ऐप विकसित करना।
- इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों द्वारा न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिये निर्वाचन आयोग में एक अलग प्रकोष्ठ (Cell) का गठन होना चाहिये। किसी भी उल्लंघन को बिना देर किये उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में लाया जाना चाहिये।
- राजनीतिक अपराधीकरण से निपटने के लिये चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान करना एक स्वागत योग्य कदम है।
- हालाँकि इस समस्या के समाधान के लिये विधायिका द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय संशय में है।

राजनीति को अपराध से मुक्त करने संबंधी ऐतिहासिक निर्णय

- 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) बनाम भारत संघ वाद, 2002' में उच्चतम न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक योग्यता और व्यक्तिगत संपत्ति से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण को अनिवार्य कर दिया था।
- 'लिली थॉमस बनाम भारत संघ वाद, 2013' में उच्चतम न्यायालय ने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया था। पूर्व में इस धारा के तहत दोषी सांसदों को उच्च न्यायालय में दोषसिद्धि और सज़ा पर रोक लगाने के लिये तीन माह तक अपील करने की अनुमति प्राप्त थी।
- 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ वाद, 2013' में, उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों' में नोटा (NOTA) का विकल्प प्रदान करने का निर्देश दिया।
- 'पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ वाद, 2014' में उच्चतम न्यायालय ने विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर आदेश दिया था कि मौजूदा सांसदों और विधायकों के विरुद्ध आरोप तय होने के एक वर्ष के भीतर 'ट्रायल' पूरा किया जाना चाहिये।
- 'लोक प्रहरी बनाम भारत संघ वाद, 2018' में उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड की योजना सहित राजनीतिक वित्तपोषण को पारदर्शी बनाने के लिये निर्देश जारी किया था।

आगे की राह

- सरकारी तंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और व्यापक बनाने के लिये उसके स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है।
- मतदाताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सही व्यक्ति को वोट देने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- राजनीतिक अपराधीकरण के प्रति राजनीतिक दलों की उदासीनता को देखते हुए, न्यायालय को हस्तक्षेप कर गंभीर आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित कर देना चाहिये।

श्रम कानून सुधारों की अस्थिर बुनियाद

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा श्रम संहिताओं को लागू करने की संभावित तिथि को पुन: अस्थायी रूप से 1 अक्तूबर, 2021 तक के लिये टाल दिया गया। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा वेतन पर संहिता और सितंबर 2020 में तीन अन्य संहिताओं (औद्योगिक संबंध संहिता; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता तथा सामाजिक सुरक्षा पर संहिता) को अधिनियमित किया गया था।
- इसके पश्चात् सभी संहिताओं के तहत अपूर्ण रूप से मसौदा नियम तैयार किये गए थे, क्योंकि नियमों में संहिताओं के कुछ पहलुओं को शामिल नहीं किया गया था। उदाहरण के लिये, 'केंद्रीय व्यापारिक संघों' की मान्यता के संबंध में अभी तक नियम नहीं बनाए गए हैं।

न्यायालय का निर्देश

- केंद्र सरकार ने इन संहिताओं को लागू करने की संभावित तारीख को 1 अक्तूबर, 2021 तक के लिये टाल दिया है।
- इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों पर 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (ONOR) योजना को लागू करने और सभी असंगठित श्रमिकों को, 'असंगठित श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय डेटाबेस' (NDUW) के तहत 31 जुलाई, 2021 तक पंजीकृत किये जाने का दबाव डाला है।
- सरकारी एजेंसियाँ न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में जल्दबाज़ी कर रही हैं, जबकि ओ.एन.ओ.आर. में, आधार सीडिंग (आधार धारक की आधार संख्या को उसके पहचान दस्तावेजों से जोड़ना) और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) सिस्टम की सार्वभौमिक उपलब्धता आवश्यक है।
- इसके अलावा, एन.डी.यू.डब्ल्यू. के लिये, उसे लगभग 400 मिलियन श्रमिकों को पंजीकृत करना होगा, जो एक रूढ़िवादी आँकड़ा है। उच्चतम न्यायालय का यह आदेश संभवत: राष्ट्रीय तालाबंदी के बाद प्रवासी पीड़ित कामगारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दिया गया है।

सुरक्षा संबंधी आँकड़े

- कोविड-19 की अवधि में तालाबंदी के बावजूद औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई है। उदाहरण के लिये, औद्योगिक रिपोर्ट में बताया गया कि मई से जून के मध्य, भारत में 32 बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 75 श्रमिकों की मृत्यु हुई। साथ ही, मीडिया ने वर्ष 2020 के दौरान वैजाग (विशाखापत्तनम) में चार दुर्घटनाओं की सूचना दी।
- संहिता लागू होने के बाद भी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं के साथ-साथ औद्योगिक सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
- कई शोध रिपोर्टों के अनुसार, कोविड-19 ने अनौपचारिकता को तेज़ कर दिया, जिससे श्रम बाज़ार से श्रमिकों की वापसी हुई, आय में कमी आई, बेरोज़गारी में वृद्धि हुई और साथ ही असमानता में इजाफा हुआ।
- वर्तमान में न्यूनतम मज़दूरी अभी भी 178 रुपए है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक-मुद्रास्फीति की दर जून 2021 में बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई है।

संहिताओं पर सरकार का पक्ष

- सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये संहिताएँ सार्वभौमिक न्यूनतम मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करेंगी। इसके अलावा, अन्य चीजों के साथ-साथ औद्योगिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान को मज़बूत बनाएंगी।
- पिछले सात दशकों से श्रमिक अपने श्रम अधिकारों से वंचित रहे हैं। परंतु, वर्तमान में 'औद्योगिक संबंध संहिता' के तहत नियोक्ताओं द्वारा व्यापार संघों को मान्यता प्रदान की जा रही है।
- 3 अगस्त, 2021 को संहिता के तहत नियमों के संबंध में राज्य सरकारों के आँकड़ों का आकलन करने के पश्चात् यह देखा गया है कि–
  - तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे प्रमुख राज्यों ने किसी भी संहिता के तहत मसौदा नियम जारी नहीं किये हैं।
  - कर्नाटक, गुजरात और झारखंड ने मज़दूरी संहिता और औद्योगिक संबंध संहिता के लिये नियम बनाए हैं।
  - इसके अलावा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब ने उक्त सभी संहिताओं के लिये नियम बनाए हैं।
- यद्यपि, वेतन पर संहिता को अगस्त 2019 में लागू किया गया था, लेकिन मार्च 2021 में ही केंद्र सरकार ने एक सलाहकार समिति के गठन की अधिसूचना जारी की।
- 3 जून, 2021 को न्यूनतम मज़दूरी पर परामर्श देने के लिये तीन साल के कार्यकाल के साथ एक विशेषज्ञ समिति की भी घोषणा की गई।
- गौरतलब है कि सरकार ने 12 जुलाई, 2021 को न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करने वाले वेतन सूचकांक के आधार वर्ष को 1965 से बदलकर वर्ष 2019 किये जाने की घोषणा की।

सीमाएँ

- सरकार ने केंद्रीय व्यापार संघों के साथ केवल प्रतीकात्मक और आंशिक परामर्श किया है।
- संसद में तीनों संहिताओं के पारित होने के समय विपक्षी दलों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया था।
- कोविड-19 की अवधि के दौरान सरकार ने तेज़ी से सुधार किये, जिससे नियोक्ताओं और संभावित निवेशकों के उत्साह में वृद्धि हुई।
- सरकार ने 1 अप्रैल, 2021 से इन संहिताओं को लागू करने की घोषणा की, जबकि राज्य सरकारें नियमों के साथ पूरी तरह से सहमत नहीं थीं।
- इसके अलावा, प्रमुख राजनीतिक दलों ने इन संहिताओं के कार्यान्वयन की बजाय क्षेत्रीय चुनावों में रुचि ली।
- भारत में श्रम बाज़ार शासन से संबंधित दो पहलुओं को देखा जाता है। पहला, सरकार दशकों बाद भी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद, लाखों असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों को कानूनी दृश्यता प्रदान करने में विफल रही है।
- दूसरा, चार संहिताओं के राजपत्रित होने के बावजूद सदियों पुराने कानून लागू हैं।
- इस प्रकार, वे न केवल सरकारों की शासन क्षमताओं पर, बल्कि विपक्षी दलों की प्रतिकार शक्ति पर भी खराब प्रदर्शन करते हैं।
- नियोक्ता और कर्मचारी, संहिता द्वारा विस्तारित तथाकथित लाभों का लाभ नहीं ले सकते हैं।

संसद की निगरानी संबंधी भूमिका में कमी

संदर्भ

- वर्ष 2021 का मानसून सत्र कई मायनों में निराशाजनक रहा है। वर्ष 2020 के रद्द किये गए शीतकालीन सत्र के अतिरिक्त यह चौथा सीधा सत्र था, जो मूल कार्यक्रम से पहले समाप्त हुआ।
- इसका अभिप्राय यह है कि कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों, जैसे– कोविड-19 की प्रतिक्रिया और रणनीति, लद्दाख में चीनी घुसपैठ, आर्थिक स्थिति, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, किसानों की समस्याएँ आदि पर चर्चा नहीं हो पाई।

कार्य की घटती समयावधि

- इस बार मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों का संचालन अक्सर बाधित ही रहा, क्योंकि सरकार और विपक्षी दल बहस के विषयों पर सहमत नहीं थे।
- लोकसभा ने अपने मूल रूप से निर्धारित समय का केवल 19 और राज्यसभा ने 26 प्रतिशत कार्य किया।
- लोकसभा में पारित 18 विधेयकों में से केवल एक पर मात्र 15 मिनट की चर्चा हुई।
- राज्यसभा में अधिकांश विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। केवल दो विधेयकों पर एक घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई।
- प्रत्येक विधेयक संबंधित मंत्री द्वारा एक संक्षिप्त वक्तव्य के बाद ही पारित किया गया।
- लोकसभा में एक विधेयक - अनुसूचित जनजाति (आदेश) संशोधन पर 10 मिनट की चर्चा हुई, जिस पर सात सदस्यों ने संक्षिप्त चर्चा की।

विधेयकों को पारित कराने की शीघ्रता

- सत्र के दौरान प्रस्तुत किये गए प्रत्येक विधेयक को सत्र की अवधि में ही पारित किया गया। इसका अभिप्राय है कि सदस्यों द्वारा किसी भी जाँच के लिये समय की माँग नहीं की गई।
- राज्य विधानसभाओं में भी ऐसा व्यवहार देखा जा रहा है। वर्ष 2020 में 19 विधानसभाओं में सभी विधेयकों में से 91 प्रतिशत प्रस्तुत किये जाने के पाँच दिनों के भीतर पारित किये गए।

- पंद्रहवीं लोकसभा (2009-14) के दौरान 18 प्रतिशत विधेयकों को उसी सत्र में पारित किया गया था।
- जबकि सोलहवीं लोकसभा में यह बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया और वर्तमान संसद में 70 प्रतिशत तक पहुँच गया है।

जाँच की कमी

- किसी भी विधेयक को जाँच के लिये संसदीय समिति के पास नहीं भेजा गया।
- ये समितियाँ सांसदों को विधेयकों के निहितार्थों को समझने के लिये विशेषज्ञों, हितधारकों और सरकारी अधिकारियों के साथ जुड़ने का एक मंच प्रदान करती हैं।
- संसदीय समितियाँ विभिन्न प्रावधानों के परिणामों पर विचार-विमर्श करती हैं तथा संशोधनों की अनुशंसा करती हैं।
- हाल के वर्षों में, संसदीय समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता' तथा 'मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक' जैसे विधेयकों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किये गए।
- संसदीय समितियों के पास भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या में तेज़ी से कमी आई है। पंद्रहवीं लोकसभा में 71 प्रतिशत, सोलहवीं लोकसभा में 27 प्रतिशत तथा वर्तमान लोकसभा में अब तक 12 प्रतिशत विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजा गया है।
- राज्यसभा में 'अधिकरण सुधार विधेयक' को सदन की एक प्रवर समिति को संदर्भित करने के लिये एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव को 44 के मुकाबले 79 मतों से खारिज कर दिया गया।
- वर्तमान में राज्यसभा में 232 सदस्य हैं, इससे यह इंगित होता है कि मतदान के दौरान लगभग आधे सदस्य अनुपस्थित थे।
- ध्यातव्य है कि विधेयकों को अक्सर समितियों के पास नहीं भेजा जाता है, सदन के पटल पर शायद ही कोई चर्चा होती है तथा ज़्यादातर मामलों में विधेयक को प्रस्तुत होने के कुछ दिनों के भीतर ही पारित कर दिया जाता है।

महत्त्वपूर्ण विधेयक

- इस सत्र में कुछ महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। संविधान संशोधन के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति राज्यों को प्रदान की गई है।
- हाल ही में, एक संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय में परिवर्तित कर दिया है।
- उस संशोधन में यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि भारत के राष्ट्रपति अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची निर्दिष्ट करेंगे।
- उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा था कि राज्य सरकारें पिछड़े वर्गों की सूची जारी नहीं कर सकती हैं।
- इस सत्र में पारित संशोधन ने स्पष्ट किया कि राज्यों के पास ऐसा करने की शक्ति है।
- वर्ष 2012 में, कुछ लेनदेन को कवर करने के लिये 'पूर्वव्यापी प्रभाव' से आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस सत्र में पारित एक विधेयक ने पूर्वव्यापी कराधान के इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है।
- 'जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम' सभी बैंक जमाओं के डिफॉल्ट (वर्तमान में ₹5 लाख तक) के खिलाफ बीमा करता है। यदि कोई बैंक परिसमापन या पुनर्निर्माण से गुज़र रहा है, तो 90 दिनों के भीतर अंतरिम भुगतान की आवश्यकता के लिये अधिनियम में संशोधन किया गया है।
- 'सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम' में संशोधन किया गया है, ताकि सरकार सामान्य बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम कर सके।
- 'न्यायाधिकरण सुधार विधेयक' ने एक अध्यादेश की जगह ली, जिसमें सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल तथा सेवा शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है।
- इसने विगत माह उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किये गए दो प्रावधानों को बरकरार रखा है, जिनमें सदस्यों के चार वर्ष के कार्यकाल को न्यायालय ने पाँच वर्ष कर दिया तथा न्यायिक सदस्यों के लिये 50 वर्ष की न्यूनतम आयु, जिसे न्यायालय ने संशोधित कर 10 वर्ष के अनुभव वाले वकीलों को अनुमति प्रदान की थी।
- बिना किसी चर्चा के लोकसभा द्वारा ₹23,675 करोड़ के 'अनुदान की अनुपूरक माँग' को भी पारित कर दिया गया।

सुधार की आवश्यकता

- संसद अपने कार्यों में काफी अप्रभावी प्रतीत हो रही है। संसद को कार्यपालिका से अलग रखने का मुख्य कारण कार्यपालिका की शक्ति को नियंत्रित करना है।
- इस सत्र में सरकार ने जो भी विधेयक प्रस्तुत किये, वे बिना किसी चर्चा के तथा समितियों द्वारा बिना किसी जाँच के एक अधिनियम के रूप में पारित कर दिये गए।
- नीतिगत मुद्दों पर राज्यसभा में सिर्फ एक बहस हुई, जबकि लोकसभा में कोई बहस नहीं हो सकी।
- 10 मिनट से भी कम समय में एक बड़ा अनुपूरक बजट पारित हो गया, जिस पर कोई चर्चा नहीं की गई।

निष्कर्ष

- इस वर्ष स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ मनाई जा रही है तथा संसद को एक बड़े भवन में स्थानांतरित करने की योजना भी प्रस्तावित है।
- इन अवसरों का जश्न मनाने के लिये कई कार्यक्रम होंगे, हालाँकि जब तक सांसद एकजुट होकर कार्य नहीं करते हैं, तब तक संसद की 'प्रभाविता और उपयोगिता' निरर्थक ही रहेगी।

सहकारी समिति : 97वाँ संविधान संशोधन

संदर्भ

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने 'राजेंद्र एन. शाह बनाम भारत संघ' मामले में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम को 'सीमित तरीके' से खारिज कर दिया है।
- ध्यातव्य है कि संविधान लागू होने के 71 वर्षों के पश्चात् अभी तक संविधान में 105 बार संशोधन किये गए हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- संसद द्वारा वर्ष 2012 में 97वाँ संविधान संशोधन करते हुए सहकारी समितियों के शासन से संबंधित कई बदलाव किये गए थे।
- इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग-तीन में अनुच्छेद 19 (1)(ग) के तहत सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
- इसके अतिरिक्त, संविधान में एक नया भाग IX-B को शामिल किया गया।
- गौरतलब है कि संविधान में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में बताई गई प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है।
- विशेष बहुमत से संशोधन करने के लिये संसद के प्रत्येक सदन को 'कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वालों के दो-तिहाई बहुमत' की आवश्यकता होती है।
- अनुच्छेद 368 का एक प्रावधान संविधान के 'कुछ अनुच्छेदों और अध्यायों' को सूचीबद्ध करता है, जिन्हें केवल एक 'विशेष प्रक्रिया' द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है।
- यहाँ विशेष विशेष प्रक्रिया का अर्थ है विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन।
- उक्त प्रक्रिया का अनुपालन न करने के कारण ही 97वें संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

केंद्रीय नियंत्रण

- केंद्र सरकार विगत वर्षों से सहकारी समितियों पर अधिक-से-अधिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इसी प्रयास के तहत सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दायरे में लाया गया है।
- सहकारी क्षेत्र में अधिक सक्रिय भागीदारी के संदर्भ में केंद्र सरकार की मंशा हाल ही में स्थापित केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय से भी स्पष्ट होती है।
- 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समितियों के कामकाज को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने और उन्हें अधिक पारदर्शी बनाने के लिये कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया था।
- गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में उक्त संशोधन सीमित तौर पर इसलिये रद्द कर दिया था क्योंकि वह आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थित नहीं होने के कारण अनुच्छेद 368(2) का उल्लंघन था।
- साथ ही, न्यायालय ने एक अतिरिक्त निष्कर्ष यह भी दिया कि 97वें संशोधन ने संविधान के 'बुनियादी ढाँचे' का उल्लंघन किया है।
- केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि इस संशोधन से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण की योजना न तो प्रत्यक्ष रूप से और न ही प्रभावी रूप से परिवर्तित हुई है।
- न्यायालय ने कहा कि इस मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। साथ ही, स्पष्ट भी किया कि उसका निर्णय प्रक्रियात्मक कमी तक ही सीमित है।

आगे की राह

- सहकारी क्षेत्र हमेशा राज्यों के क्षेत्राधिकार में रहा है। इन सहकारी समितियों के सिद्धांत और तंत्र भिन्न होते हैं।
- बेहतर यही होगा कि सरकार न्यायालय के निर्णय को सही भावना से अपनाए तथा नए मंत्रालय के गठन के बावजूद सहकारी क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्राधिकार का सम्मान करे।

हड़ताल : मौलिक अधिकार नहीं

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवाओं के रख-रखाव के लिये 'आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021' (Essential Defence Services Bill) प्रस्तुत किया। यह विधेयक जून 2021 में जारी किये गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा।

विधेयक के प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक, सरकार को इसमें उल्लिखित सेवाओं को 'आवश्यक रक्षा सेवाओं' के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है।
- साथ ही, ऐसी सेवाओं में कार्यरत किसी भी 'औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई' में हड़ताल, तालाबंदी और छँटनी को भी प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- सरकार यदि आवश्यक समझे तो इस प्रकार के आदेश को निम्न परिस्थितियों में जारी कर सकती है–
  - भारत की संप्रभुता और अखंडता
  - किसी राज्य की सुरक्षा
  - सार्वजनिक व्यवस्था
  - नैतिकता या शिष्टाचार
- यह विधेयक सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के तहत आवश्यक रक्षा सेवाओं को शामिल करने के लिये 'औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947' में भी संशोधन करता है।

- इसके अलावा, विधेयक में हड़ताल और दंड को भी परिभाषित किया गया है। साथ ही, विधेयक के तहत सभी दंडनीय अपराध 'संज्ञेय और गैर-जमानती' होंगे।

आवश्यक रक्षा सेवाएँ

- इसके अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठान या उपक्रम से जुड़ी वे सेवाएँ शामिल हैं, जो किसी भी रक्षा संबंधी उद्देश्यों या सशस्त्र बलों की स्थापना या उनकी रक्षा से संबंधित आवश्यक वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन से संबंधित हैं।
- इनमें ऐसी सेवाएँ भी शामिल हैं, जो बंद होने पर ऐसी सेवाओं में लगे प्रतिष्ठान या उसके कर्मचारियों की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।
- इसके अलावा, सरकार किसी भी सेवा को एक आवश्यक रक्षा सेवा के रूप में घोषित कर सकती है, यदि इसकी समाप्ति निम्नलिखित में से किसी को प्रभावित करती है–
  - रक्षा उपकरण या वस्तु का उत्पादन
  - उत्पादन में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठानों या इकाइयों का संचालन या रख-रखाव
  - रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत या रख-रखाव

हड़ताल की परिभाषा

- विधेयक में हड़ताल को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है–
  - सामूहिक आकस्मिक अवकाश।
  - किसी भी संख्या में व्यक्तियों द्वारा कार्य करने से मना करना।
  - ओवरटाइम काम करने से मना करना, जहाँ आवश्यक रक्षा सेवाओं के रख-रखाव के लिये ऐसा काम करना आवश्यक है।
  - कोई अन्य आचरण, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक रक्षा सेवाओं के काम में बाधा उत्पन्न होती है या उत्पन्न होने की आशंका है।

अवैध तालाबंदी या छँटनी के लिये दंड

- अवैध तालाबंदी या छँटनी के माध्यम से निषेध आदेश का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को एक वर्ष तक की कैद या 10,000 रुपए के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

अवैध हड़ताल के लिये दंड

- अवैध हड़ताल प्रारंभ करने या इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को एक वर्ष तक की कैद या 10,000 रुपए के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।
- अवैध हड़ताल जारी रखने के लिये उकसाने या ऐसी कार्रवाई करने वाले या जान-बूझकर ऐसे उद्देश्यों के लिये पैसे की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों को दो साल तक की कैद या 15,000 रुपए के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।
- इसके अलावा, ऐसे कर्मचारी अपनी सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार बर्खास्तगी सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिये भी उत्तरदायी होंगे।
- ऐसे प्रकरण में, यदि जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं हो, तो संबंधित प्राधिकारी के पास बिना किसी पूछताछ के कर्मचारी को 'बर्खास्त करने या हटाने' का अधिकार होगा।

नियम और अधिकार

- यह पहली बार नहीं है, जब सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को स्पष्टतया अवैध बताया जा रहा है।
- 'मध्य प्रदेश (और छत्तीसगढ़) सिविल सेवा नियम, 1965', सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगाता है।
- साथ ही, यह सक्षम अधिकारियों को निर्देश देता है कि उस अवधि के दौरान संबंधित कर्मचारियों की इस गतिविधि को अनधिकृत अनुपस्थिति के रूप में मानें।
- इस नियम के तहत हड़ताल में कार्य की पूर्ण या आंशिक समाप्ति, ट्रैफिक जाम या ऐसी कोई भी गतिविधि शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप कार्य की समाप्ति होती है। अन्य राज्यों में भी इसी तरह के प्रावधान मौजूद हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत, संसद कानून के द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है, ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन एवं अनुशासन सुनिश्चित रहे।
- संगम या संघ बनाने के मौलिक अधिकार को 'सार्वजनिक व्यवस्था तथा अन्य आधारों पर 'अनुच्छेद 19(4)' के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- उच्चतम न्यायालय ने 'दिल्ली पुलिस बनाम भारत संघ वाद, 1986' में 'पुलिस बल (अधिकारों का प्रतिबंध) अधिनियम, 1966 के आधार पर अराजपत्रित (Non-gazetted) पुलिसकर्मियों के संघ बनाने के अधिकार पर प्रतिबंधों को बरकरार रखा था।
- 'टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार वाद, 2003' में उच्चतम न्यायालय ने माना कि कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का सहारा लेना कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

निष्कर्ष

संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत हड़ताल करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल को किसी भी न्यायसंगत आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। साथ ही, हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग करने से अराजकता उत्पन्न हो सकती है।

❐❐❐

5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अफगानिस्तान मुद्दे से दूर होते खाड़ी देश

संदर्भ

वर्तमान में अफगानिस्तान संकट महत्त्वपूर्ण मोड़ पर पहुँच गया है। तालिबान ने कई प्रमुख राज्यों, राजधानियों और सीमा चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 वर्ष लंबा युद्ध समाप्त करने पर ज़ोर दिया है।

अफगानिस्तान में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात

- अफगान राष्ट्रपति ने दक्षिण और मध्य-एशियाई देशों के बीच व्यापार और संपर्क (कनेक्टिविटी) बढ़ाने को लेकर ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में आयोजित हुए एक सम्मेलन के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इस सम्मेलन में भाग ले रहे दो प्रमुख देशों– सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इस घटनाक्रम से दूरी बनाए रखी।
- सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का अफगानिस्तान (तालिबान सहित) और पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है। दोनों खाड़ी देशों ने वर्ष 2018 में कतर की राजधानी दोहा में शुरू हुई अफगान शांति प्रक्रिया वार्ता से भी दूरी बनाए रखी है।
- संयुक्त अरब अमीरात की वर्ष 2003 से अफगानिस्तान में अमेरिकी आक्रमण के दौरान सीमित सैन्य उपस्थिति बनी हुई थी। इस दौरान सऊदी अरब, अफगानिस्तान को धार्मिक दृष्टि से देख रहा था। विदित है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब का खासा प्रभाव है, इसी तरह वह अफगानिस्तान में भी अपना प्रभाव स्थापित करने के लिये प्रयासरत था।
- वर्ष 2012 से सऊदी अरब अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये अफगानिस्तान में इस्लामी संस्थाओं को दिये जाने वाले वित्त में वृद्धि करना चाहता था।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1980 से 1989 के बीच अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदों को लड़ाई के लिये वित्त और मानव संसाधन 'खाड़ी क्षेत्र' द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। एक अनुमान के मुताबिक, सऊदी अरब ने वर्ष 1980 से 1990 के बीच मुजाहिदों को करीब 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की थी।

प्रमुख खाड़ी देशों के दृष्टिकोण में बदलाव

- अफगानिस्तान पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इस क्षेत्र के अन्य देशों के दृष्टिकोण में बदलाव का प्रमुख कारण पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियाँ हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में 'संयुक्त अरब अमीरात' (UAE) इस क्षेत्र का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र बनकर उभरा है और यह स्वयं को 'पश्चिम एशिया के सिंगापुर' के रूप में स्थापित कर रहा है। यह बदलाव यू.ए.ई. की आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे यू.ए.ई. अपने आर्थिक पोर्टफोलियो में विविधता लाकर तेल पर निर्भरता कम कर सकेगा।
- यू.ए.ई. की सफलताओं ने सऊदी अरब को भी प्रभावित किया। इसी से प्रेरित होकर सऊदी प्रिंस मोहम्मद-बिन-सलमान ने तेल-निर्भर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिये विभिन्न सुधारों की शुरुआत की है।
- इसके लिये सऊदी अरब ने न केवल आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया, बल्कि सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था को लचीला बनाने का भी प्रयास किया।
- इस तरह के बदलाव पूर्ववर्ती भू-राजनीतिक दृष्टिकोण और रूढ़िवादियों की पसंद से मेल नहीं खाते हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के नेतृत्व में यू.ए.ई. ने मुस्लिम ब्रदरहुड के वैचारिक विस्तार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र के विद्वान और इमाम 'हसन अल-बन्ना' द्वारा स्थापित लगभग एक सदी पुराना इस्लामिक आंदोलन है।
- जून 2017 में यू.ए.ई. और सऊदी अरब ने मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करने के लिये 'खाड़ी सहयोग परिषद्' (GCC) के एक सदस्य 'कतर' की नाकेबंदी कर दी थी। इससे वर्ष 2018 में दोहा में प्रारंभ हुई अफगान शांति प्रक्रिया में सऊदी या यू.ए.ई. भूमिका सीमित हो गई।

आंतरिक सुरक्षा को चुनौती

- खाड़ी क्षेत्र में वैचारिक बदलाव इन देशों की आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौतीपूर्ण है। चूँकि सऊदी अरब अपने वैचारिक दृष्टिकोण में उदारता ला रहा है, अत: उसे शांति बनाए रखने के लिये आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

- इससे समाज का रूढ़िवादी वर्ग नाराज़ हो सकता है। इसमें युवा वर्ग का एक हिस्सा भी शामिल है। उदाहरण के लिये, 9/11 हमले के बाद अमेरिका पर अल-कायदा से जुड़ा एकमात्र आतंकी हमला दिसंबर 2019 में फ्लोरिडा में हुआ था, जिसमें सऊदी अरब की वायु सेना का एक जवान भी शामिल था।
- मई में सऊदी अरब ने मस्जिदों को लाउडस्पीकरों की आवाज़ कम करने और नमाज़ के बाद उन्हें बंद करने का आदेश दिया था। साथ ही, इबादत के समय दुकानों और व्यवसायों को अनिवार्य रूप से बंद करने के नियमों में भी ढील दी गई है।
- सऊदी अरब की धार्मिक पुलिस (मुत्तावा) धार्मिक शिष्टाचार तोड़ने वाले लोगों को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करने के लिये कुख्यात थी, उसे भी अब एक सलाहकार की भूमिका सौंप दी गई है।

बदलावों का प्रभाव

- खाड़ी क्षेत्र के शक्ति केंद्रों में हो रहे इन परिवर्तनों से अफगानिस्तान के मुजाहिदों को वैसा समर्थन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जैसा अफगान युद्ध में सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदों को प्राप्त था।
- अफगानिस्तान में गृहयुद्ध से उत्पन्न संकट सऊदी अरब जैसे देशों की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक चुनौती है। अपनी छवि बदलने व उसे कायम रखने के लिये सऊदी अरब को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों का वित्त पोषण न करे।

निष्कर्ष

- सऊदी अरब अपने 'नियोम' शहर को विकसित करने पर ध्यान दे रहा है। इसकी विकास योजना को लेकर यू.ए.ई. के दुबई में एक्सपो-2020 का आयोजन हुआ था। अत: सऊदी अरब को वैश्विक व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिये सर्वव्यापी सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देनी होगी।
- इसे हासिल करने के लिये कई प्रयास पहले ही किये जा चुके हैं। एक तरफ, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इज़रायल के बीच 'अब्राहम समझौते' पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ, सबसे बड़ी वैचारिक और भू-राजनीतिक दरार को दूर करने की कोशिश में सऊदी अरब और ईरान के बीच भी बातचीत हो रही है।
- 1990 के दशक में पाकिस्तान के अलावा, केवल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दी थी, किंतु वर्ष 2021 में अफगानिस्तान को लेकर खाड़ी देशों के दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है।

अमेरिका-चीन गतिरोध : नए शीतयुद्ध की आहट

संदर्भ

विगत कुछ वर्षों में अमेरिका-चीन संबंधों के तनाव में वृद्धि देखी गई है। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर भी दोनों देशों के मध्य आरोप-प्रत्यारोप का लंबा दौर चला। विश्व की इन दो प्रमुख शक्तियों के मध्य तनाव एवं बढ़ते गतिरोध को नए शीतयुद्ध के रूप में देखा जा रहा है।

शीतयुद्ध से तात्पर्य

- शीतयुद्ध महाशक्तियों के मध्य 'शांतिकाल में बिना हथियारों के चलने वाला युद्ध' है। इसे कूटनीतिक युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह वैचारिक घृणा एवं राजनीतिक अविश्वास पर आधारित होता है।
- इस युद्ध में न तो हथियारों का प्रयोग होता है और न ही यह रणभूमि में लड़ा जाता है। यह एक प्रकार का मानसिक संघर्ष होता है, अत: इसे 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' भी कहा जाता है।

अमेरिका-चीन संबंधों में कटुता

- विगत वर्षों में अमेरिका-चीन के संबंधों में कटुता आई है। दोनों देश लंबे समय से व्यापार, प्रौद्योगिकी, समुद्री विवाद आदि मुद्दों के आधार पर एक-दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन की ऋण कूटनीति, सैन्य विस्तारवाद, मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं अघोषित व्यापार युद्ध का सदैव विरोध किया है।
- कोविड-19 महामारी ने दोनों देशों के मध्य कटुता को और बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 महामारी का उत्पत्ति स्थल चीनी शहर 'वुहान' को बताया था तथा उसे 'चीनी वायरस' कहकर संबोधित किया था। इसके अलावा, चीन से सभी रिश्ते समाप्त करने एवं मुआवज़ा वसूल करने की धमकी भी दी थी।
- अमेरिका ने अपने देश में काम करने वाले चीनी पत्रकारों पर वीजा प्रतिबंध लगाया था तथा उनकी कार्य अवधि को 90 दिन तक सीमित कर दिया था।
- इसके अलावा, अमेरिका ने पिछले वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र चीनी कंपनियों– हुआवेई और जेड.टी.ई. द्वारा बनाए गए दूरसंचार उपकरणों पर प्रतिबंध एक और वर्ष के लिये बढ़ा दिया है।
- चीन ने भी विभिन्न मुद्दों, जैसे– महामारी नियंत्रण में अमेरिका की विफलता, कैपिटल हिल हिंसा की घटना आदि के आधार पर अमेरिका की निंदा की तथा अपने सामाजिक-आर्थिक मॉडल को अधिक सशक्त बताया।

शीतयुद्ध के तत्त्व

- अमेरिका एवं चीन दुनिया के दो शक्तिशाली देश हैं। इनमें अमेरिका उदारवादी लोकतंत्र का समर्थक है, जबकि चीन स्पष्ट रूप से साम्यवादी विचारधारा को मानता है।
- दोनों ही देश अपनी-अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिये प्रतियोगिता कर रहे हैं। इनके बीच वैश्विक प्रभुत्व के लिये संघर्ष दशकों तक जारी रहने की संभावना है।
- दोनों देशों के मध्य हो रही प्रतिस्पर्द्धा के कारण विश्व के दो गुटों में विभाजित होने की संभावना है। हालाँकि दोनों देशों में कोई भी स्पष्ट सैन्य टकराव नहीं चाहता है।

चीनी विदेश नीति एवं अमेरिका

- वर्ष 1989 से 2008 के मध्य चीन की रणनीति थी कि अमेरिका की शक्ति पर अंकुश लगाया जाए तथा उसे चीन को नुकसान पहुँचाने से रोका जाए। इस दौरान चीन ने निजी हितों की पूर्ति के लिये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भागीदारी की, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया तथा अपनी छवि सुधारने के लिये वैश्विक राजनीति में हिस्सा लिया। इस काल में चीन ने अमेरिकी संघर्ष के मद्देनज़र विभिन्न हथियारों, यथा– पनडुब्बी, मिसाइलों आदि का भी निर्माण किया।
- वर्ष 2009 के पश्चात्, विशेषत: वैश्विक वित्तीय संकट के उपरांत चीन ने स्वयं को एक वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। इसके लिये विभिन्न कदम उठाए, जैसे– उसने स्वयं के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाए, सैन्य आक्रामकता पर बल दिया आदि।
- वर्तमान में चीन विस्तारवादी नीति अपनाए हुए है। अब चीन क्षेत्रीय विवादों को हल करने, अमेरिका को एशिया से बेदखल करने तथा अपेक्षाकृत अधिक उदार छवि निर्मित करने के लिये प्रयत्नशील है। चीन के आर्थिक, सैन्य एवं राजनीतिक कार्य इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित हैं।

अमेरिका-चीन गतिरोध तथा भारत

- अमेरिका एवं चीन के मध्य गतिरोध का एक मंच एशिया भी है। इससे भारत के भी प्रभावित होने की संभावना है। चीन की आर्थिक नीतियाँ, बढ़ती सैन्य शक्ति तथा एशिया में चीन-अमेरिका तकरार भारत के लिये चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
- अमेरिका को चीन के विरुद्ध एशिया एवं हिंद -प्रशांत क्षेत्र में मित्रों की आवश्यकता है। अमेरिका की अगुआई में निर्मित क्वाड गठबंधन को इसी दिशा में एक प्रयास माना जा सकता है। अमेरिका इस क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति को अपने मित्रों के माध्यम से प्रतिसंतुलित करना चाहता है।

निष्कर्ष

वर्तमान में अमेरिका एवं चीन के मध्य गतिरोध अवश्य है, परंतु इसे शीतयुद्ध की संज्ञा देना उपयुक्त नहीं होगा। अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य चले शीतयुद्ध की तुलना में वर्तमान परिस्थितियाँ भिन्न हैं। अत: वर्तमान परिस्थितियों को अमेरिका एवं चीन के मध्य संबंधों के उतार-चढ़ाव के रूप में देखना अधिक प्रासंगिक होगा।

खाड़ी देशों में बदलते समीकरण

संदर्भ

सऊदी अरब और ईरान की हालिया घोषणाएँ खाड़ी देशों में शांति और सुरक्षा की दिशा में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

पृष्ठभूमि

- औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका ने ट्विन-पिलर (ईरान-सऊदी अरब) नीति अपनाई और इस क्षेत्र के गारंटर के रूप में सामने आया।
- वर्ष 1976 में ओमान द्वारा 'मस्कट सम्मेलन' के माध्यम से एक विफल प्रयास भी किया गया था। यह सम्मेलन बाथिस्ट इराक के कारण असफल हुआ था।
- सऊदी अरब और ईरान के शासकों द्वारा द्विपक्षीय प्रयास किये गए। ऐसे में, सऊदी अरब के शाह फैज़ल ने वर्ष 1964 में 'इस्लामी एकजुटता' की नीति शुरू की और वर्ष 1965 में ईरान का दौरा किया।
- वर्ष 1966 में सऊदी रक्षा मंत्री सुल्तान-बिन-अब्दुल अजीज ने ईरान-सऊदी दोस्ती को इस्लामी भाईचारे और पड़ोसी संबंधों का एक आदर्श उदाहरण बताया तथा दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करने के लिये 'सफारी क्लब' के सदस्य बने।

फारस की खाड़ी

- 'फारस की खाड़ी' ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करने वाला लगभग 990 किमी. लंबा जल निकाय है। संयुक्त राष्ट्र के सात सदस्य देश इसके समीप स्थित हैं।
- 'होर्मुज जलसंधि' केवल 54 किमी. चौड़ा जल निकाय है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये जलमार्ग वैश्विक बाज़ार में कच्चे तेल और एल.एन.जी. के परिवहन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। 1970 के दशक की शुरुआत तक फारस की खाड़ी को एक 'ब्रिटिश झील' के रूप में जाना जाता था।

घटनाक्रम

- वर्ष 1978-79 की 'इस्लामिक क्रांति' ने इस क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बिगाड़ दिया तथा सुरक्षा मुद्दों पर क्षेत्रीय सहमति बनाने की संभावनाओं को अवरुद्ध कर दिया।

- आगामी दशकों में, विशेषत: इराक-ईरान युद्ध के दौरान खाड़ी राजशाही और उनके पश्चिमी समर्थकों का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय अस्थिरता व क्रांतिकारी शासन को समाप्त करना था।
- वर्ष 1981 में 'खाड़ी सहयोग परिषद्' (GCC) का गठन खाड़ी शेखों को आश्वस्त करने के प्रयास का हिस्सा था।
- वर्ष 1996 में ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी ने सऊदी रक्षा मंत्री से एक पारस्परिक रक्षा समझौते के लिये आग्रह किया था।
- क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला ने दिसंबर 1997 में तेहरान में इस्लामिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इसे तेहरान की गलतफहमियाँ दूर करने की एक बेहतर शुरुआत माना गया।

अशांति का प्रभाव

- विशेषत: सऊदी राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणाओं के लिये 'यमन' महत्त्वपूर्ण रहा है। इस क्षेत्र में वैचारिक टकराव 1930 के दशक से ही मौजूद है। उस दौरान 'किंग अब्दुलअजीज इब्न सऊद' अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों को नजद साम्राज्य में शामिल करने के लिये अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे।
- नजरान के दक्षिणी क्षेत्र में संघर्ष हुआ। परिणामस्वरूप सऊदी अरब विजयी हुआ तथा वर्ष 1934 की संधि हुई। इससे मिस्र की क्रांति और जमाल अब्देल नासिर के दौर तक शांति कायम रही।
- वर्ष 1962 में यमन में तख्तापलट हुआ और यमन में मिस्र ने सैन्य हस्तक्षेप किया। इससे सऊदी अरब व मिस्र के संबंध बिगड़ गये, जो वर्ष 1967 के अरब-इज़रायल युद्ध तक यथावत रहे।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के अनुकूल था। यह वर्ष 1990 के कुवैत युद्ध के दौरान 'सैन्य सहायता कार्यक्रम' और 'अमेरिकी सैनिकों की तैनाती' के रूप में परिणत हुआ।

प्रमुख मुद्दे

- अधिकांश देश ऐतिहासिक रूप से तेल की कम कीमतों और कोविड-19 से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
- कतर द्वारा बहिष्कार किये जाने के कारण 'खाड़ी सहयोग परिषद्' (GCC) निष्क्रिय हो गई थी, जिसे अब सक्रिय किया जा रहा है।
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब के मध्य नए तनाव उत्पन्न हो रहे हैं।
- वर्तमान में वाशिंगटन के ओवल ऑफिस तक रियाद की पहुँच अब वैसी नहीं है, जैसी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में थी।
- इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के मध्य हस्ताक्षरित 'अब्राहम समझौते' ने खाड़ी देशों और अरब विश्व में अरब-इज़रायल संबंधों पर व्यापक असर डाला है।
- हाल ही में, अफगानिस्तान से सैन्य वापसी और इराक में प्रतिबद्धताओं को कम करने का यू.एस.ए. का निर्णय पर्यवेक्षकों के मध्य चर्चा का विषय रहा है।
- कुवैत में ग्राउंड-फोर्स बेस, बहरीन में पाँचवाँ फ्लीट नौसैनिक अड्डा, कतर में अल उदीद एयर बेस, संयुक्त अरब अमीरात में अल धफरा एयर बेस आदि अमेरिका को इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मज़बूती प्रदान करते हैं।

सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

- उनकी प्राथमिक चिंता खाड़ी तटीय क्षेत्र की तथा हाइड्रोकार्बन निर्यात के लिये जलमार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- वर्ष 1987 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि फारस की खाड़ी पश्चिम के आर्थिक स्वास्थ्य के लिये बेहद महत्त्वपूर्ण है। इसे व्यावहारिक रूप देने के लिये निम्नलिखित अवयव आवश्यक हैं–
  i. होर्मुज जलसंधि के माध्यम से खाड़ी तक पहुँचने और बाहर निकलने की स्वतंत्रता हो।
  ii. फारस की खाड़ी में वाणिज्यिक शिपिंग की स्वतंत्रता हो।
  iii. संघर्ष की रोकथाम हो, ताकि व्यापार और शिपिंग की स्वतंत्रता प्रभावित न हो।
  iv. खाड़ी तट के सभी राज्यों को अपने हाइड्रोकार्बन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने तथा उनका निर्यात करने की स्वतंत्रता हो।
  v. सभी तटवर्ती राज्यों में शांति व स्थिरता स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि 'क्षेत्रीय या अतिरिक्त-क्षेत्रीय स्थितियाँ' इनमें से किसी भी कारण से प्रभावित न हों।

निष्कर्ष

भारतीय दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि सऊदी अरब व ईरान के मध्य सभी प्रकार के सहयोग का स्वागत किया जाना चाहिये। यह तटवर्ती देशों में स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।

गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा

संदर्भ

- हाल ही में, पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय ने गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को पाकिस्तान का नया प्रांत बनाने के लिये कानूनी मसौदे को अंतिम रूप दिया है। यह मसौदा पाकिस्तान के '26वें संविधान संशोधन विधेयक' के रूप में प्रधानमंत्री इमरान खान को सौंप दिया गया है।

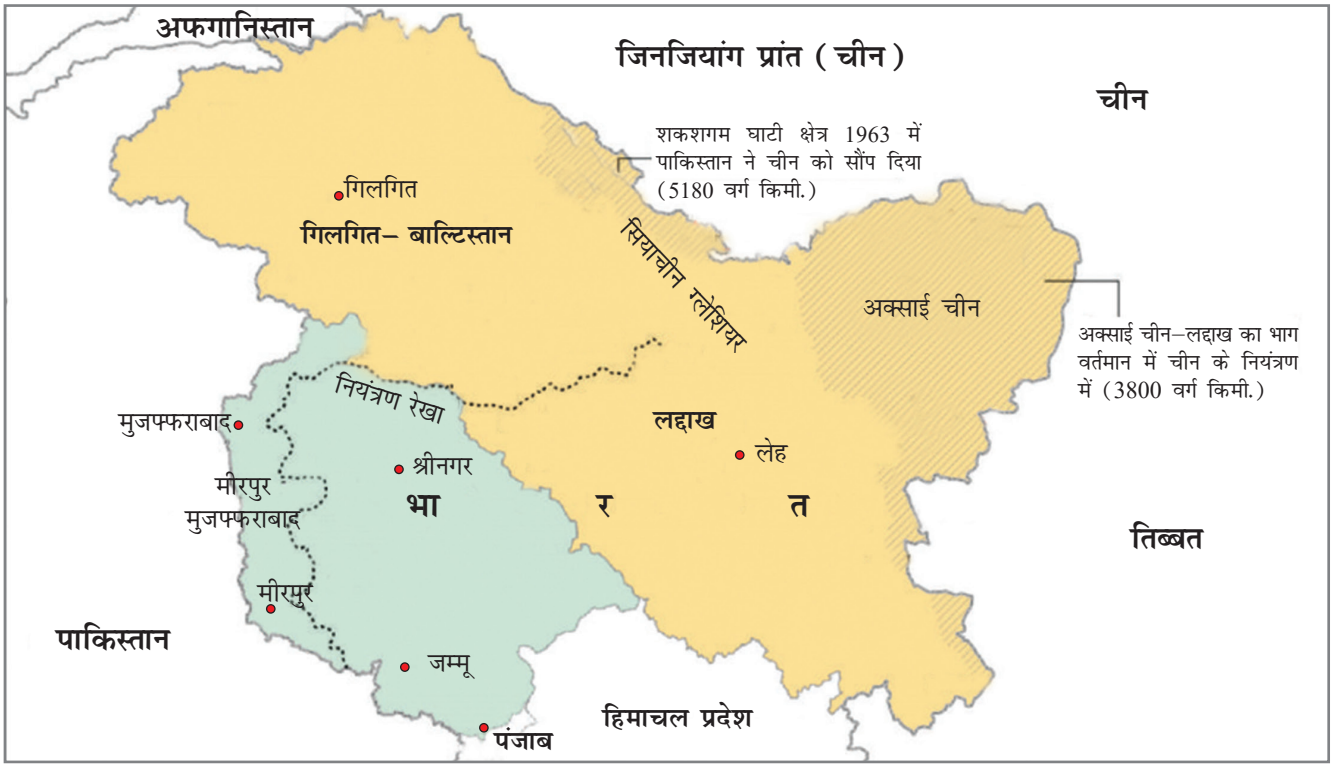

- पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र को प्रांत का दर्जा दिये जाने के बाद यह पाकिस्तान का पाँचवाँ प्रांत होगा। पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, गिलगित-बाल्टिस्तान के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय को समाप्त किया जा सकता है तथा इस क्षेत्र के चुनाव आयोग का विलय पाकिस्तान के चुनाव आयोग में हो सकता है।

पृष्ठभूमि

- गिलगित जम्मू-कश्मीर रियासत का भाग था तथा इस पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह से पट्टे पर प्राप्त किया था। वर्ष 1947 में राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सेना ने कबाइलियों के भेष में भारत पर आक्रमण कर दिया और बाल्टिस्तान, कारगिल एवं द्रास क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया। यह क्षेत्र उस समय 'बाल्टिस्तान' लद्दाख का भाग था। भारतीय सेना ने अगस्त 1947 में कारगिल एवं द्रास क्षेत्रों को तो पाकिस्तानी कब्ज़े से मुक्त करा लिया, लेकिन बाल्टिस्तान पाकिस्तान में कब्ज़े में ही रहा।
- 1 जनवरी, 1949 को भारत-पाकिस्तान युद्धविराम के पश्चात् अप्रैल 1949 में पाकिस्तान ने वर्तमान 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' (POK) की अनंतिम सरकार से समझौता किया। इस समझौते के अनुसार, जिन क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने नियंत्रण कर लिया था, उनके रक्षा एवं विदेश मामले पाकिस्तान को सौंप दिये गए। इसके साथ ही, पी.ओ.के. की अनंतिम सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र का प्रशासन भी पाकिस्तान को सौंप दिया।
- पाकिस्तान ने अपना पहला पूर्ण नागरिक संविधान वर्ष 1974 में अपनाया। इस संविधान के तहत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एवं खैबर पख्तुनख्वा नामक 4 प्रांत बनाए गए। इसमें पाक के अवैध कब्ज़े वाले कश्मीर (POK) एवं गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र को प्रांत के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा थी कि कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से किया जाए, जिसमें उसने जनमत संग्रह की माँग की थी।
- वर्ष 1975 में, पी.ओ.के. को अपना संविधान मिला। इसके बाद यह क्षेत्र एक स्वशासित स्वायत्त क्षेत्र बन गया। परंतु, इस संविधान का उत्तरी क्षेत्र (गिलगित-बाल्टिस्तान) पर कोई प्रभाव नहीं था। यह क्षेत्र अभी भी सीधे इस्लामाबाद से प्रशासित होता था।
- पाक अधिकृत क्षेत्र में संविधान के लागू होने से वहाँ के लोगों को संविधान प्रदत्त गारंटीकृत अधिकार एवं स्वतंत्रता मिली, जबकि उत्तरी क्षेत्र के लोग इससे वंचित थे। उत्तरी क्षेत्र के लोगों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं था। इस क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता एवं पासपोर्ट पाकिस्तान से प्राप्त होता था, परंतु वे पाकिस्तान के अन्य चार क्षेत्रों एवं पाक अधिकृत कश्मीर में उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा के दायरे के बाहर थे।

गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र का महत्त्व

- गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र अपनी भू-सामरिक स्थिति के कारण भारत एवं पाकिस्तान दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण है। इसके उत्तर में काराकोरम व लद्दाख श्रेणी तथा पश्चिम में खैबर पख्तुनख्वा स्थित है। इसका उत्तर-पूर्वी भाग चीन के जिनजियांग प्रांत के साथ सीमा बनाता है। इसके उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान का वाखन गलियारा तथा दक्षिण-पश्चिम में पाक अधिकृत कश्मीर स्थित है।
- गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर ही 'चीन पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरिडोर' (CPEC) गुज़रता है। इसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। इसी कारण भारत द्वारा चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना का विरोध किया जाता है।

पाकिस्तान का दृष्टिकोण

- गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए पाकिस्तान ने यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया है। यह क्षेत्र पाकिस्तान-चीन संबंध तथा चीनी परियोजनाओं के लिये महत्त्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के प्रशासनिक अवरोधों के कारण चीनी परियोजनाएँ साकार नहीं हो पा रही हैं।
- वर्ष 2009 के 'गिलगित-बाल्टिस्तान (सशक्तीकरण और स्वशासन) आदेश, 2009' द्वारा पाकिस्तान ने 'उत्तरी क्षेत्र विधान परिषद्' को विधान सभा में बदल दिया। उत्तरी क्षेत्र विधान परिषद् एक निर्वाचित निकाय था, परंतु इसकी भूमिका मात्र सलाहकारी थी। इस संबंध में विधान सभा बनाने का निर्णय एक मामूली सुधार है। इसमें 24 निर्वाचित एवं 9 मनोनीत सदस्य हैं। इसी आदेश के द्वारा उत्तरी क्षेत्र को 'गिलगित-बाल्टिस्तान' का नाम दिया गया था।
- 1 नवंबर, 2020 का दिन गिलगित-बाल्टिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस क्षेत्र को 'अनंतिम प्रांतीय दर्जा' देने की घोषणा की थी। पाकिस्तान सरकार के हालिया कानूनी मसौदे को इसी घोषणा के क्रियान्वयन के रूप में देखा जा सकता है।

भारत का पक्ष

- भारत ने पाकिस्तान के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र-शासित प्रदेश, जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग हैं। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान को अवैध कब्ज़ा करने का कोई अधिकार नहीं है।

निष्कर्ष

- भारत ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 में संशोधन किया था। इसके प्रतिक्रियास्वरूप पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, चीन भी अपनी परियोजनाओं को वैधता प्रदान करने के लिये पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था कि वह इस क्षेत्र को कानूनी दर्जा प्रदान करे।
- भारत-पाकिस्तान के मध्य विवाद के अन्य प्रमुख मुद्दों में सियाचिन ग्लेशियर विवाद, सर क्रीक विवाद, सिंधु जल समझौता विवाद इत्यादि प्रमुख हैं। इन विवादों के समाधान के लिये आवश्यक है कि पाकिस्तान सीमा-पार से संचालित आतंकवादी गतिविधियों को रोके तथा सीमा पर युद्धविराम के नियमों का पालन करे। तभी दोनों देशों के मध्य विवादों का उचित हल निकाला जा सकता है।

चीन के परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि

संदर्भ

हाल ही में, ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं कि 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' (PRC) अधिक मिसाइल साइलो (Missile Silos) का निर्माण करके अपने परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि कर रहा है।

पृष्ठभूमि

- चीन के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बहस विवादों में घिरी है। विवाद का कारण पी.आर.सी. की परमाणु क्षमताओं का 'दायरा और संभावित आकार' है।
- पश्चिमी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में चीन ने परमाणु साइलो फील्ड का निर्माण किया है, जो दर्शाता है कि पी.आर.सी. 'भूमि-आधारित क्षमताओं' के रूप में एक बड़ी परमाणु शक्ति निर्मित कर रहा है।
- माना जा रहा है कि इस स्थान पर 110 साइलो (भंडारगृह) मौजूद हैं। इसी तरह चीन ने गांसु प्रांत में स्थित युमेन के शुष्क क्षेत्र में भी 120 साइलो वाली एक साइट बनाई थी।

परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि के कारण

- अपने परमाणु विरोधियों के 'फर्स्ट स्ट्राइक' से अपने शस्त्रागार का बचाव करना, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका से।
- अमेरिका के पास 3,800 आयुधों का एक बड़ा शस्त्रागार है, जो इसकी बढ़ती मिसाइल रक्षा क्षमताओं के साथ युग्मित होकर चीन की 'जवाबी परमाणु शक्ति' के लिये खतरा बन गया है।
- हालाँकि वर्तमान में रूस और भारत जैसे बड़े देश भी परमाणु विस्तार पर बल दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में चीन ही चिंता का प्रमुख विषय है।

उत्पादन की दर और सीमा

- मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि पी.आर.सी. अपने शस्त्रागार का विस्तार क्यों कर रहा है, बल्कि यह है कि परमाणु हथियारों के उत्पादन की दर और सीमा क्या होनी चाहिये?

- क्या चीन प्रयोग करने योग्य और तैनात करने योग्य ऐसा परमाणु भंडार (Atomic Stockpile) विकसित करना चाहता है, जहाँ हज़ारों 'वारहेड' हों? पी.आर.सी. की परमाणु शक्ति का सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं है।
- क्या चीन हज़ारों 'वारहेड' से युक्त ऐसा परमाणु भंडार (Atomic Stockpile) विकसित करना चाहता है, जिसमें 'प्रयोग करने योग्य' (Usable) और 'तैनात करने योग्य' (Deployable) परमाणु हथियार शामिल हों? वर्तमान में पी.आर.सी. की परमाणु शक्ति का सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं है।
- हालाँकि 'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' (SIPRI) तथा 'फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स' (FAS) के अनुसार, चीनी परमाणु शक्ति लगभग 250 से 350 परमाणु हथियारों के मध्य है।
- विगत वर्ष 'यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कमांड' के प्रमुख ने कहा था कि चीन अपने मौजूदा परिचालन भंडार को आगामी दशक में दोगुना कर सकता है, जो अभी '200 से कम' है।
- पी.आर.सी. द्वारा किया जा रहा मौजूदा साइलो-आधारित मिसाइल विस्तार भ्रामक हो सकता है, क्योंकि संभव है कि ऐसा परमाणु हथियारों की संख्या को छिपाने के लिये किया जा रहा हो।

पहले हमले की रणनीति

- 'भूमि-आधारित परमाणु क्षमताएँ' चीन को इस दृष्टि से सक्षम बना सकती हैं कि वह 'पहले हमला' (First Strike) करके बड़ी संख्या में दुश्मन-मिसाइलों को नष्ट कर सकता है।
- वस्तुत: कुछ नकली साइलोस भी बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य दुश्मन को पहले हमला करने की स्थिति में मुख्य लक्ष्य से भटकाना होता है। अर्थात् नकली साइलोस को असली समझकर दुश्मन हमला करता है और उसके खुद के आयुध भंडार का एक हिस्सा अनायास ही नष्ट हो जाता है।
- इस प्रकार, किसी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी की लक्ष्य सूची जितनी बड़ी होगी, उसकी चीन के शस्त्रागार के पहले हमले से बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी तथा 'परमाणु निवारक' (Nuclear Deterrent) की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
- चीन अपनी परमाणु शक्ति का निरंतर विस्तार कर रहा है, लेकिन अभी भी उसकी परमाणु क्षमता अमेरिका और रूस से कम है। हालाँकि, यदि कोई देश चीन पर 'पहले परमाणु हमला' करता है, तो चीन अपनी रक्षा करने तथा उस पर जवाबी हमला करने की क्षमता भी रखता है।

चीन की मिसाइल क्षमता

- चीन की स्थल आधारित व समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता में निश्चित रूप से 'मात्रात्मक और गुणात्मक' सुधार हुआ है।
- 'इंटर-कॉण्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल' (ICBM) डोंगफेंग-41 (DF-41) तथा 'इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल' (IRBM) डी.एफ.-26 चीन की सबसे शक्तिशाली स्थल-आधारित मिसाइल प्रणालियाँ हैं।
- डी.एफ.-26 के लगभग 16 लॉन्चर भारत-चीन सीमा के करीब स्थित शिनजियांग क्षेत्र में तैनात किये गए हैं। शिनजियांग और गांसु में बनाए जा रहे साइलो में डी.एफ.-41 हो सकते हैं, जो अपने साथ कई वारहेड ले जाने में सक्षम हैं।

भारत को नज़र रखने की आवश्यकता

- नए साइलो का विकास विश्व और भारत के लिये एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। चीन ने अमेरिका और रूस के साथ किसी भी प्रकार की 'त्रिपक्षीय हथियार नियंत्रण वार्ता' में शामिल होने से इनकार किया है।
- चीन के परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि का भारत पर तत्काल प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन शिनजियांग प्रांत में भूमि-आधारित परमाणु साइलो के निर्माण को भारत द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिये।
- सबसे बढ़कर, पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के मध्य चल रहे सीमा-गतिरोध पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है।
- चीन द्वारा भारत के विरुद्ध वास्तव में परमाणु हथियार प्रयोग करने का मुद्दा मुख्य चिंता का विषय नहीं है, बल्कि असल चिंता यह है कि स्थल-आधारित परमाणु क्षमताओं के विकास से देपसांग, डेमचोक और गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स जैसे क्षेत्रों में चीन को ज़बरदस्त रणनीतिक लाभ मिल सकता है।
- लेकिन दुर्भाग्यवश, भारत के पास चीन पर विश्वास करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं है।

निष्कर्ष

चीनी परमाणु विस्तार के कारण चीन और भारत के मध्य 'रणनीतिक संतुलन' में परिवर्तन की संभावना नहीं है, किंतु भारत को अपने पड़ोसी पर कड़ी नज़र रखनी होगी तथा अपनी रणनीतिक क्षमताओं को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि महाशक्ति बनने की स्पर्द्धा तेज़ होने के कारण परमाणु मुद्दा नीति-निर्माताओं के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करता रहेगा।

चीन के निराधार समुद्री दावे

संदर्भ

हाल ही में, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने 'दक्षिण चीन सागर' में चीन के दावों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर चीन के ये दावे निराधार हैं।

दक्षिण चीन सागर के प्रति चीन का दृष्टिकोण

- चीन 'नाइन डैश लाइन' की अवधारणा के आधार पर 'दक्षिणी चीन सागर' के लगभग 90 प्रतिशत भाग पर अपना दावा करता

है। चीन अपने इस दावे की पुष्टि ऐतिहासिकता के आधार पर करता है। इसके अनुसार, दक्षिणी चीन सागर के द्वीपों की खोज सबसे पहले चीन के हान राजवंश ने की थी।

- हालाँकि वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों के विरुद्ध निर्णय देते हुए उसके दावों को गैर-कानूनी बताया था।
- चीन ने दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में कई विवादित द्वीपों, बंदरगाह सुविधाओं, हवाई पट्टियों आदि का निर्माण किया है तथा अपनी सैन्य गतिविधियों का विस्तार किया है। चीन की इन आक्रामक गतिविधियों को दक्षिणी चीन सागर के अन्य तटवर्ती देश अपने संप्रभु क्षेत्रों एवं 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' का अतिक्रमण मानते हैं।

दक्षिण चीन सागर एवं अमेरिका

- दक्षिण चीन सागर के संबंध में अमेरिका कोई दावा प्रस्तुत नहीं करता है, किंतु वह इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का विरोध करता है। अमेरिका इस क्षेत्र से व्यापारिक जहाज़ों के सुरक्षित संचालन पर बल देता है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण भी है।
- चूँकि दक्षिण चीन सागर हिंद-प्रशांत क्षेत्र का भाग है, अत: यह अमेरिकी दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है। एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में अमेरिका ने इस रास्ते से करीब 1.9 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार किया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में इस क्षेत्र से वैश्विक निर्यात का 42 प्रतिशत तथा आयात का 38 प्रतिशत हिस्सा गुज़रने की संभावना है।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं भारत ने मिलकर 'चतुर्भुज सुरक्षा संवाद' (QUAD) का गठन किया है। यह संगठन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिये प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, अमेरिका ने आसियान एवं पूर्वी एशियाई देशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की है तथा इनके साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाया है।

दक्षिण-चीन सागर- एक नज़र में

- 'दक्षिण चीन सागर' प्रशांत महासागर का भाग है। इसमें लगभग 250 छोटे-बड़े निर्जन द्वीप हैं। यह सिंगापुर से लेकर ताइवान तक लगभग 35 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है।
- इस क्षेत्र में स्पार्टली एवं पार्सल द्वीपसमूह शामिल हैं, जबकि चीन, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम आदि इसके तटवर्ती देश हैं।
- यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। यह दुनिया के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है। वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर गुज़रता है।
- यहाँ पर कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार होने की संभावना है। यह क्षेत्र मत्स्यन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।

दक्षिण चीन सागर एवं भारत

- दक्षिण चीन सागर के प्रति चीन का आक्रामक रुख हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति व सुरक्षा के लिये बाधा है। इससे भारत के आर्थिक हित तथा वैदेशिक नीतियाँ, जैसे- एक्ट ईस्ट नीति, हिंद-प्रशांत नीति आदि प्रभावित हो रहे हैं।
- भारत इस क्षेत्र में शांति का पक्षधर रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में 'संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संधि' (UNCLOS) का अनुपालन किया है, जबकि चीन इसका समय-समय पर उल्लंघन करता रहा है।
- 'भारत' दक्षिण चीन सागर का तटवर्ती राज्य नहीं है, परंतु उसके व्यापक आर्थिक हित इस क्षेत्र से जुड़े हैं। प्रतिवर्ष भारत का लगभग 200 बिलियन डॉलर का व्यापार इसी क्षेत्र से संचालित होता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ होने वाले भारतीय व्यापार का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा इसी जल क्षेत्र से होकर गुज़रता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकता की आपूर्ति एवं सुरक्षित व्यापारिक मार्गों के लिये इस क्षेत्र में शांति-सुरक्षा का सुदृढ़ होना आवश्यक है।
- भारत एवं चीन के मध्य सीमा विवाद, तिब्बत के प्रति भारत का संवेदनशील रुख, दलाई लामा को शरण देना इत्यादि विवाद के अन्य प्रमुख बिंदु रहे हैं। विगत वर्ष गलवान घाटी में हुए सैन्य संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो गए हैं।

निष्कर्ष

दक्षिण चीन सागर संबंधी विवादों को आपसी सहमति से ही सुलझाया जा सकता है। इस क्षेत्र में अनावश्यक आक्रामक गतिविधियों से तटवर्ती देशों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समस्या के समाधान के लिये आवश्यक है कि सभी हितधारक देश अपनी मानसिकता में परिवर्तन करते हुए एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें।

क्वाड के विरुद्ध गठित पाँच देशों के गुट के निहितार्थ

संदर्भ

हाल ही में, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने दोहराया कि क्वाड एक सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मूल्यों के आधार पर क्षेत्रीय सहयोग एवं सुरक्षा को बनाए रखने वाली संस्था है। ऐसा ही विचार भारतीय विदेश मंत्री ने भी व्यक्त किया है। इसके बावजूद चीन क्वाड के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। कुछ अन्य देश भी क्वाड के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं।

क्वाड को नियंत्रित करने के प्रयास

- चूँकि 'क्वाड' हिंद-प्रशांत व उसके आस-पास के क्षेत्रों में अपनी स्थिति लगातार मज़बूत कर रहा है, अत: इसे प्रतिसंतुलित करने के लिये पाँच देशों ने संयुक्त चर्चा शुरू कर दी है।
- पिछले वर्ष एक ईरानी दूत ने पाकिस्तान में इससे संबंधित एक प्रस्ताव दिया था। तब से चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के मध्य क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कूटनीतिक चर्चाएँ बढ़ गई हैं।
- माना जा रहा है कि इन चर्चाओं का लक्ष्य क्वाड के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है। किंतु, इस पाँच-पक्षीय समूह की प्रभावशीलता संदिग्ध है, क्योंकि ये पाँचों देश न तो समान मूल्यों को मानते हैं और न ही एक-दूसरे के प्रति विश्वास रखते हैं।
- इन देशों के रणनीतिक उद्देश्यों में स्पष्टता और एकरूपता का अभाव भी दिखाई पड़ता है। इन कारकों के मद्देनज़र क्वाड के विरुद्ध गठित ऐसे किसी गुट की सफलता संदिग्ध है।

सहमति के प्रमुख बिंदु

- क्वाड के किसी-न-किसी सदस्य के खिलाफ इन सभी पाँच देशों की अलग-अलग शिकायतें हैं, लेकिन रणनीतिक हितों का विरोध इन देशों को एक साथ लाता है।
- चीन और रूस के मध्य क्वाड के विरुद्ध आपसी सहयोग देखा गया है। इस वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर भी चीन ने नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। दूसरी ओर, रूस ने तर्क दिया था कि पश्चिमी देश 'हिंद-प्रशांत रणनीतियों' और 'क्वाड' को बढ़ावा देकर 'चीन विरोधी गतिविधियों' में संलग्न हैं।
- इसके अलावा, वर्ष 2014 में यूक्रेन मुद्दे के कारण रूस पर पश्चिमी देशों ने भारी प्रतिबंध लगाए थे। इस स्थिति ने रूस को एक आर्थिक विकल्प के रूप में चीन के करीब ला दिया।
- अमेरिका-ईरान संबंधों में भी गिरावट आई है और ईरान कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में, चीन ने ईरान से तेल आयात करके स्वयं को उसके एक प्रमुख भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया है।
- इस वर्ष चीन ने ईरान से तेल की खरीद करने, ईरान में निवेश को बढ़ावा देने और सैन्य सहयोग मज़बूत करने के लिये 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक बड़ा रणनीतिक समझौता किया है। इसके अलावा, रूस भी ईरान का एक प्रमुख सुरक्षा साझेदार बनता जा रहा है।
- 'तुर्की' नाटो का सदस्य है। फिर भी, अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसने रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली एस-400 का आयात किया था। इसके अलावा, तुर्की ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और पाकिस्तान के पक्ष में 'कथित कश्मीर मुद्दे' का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया था। इस स्थिति ने भी उसे क्वाड-विरोधी समूह में शामिल होने को विवश किया।
- जहाँ तक पाकिस्तान का प्रश्न है, तो वह ऐसी प्रत्येक व्यवस्था का समर्थन करता है, जो भारत के प्रभाव को कम करने के लिये संकल्पित हो। भारत के खिलाफ संतुलन बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में चीन एक बुनियादी स्तंभ है।
- इसके अलावा, पाकिस्तान न सिर्फ 'कथित कश्मीर मुद्दे' को लेकर सबसे मुखर है, बल्कि वह इस्लामी दुनिया के नेता के रूप में तुर्की का समर्थन भी करता है। पाकिस्तान, रूस और ईरान दोनों देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंध मज़बूत करने की कोशिश भी कर रहा है।

वास्तविकता या कल्पना

- केवल उपरोक्त मुद्दे ही कोई मज़बूत क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। सभी पाँचों देशों के बेशक कुछ साझा उद्देश्य हैं, लेकिन मूल्यों और सिद्धांतों के स्तर पर एकजुट नहीं हैं। अत: उनके द्वारा परिकल्पित व्यवस्था सुदृढ़ स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकती है।
- इन देशों में इनकी राजनीतिक व्यवस्था व धार्मिक मान्यताओं के कारण लचीलेपन का अभाव है। अत: इनमें से प्रत्येक देश एक-दूसरे के प्रति अविश्वास रखता है।
- चीन और रूस कुछ निश्चित सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आपसी भागीदार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि रूस व चीन का जुड़ाव काफी हद तक 'चयनात्मक' है तथा यह निजी हितों पर आधारित है। विदित हो कि चीन ने क्रीमिया और यूक्रेन सहित कई मुद्दों पर रूस का समर्थन नहीं किया है।
- मध्य-एशियाई क्षेत्र में रूस का पारंपरिक प्रभाव रहा है, वहाँ भी चीन अब अपना सामरिक प्रभाव बढ़ा रहा है। इस क्षेत्र में चीन द्वारा की जाने वाली हथियारों की बिक्री, सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन, सैन्य चौकियों की स्थापना आदि कदम रूस के प्रभाव को कम कर सकते हैं।
- यद्यपि तुर्की और ईरान के बीच आर्थिक संबंध सुधर रहे हैं, किंतु रणनीतिक संबंध अभी भी खराब हैं। कई क्षेत्रीय भू-राजनीतिक मुद्दों, जैसे- सीरियाई संघर्ष, इराक की स्थिति, इज़रायल के साथ जुड़ाव आदि को लेकर तुर्की और ईरान के मत आपस में विपरीत हैं।
- रूस के साथ तुर्की के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं हैं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर टकराव है, जैसे- यूक्रेन मुद्दा, दक्षिण कॉकेशस और मध्य एशिया में प्रभाव बढ़ाना आदि।
- पाकिस्तान और ईरान के आपसी संबंध भी बेहतर नहीं हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर निर्भरता है, इससे उसका ईरान के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है। इसके अलावा,

तुर्की और चीन के संबंध भी उइगर मुस्लिम जैसे मुद्दों के कारण विवादित हैं।

निष्कर्ष

यह पाँच-पक्षीय गुट 'क्वाड' को प्रतिसंतुलित करने में दीर्घकाल तक सफल नहीं हो सकता है। आपसी अविश्वास, स्व-केंद्रित उद्देश्य और संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण इसकी सफलता संदिग्ध है। जबकि क्वाड इस क्षेत्र के सभी देशों के बीच व्यापक स्थिरता और पारदर्शी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। विभिन्न महत्त्वाकांक्षाएँ रखने वाले देशों का यह गुट वैश्विक शांति व संतुलन के लिये विनाशकारी साबित हो सकता है।

समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के संबंध में प्रधानमंत्री का संबोधन

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता' विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) की उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्

- सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ का 15 सदस्यीय महत्त्वपूर्ण निकाय है। इसमें 5 स्थायी सदस्य एवं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है।
- परिषद् के पाँच स्थायी सदस्य चीन, फ्राँस, रुसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। परिषद् के अस्थायी सदस्यों के लिये महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष पाँच अस्थायी सदस्यों के लिये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव किया जाता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है।
- गौरतलब है कि यू.एन.एस.सी. के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का दो वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी, 2021 से शुरू हुआ है। इस कार्यकाल में यू.एन.एस.सी. में यह भारत की पहली अध्यक्षता है।

सामुद्रिक क्षेत्र महत्ता

- भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसकी तट रेखा की लंबाई 7,516 किमी. है। देश का लगभग 90 प्रतिशत व्यापार तथा लगभग 90 प्रतिशत तेल आयात समुद्र के माध्यम से होता है।
- भारत की जलीय सीमा बांग्लादेश, म्यामार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, थाईलैंड आदि देशों से लगती है। भारत की इस विशेष स्थिति के कारण सामुद्रिक क्षेत्र की सुरक्षा आर्थिक एवं सामरिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- सुरक्षा परिषद् में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समुद्री सुरक्षा के लिये सहकारी और समावेशी ढाँचा विकसित करने का आग्रह किया। यह अबाधित रूप से व्यापार एवं वाणिज्य के विकास हेतु अत्यावश्यक है।
- विदित है कि वैश्विक व्यापार का लगभग 90 प्रतिशत समुद्री मार्गों द्वारा संपन्न होता है। इसका प्रमुख कारण समुद्री परिवहन का लागत प्रभावी होना है।
- समुद्री मार्गों के बाधित होने के वैश्विक प्रभाव हैं। इस वर्ष के प्रारंभ में स्वेज़ नहर में आए अवरोध के कारण अरबों डॉलर का व्यापार प्रवाह बाधित हुआ। वर्ष 1956 में मिस्र द्वारा स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किये जाने का विश्व की सभी महत्त्वपूर्ण शक्तियों द्वारा विरोध किया गया। वर्तमान में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नौसैनिक नाकेबंदी विनाशकारी साबित हो सकती है।
- नौवहन की स्वतंत्रता एवं बाधारहित व्यापार-वाणिज्य समृद्धि का मूल तत्त्व है। आपूर्ति शृंखला खुले समुद्र की अवधारणा पर निर्भर है। दक्षिण चीन सागर में बंद समुद्र की नव-औपनिवेशिक अवधारणा भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये अभिशाप सिद्ध हो सकती है।

समुद्री विवादों के निपटान में भारत

- प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया। गौरतलब है कि विवादों के शांतिपूर्ण तरीके से समाधान का विचार भारत के शांति और अहिंसा के मूल्यों में निहित है।
- वर्ष 2014 में भारत और बांग्लादेश के मध्य समुद्री विवाद के संबंध में संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण के निर्णय को भारत ने स्वीकृति दी तथा दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया, जबकि वर्ष 2016 में, चीन ने फिलीपींस के पक्ष में अदालत के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया था।
- वर्तमान में प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री खतरों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय से चक्रवात, सुनामी और समुद्री प्रदूषण के कहर से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये एकजुट होने का आह्वान किया।
- हिंद महासागर क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के साथ ही राहत कार्रवाई में भी भारत की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। भारत ने प्रत्येक मोर्चे पर, चाहे वह समुद्री डकैतियों पर अंकुश लगाना हो या वर्ष 2004 में बॉक्सिंग डे सुनामी के बाद राहत पहुँचाना हो, महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- वर्तमान में पर्यावरणीय खतरों और समुद्री डकैती से निपटने में भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। एशिया में जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती की समस्याओं से निपटने हेतु क्षेत्रीय सहयोग समझौते के कार्यकारी निदेशक के रूप में भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक का चुनाव इस क्षेत्र में भारत के योगदान को दर्शाता है।

वैश्विक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पाँच सिद्धांत

- प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वैश्विक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पाँच बुनियादी सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया है–
  - वैध समुद्री व्यापार के लिये बाधाओं को दूर करना।
  - समुद्री विवादों का शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर निपटारा।
  - प्राकृतिक आपदाओं एवं आतंकी संगठनों द्वारा उत्पन्न समस्याओं का सामना वैश्विक समुदाय द्वारा मिलजुल कर किया जाना।
  - समुद्री पर्यावरण और संसाधनों का संरक्षण आवश्यक।
  - समुद्री व्यापार को बढ़ाने हेतु समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना।

सागरीय क्षेत्र में भारत की चुनौतियाँ

- भारत की सीमा से लगे होने के कारण हिंद महासागर का भारतीय संदर्भ में विशेष महत्त्व है। भारत के लिये इसका आर्थिक के साथ-साथ भू-सामरिक महत्त्व भी है।
- भारत को इस क्षेत्र में समुद्री डकैती, आतंकवाद, मानव तस्करी, ड्रग्स तस्करी, मछुआरों की समस्या, चीन की उपस्थिति सहित कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

चुनौतियों के समाधान हेतु भारतीय प्रयास

- हिंद महासागर एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा व्यापार के निर्बाध संचालन के लिये भारत प्रतिबद्ध है। इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में 'सागर' (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर आल इन द रीजन) की शुरुआत की गई।
- इसके अंतर्गत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करने के साथ-साथ उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के विकास में सहायता कर रहा है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र को अधिक खुला, सहयोगी और अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने वाला क्षेत्र बनाया जा सकेगा।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने तथा व्यापार-वाणिज्य के निर्बाध संचलन के लिये क्वाड का गठन किया गया है। इस संगठन में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

निष्कर्ष

हिंद महासागर एवं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के व्यापक हित हैं। भारत के लिये यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था स्थापित हो तथा वाणिज्य-व्यापार का निर्बाध संचलन संभव हो। सुरक्षा परिषद् के माध्यम से समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा को बढ़ावा देने का भारत का यह प्रयास निश्चित रूप से एक स्थिर और स्थायी समुद्री वातावरण की संभावनाओं को बढ़ावा देगा।

❐❐❐

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
अखिल मूर्ति के निर्देशन में
ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स
वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति
इन कोर्सेज़ के वीडियो के साथ-साथ अध्ययन सामग्री प्रिंटेड फॉर्म में कूरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।
9555-124-124, 7428085757
Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

6 सामाजिक न्याय एवं कल्याण

75वें स्वतंत्रता दिवस की प्रमुख पहलें

संदर्भ

75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विभिन्न पहलों की घोषणा की तथा अगले 25 वर्षों में नए संकल्पों के साथ भारत को शानदार बनाने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी घोषित किया था कि प्रतिवर्ष 14 अगस्त का दिन 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।

प्रमुख पहलें

राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन

- यह मिशन भारत में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रारंभ किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग कर हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।
- यह देश में ऊर्जा प्रबंधन सुनिश्चित करने, कार्बन उत्सर्जन कम करने, जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।
- इसके तहत भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने का प्रयास किया जाएगा।
- भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये सालाना करीब 12 ट्रिलियन रुपए खर्च करता है।

फोर्टिफाइड चावल योजना

- प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2024 तक विद्यालयों में 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) और 'मध्याह्न भोजन' सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत 'फोर्टिफाइड चावल' (Fortified Rice) वितरित किये जाने की घोषणा की गई।
- देश में महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण के उच्च स्तर को कम करने के लिये यह पहल महत्त्वपूर्ण है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में हर दूसरी महिला एनीमिया से पीड़ित है तथा हर तीसरा बच्चा अविकसित है या बौनेपन का शिकार है।
- 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' (GHI) में भारत 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है और इसे भुखमरी की 'गंभीर श्रेणी' में रखा गया है।
- मंत्रालय के अनुसार, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों ने फरवरी 2020 से पी.डी.एस. के तहत प्रायोगिक तौर पर फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू कर दिया है।
- संवर्द्धित चावल में आयरन, विटामिन बी12, फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में होते है। इन तीनों की अच्छी मात्रा होने के कारण इसकी पोषण मात्रा भी काफी अधिक होती है।

गति शक्ति मास्टर प्लान

- इस परियोजना को भविष्य में युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर के रूप में पेश किया गया है। यह 'समग्र बुनियादी ढाँचे' के विकास के लिये 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है।
- इसके माध्यम से स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने और भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों की संभावनाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी।

वंदे भारत ट्रेन

75 वंदे भारत ट्रेनें आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिह्नित करने के लिये 75 सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगी। विदित है कि 'वंदे भारत' स्वदेश निर्मित सेमी-हाई स्पीड ट्रेन है।

स्वयं सहायता समूह के लिये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को देश-विदेश में बेचने में मदद करेगा। गाँवों में 8 करोड़ से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं तथा वे अनेक उत्पादों का निर्माण करती हैं।

बालिकाओं के लिये सैनिक विद्यालय

- देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब लड़कियाँ भी दाखिला ले सकेंगी। वर्तमान में भारत में 33 सैनिक स्कूल हैं। सर्वप्रथम मिज़ोरम के सैनिक स्कूल में लड़कियों को दाखिला दिया गया था।
- सैनिक स्कूलों का संचालन सैनिक सोसाइटी करती है, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आती है।
- सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य विद्यार्थियों को कम उम्र में ही भारतीय सशस्त्र बलों में जाने के लिये प्रेरित करना था।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0

संदर्भ

- 10 अगस्त, 2021 को 'विश्व जैव-ईंधन दिवस' के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 'महोबा ज़िले' से 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) का दूसरा चरण लॉन्च किया। यह योजना

मूलत: वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गाय के गोबर (गोबर धन) के उपयोग से ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

पी.एम.यू.वाई. *2.0*

- वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में पी.एम.यू.वाई. योजना के तहत एक करोड़ अतिरिक्त एल.पी.जी. कनेक्शन वितरित किये जाने की घोषणा की गई थी।
- ये नए कनेक्शन्स कम आय वाले उन परिवारों को प्रदान किये जाएंगे, जो पी.एम.यू.वाई. के पहले चरण में शामिल नहीं हो सके थे।
- इसके अंतर्गत लाभार्थियों को जमा-मुक्त कनेक्शन के साथ 'पहली रिफिल और एक हॉटप्लेट (चूल्हा)' मुफ्त प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने चिह्नित 50 ज़िलों के 21 लाख घरों में पाइप के माध्यम से गैस पहुँचाने का भी लक्ष्य रखा है।
- योजना के दूसरे चरण में 'निवास प्रमाण या राशन कार्ड' जमा करने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। अब 'पारिवारिक सूचना और निवास प्रमाण' के संबंध में लाभार्थी द्वारा की गई घोषणा मान्य होगी।

पी.एम.यू.वाई. *1.0*

- उज्ज्वला योजना 1.0 के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिलाओं को एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।
- इसके बाद, अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित 7 अन्य श्रेणियों की महिलाओं को भी शामिल किया गया–
  i. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाएँ
  ii. वनवासी महिलाएँ
  iii. अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ
  iv. द्वीप समूह की महिलाएँ
  v. चाय बागान की महिलाएँ
  vi. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की लाभार्थी महिलाएँ
  vii. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) की लाभार्थी महिलाएँ
- इसके अलावा, इसका लक्ष्य संशोधित कर 8 करोड़ एल.पी.जी. कनेक्शन्स कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन वर्ष 2011 की 'सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना' के आधार पर किया गया था।
- यह योजना 'पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय' (MoPNG) के अंतर्गत प्रारंभ की गई है।

योजना की उपलब्धियाँ

- योजना के पहले चरण में दलित और आदिवासी समुदायों सहित 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिये गए हैं।
- पिछले 6 वर्षों में, देश भर में 11,000 से अधिक नए एल.पी.जी. वितरण केंद्र खोले गए हैं।

लाभ

- इस योजना के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया गया है तथा उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी लाई गई है।
- ईंधन के जलने से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है।
- वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों में होने वाली श्वास संबंधी बीमारियों में भी कमी आई है।
- 'जलावन लकड़ी' की कटाई में कमी दर्ज की गई है, जिससे वनोन्मूलन में भी कमी आई है।
- उज्ज्वला 2.0 का लाभ उन प्रवासियों को अधिक मिलेगा, जो दूसरे राज्यों में रहते हैं तथा अपना निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में अनेक परेशानियों का सामना करते हैं।

चुनौतियाँ

- योजना के तहत प्राप्त एल.पी.जी. सिलेंडर को पुन: भरवाने के प्रति लोगों की उदासीनता
- सिलेंडर की बढ़ती कीमत
- लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी
- एल.पी.जी. सिलेंडर की वितरण व्यवस्था में अनियमितता

कोविड टीकाकरण अभियान

संदर्भ

'कोविड-19 टीकाकरण' विश्व के लिये अपेक्षाकृत नया है, परंतु 'टीकाकरण' का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1974 में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) द्वारा टीकाकरण पर विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब से, विश्व के विभिन्न देशों ने समय-समय पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण संबंधी अनेक योजनाएँ संचालित की हैं।

प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया

- टीकों को सामान्यत: 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनमें 'निष्क्रिय टीका' (Inactivated Vaccine) तथा 'जीवित-एटिन्युएटेड टीका' (Live-attenuated Vaccine) शामिल हैं।
- वर्तमान में इंजेक्शन द्वारा लगाए जाने वाले 'जीवित-एटिन्युएटेड टीकों' में खसरा, रुबेला, कंठमाला, चिकनपॉक्स आदि टीके शामिल हैं।

- 'इनोक्युलम' टीके के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक जैविक पदार्थ होता है। इससे निर्मित टीकों में हज़ारों जीवित, लेकिन कमज़ोर विषाणु मौजूद होते हैं।
- टीके की अंतिम खुराक प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाती है। टीके की इस खुराक में अरबों-खरबों की संख्या में विषाणु हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप विकसित होने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली कई दिनों से लेकर हफ्तों तक बनी रहती है, क्योंकि इंजेक्शन द्वारा मानव शरीर में प्रविष्ट कराए गए विषाणु शरीर के भीतर स्वयं को गुणित करते रहते हैं।
- गैर-प्रतिकृति इंजेक्शन टीकों में मुख्यत: डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खाँसी), टिटनेस, हेपेटाइटिस-बी, हीमोफिलस इंफ्लुएंजा-बी, न्यूमोकोकल, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, निष्क्रिय पोलियो वायरस, निष्क्रिय हेपेटाइटिस-ए आदि शामिल हैं।
- विदित है कि इंजेक्शन के माध्यम से लगाए जाने वाले टीके में 'एंटीजन की मात्रा कम' होती है। एंटीजन की मात्रा 'माइक्रोग्राम' में मापी जाती है।

बूस्टर खुराक की आवश्यकता

- किसी व्यक्ति का टीकाकरण करने के दौरान उसे दी जाने वाली अंतिम खुराक 'बूस्टर खुराक' कहलाती है। गैर-प्रतिकृति वाले टीकों से मज़बूत और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिये एक या दो माह के अंतराल पर एक, दो या कई खुराक प्रारंभिक स्तर पर दी जाती हैं।
- समय के साथ-साथ लगभग सभी टीकाकरण वाले व्यक्तियों में एंटीबॉडी का स्तर कम होता जाता है।
- एंटीबॉडी को उच्च सुरक्षात्मक स्तर तक पहुँचाने के लिये तथा उस उच्च सुरक्षात्मक स्तर को बनाए रखने के लिये एक या अधिक इंजेक्शन 'बूस्टर खुराक' की आवश्यकता होती है, जैसे–
  - प्रतिवर्ष इंफ्लुएंजा का टीका लगाना।
  - पाँच से 10 वर्षों में एक बार टिटनेस का टीका लगाना।
  - ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (HPV) और हेपेटाइटिस 'ए' तथा 'बी' से सुरक्षा के लिये एक बूस्टर टीका लगाना।
- सभी कोविड-19 टीके गैर-प्रतिकृति श्रेणी में आते हैं। मज़बूत व दीर्घकालिक प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिये बूस्टर खुराक की आवश्यकता होती है।

वर्तमान कार्यक्रम

- वर्तमान कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 'जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन' की केवल एक खुराक, जबकि अन्य सभी वैक्सीन की दो खुराक दी जा रही है।
- आरंभिक खुराक और बूस्टर खुराक के मध्य सामान्यत: छह माह से एक वर्ष तक का अंतराल होता है।
- बुजुर्गों, अंग प्रत्यारोपित करा चुके व्यक्तियों, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों आदि की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है। ऐसे लोगों की गंभीर बीमारी की चपेट में आने या मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। अत: उन्हें सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिये बूस्टर खुराक की तत्काल आवश्यकता है।
- यह शुरुआती अनुमान गलत साबित हुआ कि कोविड-19 महामारी अल्पकालिक रहेगी। व्यापक टीकाकरण कवरेज प्राप्त कर चुके इज़रायल, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में अभी भी कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं।
- ऐसा लगता है कि यह महामारी एक स्थायी 'पैन-एंडेमिक' स्वरूप धारण कर लेगी। ऐसे में, भावी वर्षों में भी टीकाकरण तब तक जारी रहेगा, जब तक कि यह वायरस पूर्णत: समाप्त नहीं हो जाता।
- इस स्थिति ने फाइजर कंपनी को अमेरिका में बूस्टर खुराक की मंज़ूरी लेने के लिये और इज़रायल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को बूस्टर खुराक लेने के लिये प्रेरित किया है।

आगे की राह

- वैक्सीनोलॉजी की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक देश में प्राथमिक खुराक प्राप्त कर चुके सभी लोगों को एक निश्चित अंतराल पर कम-से-कम एक बूस्टर खुराक मिलनी चाहिये।
- 'भारत' टीकों की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण दुविधा की स्थिति में है। भारत को सभी वयस्कों और बच्चों को दो प्राथमिक खुराक देने, गंभीर बीमारी से पीड़ित संवेदनशील लोगों को तीन खुराक देने तथा एक साल बाद सभी लोगों को एक बूस्टर खुराक देने की रणनीति बनानी चाहिये।
- अत: एक सधा हुआ टीकाकरण अभियान व उसका प्रभावी क्रियान्वयन ही देश-दुनिया को इस महामारी से मुक्त कर सकता है।

चावल में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का समावेशन

संदर्भ

- 75वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) और 'मध्याह्न भोजन' (MDM) सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत 'सूक्ष्म पोषक तत्त्वों युक्त चावल' (Fortified Rice) वितरित किया जाएगा।

चावल में पोषक तत्त्वों की अभिवृद्धि *(Rice Fortification)*

- 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण' (FSSAI) की परिभाषा के अनुसार, फोर्टिफिकेशन का अर्थ है– "भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिये भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का समावेश करना, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि की जा सके।"
- दूसरे शब्दों में, 'चावल फोर्टिफिकेशन' एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत नियमित चावल में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों को शामिल किया जाता है। वस्तुत: सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का समावेश आहार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
- चावल फोर्टिफिकेशन के लिये 'कोटिंग', 'डस्टिंग' जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। भारत में चावल फोर्टिफिकेशन के लिये 'एक्सट्रूजन' को सबसे अच्छी प्रौद्योगिकी माना जाता है। इसमें एक 'एक्सट्रूडर मशीन' का प्रयोग करके 'फोर्टिफाइड चावल के दानों' (Fortified Rice Kernels – FRKs) का उत्पादन किया जाता है।
- सात देशों ने चावल के फोर्टिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है– संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस और सोलोमन द्वीप।

एफ.आर.के. उत्पादन संबंधी एक्सट्रूजन प्रौद्योगिकी

- 'एक्सट्रूजन प्रौद्योगिकी' के अंतर्गत चावल के आटे में सूक्ष्म पोषक तत्त्व मिश्रित करके जल मिलाया जाता है।
- फिर इस मिश्रण को 'हीटिंग जोन' में रखे 'ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर' में भेजा जाता है, इसके बाद चावल के समान आकार के दानों का उत्पादन किया जाता है।
- इन दानों को सुखाकर ठंडा किया जाता है तथा प्रयोग के लिये पैक किया जाता है। एफ.आर.के. की 'शेल्फ लाइफ' कम-से-कम 12 माह की होती है।
- 'उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' के दिशा-निर्देशों के अनुसार, "फोर्टिफाइड चावल के दाने की आकृति और आकार, यथासंभव सामान्य चावल जैसा होना चाहिये।" दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनाज की लंबाई और चौड़ाई क्रमश: 5 मिमी. और 2.2 मिमी. होनी चाहिये।

चावल फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता

- भारत में महिलाओं व बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत अधिक है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, देश में हर दूसरी महिला 'रक्ताल्पता' (Anaemia) तथा हर तीसरा बच्चा 'बौनापन' (Stunting) का शिकार है।
- गौरतलब है कि 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' (GHI) में भारत 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है, जो इसे 'गंभीर भूख' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करता है।
- कुपोषण से निपटने के लिये 'फूड फोर्टिफिकेशन' को सबसे उपयुक्त तरीकों में से एक माना जाता है। ध्यातव्य है कि चावल भारत के प्रमुख खाद्य पदार्थों में से एक है, जिसका उपभोग लगभग दो-तिहाई जनसंख्या करती है।
- भारत में प्रति व्यक्ति चावल का उपभोग 6.8 किग्रा. प्रति माह है। अत: सूक्ष्म पोषक तत्त्वों को चावल के साथ समावेशित करके गरीबों को पूरक आहार का एक विकल्प प्रदान किया जा सकता है।

फोर्टिफिकेशन के मानक

- सरकार के दिशा-निर्देशानुसार, 10 ग्राम 'एफ.आर.के.' को 1 किग्रा. सामान्य चावल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिये।
- एफ.एस.एस.ए.आई. के मानदंडों के अनुसार, 1 किग्रा. फोर्टिफाइड चावल में 28-42.5 माइक्रोग्राम आयरन, 75-125 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड और 0.75-1.25 माइक्रोग्राम विटामिन बी-12 प्रमुख पोषक तत्त्व होने चाहिये।
- इसके अतिरिक्त, प्रति किलोग्राम चावल में 10-15 मिलीग्राम जस्ता, 500-750 माइक्रोग्राम विटामिन ए, 1-1.5 मिलीग्राम विटामिन बी-1, 1.25-1.75 मिलीग्राम विटामिन बी-2, 12.5-20 मिलीग्राम विटामिन बी-3 तथा 1.5-2.5 मिलीग्राम विटामिन बी-6 जैसे पोषक तत्त्व भी शामिल होने चाहियें।

पकाने की प्रक्रिया

- फोर्टिफाइड चावल को पकाने के लिये किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। पकाने से पूर्व इस चावल को सामान्य तरीके से साफ किया जाना चाहिये या धोया जाना चाहिये।
- पकने के उपरांत भी फोर्टिफाइड चावल में वे सभी सूक्ष्म पोषक तत्त्व व गुण विद्यमान होते हैं, जो पकने से पूर्व में विद्यमान थे।

भारत की फोर्टिफिकेशन क्षमता

- मंत्रालय के अनुसार, लगभग 2,690 चावल मिलों द्वारा फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन के लिये सम्मिश्रण इकाइयाँ (Blending Units) स्थापित की गई हैं।
- वर्तमान में 14 प्रमुख राज्यों की सकल सम्मिश्रण क्षमता लगभग 13.67 लाख टन है। 2 वर्षों के अंदर एफ.आर.के. का उत्पादन 7,250 टन से बढ़कर 60,000 टन हो गया है।
- मौजूदा चावल मिलों को फोर्टिफिकेशन सुविधाओं से युक्त बनाने के लिये अपग्रेड करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्नत चावल की मात्रा के आधार पर फोर्टिफिकेशन की लागत अलग-अलग मिल में भिन्न-भिन्न होती है।

- मंत्रालय के अनुसार, 4-5 टन/घंटा की परिचालन क्षमता वाली चावल मिल को अपग्रेड करने के लिये लगभग 15-20 लाख रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी।

फोर्टिफाइड चावल की लागत और पहचान चिह्न

- मंत्रालय का अनुमान है कि तीन सूक्ष्म पोषक तत्त्वों– आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी-12 से युक्त फोर्टिफाइड चावल की उत्पादन लागत लगभग 0.60 रुपए प्रति किग्रा. होगी।
- यह खर्च केंद्र और राज्य वहन करेंगे तथा चावल मिल मालिकों को सरकार की तरफ से भुगतान किया जाएगा।
- फोर्टिफाइड चावल को जूट बैग में पैक किया जाएगा तथा बैग पर फोर्टिफिकेशन पहचान चिह्न (+F) भी अंकित किया जाएगा। इसके अलावा, पैकिंग पर 'आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी-12' संबंधी जानकारी मुद्रित करनी भी अनिवार्य होगी।

सरकार के पूर्व के प्रयास

- वर्ष 2019-20 में, सरकार ने 174.64 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय के साथ तीन वर्ष के लिये केंद्र प्रायोजित पायलट योजना 'चावल फोर्टिफिकेशन और पी.डी.एस. के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण' शुरू किया था।
- उक्त पायलट योजना 15 राज्यों के 15 ज़िलों में केंद्रित है– आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश।
- मंत्रालय के अनुसार, महाराष्ट्र और गुजरात सहित छह राज्यों ने जून 2021 तक लगभग 2.03 लाख टन फोर्टिफाइड चावल वितरित किया है। चार और राज्यों द्वारा सितंबर तक इस योजना को शुरू किये जाने की संभावना है।

मिशन पोषण 2.0

संदर्भ

- हाल ही में, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये सरकार द्वारा मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में की गई थी।

मिशन पोषण *2.0*

- मिशन पोषण 2.0 को 'पूरक पोषण कार्यक्रम' और 'पोषण अभियान' के विलय के साथ प्रारंभ किया गया है।
- इसके अंतर्गत देश के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके।
- इस योजना का उद्देश्य भारत को वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त करना है।
- इस योजना से 10 करोड़ बच्चों और महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत उन परिवारों की भी मदद की जाएगी, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तथा अपने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं।
- 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' के अंतर्गत पोषण संसाधन खोले जाएंगे।
- रक्ताल्पता से पीड़ित बच्चों व गर्भवती महिलाओं को भी इस मिशन के तहत सही खान-पान और देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत मातृ एवं शिशु मृत्युदर में कमी लाना भी शामिल है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन *(National Nutrition Mission– NNM)*

- भारत सरकार के द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिये पोषण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी।
- 0 से 6 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार के लिये राष्ट्रीय पोषण मिशन (National Nutrition Mission– NNM) को शुरू किया गया है।

मिशन का उद्देश्य एवं लक्ष्य

- 0-6 वर्ष के बच्चों का बौनेपन से बचाव और इसमें कुल 6 प्रतिशत की (प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से) कमी लाना।
- 0-6 वर्ष के बच्चों का कुपोषण से बचाव और इसमें कुल 6 प्रतिशत की (प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से) कमी लाना।
- 6-59 माह के बच्चों में रक्ताल्पता के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत की (प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की दर से) कमी लाना।
- 15-49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में रक्ताल्पता के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत की (प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की दर से) कमी लाना।
- कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6 प्रतिशत की (प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से) कमी लाना।

मिशन *2.0* की कार्य-प्रणाली

- इस योजना से संबंधित सूचना के लिये एक सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाएगा।
- सभी महिला कर्मचारियों को एक-एक स्मार्ट फोन तथा सुपरवाइज़रों को टेबलेट दिया जाएगा।

- सभी आँगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के कद की सही जानकारी संग्रह करने के लिये इन्फैंटोमीटर और स्टेडियोमीटर दिया जाएगा।
- वजन की कमी का पता लगाने के लिये कर्मचारी महिलाएँ प्रत्येक महीने बच्चों के वजन के आँकड़े सॉफ्टवेयर पर अपलोड करके योजना का निर्माण करेंगी।
- विकास में रुकावट और बौनेपन का पता लगाने के लिये कर्मचारी महिलाएँ हर तीसरे महीने लंबाई/ऊँचाई के आँकड़ों को सॉफ्टवेयर पर अपलोड करके योजना का निर्माण करेंगी।

विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट और भारत

संदर्भ

- हाल ही में प्रकाशित विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी तथा इसके प्रभावों का सामना करने में असफल रहने के कारण देश में भूख और खाद्य असुरक्षा की व्यापकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 237 करोड़ से अधिक लोगों ने खाद्य असुरक्षा का सामना किया, जो कि वर्ष 2019 की तुलना में 32 करोड़ अधिक है।

विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट

- विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 'खाद्य एवं कृषि संगठन' द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।
- यह रिपोर्ट भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, पोषण में सुधार करने इत्यादि के संबंध में अध्ययन प्रस्तुत करती है।
- रिपोर्ट में उल्लेखित खाद्य असुरक्षा संबंधी अनुमान वैश्विक स्तर पर स्वीकृत खाद्य असुरक्षा के दो संकेतकों- अल्पपोषण की व्यापकता तथा अनुभव आधारित मध्यम और गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता पर आधारित हैं।

रिपोर्ट में भारत

- विश्व की कुल खाद्य असुरक्षित आबादी का लगभग 25 प्रतिशत भारत में निवास करता है।
- देश में भूख की व्यापकता, जो कि वर्ष 2019 में 14 प्रतिशत थी, के वर्ष 2020 में बढ़कर 15.3 प्रतिशत होने की संभावना है।
- वर्ष 2018-20 की अवधि में देश में मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता में लगभग 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- कोविड महामारी के प्रकोप के बाद देश में मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगभग 9.7 करोड़ की वृद्धि हुई है।

भारत में भुखमरी एवं कुपोषण

- भारत खाद्य असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या वाला देश है। वर्ष 2017-19 में खाद्य असुरक्षा के वैश्विक बोझ में भारत का योगदान 22 प्रतिशत था।
- उल्लेखनीय है कि 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 50 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है।
- भारत में जन्म लेने वाले लगभग 20 प्रतिशत बच्चे कम भार अर्थात् जन्म के समय 2.5 किग्रा. से कम वजन के होते हैं।
- साथ ही, बड़ी संख्या में बच्चे विभिन्न स्तरों पर सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी से पीड़ित हैं। इनमें जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलिक अम्ल एवं विटामिन बी12 प्रमुख हैं।
- भारत की लगभग 14 प्रतिशत आबादी अल्पपोषित है, जबकि बच्चों में बौनेपन की दर 37.4 प्रतिशत है।
- वैश्विक भूख सूचकांक, 2020 में भारत को 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर रखा गया है। यह देश में भूख की गंभीर स्थिति को सूचित करता है।

समस्या का स्वरूप

- भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसके बावजूद आर्थिक संकट, बेरोज़गारी में वृद्धि तथा उच्च स्तर की असमानता के कारण भूख एवं खाद्य असुरक्षा देश के लिये गंभीर समस्या बनी हुई है।
- देश की बहुत बड़ी आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न है, जिससे होने वाली आय बहुत कम एवं अनिश्चित है। ऐसी स्थिति में निर्धन परिवारों के लिये पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

सरकार द्वारा किये गए प्रयास

- देश में भुखमरी एवं कुपोषण की समस्या के समाधान के लिये किये गए प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं–
- **भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013–** देश के नागरिकों को वहनीय मूल्य पर गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को अधिसूचित किया गया है। इसके अंतर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण एवं 50 प्रतिशत शहरी आबादी को सम्मिलित किया गया है।
- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना–** इस योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को देश के किसी भी भाग में राशन प्राप्त हो सकेगा। इससे प्रवासी मज़दूरों को विशेषतौर पर लाभ मिलगा।
- **राष्ट्रीय पोषण मिशन–** इस योजना को बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार के लिये प्रारंभ किया गया है।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना–** इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके खातों में 5,000 रुपए (तीन किस्तों में) प्रदान किये जाते हैं।

निष्कर्ष

- कोविड–19 महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी ने मज़दूरों एवं किसानों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न किया है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा सभी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है।
- चूँकि, वर्तमान में सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है, अत: ऐसे में सरकार को चाहिये कि वह राशन कार्डों की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए सभी को राशन की दुकानों से रियायती दरों पर अनाज लेने की छूट प्रदान करे।

शिक्षा का अधिकार और अल्पसंख्यक विद्यालय

संदर्भ

- हाल ही में, 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (NCPCR) द्वारा 'अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(क) के संबंध में अनुच्छेद 15(5) के तहत छूट का प्रभाव' शीर्षक से अल्पसंख्यक विद्यालयों के मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट जारी की गई।
- गौरतलब है कि अल्पसंख्यक विद्यालय 'शिक्षा के अधिकार' (RTE) कानून तथा सरकार के 'सर्व शिक्षा अभियान' (SSA) के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- इस रिपोर्ट के माध्यम से एन.सी.पी.सी.आर. ने सिफारिश की है कि इन विद्यालयों को अन्य सिफारिशों के साथ-साथ आर.टी.ई. और एस.एस.ए. दोनों के तहत लाया जाए।

उद्देश्य

- आयोग का उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों के लिये अनिवार्य दिशा-निर्देशों से छूट के प्रभाव का आकलन करना था।
- आयोग का विचार है कि नियमों के दो अलग-अलग सेट- अनुच्छेद 21(क), जो सभी बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, अनुच्छेद 30, जो अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के नियमों के साथ अपने संस्थान स्थापित करने की अनुमति देता है तथा अनुच्छेद 15(5), जो अल्पसंख्यक विद्यालयों को आर.टी.ई. से छूट देता है– बच्चों के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार के मध्य विरोधाभासी तस्वीर पेश कर रहा है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- आयोग ने अध्ययन में पाया है कि छूट प्राप्त संस्थानों या विद्यालयों में नामांकित अधिकांश बच्चे उन अधिकारों से वंचित हैं, जो आर.टी.ई. और एस.एस.ए. के दायरे में आने वाले संस्थानों में नामांकित बच्चों को मिल रहे हैं।
- आयोग ने इस प्रकार की छूट के हानिकारक प्रभाव को चिह्नित करते हुए कहा कि एक तरफ ज़्यादातर ईसाई मिशनरी स्कूल हैं, जो केवल एक निश्चित वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश दे रहे हैं और वंचित वर्ग के बच्चों को व्यवस्था से बाहर कर रहे हैं, इस प्रकार यह 'कुलीनों' का विद्यालय बन गया है।
- इसके विपरीत, अन्य प्रकार के अल्पसंख्यक विद्यालय, विशेषत: मदरसे, 'पिछड़ेपन में पीड़ित वंचित छात्रों की बस्ती' बन गए हैं।
- इसके अलावा, मदरसों में जो विद्यार्थी धार्मिक अध्ययन के साथ-साथ विज्ञान जैसे पंथनिरपेक्ष पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त नहीं करते, वे पिछड़ जाते हैं तथा विद्यालय छोड़ने के पश्चात् 'अलगाव और हीन भावना' से ग्रस्त हो जाते हैं।
- रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि कुल विद्यार्थियों में से केवल 4.18 प्रतिशत को ही स्कूल से मुफ्त ड्रेस, पुस्तकें, छात्रवृत्ति संबंधित लाभ मिले हैं।
- बच्चों को 'नि:शुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' सुनिश्चित करने के लिये आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 न्यूनतम बुनियादी ढाँचे, शिक्षकों की संख्या, पुस्तकें, ड्रेस, मध्याह्न भोजन आदि से संबंधित मानदंड प्रदान करता है, जो अल्पसंख्यक विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्राप्त नहीं हो रहे हैं।
- आयोग के अनुसार, परामर्श के दौरान अल्पसंख्यक विद्यार्थियों और उनके माता-पिता सहित समुदाय द्वारा उठाई गई माँगों में मदरसों में आर.टी.ई. एक्ट तथा एस.एस.ए. दोनों का विस्तार करना शामिल है, ताकि विद्यार्थियों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, पाठ्य-पुस्तकें, ड्रेस जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके।
- इसके अतिरिक्त, 93वें संशोधन के पश्चात् अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन करने वाले विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है, जिसमें कुल विद्यालयों के 85 प्रतिशत से अधिक ने वर्ष 2005-09 और बाद में प्रमाण-पत्र हासिल किया है।
- आयोग का मानना है कि ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि स्कूल पिछड़े वर्गों के लिये सीटें आरक्षित करने के कानूनी दायरे से बाहर रहना चाहते थे।
- 'प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चर बनाम भारत संघ, 2014' के निर्णय के पश्चात् आर.टी.ई. अधिनियम अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है।

अल्पसंख्यक विद्यालयों को एस.एस.ए. और आर.टी.ई. से छूट

- 'सर्व शिक्षा अभियान' (SSA) की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई, जो राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में क्रियान्वित केंद्र सरकार की योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु-वर्ग के सभी बच्चों को 'उपयोगी और प्रासंगिक, प्रारंभिक शिक्षा' प्रदान करना है।
- इसके पश्चात् 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत 'शिक्षा के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसके तहत, अनुच्छेद 21(क) को शामिल कर '6 से 14 वर्ष' के आयु-वर्ग के बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया।
- 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2006 के तहत अनुच्छेद-15 में उपखंड (5) को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में 'अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर' अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिये आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान करने के लिये सक्षम बनाया गया।
- ध्यातव्य है कि 1 अप्रैल, 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया गया, जो सभी के लिये समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत विद्यालयों में वंचित बच्चों को शामिल करना अनिवार्य हो गया है।
- विशेषत: उक्त अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों तथा वंचित समूहों के बच्चों के प्रवेश के लिये 'गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों' में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
- इन अधिनियमों के विपरीत, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है, ताकि विभिन्न 'धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों' के बच्चों को अपनी 'संस्कृति, लिपि और भाषा' को बनाए रखने एवं संरक्षित करने के अवसर प्रदान किये जा सकें।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में एक संशोधन के माध्यम से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को आर.टी.ई. अधिनियम का पालन करने से छूट प्रदान की गई।
- वर्ष 2014 में अनुच्छेद 15 (5) के तहत छूट की वैधता पर चर्चा करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिनियम को अल्पसंख्यकों के अधिकार को स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

अल्पसंख्यक विद्यालयों का अनुपात

- आयोग ने देश में ईसाई मिशनरी विद्यालयों की संख्या ईसाइयों की आबादी के साथ-साथ अन्य अल्पसंख्यक समूहों द्वारा संचालित किये जा रहे विद्यालयों की संख्या के अनुपात में बहुत अधिक पाया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, ईसाई अल्पसंख्यक आबादी में 11.54 प्रतिशत हैं, लेकिन वे 72 प्रतिशत विद्यालय संचालित करते हैं। जबकि, मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी का 69.18 प्रतिशत हैं, जो 22.75 प्रतिशत विद्यालयों का संचालन करते हैं।
- इसके अलावा, सिख कुल अल्पसंख्यक आबादी के 9.78 प्रतिशत हैं और वे 1.54 प्रतिशत विद्यालय संचालित करते हैं। जबकि, बौद्ध अल्पसंख्यक आबादी के 3.83 प्रतिशत हैं और वे 0.48 प्रतिशत विद्यालयों का संचालन करते हैं।
- इसी प्रकार, जैन कुल अल्पसंख्यक आबादी के 1.9 प्रतिशत हैं और इनके द्वारा 1.56 प्रतिशत विद्यालयों का संचालन किया जाता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यालयों में पढ़ने वाले 62.50 प्रतिशत विद्यार्थी गैर-अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं। इसमें केवल ईसाई मिशनरी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 74 प्रतिशत विद्यार्थी गैर-अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। जबकि, अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों में से केवल 8.76 प्रतिशत ही सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के हैं।
- इस संदर्भ में आयोग द्वारा कहा गया कि राज्य सरकारों को अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के न्यूनतम प्रतिशत पर सख्त दिशा-निर्देश जारी करना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त, साथ रहने वाली आबादी के आकार के संबंध में एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों के अनुपात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

संवाद (SAMVAD) कार्यक्रम का दूसरा चरण

संदर्भ

- 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बेंगलुरु में 'संवाद' कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।
- यह एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है, जो बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक देखभाल के लिये कार्य करता है।

प्रमुख बिंदु

- 'संवाद' (SAMVAD), संवेदनशील परिस्थितियों में बच्चों के लिये समर्थन, सहायता एवं मानसिक स्वास्थ्य उपायों और संकट निवारण कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) द्वारा किया जाता है।

- इस कार्यक्रम का वित्त पोषण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है।
- इस पहल के अंतर्गत गोद लेने के संदर्भ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सुरक्षा तथा देखभाल प्रदान करना है।
- यह पहल बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं, टेली-परामर्शदाताओं, शिक्षकों कानूनी पेशेवरों सहित करीब 1 लाख हितधारकों को प्रशिक्षित कर संकटग्रस्त बच्चों के लिये सहायता तंत्र प्रदान कर रही है।
- संवाद 'पंचायती राज प्रणाली' के साथ बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करने तथा जागरूकता उत्पन्न करने व ज़मीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार करने के लिये देश भर के आकांक्षी ज़िलों में काम प्रारंभ करने हेतु तैयार है।

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सरकार द्वारा उठाए गए कदम

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)

- मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढाँचे की अपर्याप्तता और योग्य पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 1982 से 'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' (NMHP) को क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम में वर्ष 1996 में 'ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' को जोड़ा गया था।
- वर्ष 2003 में, इस कार्यक्रम की रणनीति को पुनः निर्धारित कर इसके अंतर्गत दो पहलों को शामिल किया गया–
  - राज्य मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण करना।
  - मेडिकल कॉलेजों/सामान्य अस्पतालों के मनोरोग विंग का उन्नयन।
- साथ ही, वर्ष 2009 में जनशक्ति विकास योजना को भी इसका हिस्सा बनाया गया।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (MHCA) 2017

- यह मानसिक रूप से बीमार प्रत्येक व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की गारंटी देता है।
- इस अधिनियम में आई.पी.सी. की धारा 309 के उपयोग के दायरे को काफी कम कर दिया गया है और आत्महत्या करने के प्रयास को केवल एक अपवाद के रूप में दंडनीय बना दिया गया है।
- इस अधिनियम को वर्ष 2018 में 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' के अनुसमर्थन के लिये अधिनियमित किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अनुमोदित किया।

अन्य पहलें

किरण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्महत्या का विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिये 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की है।

मनोदर्पण पहल

- यह 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
- इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यार्थियों, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है।

समग्र शिक्षा योजना

संदर्भ

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 'आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति' ने 'संशोधित समग्र शिक्षा योजना' (समग्र शिक्षा योजना 2.0) को पाँच वर्षों की अवधि (2021-22 से 2025-26) तक जारी रखने को मंज़ूरी दी है।

पृष्ठभूमि

- केंद्रीय बजट 2018-19 में पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक को 'समग्र रूप से और बिना विभाजन' के 'स्कूली शिक्षा' माना गया था।
- इस संदर्भ में 'सर्व शिक्षा अभियान', 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' और 'शिक्षक शिक्षा' की पूर्ववर्ती 'केंद्र प्रायोजित योजनाओं' को मिलाकर स्कूली शिक्षा के लिये वर्ष 2018 में एक एकीकृत योजना 'समग्र शिक्षा' की शुरुआत की गई थी।
- वर्तमान में इसका दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है। इसका कुल वित्तीय परिव्यय 2,94,283.04 करोड़ रुपए है, जिसमें 1,85,398.32 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है।

लाभ

- इस योजना में 11 लाख 60 हज़ार विद्यालय, 15 करोड़ 60 लाख से अधिक विद्यार्थी और सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के 57 लाख शिक्षक (पूर्व-प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक) लाभार्थी हैं।

- साथ ही, इसे 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020' (NEP) की सिफारिशों के साथ भी जोड़ा गया है, जिससे सभी बच्चों की 'एक समान और समावेशी कक्षा' के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। इसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं का भी ध्यान रखा गया है, जो विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाएगा।
- यह योजना स्कूली शिक्षा की निरंतरता को आवश्यक मानती है, जो शिक्षा के लिये सतत विकास लक्ष्य (SDG-4) के अनुरूप है। यह योजना 'शिक्षा के अधिकार' (RTE) अधिनियम के कार्यान्वयन में भी सहायक है।

विवरण

- समग्र शिक्षा योजना, स्कूली शिक्षा के लिये एक एकीकृत योजना है, जिसमें पूर्व-प्राथमिक से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
- इस योजना के तहत प्रस्तावित स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं–
  - बुनियादी ढाँचे के विकास सहित (Retention) सार्वभौमिक पहुँच
  - मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान
  - लैंगिक समानता तथा समावेशी शिक्षा
  - गुणवत्ता और नवाचार
  - शिक्षक वेतन के लिये वित्तीय सहायता
  - डिजिटल पहल व व्यावसायिक शिक्षा
  - यूनिफार्म व पाठ्यपुस्तकों सहित शिक्षा के अधिकार में सहायता
  - 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा' के लिये सहायता
  - खेल और शारीरिक शिक्षा
  - शिक्षक 'शिक्षा और प्रशिक्षण' को मज़बूत करना
  - निगरानी व कार्यक्रम प्रबंधन
- योजना की प्रत्यक्ष पहुँच को बढ़ाने के लिये सभी 'बाल केंद्रित हस्तक्षेप' एक निश्चित समयावधि में आई.टी. आधारित प्लेटफॉर्म पर 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों को प्रदान किये जाएंगे।
- व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा वित्तपोषण अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर किया जाएगा।
- आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कुशल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा' के लिये सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है।
- सरकारी स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक वर्गों के लिये शिक्षण अधिगम सामग्री, स्वदेशी खिलौने और खेल आधारित गतिविधियों हेतु प्रति बालक/बालिका 500 रुपए तक का प्रावधान है।
- निपुण भारत, जो मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिये एक राष्ट्रीय मिशन है, को प्रत्येक बच्चे को ग्रेड-III और ग्रेड-V के बीच पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित अधिगम (Learning) क्षमता प्राप्त करने के लिये शुरू किया गया है।
- माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) की योजना 'निष्ठा' (NISHTHA) के तहत विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल की व्यवस्था की गई है।
- सभी बालिका छात्रावासों में इनसिनेरेटर (Incinerator) और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने वाली वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी तथा सभी वर्तमान सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में नए स्ट्रीम की बजाय नए विषयों को जोड़ने पर बल दिया जाएगा।
- स्कूली शिक्षा से बाहर 16 से 19 वर्ष की आयु के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (NIOS) और राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) के माध्यम से माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रति कक्षा 2,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राज्य में बाल अधिकारों को संरक्षित करने के लिये 50 रुपए प्रति प्राथमिक विद्यालय के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 'समग्र प्रगति कार्ड' (Holistic Progress Card : HPC) के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति को दर्शाया जाएगा। एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र- 'परख' (प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और समग्र विकास के लिये ज्ञान का विश्लेषण) की गतिविधियों के लिये सहायता दी जाएगी।
- यदि किसी स्कूल के कम-से-कम 2 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम में पदक जीतते हैं, तो उसे 25,000 हज़ार रुपए तक का अतिरिक्त खेल अनुदान दिया जाएगा।
- बस्तारहित (बैगलेस) स्कूल परिसरों में स्थानीय हस्त शिल्पियों के साथ हुनर को सीखने (इंटर्नशिप) आदि के प्रावधान भी किये गए हैं।
- इस योजना में भाषा शिक्षक की नियुक्ति और सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बारहवीं कक्षा तक करने का भी प्रस्ताव है। आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिये 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा संरक्षण' के तहत 3 महीने के प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया जाएगा।
- डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम और डी.टी.एच. चैनलों के प्रसारण के लिये सहायता तथा स्कूली विद्यार्थियों की चाइल्ड ट्रैकिंग का भी प्रावधान किया गया है।

कार्यान्वयन रणनीति

- इस योजना को राज्य स्तर पर एक 'एकल राज्य कार्यान्वयन समिति' के माध्यम से लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर

शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली एक शासी परिषद् और सचिव की अध्यक्षता वाले परियोजना अनुमोदन बोर्ड का गठन किया गया है।

- शासी परिषद् को वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मानदंडों को संशोधित करने व कार्यान्वयन के लिये विस्तृत दिशा-निर्देशों को स्वीकृति देने में सक्षम बनाया जाएगा। इन संशोधनों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये नवाचारों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- योजना की प्रत्यक्ष पहुँच बढ़ाने के लिये बच्चों पर केंद्रित सभी पहलों का लाभ एक निश्चित समयसीमा के भीतर आई.टी. आधारित प्लेटफॉर्म पर डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- एन.ई.पी. 2020 के अनुरूप इसमें विद्यार्थियों को कौशल प्रदान करने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मुख्य प्रभाव

- इस योजना का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की समान पहुँच, वंचित व कमज़ोर वर्गों के समावेशन और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। योजना के प्रमुख उद्देश्यों में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को निम्नलिखित बिंदुओं पर सहयोग प्रदान किया जाएगा–
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों को लागू करना
  - नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करना
  - प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा तथा मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान पर ज़ोर
  - विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लिये समग्र, एकीकृत, समावेशी और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम व अध्यापन पर ज़ोर
  - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान
  - स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को दूर करना तथा सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना
  - शिक्षक प्रशिक्षण के लिये नोडल एजेंसी के रूप में 'स्टेट काउंसिल्स फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग' व 'स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग' को मज़बूत बनाना
  - शिक्षा के लिये सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना

❐❐❐

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स+मेन्स)

चतुर्थ बैच आरंभ : 20 सितंबर, प्रात: 11:30 बजे

ऑनलाइन/पेनड्राइव कोर्सेज़

फाउंडेशन कोर्स

लाइव बैच प्रारंभ : 25 अगस्त, 2021

मुख्य परीक्षा

लाइव बैच प्रारंभ : 15 नवंबर, 2021

प्रारंभिक परीक्षा

पेनड्राइव कोर्स

- सप्ताह में 6 कक्षाएँ (प्रतिदिन एक कक्षा) संचालित होंगी।
- संपूर्ण कोर्स की पाठ्य सामग्री कूरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

वैकल्पिक विषय

इतिहास
द्वारा – अखिल मूर्ति पेनड्राइव /मोबाइल ऐप कोर्स

भूगोल
द्वारा – कुमार गौरव पेनड्राइव /मोबाइल ऐप कोर्स

राजनीति विज्ञान
द्वारा – राजेश मिश्रा पेनड्राइव /मोबाइल ऐप कोर्स

7 आर्थिक घटनाक्रम

'ऑयल बॉण्ड' से संबंधित पक्ष

संदर्भ

हाल ही में, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह पेट्रोल और डीजल पर आरोपित करों को कम नहीं कर सकती क्योंकि विगत यू.पी.ए. सरकार ने ईंधन की कीमतें कम करने के लिये 'ऑयल बॉण्ड' जारी किये थे और उसे इनके भुगतान का बोझ उठाना पड़ रहा है।

पृष्ठभूमि

- ईंधन की कीमतों के अविनियमन (Deregulation) से पूर्व, यू.पी.ए. शासन के दौरान पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व केरोसिन तेल को रियायती दरों पर बेचा जाता था।
- तत्कालीन सरकार ने 'तेल विपणन कंपनियों' को सीधे बजटीय सब्सिडी नहीं दी थी, बल्कि इसके बजाय ईंधन खुदरा विक्रेताओं को कुल ₹1.34 लाख करोड़ मूल्य के ऑयल बॉण्ड जारी किये थे। इसका उद्देश्य राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना था।
- इन बॉण्ड्स पर ब्याज और प्रमुख घटकों के भुगतान को संदर्भित करते हुए केंद्र ने तर्क दिया कि राजकोषीय संतुलन के लिये उसे 'उच्च उत्पाद शुल्क' की आवश्यकता है।
- वर्तमान सरकार ने भी ₹3.1 लाख करोड़ के पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड (Recapitalization Bonds) जारी किये हैं। इससे सार्वजनिक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों को पूँजी प्राप्त हो सकेगी। इन बॉण्ड्स के तहत लिया गया ऋण वर्ष 2028 से 2035 के मध्य भुगतान योग्य होगा।

सरकार का पक्ष

- वित्तमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार वर्ष 2012-13 में यू.पी.ए. सरकार द्वारा की गई तेल की कीमतों में कमी के लिये भुगतान कर रही है।
- वित्तमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने ₹1 लाख करोड़ के ऑयल बॉण्ड जारी किये थे। विगत सात वित्तीय वर्षों से सरकार प्रतिवर्ष ₹9,000 करोड़ से अधिक का ब्याज भुगतान कर रही है। यदि बॉण्ड का बोझ नहीं होता, तो सरकार ईंधन पर आरोपित उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होती।

अविनियमन एवं उपभोक्ताओं पर प्रभाव

- केंद्र सरकार ने क्रमशः वर्ष 2002 से 'एविएशन टर्बाइन फ्यूल', वर्ष 2010 से पेट्रोल तथा वर्ष 2014 से डीजल की कीमतों को क्रमिक रूप से अविनियमित किया था।
- इससे पूर्व सरकार डीजल या पेट्रोल की कीमतों के निर्धारण में हस्तक्षेप करती थी। साथ ही, तेल विपणन कंपनियों के घाटे की भरपाई भी सरकार को ही करनी पड़ती थी।
- कीमतों के अविनियमन का मुख्य उद्देश्य ईंधन कीमतों का बाज़ार के साथ सामंजस्य स्थापित करना, सरकार के सब्सिडी बोझ को समाप्त करना तथा वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने पर उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करना था।
- हालाँकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से अंतर्संबंधित होने के पश्चात् भी उपभोक्ताओं को कीमतों में गिरावट का कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें अतिरिक्त राजस्व हासिल करने के लिये नए 'कर और शुल्क' आरोपित कर देती हैं।
- मूल्य विनियंत्रण (Price Decontrol) अनिवार्यतः इंडियन ऑयल, एच.पी.सी.एल. या बी.पी.सी.एल. जैसे ईंधन विक्रेताओं को अपनी 'लागत एवं मुनाफे' की गणना के आधार पर कीमतें तय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वस्तुतः मूल्य विनियंत्रण की इस नीति में प्रमुख लाभार्थी सरकार ही है।

सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व

- कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर आरोपित कर से प्राप्त होने वाला केंद्रीय राजस्व वर्ष 2020-21 में 45.6 प्रतिशत बढ़कर ₹4.18 लाख करोड़ हो गया।
- सरकारी आँकड़ों के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वर्ष-दर-वर्ष 74 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹3.45 लाख करोड़ हो गया।
- पेट्रोलियम उत्पादों पर करों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 के ₹2.73 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹2.87 लाख करोड़ की हो गई है।
- दूसरी ओर, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर करों में राज्य सरकारों की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के 1.6 प्रतिशत से घटकर ₹2.17 लाख करोड़ रह गई, जो वर्ष 2019-20 में ₹2.20 लाख करोड़ थी।
- केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले 'कोविड-प्रेरित प्रतिबंधों' के मद्देनज़र राजस्व बढ़ाने के लिये पेट्रोल और डीजल पर शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
- केंद्र सरकार ने मई 2020 में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को ₹19.98 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹32.98 प्रति लीटर तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क को ₹15.83 से बढ़ाकर ₹31.83 कर दिया।

- वर्ष 2021-22 में पेट्रोल की कीमत 39 बार बढ़ी तथा एक बार घटी है, जबकि डीजल की कीमत 36 बार बढ़ी और दो बार घटी है।

झारखंड में आदिवासी घरेलू कामगारों की स्थिति		
	केंद्र का हिस्सा (करोड़ में)	राज्य का हिस्सा (करोड़ में)
2016-17	2,73,225	1,89,587
2017-18	2,76,168	2,06,601
2018-19	2,79,847	2,27,396
2019-20	2,87,540	2,20,841
2020-21 (P)	4,18,637	2,17,271

स्रोत: PPAC, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

ऑयल बॉण्ड		
	बकाया राशि (करोड़ में)	ब्याज भूगतान (करोड़ में)
2016-17	1,30,923.17	9,989,96
2017-18	1,30,923.17	9,989,96
2018-19	1,30,923.17	9,989,96
2019-20	1,30,923.17	9,989,96
2020-21	1,30,923.17	9,989,96

स्रोत: वित्त मंत्रालय

ऑयल बॉण्ड का भुगतान

- विगत सात वर्षों में ऑयल बॉण्ड के ऋणों पर कुल ₹70,195.72 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया है। ₹1.34 लाख करोड़ के बॉण्ड में से केवल ₹3,500 करोड़ के मूलधन का भुगतान किया गया है, जबकि शेष ₹1.3 लाख करोड़ का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025-26 के मध्य तक करना है।
- सरकार को चालू वित्त वर्ष में ₹10,000 करोड़, वर्ष 2023-24 में ₹31,150 करोड़, वर्ष 2024-25 में ₹52,860 करोड़ तथा वर्ष 2025-26 में ₹36,913 करोड़ का भुगतान करना है।

सरकार की बैंकों से संबंधित बॉण्ड रणनीति

- अक्तूबर 2017 में तत्कालीन वित्तमंत्री ने घोषणा की थी कि एकमुश्त उपाय के रूप में 'पुनर्पूजीकरण बॉण्ड' जारी किये जाएँगे, ताकि 'बैड लोन' से प्रभावित सार्वजनिक बैंकों में इक्विटी 'इंजेक्ट' की जा सके।
- इस साधन से राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि केवल ब्याज भुगतान को घाटे की गणना में शामिल किया जाता है।
- आरंभ में सरकार ने संकेत दिया था कि कुल ₹1.35 लाख करोड़ के बॉण्ड जारी किये जाएँगे, लेकिन बाद में यह 'नियमित और सुविधाजनक' अभ्यास बन गया।
- बजट दस्तावेज़ों के अनुसार, सरकार ने अब तक सार्वजनिक बैंकों, एक्जिम बैंक, आई.डी.बी.आई. बैंक तथा आई.आई.एफ.सी.एल. को ₹3.1 लाख करोड़ के पुनर्पूजीकरण बॉण्ड जारी किये हैं।

अर्थव्यवस्था की गति एवं रोज़गार सृजन में असंतुलन

संदर्भ

देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी से सुधार हो रहा है। 'नोमुरा इंडिया' का 'बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स' मार्च 2020 के लॉकडाउन के बाद अगस्त 2021 में पहली बार 100 के आँकड़े को पार कर गया। यह व्यापारिक गतिविधियों के पुनः गतिमान होने को दर्शाता है। 15 अगस्त को यह 101.2 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया था। देश की आर्थिक गतिविधियों में आई तेज़ी के बावजूद बेरोज़गारी की समस्या में विशेष सुधार नहीं हुआ है।

रोज़गार पर असमान प्रभाव

- कोविड-19 महामारी ने रोज़गार पर असमान प्रभाव डाला है। आई-टी एवं वित्त जैसे क्षेत्रों में उच्च कौशल वाली नौकरियों के लिये 'घर से कार्य' (Work from Home) का विकल्प मौजूद था, परंतु होटल, रेस्तराँ, पर्यटन जैसी संपर्क केंद्रित सेवाओं में ऐसा संभव नहीं था। अतः ये क्षेत्र अधिक प्रभावित हुए।
- बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों पर अधिक प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप रोज़गार गहन 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' (MSME) के पास मज़दूरी लागत में कमी करने के अलावा अन्य विकल्प शेष नहीं था। इससे अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक और दिहाड़ी मज़दूर काफी प्रभावित हुए हैं।
- एक अनुमान के अनुसार, जुलाई 2021 में कुल रोज़गार 399.4 मिलियन था। यह फरवरी 2020 की तुलना में 406 मिलियन कम था। अर्थात् 6.6 मिलियन श्रमिकों को रोज़गार नहीं मिला। लगभग 10.9 मिलियन श्रमिक श्रमबल से बाहर हो गए हैं तथा अब वे सक्रिय रूप से काम की तलाश नहीं कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र या तो लोगों के वेतन में कटौती की गई या उन्होंने कम घंटे काम किया या उन्हें अवैतनिक अवकाश पर भेज दिया गया।

महामारी का रोज़गार पर प्रभाव

- महामारी के कारण बेरोज़गारी में तीव्र वृद्धि हुई है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, जुलाई-सितंबर, 2020 में शहरी बेरोज़गारी दर बढ़कर 13.3% हो गई, जबकि वर्ष 2019 की इसी अवधि में यह 8.4% थी।
- जुलाई-सितंबर, 2020 में सर्वाधिक बेरोज़गार 15-29 आयु वर्ग के युवा रहे। इस अवधि में इस आयु वर्ग के लोगों की शहरी बेरोज़गारी दर 27.7% रही।
- जुलाई-सितंबर, 2020 में महिलाओं की बेरोज़गारी दर 15.8 प्रतिशत थी। यह एक वर्ष पूर्व की समान अवधि की तुलना में 9.7 प्रतिशत अधिक है।

रोज़गार में वृद्धि की संभावना

- कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद बाज़ार ने बेहतर वापसी की है। देश की बड़ी आबादी का टीकाकरण होने के बाद संपर्क आधारित सेवा क्षेत्रों में भी उछाल आने लगा है और रोज़गार वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने लगा है।
- यद्यपि आर्थिक गतिविधियों में सुधार से मांग में सुधार होगा, तथापि कंपनियाँ कर्मियों की भर्ती करने से पहले उपस्थित मांग का आकलन करना चाहेंगी। इससे रोज़गार वृद्धि की गति धीमी रहने की संभावना है।
- रोज़गार वृद्धि की गति विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रह सकती है। अनौपचारिक क्षेत्र की अपेक्षा औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की वापसी तेज़ी से होगी। औपचारिक क्षेत्र में अधिक मांग वाले क्षेत्रों, जैसे– ई-कॉमर्स, आई.टी., सॉफ्टवेयर, फार्मा आदि में तीव्र उछाल की संभावना है, जबकि पारंपरिक क्षेत्रों, जैसे– बुनियादी ढाँचा, रियल स्टेट, मनोरंजन आदि के धीमे रहने की संभावना है।
- अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के रोज़गार में वापस लौटने में अधिक समय लग सकता है। अधिकांश श्रमिक महामारी के भय से घर से दूर नहीं जाना चाहते हैं। हालाँकि, टीकाकरण में वृद्धि से इनके भय में कमी आएगी।

सरकार के प्रयास

- **आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना–** यह योजना 1 अक्तूबर, 2020 को शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत किसी पंजीकृत प्रतिष्ठान में नवनियुक्त कर्मी के लिये आरंभिक 2 वर्षों तक 'कर्मचारी भविष्य निधि' की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे प्रतिष्ठान अधिक श्रमिकों को रोज़गार देने के लिये प्रोत्साहित होंगे।
- **मनरेगा–** महामारी के मद्देनज़र 1 अप्रैल, 2020 को सरकार द्वारा मनरेगा मज़दूरी में 20 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में मनरेगा के लिये 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किये थे तथा बाद में इसमें 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया।
- **स्वनिधि योजना (पीएम-स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि)–** इस योजना का प्रारंभ 1 जून, 2020 को किया गया था। इसके अंतर्गत देश के रेहड़ी-पटरी वाले छोटे विक्रेताओं को अपना काम नए सिरे से शुरू करने के लिये 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना–** सरकार ने इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले शिशु श्रेणी के ऋण पर 12 महीनों तक ब्याज में 2 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। ध्यातव्य है कि शिशु श्रेणी के ऋणों के अंतर्गत लाभार्थियों को 50,000 रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाता है।

निष्कर्ष

कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार रोज़गार के लिये बेहतर संकेत है। परंतु, रोज़गार का स्वरूप दीर्घावधिक बनाने के लिये न सिर्फ नीतिगत सुधारों की, बल्कि श्रमिकों के कौशल विकास की भी आवश्यकता है।

आर्थिक सुधारों को नई दिशा देने की आवश्यकता

संदर्भ

भारत के आर्थिक इतिहास में 1991 का वर्ष एक महत्त्वपूर्ण विभाजक वर्ष है। इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर भुगतान संकट का सामना कर रही थी। इस संकट के समाधान हेतु अर्थव्यवस्था में सुधार, पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण के लिये एक व्यापक आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किये गए। परिणामस्वरूप भारत आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगा।

महत्त्वपूर्ण निर्णय

- वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से आर्थिक उदारीकरण एवं बाज़ार आधारित आर्थिक विकास के नए युग का सूत्रपात हुआ। इस हेतु तात्कालिक नीतियों में तीन महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गए थे–
  - (i) लाइसेंस, नियंत्रण एवं परमिट व्यवस्था की व्यापकता में कमी की गई।
  - (ii) राज्य की भूमिका का पुनर्निधारण तथा निजी कंपनियों के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया।
  - (iii) अंतर्मुखी विदेशी व्यापार नीति के स्थान पर वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार के साथ एकीकृत होना
- वर्ष 1991 के सुधारों का नेतृत्व तत्कालीन वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया था। इन्होंने परिवर्तन की आवश्यकता स्पष्ट की तथा सुधारों का विवरण प्रस्तुत किया।

आर्थिक सुधारों का प्रभाव

- वर्ष 1991 में शुरू हुई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया कुछ परिवर्तनों के साथ अभी भी जारी है। इसका उद्देश्य देश में एक प्रतिस्पर्द्धी माहौल का निर्माण करना तथा उत्पादकता व दक्षता में सुधार करना था।
- आर्थिक उदारीकरण के परिणामों का आकलन करने के लिये तीन मानदंडों, यथा– विकास दर, चालू खाता घाटा तथा गरीबी में कमी का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।
  - (i) **विकास दर :** वित्त वर्ष 1992-93 से 2000-01 के मध्य साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में 6.20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। 2001-02 से 2010-11 के मध्य इसमें 7.69 प्रतिशत की दर से तथा 2011-12 से 2019-20 की अवधि में 6.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। 2005-06 से 2010-11 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत रही, जो विकास दर की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।
  - (ii) **चालू खाता घाटा :** उदारीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् भुगतान संतुलन की स्थिति बेहतर हुई। कुछ समय के लिये चालू खाता अधिशेष की स्थिति में भी रहा, लेकिन वित्त वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान चालू खाता घाटा 4 प्रतिशत से भी अधिक था। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हुई है और अगस्त 2021 के प्रथम सप्ताह में यह 621 अरब डॉलर तक पहुँच गया।
  - (iii) **गरीबी में कमी :** विकास के अतिरिक्त आर्थिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी लाना है। आर्थिक सुधारों के पश्चात् गरीबी के अनुपात में कमी देखी गई है। समग्र गरीबी अनुपात वित्त वर्ष 1993-94 के 45.3 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 37.2 प्रतिशत तथा 2011-12 में 21.9 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 2004-05 से 2011-12 के मध्य गरीबी अनुपात में प्रतिवर्ष 2.18 प्रतिशत की कमी आई है।
- आर्थिक सुधारों के बाद से वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान गरीबी अनुपात में अत्यधिक कमी आई। इस अवधि में ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना एवं विस्तारित खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम जैसी योजनाओं का भी गरीबी कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

निरंतरता की आवश्यकता

- सुधार प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिये। तीन दशकों से चल रही आर्थिक सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिये।
- नीति-निर्माताओं को उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिये, जिनमें प्रतिस्पर्द्धी को बढ़ावा देने व प्रदर्शन दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से हमें वित्तीय प्रणाली, विद्युत क्षेत्र और सुशासन पर पुनर्विचार करना होगा। इस हेतु केंद्र और राज्यों, दोनों को संयुक्त प्रयास करने होंगे।
- सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं के मात्रात्मक विस्तार के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। कोविड महामारी ने हमारी अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को उजागर कर दिया है।

निष्कर्ष

आर्थिक उत्पादकता व समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न सुधार किये जाने की आवश्यकता है। सुधार की प्रक्रिया के प्रभावी संचालन के साथ-साथ सामाजिक एकता व समानता को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण – 2019-20

संदर्भ

'सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' (MoSPI) ने हाल ही में जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान आयोजित किये गए 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (PLFS) के आँकड़े जारी किये। यह सर्वेक्षण श्रम बाज़ार संकट की वस्तुस्थिति को दर्शाता है। कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन के कारण विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई तथा जी.डी.पी. में भारी गिरावट आई।

पी.एल.एफ.एस. के प्रमुख संकेतक

- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)–** यह किसी अर्थव्यवस्था में कार्यरत या काम की तलाश करने वाली आबादी की माप होती है।
- **श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (WPR)–** यह किसी अर्थव्यवस्था में कार्यरत जनसंख्या की माप होता है।
- **बेरोज़गारी दर (UR)–** श्रम बल का वह हिस्सा, जो काम की तलाश में है, लेकिन काम पाने में असमर्थ है।
- पी.एल.एफ.एस. श्रमिकों के विभिन्न वर्गों की कमाई के आँकड़े भी प्रदान करता है।

गिरती बेरोज़गारी दर

- एल.एफ.पी.आर., डब्ल्यू.पी.आर. और यू.आर. को दो आधारों पर मापा जाता है। पहला, 'सामान्य स्थिति' और दूसरा 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति'।
- 'सामान्य स्थिति' में पिछले 365 दिनों के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधियों का आकलन किया जाता है, जबकि 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' के अंतर्गत पिछले सात दिनों की गतिविधियों का आकलन किया जाता है।

- सामान्य स्थिति से मापी गई बेरोज़गारी दर वर्ष 2017-18 में 6.1 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2019-20 में घटकर 4.8 प्रतिशत हो गई। इस गिरावट का कारण एल.एफ.पी.आर. का 36.9 प्रतिशत से बढ़कर 40.1 प्रतिशत होना तथा उसी अवधि के दौरान डब्ल्यू.पी.आर. का 34.7 प्रतिशत से बढ़कर 38.2 प्रतिशत होना था। तिमाही जी.डी.पी. संवृद्धि दर वर्ष 2018 के जनवरी-मार्च माह में 8.2 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2020 की इसी अवधि में घटकर 3.1 प्रतिशत हो गई।
- गौरतलब है कि वर्ष 2020 में अप्रैल-जून के दौरान अर्थव्यवस्था में 23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

कार्यबल संरचना

- पी.एल.एफ.एस. के अंतर्गत कार्यबल को स्वरोज़गार, नियमित वेतनभोगी/वेतनभोगी और अनियमित मज़दूर में वर्गीकृत किया जाता है। 'स्वरोज़गार' के अंतर्गत पारिवारिक उद्यम संचालित करने वाले निम्नलिखित लोगों को शामिल किया जाता है–
  - ऐसे लोग, जो अपने अधीन किसी को नियुक्त नहीं करते हैं; अथवा
  - ऐसे लोग, जो अपने अधीन किसी या कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं; अथवा
  - अवैतनिक सहायक, जैसे– परिवार के सदस्य आदि।
- पिछले तीन वर्षों में सभी श्रमिक श्रेणियों में से केवल 'अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों' के अनुपात में ही उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- वस्तुत: वर्ष 2018-19 के दौरान कार्यबल में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अवैतनिक पारिवारिक सहायकों को छोड़कर रोज़गार की अन्य सभी श्रेणियों के कार्यबल में गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान कार्यबल में हुई लगभग संपूर्ण वृद्धि कृषि क्षेत्र द्वारा समायोजित की गई थी।
- दरअसल, 'कृषि' एक ऐसे सिंक (Sink) की तरह कार्य करती है, जिसमें उस कार्यबल को अपने में 'समायोजित' कर लेने की क्षमता होती है, जो अन्यत्र रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाता है।

कार्यबल की बदलती संरचना

- कार्यबल की संरचना में परिवर्तन का एक 'लैंगिक' आयाम भी है। आँकड़े गवाह हैं कि अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है।
- महिलाओं की बेरोज़गारी दर में कमी इसलिये देखी जा रही है क्योंकि वे 'कृषि' जैसे घरेलू कार्य तथा अन्य छोटी उत्पादन गतिविधियों में अवैतनिक पारिवारिक सहायकों के रूप में समायोजित हो रही हैं।
- वर्तमान 'साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण' के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान अपरिवर्तित बेरोज़गारी दर 8.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया।

लॉकडाउन का प्रभाव

- अप्रैल-जून 2020 का पी.एल.एफ.एस. सर्वेक्षण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के साथ ओवरलैप हुआ। इस तिमाही में 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोज़गारी दर' 14 प्रतिशत तथा शहरी बेरोज़गारी दर लगभग 20 प्रतिशत थी।
- बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिये वेतनभोगियों की औसत मासिक आय में अप्रैल-जून 2019 की तुलना में अप्रैल-जून 2020 में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इसी अवधि में स्वरोज़गार करने वालों की मासिक आय में 16 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि आकस्मिक श्रमिकों के दैनिक वेतन में 5.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
- इस दौरान 'वास्तविक मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय' में भी 7.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वेतनभोगी श्रमिकों की औसत आय में वृद्धि और उपभोक्ता व्यय में कमी भी लॉकडाउन अवधि के अन्य आँकड़ों से मेल नहीं खाती है।
- वर्ष 2019 की तुलना में अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में निजी अंतिम उपभोग व्यय में 26.7 प्रतिशत की गिरावट आई है।

सांख्यिकीय प्रणाली को मज़बूत करना

- वर्ष 2011-12 के बाद के 'गरीबी' संबंधी, वर्ष 2013 के बाद के 'कृषि आय' संबंधी तथा प्रवासी श्रमिकों संबंधी कोई आधिकारिक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
- वर्ष 2017-18 के उपभोक्ता व्यय आँकड़े जारी करने पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है।
- इसके अलावा, वर्ष 2019 के जनवरी-दिसंबर माह में आयोजित किये गए 'कृषि परिवारों के स्थिति संबंधी सर्वेक्षण' के आँकड़े भी अभी तक जारी नहीं किये गए हैं।

आगे की राह

- भविष्य के पी.एल.एफ.एस. सर्वेक्षणों में मामूली बदलाव के साथ आँकड़ों के अंतराल को भरा जाना चाहिये।
- खेती व संबद्ध गतिविधियों में लागत और रिटर्न को भी शामिल करने से कृषि आय के अधिक सटीक आँकड़े प्राप्त किये जा सकते हैं।

आहार तथा चारा विकास संबंधी उप-मिशन

संदर्भ

हाल ही में, केंद्र सरकार ने 'आहार तथा चारा विकास संबंधी उप-मिशन' (Sub-Mission on Fodder and Feed) लॉन्च किया है।

उप-मिशन की आवश्यकता

- भारतीय किसानों के सामने एक बड़ी बाधा पशुओं के लिये किफायती व अच्छी गुणवत्ता वाले आहार और चारे की कमी की है।

- 'भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान' ने एक अध्ययन में पाया कि भारत में प्रति 100 किग्रा. पशु आहार में 23.4 किग्रा. सूखे चारे, 11.24 किग्रा. हरे चारे तथा 28.9 किग्रा. संकेंद्रित आहार (Concentrated Feed) की कमी है। इसीलिये भारतीय पशुधन की दुग्ध उत्पादकता वैश्विक औसत से 20 से 60 प्रतिशत तक कम है।
- यदि 'इनपुट लागत' का आकलन किया जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि दुग्ध उत्पादन में लागत का 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा आहार पर व्यय होता है।

उप-मिशन का महत्त्व

- इस उप-मिशन का महत्त्व इस तथ्य से रेखांकित होता है कि 'पशुधन' लगभग 13 करोड़ सीमांत किसानों के लिये नकद आय का प्रमुख स्रोत है और फसल नष्ट होने की स्थिति में यह एक 'बीमा' की भूमिका निभाता है।
- अच्छी गुणवत्ता-युक्त आहार और चारे की कमी से मवेशियों की उत्पादकता प्रभावित होती है।
- चूँकि लगभग 200 मिलियन लोग 'डेयरी और पशुपालन' के व्यवसाय में शामिल हैं, इसलिये यह योजना गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है।
- इसके अतिरिक्त, यह मिशन पशुओं के लिये 'चारे की कमी' की समस्या का भी समाधान करेगा। इससे न सिर्फ पशुधन को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा, बल्कि पशुपालन को एक प्रतिस्पर्द्धी उद्यम के रूप में भी स्थापित किया जा सकेगा।

संशोधित मिशन

- वर्ष 2014 में 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' आरंभ किया गया था। इसके तहत गैर-वन बंजर भूमि/घास भूमि से चारा उत्पादन करने तथा मोटे अनाजों की कृषि में किसानों की सहायता करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- हालाँकि मूल्य शृंखला में 'बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज' की कमी के कारण यह मॉडल चारे की कमी को पूरा नहीं कर सका। इसलिये मुख्य रूप से बीज उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आहार और चारा उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिये इस मिशन को संशोधित किया गया है।
- अब इस संशोधित मिशन में 'आहार और चारा उद्यमिता कार्यक्रम' के तहत लाभार्थियों को 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष पूँजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जबकि चारे के बीज उत्पादित करने वाले चिह्नित लाभार्थियों को 100 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान किये जाने की योजना है।

विशेषताएँ

- 'आहार और चारा पर उप-मिशन' उद्यमियों का एक नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अंतर्गत हरे चारे (साइलेज) के हब बनाए जाएँगे और उनके माध्यम से चारा व आहार की बिक्री सीधे किसानों को की जाएगी। दरअसल, 'साइलेज' से आशय 'लंबे समय तक संरक्षित किये गए हरे चारे' से है।
- यह इस विचार पर आधारित है कि 'हब के वित्त पोषण से स्पोक का विकास' होगा। अर्थात् यह व्यवस्था 'हब एंड स्पोक मॉडल' के आधार पर विकसित की जाएगी।
- साइलेज के बड़े पैमाने पर उत्पादन से किसानों की इनपुट लागत में कमी आएगी क्योंकि साइलेज 'कन्संट्रेट फीड' की तुलना में काफी सस्ता होता है।
- अध्ययनों से संकेत मिलता है कि चारे का उत्पादन करने वाला कोई भी व्यक्ति गेहूँ और चावल जैसे सामान्य अनाज में ₹1.20 की तुलना में ₹1 का निवेश करके ₹1.60 का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना के तहत निजी उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, डेयरी सहकारी समितियाँ और एन.जी.ओ. लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना के तहत चारा संबंधी बुनियादी ढाँचे का विकास किया जाएगा तथा लाभार्थी को साइलेज व आहार में मूल्यवर्द्धन करने संबंधी मशीनरी खरीदने के लिये ₹50 लाख तक की पूँजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- संशोधित मिशन के अन्य उद्देश्यों में उत्पादकता बढ़ाना, इनपुट लागत घटाना तथा बिचौलियों को दूर करना भी शामिल है।

लाभ

- चारा क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती यह है कि अच्छी गुणवत्ता वाला हरा चारा वर्ष में लगभग तीन माह तक ही उपलब्ध होता है। इसलिये, 'चारा उद्यमिता कार्यक्रम' के तहत किसानों को वर्ष भर आहार व हरे चारे की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- इसका मुख्य लक्ष्य किसानों को दो फसल मौसमों के मध्य हरा चारा उगाने में सक्षम बनाना है, ताकि चारा उद्यमी इसे साइलेज में परिवर्तित कर सकें तथा डेयरी किसानों के लिये गुणवत्ता-युक्त चारा सुनिश्चित करने के लिये सूखे आहार की कीमत के दसवें हिस्से पर इसे निकट के बाज़ारों में बेचा जा सके।

निष्कर्ष

विदित हो कि देश भर में साइलेज उद्यमिता के मॉडल पर आधारित कई स्टार्ट-अप्स सफल रहे हैं। चूँकि भारत में पशुओं की आबादी 535.78 मिलियन है, अतः इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किसानों का 'निवेश आधारित लाभ' बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निम्न संवृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति का चक्र

संदर्भ

कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगी तथा 'ग्रेट डिप्रेशन' की तरह वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था में पुनः उछाल आएगा।

उक्त तथ्य से असहमति के कारण

मांग में कमी

- 'ग्रेट डिप्रेशन' के पश्चात् द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण मांग का सृजन हुआ था। विशेषकर, संयुक्त राज्य अमेरिका विनाश से बचा हुआ था और उसने अपनी औद्योगिक क्षमताओं का उपयोग सहयोगी राष्ट्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया था।
- वर्तमान में, कोविड-19 महामारी के कारण मांग में कमी आई है, लेकिन मांग सृजन के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऐसा इसलिये है क्योंकि रोज़गार में कमी आई है और जहाँ रोज़गार प्रभावित नहीं हुए हैं, वहाँ वेतन में कटौती की गई है।
- इस निराशाजनक परिदृश्य में एकमात्र उम्मीद यह है कि पश्चिमी जगत ने अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के लिये व्यय में वृद्धि की है।
- भारतीय निर्यातकों के समक्ष 'माल ढुलाई की बढ़ती लागत' और 'कंटेनरों की अनुपलब्धता' एक प्रमुख बाधा है।

स्थिर संवृद्धि दर

- भारत विगत दो तिमाहियों से 'स्थिर संवृद्धि दर' या 'निम्न संवृद्धि दर' की समस्या से जूझ रहा है।
- जब प्रतिवर्ष संवृद्धि का मापन उसके ठीक पिछले वर्ष के आधार पर किया जाता है, तो उसे 'आधार प्रभाव' कहते हैं। इसका मापन प्रतिशत में किया जाता है।

उच्च मुद्रास्फीति के कारण

- भारत में 'आयातित वस्तुओं की उच्च कीमत' व 'उच्च परिसंपत्ति मूल्य' के कारण मुद्रास्फीति बढ़ रही है। यह वैश्विक स्तर पर 'अत्यधिक लचीली मौद्रिक नीति' के कारण हो रहा है।
- यू.एस.ए. जैसे विकसित पूँजी बाज़ार की तुलना में भारत के बाज़ार पूँजीकरण अपेक्षाकृत कम है, इसलिये यह परिसंपत्ति की कीमतों में वृद्धि के बिना भारी पूँजी प्रवाह को अवशोषित नहीं कर सकता है।
- मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग प्रतिगामी अप्रत्यक्ष करों और उच्च मुद्रास्फीति से प्रभावित होते हैं। साथ ही, उच्च मुद्रास्फीति के कारण उनकी संपत्ति का क्षरण भी होता है।
- विशेषतः निम्न-मध्यम वर्ग के मामले में मुद्रास्फीति घातक है क्योंकि उनकी किसी भी 'हार्ड एसेट' तक पहुँच नहीं होती है। इन हार्ड एसेट में 'सोना' सबसे मौलिक है।

ईंधन का मूल्य

- आपूर्ति शृंखला संबंधी बाधाओं के कारण भारत में मुद्रास्फीति बढ़ी है। कोविड-19 की वजह से इन बाधाओं और इनके प्रतिक्रियावादी उपायों को लागू करने के कारण आवश्यक वस्तुओं की लागत में वृद्धि हुई है।
- ईंधन पर सरकारों द्वारा उच्च करारोपण के कारण स्थिति और खराब हो गई है।
- ईंधन की बढ़ती कीमतें परिवहन लागत में वृद्धि करके समग्र अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को बढ़ाती हैं।
- इसके अतिरिक्त, ईंधन की कीमतों में वृद्धि से आम जनमानस के मासिक खर्च में भी वृद्धि होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिक्रिया

- 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (RBI) फिलहाल इसे प्राथमिकता नहीं दे रहा है। उसका कहना है कि मुद्रास्फीति की प्रकृति 'क्षणिक' होती है।
- आर.बी.आई. 'सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम' (G-SAP) के माध्यम से विस्तारवादी मौद्रिक नीति का पालन करते हुए तरलता बढ़ाने के लिये प्रयासरत है।
- ऐसे सरकारी बॉण्ड की ब्याज दरों को 6.0 प्रतिशत या उसके आस-पास रखने के लिये किया गया है।

1. ब्याज दर

- कोई भी केंद्रीय बैंक जब महसूस करता है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो उसके लिये एकमात्र समाधान तरलता को कड़ा करना होता है। इससे मुद्रा की लागत भी बढ़ती है।
- यदि वह मुद्रास्फीति को कम नहीं करता है, तो रेपो दरों को इस वर्ष के अंत में या आगामी वर्ष की शुरुआत में बढ़ाना होगा।
- मुद्रा आपूर्ति को कम करने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो अर्थव्यवस्था के बढ़ते क्षेत्रक को धीमा कर देता है।
- बढ़ती ब्याज दरों से देश में कुल मांग में कमी आती है, जिससे जी.डी.पी. प्रभावित होती है।

2. गैर-निष्पादित परिसंपत्ति

- बढ़ती ब्याज दर, घटती तरलता और कंपनियों को ऋण की पेशकश करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 'गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ' तेज़ी से बढ़ रही हैं।
- लघु और मध्यम स्तर का क्षेत्र 'मिंस्की मोमेंट' (Minsky Moment) का सामना कर रहा है। अर्थशास्त्री हाइमन मिंस्की द्वारा प्रतिपादित

'मिंस्की मोमेंट' के अनुसार, प्रत्येक क्रेडिट चक्र में तीन अलग-अलग चरण होते हैं।

- पहला चरण, बैंकरों द्वारा सावधानीपूर्वक उधार देने और जोखिम से बचने का होता है।
- दूसरा चरण, ऐसे भरोसेमंद देनदारों को उधार देने का होता है, जो मूलधन और उसके ब्याज का भुगतान कर सकते हैं।
- तीसरा चरण, संपत्ति की बढ़ती कीमतों के कारण उत्साह की स्थिति है, जहाँ बैंकर कर्जदारों को उधार देते हैं, चाहे उनमें ब्याज भुगतान की क्षमता हो या न हो।

मिंस्की मोमेंट (Minsky Moment)

- 'मिंस्की मोमेंट' संपत्ति की कीमतों में गिरावट का प्रतीक है, इससे आर्थिक जगत में भय का माहौल उत्पन्न हो जाता है और देनदार ब्याज एवं मूलधन का भुगतान करने में असमर्थता महसूस करते हैं।
- भारत अपने मिंस्की मोमेंट में पहुँच गया है। इसका अभिप्राय है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और कई अन्य बैंकों को अपने डूबे हुए कर्ज की भरपाई के लिये बड़ी पूँजी की आवश्यकता होगी।
- भारत में विगत 18 माह में कई बैंक और वित्तीय संस्थान डूब चुके हैं।

निष्कर्ष

- भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक निम्न संवृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति के दुष्चक्र में रहेगी, जब तक कि नीतिगत कार्यवाही उच्च मांग और संवृद्धि सुनिश्चित नहीं करती है।
- नीतिगत हस्तक्षेपों के अभाव में भारत 'के-शेप रिकवरी' की राह पर चलेगा, जहाँ कम कर्ज वाले 'बड़े कॉरपोरेट' छोटे और मध्यम क्षेत्रों की कीमत पर समृद्ध होंगे।

पूर्वव्यापी कर की समाप्ति

संदर्भ

मानसून सत्र, 2021 में केंद्रीय वित्तमंत्री ने एक 'कर संबंधी उपबंध' को रद्द करने के लिये लोकसभा में 'कराधान कानून (संशोधन) विधेयक' प्रस्तुत किया है, जो सरकार को 'पूर्वव्यापी कर' (Retrospective Tax) आरोपित करने की शक्ति प्रदान करता है।

पूर्वव्यापी कर

- एक पूर्वव्यापी कर वह होता है, जो लंबे समय बाद किसी 'लेनदेन पर' आरोपित किया जाता है। अर्थात् यह अतीत में किये गए लेनदेन पर एक 'नया या अतिरिक्त कर' हो सकता है।
- आदर्श रूप से पूर्वव्यापी कर को अतीत और वर्तमान की नीतियों में भिन्नता होने की स्थिति में पुरानी नीति के तहत भुगतान किये गए कर के रूप में जाना जाता है।
- पूर्वव्यापी कराधान एक राष्ट्र को वस्तुओं या सेवाओं या समझौतों पर कर लगाने के लिये नियम लागू करने की अनुमति देता है तथा इसे कानून पारित होने की तिथि से पहले के समय से कंपनियों पर आरोपित किया जाता है।
- उदाहरणार्थ, यदि किसी कानून में संशोधन करके किसी अतीत की तिथि से लागू कर दिया जाता है, तो इसे 'पूर्वव्यापी संशोधन' कहा जाता है। अत: पूर्वव्यापी कर का अर्थ है– कानून में संशोधन के माध्यम से अतीत की एक निर्दिष्ट तिथि से कर आरोपित किया जाना।
- भारत के अतिरिक्त, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि कई अन्य देशों ने कंपनियों पर पूर्वव्यापी कर आरोपित किये हैं।

संशोधन के कारण

- सरकार ने विभिन्न कंपनियों से 17 मामलों में कर की मांग की थी, लेकिन इनमें वोडाफोन और केयर्न कंपनियाँ ज़्यादा चर्चा में आईं। इसलिये इन दोनों कंपनियों ने द्विपक्षीय समझौतों के तहत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता (International Arbitration) की शुरुआत की थी।
- गौरतलब है कि वोडाफोन को ₹22,000 करोड़ के मामले में सितंबर 2020 में हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में जीत मिली। इसी तरह केयर्न एनर्जी कंपनी भी विजयी हुई।
- इस वर्ष केयर्न एनर्जी ने अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, मॉरीशस और नीदरलैंड के न्यायालयों में सरकारी स्वामित्व वाली एयर इंडिया के विमान जैसी अन्य भारतीय संपत्तियों की जब्ती के लिये आवेदन किया था।
- इसने फ्राँस में एक कानूनी आदेश भी प्राप्त किया था। इसके तहत पेरिस में लगभग 24 मिलियन डॉलर कीमत की भारतीय स्वामित्व वाली कुछ अचल संपत्ति जब्त की गई।
- हालाँकि, ये मामले अभी भी अपील के दायरे में हैं। इसलिये मध्यस्थता के मामलों में हार और केयर्न की विदेशों में भारत की संपत्ति की खोज ने सरकार को संशोधन के लिये मजबूर किया है।

भारत में विवादास्पद 'पूर्वव्यापी कर' का इतिहास

- वर्ष 2012 में 'संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन' (UPA) सरकार द्वारा पूर्वव्यापी कर का प्रावधान प्रस्तुत किया गया था।
- तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की पहल पर संसद में एक विधेयक पारित हुआ। इसके तहत 'केयर्न और वोडाफोन' जैसी कंपनियों को पूर्वव्यापी आधार पर कर-भुगतान करने के लिये बाध्य किया गया था।

- वस्तुतः यह 'आयकर अधिनियम, 1961' में किया गया एक संशोधन था, जिसे मई 2012 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। इससे सरकार को अधिकार मिला था कि वह कंपनियों से अधिनियम में संशोधन होने की तिथि से पूर्व हुए 'विलय और अधिग्रहण' पर भी करों की वसूली कर सकती थी।
- उस समय यू.के. स्थित टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने हॉन्गकॉन्ग की कंपनी हचिसन में 11 बिलियन डॉलर का निवेश कर 67 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी।
- इसके लिये भारत सरकार ने पूँजीगत लाभ में ₹7,990 करोड़ की मांग करते हुए कहा था कि कंपनी को हचिसन को भुगतान करने से पहले 'स्रोत पर कर भुगतान' करना चाहिये था।
- ऐसा ही एक अप्रत्यक्ष हस्तांतरण यू.के. स्थित केयर्न एनर्जी द्वारा किये गए वर्ष 2006 के आंतरिक कॉर्पोरेट पुनर्गठन के विरुद्ध भी किया गया था।

विधेयक के निहितार्थ

- विधेयक के अनुसार, "यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह के पूर्वव्यापी कर निश्चितता के सिद्धांत के खिलाफ हैं और एक आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाते हैं।"
- देश आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जब महामारी के पश्चात् अर्थव्यवस्था में तीव्र सुधार समय की मांग है और इसमें विदेशी निवेश की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

वैश्विक निवेशकों की प्रतिक्रिया

- विधेयक के अधिनियम बनने के पश्चात् केयर्न एनर्जी जैसी संस्थाएँ अपने शेयरधारकों को इस सुधार के प्रति आश्वस्त करें।
- भावी निवेशक महसूस कर सकते हैं कि अब सरकार ने पूर्वव्यापी रूप से कर आरोपित करने इरादा त्याग दिया है तथा सरकार ने पूर्वव्यापी कर को समाप्त करने की इच्छा भी दिखाई है क्योंकि इससे विदेशी निवेश के प्रवाह को नुकसान हो रहा है।

भारत में दलहन नीति की आवश्यकता

संदर्भ

- भारत सहित विश्व में कई दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। इन फसलों में चना, अरहर, मसूर, मटर आदि प्रमुख हैं। भारत में अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार, आहार में विभिन्न रंगो के खाद्य पदार्थों का बहुत महत्त्व है।
- 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को तीन रंग के भोजन (तिरंगा खाना) और वयस्कों को सात रंग के भोजन (सतरंगी खाना) की बात कही गई है। दालों का इसमें अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है।

भारत में दाल उत्पादन की स्थिति

- भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। दालों का उत्पादन अधिकांश योजनावधि में मांग की तुलना में कम रहा है, जिससे देश को बड़ी मात्रा में दालों का आयात करना पड़ा है।
- खाद्यान्न पदार्थों के लिये में अमेरिका पर निर्भर और अकाल से ग्रस्त भारत हरित क्रांति के परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर तो हो गया परंतु 'पोषण सुरक्षा' प्राप्त करना अभी शेष है।
- ध्यातव्य है कि देश की अधिकांश जनसंख्या 'प्रोटीन इन्फ्लेशन' के कारण प्रोटीन की कमी का सामना कर रही है।
- वर्ष 1950-51 से 2018-19 तक की योजनावधि में अनाज और दाल से संबंधित कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति के तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार, इस दौरान अनाज में गेहूँ का इंडेक्स 64 से बढ़कर 991 तक पहुँच गया, जबकि दालों का इंडेक्स 84 से बढ़कर मात्र 240 तक के स्तर तक ही पहुँच सका है।

मांग व आपूर्ति का अंतर

- मांग और आपूर्ति का अंतर मूल्यों पर दबाव डालता है और प्रोटीन के इस शाकाहारी स्रोत को सीमांत लोगों की पहुँच से बाहर कर देता है।
- वर्ष 2050 तक देश में 39 मिलियन टन दालों की आवश्यकता होगी। इसके लिये दालों के उत्पादन में 2.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई और दाल उत्पादन के लिये 16 राज्यों को इसमें शामिल किया गया।
- इस मिशन का उद्देश्य कृषि व संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर 4 प्रतिशत पर लाना था जो राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के उद्देश्यों के ही अनुरूप था।
- मांग व आपूर्ति के असंतुलन के कारण देश की दालों के आयात पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1980-81 में 0.7 मिलियन टन दालों का आयात किया गया, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 5.19 मिलियन टन हो गया।

आर्थिक प्रभाव

- देश में दालों के उत्पादन की तुलना में उपभोग अधिक होने के कारण दालों के आयात में वृद्धि हुई है, फलतः उपभोक्ता मांग बढ़ने के कारण आयात बिल में वृद्धि हो रही है।
- भारत में दालों के उत्पादन में धीमी वृद्धि के कारण दालों की प्रति व्यक्ति उत्पादकता में लगातार गिरावट आई है। देश में दालों की बढ़ती मांग के कारण विदेशी मुद्रा की खपत बढ़ी है, जो विदेशी मुद्रा भंडार पर एक भार है।

- हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात की जाए तो उसमें भी खाद्य पदार्थों में प्रोटीन इन्फ्लेशन एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर नीति-निर्माताओं को एक दीर्घकालिक नीति बनाने की आवश्यकता है।
- दालों के उत्पादन एवं भंडारण में सहकारिता मॉडल को विकसित कर किसानों को उपज का एक महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलिया दालों के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है।

कम उत्पादकता का कारण

- भारतीय कृषि उत्पादन काफी हद तक वर्षा पर निर्भर है और कुछ विशिष्ट दलहन फसलें केवल वर्षा आधारित क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं, जो दालों की कृषि को तुलनात्मक रूप से हतोत्साहित करती हैं।
- कुछ नीतिकारों के अनुसार, हरित क्रांति मूलत: उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई पर आधारित थी किंतु इसमें उन्नत बीज और उर्वरक पर सिंचाई की तुलना में अधिक निवेश किया गया। दीर्घकालिक परिणाम के रूप में सिंचाई परियोजनाओं पर निवेश दालों के उत्पादन में वृद्धि को और तीव्र करता।
- यही कारण है कि गंगा के मैदानों में अनाज व नकदी फसलें तेज़ी से उपजाई जा रही हैं, जबकि दालों को मध्य प्रदेश व राजस्थान के कम बंजर व कम सिंचाई सुविधा वाली भूमि पर उपजाया जा रहा है। यह किसानों में दालों के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं कर पाता है।
- हालाँकि, पिछले एक दशक में सिंचाई परियोजनाओं का काफी विकास हुआ है और प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जो भविष्य में दाल उत्पादक किसानों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है।
- विभिन्न योजनावधि में दालों के प्रति नीतिगत उपेक्षा, कम और अनिश्चित पैदावार, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादकता और दालों के जन-वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर आने जैसे कारणों से किसानों ने दाल उत्पादन पर अधिक महत्त्व नहीं दिया।
- दालें मूलत: जन-वितरण प्रणाली का हिस्सा नहीं रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप दालों के बफर स्टॉक पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। मूल्य निर्धारण के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था लागू की गई, उसका लाभ कुल 24 में से सीमित फसलों– विशेष तौर पर गेहूँ और चावल को ही मिल पाया।

दलहन का महत्त्व

- दाल उच्चस्तरीय प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। दालों में शरीर में कोशिकीय वृद्धि के गुणों वाले विभिन्न अमीनो अम्ल की उपस्थिति होने के कारण इनका सेवन किया जाता है। इनमें 'औषधीय गुण' भी होते हैं।
- दलहन के उत्पाद जैसे पत्ते, पॉड कोट और चोकर पशुओं को सूखे चारे के रूप में दिये जाते हैं। कुछ दलहनी फसलें जैसे चना, लोबिया, उरदबीन और मूंग को हरे चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है।
- मूंग के पौधों का उपयोग हरी खाद के रूप में भी किया जाता है जो मृदा स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ इसके पोषक तत्त्वों में वृद्धि करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की डिजिटल मुद्रा संबंधी योजना

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कहा था कि वह एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति के तहत 'केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा' (Central Bank Digital Currency - CBDC) की दिशा में कार्य कर रहा है। उद्योग क्षेत्र के हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन आर.बी.आई. द्वारा दिये गए कुछ बयानों ने 'बिटकॉइन, ईथर और डॉज कॉइन' जैसी आभासी मुद्राओं के भविष्य के बारे में चिंता भी बढ़ाई है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा

- सी.बी.डी.सी. उस नकदी से अलग नहीं है, जिसे हम अपने 'वॉलेट' में रखते हैं, सिवाय इसके कि यह डिजिटल रूप में मौजूद रहेगी।
- सी.बी.डी.सी. को एक डिजिटल वॉलेट में रखा जाएगा, जिसकी निगरानी केंद्रीय बैंक करेगा। हालाँकि, इस संबंध में यह अन्य बैंकों को कुछ शक्ति सौंप सकता है।
- फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि आर.बी.आई. भौतिक नकदी पर डिजिटल रुपए के प्रयोग को अनिवार्य करेगा या नहीं।
- अर्थव्यवस्था में नकद लेनदेन की प्रधानता को देखते हुए इस तरह के कदम की संभावना नहीं है।
- हालाँकि, ऐसा लगता है कि आर.बी.आई. भौतिक नकदी पर अपनी डिजिटल मुद्रा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये कदम उठाएगा।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि आर.बी.आई. का डिजिटल रुपया सीधे तौर पर बैंकों में रखे गए 'डिमांड डिपॉजिट' की जगह नहीं लेगा।
- बैंकों द्वारा भौतिक नकदी का प्रयोग जारी रहेगा, जो लोग बैंकों से नकदी निकालना चाहते हैं, वे अभी भी ऐसा कर सकते हैं। किंतु, वे अपनी बैंक जमाओं को नई डिजिटल मुद्रा में परिवर्तित करने का विकल्प चुन सकते हैं।

डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता

- केंद्रीय बैंकों का दावा है कि डिजिटल मुद्राओं की मांग बढ़ रही है, जिसे वे संतुष्ट करना चाहते हैं।

- वे बिटकॉइन जैसी निजी डिजिटल मुद्राओं के उदय और इस प्रवृत्ति के उदाहरण के रूप में डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रयोग की ओर इशारा करते हैं।
- केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं को निजी मुद्राओं के विपरीत विश्वसनीय और संप्रभु-समर्थित विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गौरतलब है कि निजी मुद्राएँ अपनी प्रकृति में अस्थिर और अनियमित होती हैं।
- हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि निजी मुद्राओं की मांग मुख्यत: उन लोगों द्वारा की जाती है, जो केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी फिएट मुद्राओं में विश्वास खो देते हैं।
- आलोचकों का यह भी तर्क है कि लगभग सभी सरकारें अपनी-अपनी मुद्राओं को अत्यधिक मात्रा में छापकर उनका अवमूल्यन कर रही हैं, जिससे कई लोग निजी मुद्राओं में स्विच करने पर मजबूर होते हैं, जिनकी आपूर्ति डिजाइन द्वारा सीमित होती है।
- उनका मानना है कि रुपया या अमेरिकी डॉलर जैसी राष्ट्रीय मुद्रा के मात्र डिजिटल संस्करण से निजी मुद्राओं की मांग को प्रभावित करने की संभावना नहीं है।

डिजिटल मुद्रा जारी करने के कारण

- केंद्रीय बैंक यह मानते हैं कि डिजिटल मुद्रा जारी करने की लागत भौतिक मुद्रा को मुद्रित और वितरित करने की लागत से काफी कम है।
- आर.बी.आई. डिजिटल मुद्रा का मुद्रण और वितरण लगभग शून्य लागत पर कर सकता है, क्योंकि इसका मुद्रण और वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
- डिजिटल मुद्रा की शुरुआत का एक अन्य संभावित कारण भौतिक मुद्रा के प्रयोग को कम करना हो सकता है।
- भौतिक नकदी के विपरीत (जिसका पता लगाना कठिन है) डिजिटल मुद्रा की निगरानी आर.बी.आई. द्वारा की जाएगी, जिसे आसानी से 'ट्रैक और नियंत्रित' किया जा सकता है।
- हालाँकि, डिजिटल मुद्रा की इस विशेषता ने उनकी गोपनीयता के बारे में विभिन्न चिंताओं को भी उजागर किया है, जिससे उनके अपनाने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है।
- वस्तुत: निजी डिजिटल मुद्राओं में स्विच करने के पीछे गोपनीयता की आवश्यकता प्राथमिक कारणों में से एक रही है।

डिजिटल मुद्रा से संबंधित चिंताएँ

- विभिन्न केंद्रीय बैंकरों सहित कई विशेषज्ञों को संदेह है कि लोग अपने बैंक खातों से पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी डिजिटल मुद्राएँ अधिक लोकप्रिय हो जाती हैं।
- गौरतलब है कि वर्तमान में बहुत से लोग अपने कैश को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिये बैंक खातों का उपयोग करते हैं।
- जब आर.बी.आई. द्वारा पेश किया गया डिजिटल वॉलेट उसी उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, तो लोग अपने बैंक जमा को डिजिटल कैश में परिवर्तित करना आरंभ कर सकते हैं।
- एक बात जो बैंक खातों से डिजिटल मुद्राओं में पूंजी के किसी भी बड़े हस्तांतरण को रोक सकती है, वह यह है कि बैंक खाते डिजिटल मुद्राओं के विपरीत जमा पर ब्याज प्रदान करते हैं।
- लेकिन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, जहाँ ब्याज दरें शून्य या नकारात्मक के करीब हैं, लोगों के बैंक खातों से डिजिटल मुद्राओं में पैसा निकालने का जोखिम वास्तविक है।
- यह भारत में बैंकों के लिये तात्कालिक चिंता का विषय नहीं हो सकता है, जो अभी भी अपने जमाकर्ताओं को सकारात्मक या कम से कम मामूली शर्तों में रिटर्न प्रदान करते हैं।

बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव

- बैंक जमा की निकासी भी बैंकों द्वारा सृजित ऋण राशि को प्रभावित कर सकती है।
- हालाँकि, यह सिर्फ इसलिये नहीं हो सकता है क्योंकि बैंकों के पास कर्ज़दारों को उधार देने के लिये कम नकदी जमा होगी।
- आम धारणा के विपरीत, बैंक वास्तविक नकद जमा को ऋण नहीं देते हैं। इसके बजाय, वे नकद जमा का प्रयोग एक आधार के रूप में करते हैं, जिस पर वे नकद जमा से कहीं अधिक इलेक्ट्रॉनिक ऋणों का पिरामिड बनाते हैं।
- इसलिये, बैंक अपने रिज़र्व में कम नकदी रखते हैं, जो कि उनके जमाकर्ता और उधारकर्ता उनसे वैसे भी मांग सकते हैं।
- जब ग्राहक अपने बैंक के पैसे को सी.बी.डी.सी. में परिवर्तित करेंगे तो बैंक कम ऋण देने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, ऋण के आधार में कमी आएगी।

भावी राह

- पहले से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्रीय बैंक सी.बी.डी.सी. के रूप में किसी व्यक्ति के पास रखी जाने वाली राशि की सीमा तय कर सकता है। यह बैंकों के जमाओं से बड़े पैमाने पर निकासी को रोकने के लिये होगा।
- कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कुछ केंद्रीय बैंक, जैसे कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक, अपनी डिजिटल मुद्राओं पर नकारात्मक जुर्माना भी लगा सकते हैं।
- यह लोगों को अपनी डिजिटल मुद्रा खर्च करने और नकारात्मक ब्याज दरों को लागू करने वाले बैंकों से जमा की निकासी को हतोत्साहित करने के लिये किया जा सकता है।

- केंद्रीय बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिये बैंकों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराना पड़ सकता हैं कि बैंकों की ऋण क्षमता जमाकर्ताओं की डिजिटल मुद्राओं से प्रभावित न हो।
- दिलचस्प बात यह है कि सी.बी.डी.सी. अंतत: इस महत्त्वपूर्ण भूमिका को संभाल सकते हैं, जो वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में नकदी भंडार निभाते हैं।
- ऐसा हो सकता है कि अधिक से अधिक भौतिक नकदी सी.बी.डी.सी. में परिवर्तित होकर ये बदले में बैंकों में जमा हो जाए।
- उस स्थिति में, सी.बी.डी.सी. और बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक ऋणों के मध्य का अंतर बहुत कम हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही मुद्रा के डिजिटल रूप होंगे।
- यह बैंक परिचालन के जोखिम को समाप्त कर सकता है क्योंकि बैंकों को अब ग्राहकों की नकद मांगों को पूरा नहीं करना पड़ेगा।
- लेकिन इससे बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर धन का सृजन भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें अब जमाकर्ता के जोखिम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब वे बहुत अधिक धन का सृजन करते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा

संदर्भ

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक की 'मौद्रिक नीति समिति' (MPC) ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में अर्थव्यवस्था की नीतिगत ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रिज़र्व बैंक ने अपने नीतिगत निर्णय लेने के दृष्टिकोण में भी कोई परिवर्तन नही किया है।
- गौरतलब है कि मौद्रिक नीति समिति द्वारा नीतिगत ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय 5-1 के बहुमत से लिया गया। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को भविष्य में निश्चित लक्ष्य के भीतर बनाए रखना है।
- इसके अंतर्गत रेपो दर को 4 प्रतिशत, रिवर्स रेपो दर को 3.35 प्रतिशत, सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर को 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है।

मौद्रिक नीति समीक्षा

- भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा प्रत्येक दो माह के उपरांत मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्त्वपूर्ण पक्षों का अवलोकन किया जाता है।
- इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें नीतिगत ब्याज दरों में परिवर्तन से संबंधित निर्णय लिये जाते हैं।

निर्णय की पृष्ठभूमि

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आर्थिक विकास एवं मुद्रास्फीति के संबंध में नीतिगत दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया जाता है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के आस-पास बनाए रखना है। इसमें 2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि या कमी हो सकती है अर्थात् यह 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के मध्य रह सकती है।
- रिज़र्व बैंक द्वारा आर्थिक विकास के संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नही किया गया है। वर्ष 2018 के बाद, जबसे शक्तिकांत दास ने रिज़र्व बैंक के गवर्नर का पद ग्रहण किया है, रिज़र्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति के स्थान पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
- इसके अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरों में कमी शामिल है। ऐसा संभवत: इसलिये किया जा रहा था कि मुद्रास्फीति रिज़र्व बैंक के सहज क्षेत्र में थी।
- वर्ष 2019 के अंतिम माह से मुद्रास्फीति की दर 6 प्रतिशत से अधिक रही है। ऐसी स्थिति में रिज़र्व बैंक के लिये ब्याज दरों में कटौती करना जटिल कार्य हो गया। ऐसा तब हुआ जब कोविड-19 महामारी से उपजी मंदी के संदर्भ में ऐसा किया जाना अपेक्षित था।
- नीतिगत दरों में कमी करने में असमर्थ केंद्रीय बैंक ने बाज़ार में तरलता में वृद्धि की थी। इसके पीछे रिज़र्व बैंक का उद्देश्य ऋण लेने वालों, चाहे वे छोटे व्यवसायी हों या बड़ी कंपनियाँ, को सक्षम बनाना था। रिज़र्व बैंक द्वारा बाज़ार में तरलता बढ़ाने से मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई, जो कि पहले से ही अधिक चल रही थी।
- रिज़र्व बैंक द्वारा बाज़ार में तरलता को बढ़ावा दिया गया। परंतु, आँकड़े बताते हैं कि बैंकों ने इस तरलता का एक बड़ा भाग 'रिवर्स रेपो रेट' के माध्यम से केंद्रीय बैंक के पास वापस कर दिया। इसका प्रमुख कारण था कि बैंक पहले से ही 'गैर-निष्पादित संपत्तियों' (NPA) का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, बैंक नए ऋणों का विस्तार नहीं करना चाहते हैं।
- बैंक इस बात को लेकर आशंकित हैं कि ऋण लेने वाले ऋण चुकाने में सक्षम होंगे या नहीं। इसके साथ ही वर्तमान में बाज़ार में मंदी के कारण ऋण की मांग में भी कमी आई है।
- गौरतलब है कि मौद्रिक नीति की समीक्षा के क्रम में रिज़र्व बैंक के सम्मुख संवृद्धि की धीमी गति एवं बढ़ती मुद्रास्फीति रूपी दो चुनौतियाँ मौजूद थीं। रिज़र्व बैंक को इस पर विचार करना था कि क्या उसे मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिये रेपो दर में वृद्धि करनी चाहिये या आर्थिक सुधार के उद्देश्य से इसे कम रखना चाहिये? इसी आलोक में रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।

मुद्रास्फीति एवं संवृद्धि दर में संबंध

- मुद्रास्फीति एवं संवृद्धि दर में एक सीमा तक प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। विकास दर में वृद्धि के लिये आवश्यक है कि उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए। उत्पादन में वृद्धि के लिये निवेश को बढ़ाना आवश्यक है।
- अत: निवेश में वृद्धि के लिये आवश्यक है कि ब्याज दरों में कमी की जाए। हालाँकि, यदि ब्याज दर में वृद्धि की जाती है तो संवृद्धि दर नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी।

निर्णय का मुद्रास्फीति पर प्रभाव

- मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना रिज़र्व बैंक की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। मई एवं जून माह में मुद्रास्फीति की दर 6 प्रतिशत से अधिक रही है। जबकि केंद्रीय बैंक ने इसे 'क्षणिक परिघटना' बताया है।
- आँकड़ों के अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कीमतों में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। गौरतलब है कि यह वृद्धि तब हो रही है, जब अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आई है तथा जब मांग में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति और बढ़ सकती है।
- यदि मुद्रास्फीति में कमी नहीं आती है, तो केंद्रीय बैंक दिसंबर 2021 या फरवरी 2022 की मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है।
- केंद्रीय बैंक के ब्याज दरों में वृद्धि न करने के निर्णय से ऋण लेने वालों को मदद मिल रही है। इससे उनके द्वारा ऋण के लिये भुगतान की जाने वाली वास्तविक ब्याज दर में कमी आती है।
- केंद्रीय बैंक के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में खुदरा मुद्रास्फीति के 5.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इसका तात्पर्य है कि सरकार को अब केंद्रीय बैंक से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये अधिक सहयोग की आशा नहीं करनी चाहिये।
- सरकार को यह स्वीकार करना चाहिये कि सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने कि प्राथमिक ज़िम्मेदारी उसकी है, न कि केंद्रीय बैंक की।

निर्णय का आर्थिक विकास पर प्रभाव

- केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति में महामारी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से विकास के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी है।
- इसने चालू वित्तवर्ष के लिये अपने संवृद्धि दर के अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है। इसने अपनी जून माह की समीक्षा में भी इसे 9.5 प्रतिशत ही रखा था।
- यदि भारत आर्थिक सुधार की सुदृढ़ स्थिति में होता तो केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये ध्यान केंद्रित कर सकता था। परंतु, केंद्रीय बैंक को संदेह है कि यदि वह मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यदि ब्याज दरों में वृद्धि करता है तो आर्थिक सुधार प्रभावित हो सकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान में देश संवृद्धि दर की कमी एवं बढ़ती मुद्रास्फीति रूपी दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। रिज़र्व बैंक की हाल ही में की गई मौद्रिक नीति समीक्षा में इसमें संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। परंतु, इसके लिये सारी ज़िम्मेदारी केंद्रीय बैंक पर ही नहीं डाली जा सकती। संवृद्धि दर को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा भी सकारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट – 2021

संदर्भ

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जुलाई, 2021 में जारी 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट, 2021 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिये भारत की विकास दर में कमी का अनुमान व्यक्त किया गया।
- उल्लेखनीय है कि 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट का प्रकाशन सामान्यत: वर्ष में दो बार होता है, यह रिपोर्ट निकट एवं मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

वैश्विक पूर्वानुमान

- इस रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में 6 प्रतिशत एवं वर्ष 2022 में 4.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है।
- उल्लेखनीय है कि अप्रैल, 2021 में भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यही अनुमान व्यक्त किये थे।

भारतीय जीडीपी के संबंध में पूर्वानुमान

- रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो कि अप्रैल माह में जारी रिपोर्ट में व्यक्त अनुमान से 3 अंक कम है।
- ध्यातव्य है कि अप्रैल, 2021 में मुद्रा कोष ने भारत की वृद्धि दर के 12.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। हालाँकि, मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये अपने अनुमान को परिवर्तित किया है।
- अप्रैल माह में मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये वृद्धि दर के 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था, जिसे जुलाई 2021 में जारी रिपोर्ट में बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

भारतीय जीडीपी के निम्न वृद्धि दर का कारण

- आई.एम.एफ. ने इस वर्ष मार्च-मई की अवधि में कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनज़र देश की विकास दर के अनुमान को कम किया है। इसने आर्थिक सुधार के लिये टीकाकरण को आवश्यक माना है।
- आई.एम.एफ. द्वारा भारत की अनुमानित वृद्धि दर में कमी का एक प्रमुख कारण टीकाकरण की रफ्तार का धीमा होना है।
- आई.एम.एफ. के आँकड़ों के अनुसार, उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे– भारत, इंडोनेशिया आदि में अभी तक कुल आबादी के लगभग 11 प्रतिशत लोगों का ही पूर्ण टीकाकरण किया गया है, जबकि अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं जैसे- अमेरिका एवं ब्रिटेन में यह लगभग 40 प्रतिशत है।
- विकास दर के अनुमानों में कमी का दूसरा प्रमुख कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को आवश्यक नीतिगत समर्थन का प्राप्त न होना है, जबकि अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों ने अपनी अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक समर्थन देने के उपाय किये हैं।
- सरकारों द्वारा अर्थव्यवस्था को नीतिगत समर्थन प्रदान करने के स्वरूप में भी अंतर है। प्रथम प्रकार के नीतिगत समर्थन में सरकारी व्यय में वृद्धि (जैसे– मनरेगा या सब्सिडी वाले खाद्य कार्यक्रमों या स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार) या सरकारी राजस्व में कमी (जैसे– उपभोक्ताओं या व्यवसायों को टैक्स में कमी या राहत प्रदान करना) कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है।
- द्वितीय प्रकार के नीतिगत समर्थन में सरकार (रिज़र्व बैंक सहित) अपने खजाने से सीधे खर्च करने की बजाय ऋण और क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। भारत सरकार ने द्वितीय प्रकार के उपायों का अधिक प्रयोग किया है। हालाँकि, सरकार का यह कदम उन अर्थशास्त्रियों के सुझाव के विपरीत है, जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष खर्च में वृद्धि को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये आवश्यक मानते हैं।

सुझाव

- अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिये कुछ अर्थशास्त्री सरकार द्वारा प्रत्यक्ष खर्च में वृद्धि को आवश्यक मानते हैं। इनका मानना है कि कोविड-19 महामारी के कारण आई आर्थिक गिरावट से काफी संख्या में लोगों ने नौकरियाँ तथा फर्मों ने व्यवसाय खोया है और लोगो की आय प्रभावित हुई है।
- इसके अतिरिक्त, निवेश की संभावना में भी कमी आई है। ऐसी स्थिति में सरकार ही एकमात्र इकाई है, जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकती है। यदि सरकार द्वारा उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए तो अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में देर लग सकती है।
- टीके के उत्पादन और वितरण संबंधी बुनियादी ढाँचे, कर्मियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों सहित स्वास्थ्य खर्च को राजकोषीय नीति में प्राथमिकता देना जारी रखना चाहिए, ताकि आर्थिक विकास को गति प्रदान किया जा सके।

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों का प्रभाव

संदर्भ

- वर्ष 1991 में आयात एवं औद्योगिक लाइसेंस के उन्मूलन के साथ भारत में आर्थिक सुधारों का दौर आरंभ हुआ, जिसके पश्चात् कई अन्य कानूनों और विनियमों को समाप्त कर दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में आंतरिक और बाहरी विश्वास की पुनर्बहाली के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी।

आर्थिक सुधारों से संबंधित धारणाएँ

- उद्योग जगत से निम्न दो प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सामने आईं–
  - (i) एक वर्ग ने आशंका व्यक्त की कि इससे अस्थिरता बढ़ेगी। उनका मानना था कि इससे आर्थिक उलटफेर होगा और अर्थव्यवस्था और अस्थिर होगी।
  - (ii) इसके अलावा दूसरे वर्ग ने उद्योगों पर प्रतिबंध हटाने का ज़ोरदार स्वागत किया। ये ऐसे कारोबारी घराने हैं, जो अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बच गए और समृद्ध हुए।

आर्थिक सुधारों का प्रभाव

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश

आर्थिक सुधारों से संयुक्त उद्यम (JV) के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हुआ। इन्होंने भारतीय भागीदारों पर पूरी तरह से ध्यान दिये बिना संयुक्त उपक्रमों को शीघ्रता से आरंभ करने के लिये आकर्षित किया, क्योंकि भारतीय कंपनियाँ नई तकनीकों और उत्पादों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये उत्सुक थीं।

उपभोक्ताओं की केंद्रीयता

- सुधारों ने उपभोक्ताओं को केंद्रीय स्थिति प्रदान की, जो वर्ष 1991 तक उपलब्ध नहीं थी।
- भारतीय उपभोक्ताओं को विकल्प दिये गए तथा विदेशी व भारतीय दोनों कंपनियाँ उनकी पहली पसंद बनना चाहती थीं।
- बाज़ार से नई मांग की वृद्धि ने परिदृश्य को बदल दिया तथा जी.डी.पी. ने प्रतिवर्ष लगभग 7 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की।

प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि

- पहली बार, भारतीय कंपनियों को अन्य भारतीय और विदेशी कंपनियों से वास्तविक प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ा।

- कुछ भारतीय कंपनियों ने 'लेवल प्लेयिंग फील्ड' की तलाश में स्वयं को समायोजित करने के लिये और समय मांगा। हालाँकि, कई कॉरपोरेट्स ने खुद को पुनर्गठित किया और प्रतिस्पर्द्धी ताकतों में परिवर्तित हो गए।
- कम सीमा शुल्क और औद्योगिक लाइसेंस के समाप्त होने से संरक्षण समाप्त हो गया तथा जो भारतीय कंपनियाँ, इन आर्थिक सुधारों की प्रतीक्षा कर रही थीं, उनके लिये ये बेहतर अवसर साबित हुआ।

सरकार और उद्योग जगत में सहयोग

- वर्ष 1991 में एक और महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। पहले सरकार और उद्योगों के मध्य अक्सर दूरी व्याप्त थी, किंतु अब सरकार-उद्योग साझेदारी एक वास्तविकता बन गई।
- संभवत: सुधारों द्वारा लाया गया यह सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन औद्योगिक 'आकांक्षाओं' से संबंधित था।
- विश्वस्तरीय होने का उत्साह और महत्त्वाकांक्षा थी और इसमें टी.सी.एस., इंफोसिस तथा विप्रो जैसी इकाइयों के नेतृत्व में आई.टी. उद्योग ने प्रमुख भूमिका निभाई।
- ये वैश्विक प्रतिस्पर्द्धियों के समक्ष खड़े रहे और सफल हुए। उन्होंने साबित किया कि भारतीय इंजीनियर और प्रबंधक दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं।

उद्यमिता और अवसंरचना क्षेत्र में अवसर

- वर्ष 1991 से एक और बड़ा परिवर्तन आया, जो उद्यमिता से संबंधित था। इसके अंतर्गत न केवल बड़े उद्योग, बल्कि छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योग भी इस नई ऊर्जा का हिस्सा बने।
- साथ ही, अवसंरचना क्षेत्रक जो हमेशा से सार्वजनिक क्षेत्र के संरक्षण में रहा है। इसमें भी परिवर्तन आया और निजी क्षेत्र को अपना योगदान देने के लिये आमंत्रित किया गया।
- इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिये नीतियाँ बनाई गईं।
- अब बुनियादी ढाँचे का स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन अकेले सरकार के पास नहीं रहा।

बैंकिंग क्षेत्रक

हालाँकि, वर्ष 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 1991 के सुधारों ने एक नए निजी क्षेत्र के बैंक (एच.डी.एफ.सी. बैंक) को जन्म दिया, जिसने सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों के पश्चात् वर्ष 1994 में अपना कार्य आरंभ किया।

निजी क्षेत्रक

- उद्योग के नेतृत्व वाली एक पहल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर पहली बार टास्क फोर्स के दिशा-निर्देश और रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद कई अन्य कार्यों और नीतियों का पालन किया गया।
- निजी क्षेत्र, जिसके प्रति वर्ष 1990 तक नजरिया बहुत अलग था, इसे सुधार प्रक्रिया के केंद्र में रखा गया। इसके पश्चात् यह क्षेत्रक लगातार विकास कर रहा है।

निष्कर्ष

विगत 30 वर्षों में भारतीय उद्योग क्षेत्र ने अपनी वैश्विक पहुँच का विस्तार किया है। इसके उत्पाद और सेवाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी रहे हैं। अत: कहा जा सकता है कि वर्ष 1991 से 2021 की अवधि परिवर्तनकारी साबित हुई है।

विकेंद्रीकृत खरीद योजना

संदर्भ

हाल ही में, खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण की संसदीय स्थायी समिति (स्टेडिंग कमेटी) ने 'विकेंद्रीकृत खरीद योजना' से अधिक-से-अधिक राज्यों को जोड़ने की सिफारिश की है।

विकेंद्रीकृत खरीद योजना

- 'विक्रेंदीकृत खरीद योजना' (Decentralized Procurement System – DCP) की शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा स्वयं खाद्यान्न की खरीद, संग्रहण और वितरण करना था। राज्य सरकारें अपनी लक्षित योजनाओं के तहत खाद्यान्नों की खरीद, संग्रहण और वितरण करती हैं।
- इसका दूसरा उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा अपने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत खरीदारी को बढ़ावा देना है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की परिवहन लागत में भी बचत होती है। साथ ही, राज्य सरकारों के पास बचे हुए खाद्यान्न को भारतीय खाद्य निगम (FCI) सेंट्रल पूल के लिये खरीद लेती है।
- डी.सी.पी. योजना के तहत अनाज की खरीद, संग्रहण और वितरण पर राज्य सरकारों द्वारा होने वाले व्यय के बराबर धनराशि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उपलब्ध करा दी जाती है।

लाभ

- एम.एस.पी. का भुगतान, संग्रहण के लिये स्थान की व्यवस्था, बारदाना और मज़दूरों के इंतजाम से बचने के लिये राज्य सरकारें डी.सी.पी. योजना में शामिल नहीं होना चाहती हैं।
- स्थायी समिति का मानना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मज़बूती प्रदान करने में डी.सी.पी. योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि इससे राज्य सरकारें अपने राज्य की उपज स्थानीय लोगों को वितरित कर सकेंगी।
- इससे लोगों को स्वाद व पोषण की आपूर्ति स्थानीय फसलों व अनाजों से की जा सकेगी, जिससे कुपोषण में कमी के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र को भी मज़बूती प्राप्त होगी।

इस योजना से जुड़े हुए राज्य

- इस योजना को शुरू होने के 23 वर्ष बाद भी अब तक डी.सी.पी. मोड के तहत 15 राज्य चावल तथा केवल 8 राज्य गेहूँ की खरीद व वितरण कर रहें हैं।
- उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, अंडमान निकोबार और त्रिपुरा चावल की खरीद व वितरण करते हैं, जबकि पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र गेहूँ की खरीद व वितरण करते हैं।

सुझाव

- केंद्र सरकार को सभी राज्यों को इस योजना से जोड़ने का प्रयास करना चाहिये। इससे वितरण पर होने वाले व्यय में अत्यधिक कमी आने के साथ-साथ एम.एस.पी. का लाभ भी अधिकांश घरों व किसानों तक पहुँच पाएगा।
- इसके लिये केंद्र सरकार व संबंधित मंत्रालय को एक तय समय-सीमा के भीतर राज्यों को आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करते हुए इस योजना में शामिल करने का प्रयास करना चाहिये।
- समिति के अनुसार, केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से बात करने और डी.सी.पी. मोड के तहत राज्यों के समक्ष आ रही समस्याओं को समझने और उनका निवारण करने की आवश्यकता है।
- समिति ने सरकार द्वारा समय-समय पर डी.सी.पी. योजना की समीक्षा करने पर भी बल दिया है। हालाँकि, नीति आयोग ने डी.सी.पी. योजना के कामकाज की समीक्षा के लिये एक मूल्यांकन सलाहकारी समिति का गठन किया है।

❐❐❐

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स

इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के ऐप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कूरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

9555-124-124, 7428085757 | Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

8 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट

संदर्भ

'जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल' (IPCC) ने अपनी छठी रिपोर्ट का प्रथम भाग जारी किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक 'क्लाइमेट चेंज 2021 : द फिजिकल साइंस बेसिस' है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के अनुसार, पृथ्वी की जलवायु निरंतर उष्ण हो रही है। ऐसे में, अनुमान है कि लगभग एक दशक में ही पृथ्वी का तापमान उस तापीय स्तर तक पहुँच जाएगा, जिस स्तर तक वैश्विक नेता रोकने की मांग कर रहे हैं।
- कुछ अध्ययनों के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2030 के दशक में 'वैश्विक उष्मण' में वृद्धि के कारण 'पृथ्वी का तापमान' निर्धारित तापीय सीमा '1.5 डिग्री सेल्सियस' को पार कर जाएगा। आँकड़ों से ज्ञात होता है कि हाल के वर्षों में वैश्विक उष्मण की दर में वृद्धि हुई है।

अलार्म बेल
खतरे की घंटी

जलवायु परिवर्तन पर गठित पैनल द्वारा प्रस्तुत पूर्वानुमानों पर एक नज़र

- **21वीं सदी के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया में हीट वेव्स और गर्मी की तीव्रता में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है।**
- **21वीं सदी के मध्य में एशिया क्षेत्र में उपस्थित हिमनदों के पिघलने की दर तीव्र होगी, जिससे हिमनदों की संख्या में कमी आएगी।**
- **दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ी हुई अंतर-वार्षिक परिवर्तनशीलता के कारण वार्षिक और ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा में वृद्धि होगी।**
- **एशियाई क्षेत्र में महासागरों का जलस्तर वैश्विक औसत की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे तट रेखा स्थल की ओर बढ़ रही है और तटीय क्षेत्र में कमी आ रही है।**
- **इस प्रकार गर्मी में अत्यधिक वृद्धि हो रही है साथ ही शीतकाल में भी तापमान बढ़ रहा है।**

- यदि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रभावी कमी नहीं की गई, तो पृथ्वी का तापमान पूर्व-औद्योगिक काल के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाएगा। परिणामस्वरूप हीट वेव्स, सूखा, तीव्र वर्षा जैसी घटनाओं की बारंबारता में वृद्धि होगी।
- हाल ही में, जलवायु परिवर्तन तेज़ी से तथा व्यापक स्तर पर हो रहा है। यदि वर्तमान परिस्थितियाँ यूँ ही चलती रही, इसके तीव्र होने की संभावना है।
- वैश्विक उष्मण के कारण समुद्री जल स्तर व हिमनदों के पिघलने की दर में वृद्धि हो रही हैं। इसके अलावा न सिर्फ सूखा, बाढ़, तूफान, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जैसी परिघटनाओं की आवृत्ति भी बढ़ रही है, बल्कि आर्कटिक समुद्री बर्फ और पर्माफ्रॉस्ट में भी कमी हो रही है।

अपरिवर्तनीय नुकसान

- जलवायु परिवर्तन के अनेक नकारात्मक प्रभाव होंगे, जैसे– हिम सतह का पिघलना, समुद्र के जल स्तर व महासागरों की अम्लीयता में वृद्धि होना आदि।
- इस सदी के मध्य तक समुद्र स्तर में 15 से 30 सेमी. की वृद्धि हो सकती है।
- सामान्यत: वैश्विक उष्मण के लिये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें ज़िम्मेदार होती हैं।

भविष्य के पाँच परिदृश्य

- रिपोर्ट में पाँच भावी परिदृश्यों की परिकल्पना की गई है, जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी करने पर केंद्रित हैं। ये हैं–
  1. अविश्वसनीय रूप से वृहद् और त्वरित प्रदूषण कटौती वाला भविष्य;
  2. तीव्र प्रदूषण में कटौती, किंतु वृहद् पैमाने पर नहीं;
  3. मध्यम उत्सर्जन वाला परिदृश्य;
  4. प्रदूषण में कमी करने वाली मौजूदा योजनाएँ जारी रहें;
  5. भविष्य में कार्बन प्रदूषण में निरंतर वृद्धि।

प्रभाव

- वैज्ञानिक बार-बार दोहराते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव एक सीमा के बाद ही शुरू नहीं होंगे, बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस उष्मण के अनुमानित प्रभाव 1.5 डिग्री सेल्सियस पर

भी मौजूद रहेंगे। ये प्रभाव वर्तमान में महसूस भी किये जा रहे हैं, लेकिन वैश्विक उष्मण में और वृद्धि होने से स्थिति अधिक बिगड़ सकती है।

- वैश्विक उष्मण की हर अतिरिक्त मात्रा के साथ जलवायु में व्यापक परिवर्तन होंगे। पृथ्वी के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वह कृषि और मानव, दोनों के लिये असहनीय हो जाएगी।
- वैश्विक उष्मण में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर दैनिक वर्षा की घटनाओं में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

भारत की स्थिति

- अन्य महासागरों की तुलना में हिंद महासागर अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से गर्म हो रहा है, जिसके कारण हीट वेव्स और बाढ़ जैसी घटनाओं में वृद्धि होने की संभावना है।
- वैश्विक उष्मण की वर्तमान प्रवृत्तियों के कारण भारत में औसत वार्षिक वर्षा में वृद्धि होने की संभावना है तथा आगामी दशकों में दक्षिणी भारत में भी वर्षा की मात्रा बढ़ सकती है।
- समुद्र के गर्म होने से उसके जल स्तर में वृद्धि होगी, जिससे तटीय क्षेत्रों में बार-बार और भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त, भारत की 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर भी जल स्तर में होने वाली वृद्धि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- समुद्री जलस्तर में 50 सेमी. की वृद्धि होने पर चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, सूरत और विशाखापत्तनम जैसे बंदरगाह शहरों के करीब 28.6 मिलियन लोग तटीय बाढ़ से प्रभावित होंगे।
- भारत और दक्षिण एशिया में मानसून की चरम सीमा बढ़ने तथा कम तीव्र वर्षा वाले दिनों की आवृत्ति के बढ़ने की भी संभावना है।
- 21वीं सदी के अंत तक भारत में मानसून की अवधि लंबी होने का अनुमान है। साथ ही, दक्षिण एशियाई मानसूनी वर्षा में वृद्धि होने का भी अनुमान है।

रिपोर्ट के नए अनुमान

- आई.पी.सी.सी. कई वर्षों से तत्काल जलवायु कार्रवाई का आह्वान कर रहा है। इसने पहली बार यह जवाब देने की भी कोशिश की है कि तत्काल कार्रवाई के लाभ परिलक्षित होने में लगभग कितना समय लगेगा।
- सरकारों के सामने एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या निकट भविष्य में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के कोई ठोस परिणाम संभव हैं।
- छठी आकलन रिपोर्ट ने उक्त प्रश्न का व्यापक उत्तर नहीं दिया है, लेकिन यह सुझाव दिया है कि उत्सर्जन में कमी के परिणाम 10-20 वर्षों में दिखने शुरू हो जाएंगे।
- रिपोर्ट में एक नए तत्त्व 'कंपाउंड इवेंट' की भी चर्चा है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक जलवायु परिवर्तन-प्रेरित घटनाएँ एक के बाद एक घटित हो रही हैं। ये घटनाएँ या तो एक-दूसरी को 'ट्रिगर' कर रही हैं या एक साथ घटित हो रही हैं।
- उत्तराखंड में हाल की घटना, जिसमें भारी वर्षा, भूस्खलन, हिमस्खलन और बाढ़ शामिल है, ये कंपाउंड इवेंट का एक अच्छा उदाहरण हैं।
- 'ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट' हिमालय क्षेत्र में घटित होने वाली एक सामान्य परिघटना है। यह भी एक 'कंपाउंड इवेंट' का एक उदाहरण है क्योंकि यह भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उत्पन्न होती है।
- 'कंपाउंड इवेंट' कई गुना घातक हो सकते हैं। यदि कुछ घटनाएँ एक साथ होती हैं, तो वे एक-दूसरे का प्रभाव बढ़ाते हुए एक-दूसरे को ऊर्जा प्रदान करती हैं। फलतः लोगों को संभलने का बेहद कम समय मिल पाता है।
- यदि वैश्विक उष्मण में वृद्धि होती है तो कंपाउंड इवेंट की बारंबारता में भी वृद्धि होगी।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)

- प्रत्येक 6-7 वर्षों में जलवायु परिवर्तन पर 'अंतर-सरकारी पैनल' (IPCC) आकलन रिपोर्ट तैयार करता है, जो पृथ्वी की जलवायु का सबसे व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन होता है।
- इसकी स्थापना 'विश्व मौसम विज्ञान संगठन' (WMO) और 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (UNEP) द्वारा वर्ष 1988 में की गई थी।
- आई.पी.सी.सी. स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान में संलग्न नहीं है, बल्कि यह विश्व के वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन संबंधी सभी प्रासंगिक मुद्दों का अध्ययन करने और तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिये आग्रह करता है।
- 'आकलन रिपोर्ट' जलवायु परिवर्तन के बारे में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक राय होती है।
- इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये सरकारी नीतियों को आधार बनाया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता के लिये वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाता है।
- अब तक पाँच आकलन रिपोर्ट जारी की जा चुकी हैं। प्रथम रिपोर्ट वर्ष 1990 में जारी की गई थी। पाँचवीं आकलन रिपोर्ट वर्ष 2014 में पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिये जारी की गई थी।
- हाल में, आई.पी.सी.सी. ने अपनी छठी आकलन रिपोर्ट (AR 6) का पहला भाग जारी किया है, जबकि बाकी के दो हिस्से आगामी वर्षों में जारी किये जाएंगे।

- आई.पी.सी.सी. रिपोर्ट वैज्ञानिकों के तीन कार्य समूहों द्वारा तैयार की जाती है–
  1. **वर्किंग ग्रुप-I :** यह जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार से संबंधित है, जो रिपोर्ट हाल में जारी हुई है।
  2. **वर्किंग ग्रुप-II :** यह संभावित प्रभावों, कमजोरियों और अनुकूलन के मुद्दों को संबोधित करता है।
  3. **वर्किंग ग्रुप-III :** यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये किये जाने वाले कार्यों से संबंधित है।

कीटनाशकों का मधुमक्खियों पर प्रभाव

संदर्भ

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों पर मानवजनित दुष्प्रभावों का अध्ययन किया है। दुनिया भर में परागणकों की प्रजातियों में लगातार कमी आ रही है, जो खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकतंत्र के लिये चिंता का विषय है।

कीटनाशकों का मधुमक्खियों पर दुष्प्रभाव

- पिछले 20 वर्षों के अध्ययनों के विश्लेषण के आधार पर कृषि में प्रयुक्त रसायनों से मधुमक्खी के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाया। इसमें जिन प्रमुख बातों का अध्ययन किया गया, उनमें मधुमक्खियों का भोजन के लिये घूमना, उनकी स्मरण क्षमता, कॉलोनी प्रजनन, स्वास्थ्य आदि शामिल हैं।
- शोध के अनुसार, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशकों के संपर्क से मधुमक्खियों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है तथा कीटनाशकों के खतरों को कम करके आँका गया है।
- अध्ययन में पाया गया कि कीटनाशकों के परस्पर क्रिया करने की आशंका भी होती है। इससे मधुमक्खियों की मृत्यु की संभावना काफी बढ़ जाती है।

परागकणों के विलुप्त होने का कारण

- मधुमक्खियों की छह प्रजातियों में से एक, दुनिया में कहीं न कहीं क्षेत्रीय रूप से विलुप्त हो चुकी है। परागकणों के विलुप्त होने का मुख्य कारण निवास स्थान का क्षरण और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग माना जाता है। यह अध्ययन 'नेचर' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।
- इसके अलावा, वर्तमान कानूनी प्रक्रिया भी मधुमक्खियों को कृषि रसायनों के हानिकारक प्रभावों से बचाने में सक्षम नहीं हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव

- अध्ययन में कहा गया है कि यदि रसायनों के हानिकारक प्रभाव का उचित समाधान नहीं किया गया, तो मधुमक्खियों की संख्या और उनकी परागण क्रिया में निरंतर गिरावट आएगी। परिणामस्वरूप मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा।
- परागण करने वाले कीटों को कृषि से उत्पन्न खतरों का सामना करना पड़ता है। इन खतरों में कवकनाशकों व कीटनाशकों का प्रयोग, जंगली फूलों में पराग और रस की कमी आदि शामिल हैं।
- मधुमक्खियों के अतिरिक्त, ऐसे अन्य परागणकों पर अधिक शोध करने की आवश्यकता है, जो अपेक्षाकृत अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मानव उपभोग के लिये फल और बीज पैदा करने वाली दुनिया की लगभग 75 प्रतिशत फसलें परागणकों पर निर्भर करती हैं। इनमें मुख्यत: कोको, कॉफी, बादाम, चेरी इत्यादि शामिल हैं।
- वर्ष 2019 में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि दुनिया भर में सभी कीट प्रजातियों में से लगभग आधी प्रजातियों की संख्या घट रही हैं और सदी के अंत तक करीब एक-तिहाई प्रजातियाँ पूर्णत: विलुप्त हो सकती हैं।
- 'मधुमक्खियाँ और अन्य परागणकर्ता' फसलों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं। दुनिया भर में कीटों की आबादी में हो रही भारी गिरावट से खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव

संदर्भ

हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण बाँझपन में वृद्धि हो रही है।

जलवायु परिवर्तन और प्रजनन क्षमता

- जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता पर असर पड़ रहा है। तापमान बढ़ने से बहुत-से जीवों की प्रजनन क्षमता में गिरावट आ रही है और उनमें बाँझपन की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
- यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के पारिस्थितिकीविदों ने एक नए अध्ययन में चेताया है कि कुछ प्रजातियों के नर समुदाय में गर्मी के कारण बाँझपन आ सकता है। ऐसे में, जलवायु परिवर्तन ने इस संभावना को और अधिक बढ़ा दिया है।
- जीवों की तापमान सहने संबंधी क्षमता पर शोध किया गया। इससे तापमान वृद्धि के कारण जीवों में होने वाली प्रजनन संबंधी समस्या के बारे में भी पता चला है।

शोध के परिणाम

- शोध में प्रकाशित 43 फ्रूट फ्लाई (ड्रोसोफिला) प्रजातियों के अध्ययन से पता चला कि लगभग आधी प्रजातियों के नरों में

तापमान वृद्धि के कारण बाँझपन की समस्या उत्पन्न हो रही है। उदाहरण के लिये, तापमान में चार डिग्री या उससे अधिक वृद्धि होने पर 'ड्रोसोफिला लुमेई' की नर प्रजाति में बाँझपन की समस्या आ जाती है। उत्तरी इंग्लैंड और फ्राँस के दक्षिण में गर्मियों में तापांतर चार डिग्री होता है।

- हालाँकि, यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि कौन-से जीव अत्यधिक तापमान पर भी प्रजनन करने में सफल होंगे और कौन-से ठंडे तापमान पर प्रजनन करने ने विफल हो जाएंगे। अत: बहुत-सी प्रजातियों में उच्च तापमान सहने की क्षमता हो सकती है। इससे संरक्षण की प्रक्रिया बाधित होगी क्योंकि यह अनुमान लगाना कठिन है कि पृथ्वी के गर्म होने पर कितनी प्रजातियाँ यह क्षमता विकसित कर सकेंगी।
- जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान वृद्धि से प्रजनन क्षमता में होने वाली कमी जैव-विविधता के लिये गंभीर खतरा साबित होगी। सूअर, शुतुरमुर्ग, मछली, फूल, मधुमक्खी, इंसान आदि में उच्च तापमान के कारण प्रजनन क्षमता में होने वाली क्षति के विषय में पहले से जानकारी उपलब्ध है।
- 'नेचर क्लाइमेट चेंज' में प्रकाशित यह अध्ययन जलवायु परिवर्तन के कारण जैव-विविधता को होने वाले नुकसान को बेहतर ढंग से समझने के लिये और शोध करने की आवश्यकता पर बल देता है।

सुझाव

- वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के कारण प्रजातियों को होने वाले नुकसान और उसके प्रभाव का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके संरक्षण की प्रभावी रणनीति बनाई जा सके।
- तत्काल उन जीवों को भी सूचीबद्ध किये जाने की आवश्यकता है, जो बढ़ते तापमान की स्थिति में भी प्रजनन क्षमता को बनाए रख सकते हैं।
- बुनियादी अनुवांशिकी और शरीर क्रिया विज्ञान को भी समझने की आवश्यकता है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि कौन-से जीव असुरक्षित हैं।

जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में ओज़ोन संधि

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये 'किगाली संशोधन' के अनुसमर्थन को स्वीकृति दे दी है। यह 'ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों' को प्रतिबंधित करने के लिये 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' में किया गया एक संशोधन है। यह संशोधन अक्तूबर 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक में अपनाया गया था।

आवश्यकता

- किगाली संशोधन का उद्देश्य 'एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और फर्निशिंग फोम' उद्योग में एच.एफ.सी. के प्रयोग को क्रमिक रूप से समाप्त करना है। एच.एफ.सी. उत्सर्जन वैश्विक उष्मण के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड से भी प्रभावशाली माना जाता है।
- 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (UNEP) के अनुसार, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली 22 एच.एफ.सी. की औसत वैश्विक उष्मण क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 2,500 गुना अधिक होती है।
- उक्त संशोधन वर्ष 2019 की शुरुआत से ही लागू हो गया है, लेकिन इसके अनुसमर्थन का निर्णय इस वर्ष नवंबर में ग्लासगो में होने वाले 'वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन' की पृष्ठभूमि में किया गया है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

- वर्ष 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऊपरी वायुमंडल की ओज़ोन परत को संरक्षित करने के लिये किया गया था।
- यह समझौता मूलत: जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध नहीं, बल्कि ओज़ोन परत के संरक्षण के लिये किया गया था। इस समझौते के अंतर्गत वायुमंडल की ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाली 'क्लोरोफ्लोरोकार्बन' (CFC) गैस को प्रतिबंधित किया गया था।
- वस्तुत: सी.एफ.सी. के व्यापक प्रयोग से ओज़ोन परत का ह्रास हुआ और अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर एक वृहत् 'ओज़ोन छिद्र' का निर्माण हो गया था।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने सी.एफ.सी. तथा अन्य 'ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों' (ODS) का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया था।
- सी.एफ.सी. को क्रमश: हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC) व एच.एफ.सी. (HFC) से प्रतिस्थापित किया गया। ओज़ोन परत पर इन दोनों गैसों का नकारात्मक प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ता है।

एच.एफ.सी. गैस

- एच.एफ.सी. गैस ओज़ोन परत के लिये तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन यह एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। नई सहस्राब्दी में वैश्विक उष्मण सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ऐसी में, एच.एफ.सी. के ने भी चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी।
- एच.एफ.सी. अभी भी कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन एयर कंडीशनिंग की बढ़ती मांग के कारण इसका उपयोग प्रतिवर्ष लगभग 8 प्रतिशत बढ़ रहा है।
- चूँकि एच.एफ.सी. ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थ नहीं है, इसलिये इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया है। बल्कि वर्ष 1997 के 'क्योटो प्रोटोकॉल' और वर्ष 2015 के 'पेरिस समझौते' के तहत इसे कम करने की मांग की गई थी।

- 'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल' जलवायु परिवर्तन समझौतों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और सफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 98.6 प्रतिशत 'ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थों' को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा चुका है।
- तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उपयोग एच.एफ.सी. को भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये किया जाए। इसके लिये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन की आवश्यकता थी।

किगाली संशोधन

- वर्ष 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित पदार्थों की सूची में एच.एफ.सी. को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई और इसके क्रमिक समापन के लिये एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया।
- इस सदी के मध्य से पहले, एच.एफ.सी. के वर्तमान उपयोग को कम से कम 85 प्रतिशत तक कम करना है। ऐसा करने के लिये विभिन्न देशों अलग-अलग समय-सीमाएँ नियत की हैं।
- भारत को यह लक्ष्य वर्ष 2047 तक, विकसित देशों को वर्ष 2036 तक तथा चीन व कुछ अन्य देशों वर्ष 2045 तक प्राप्त करना है।
- विकसित देश को इसमें कटौती तुरंत शुरू करनी होगी, जबकि भारत तथा कुछ अन्य देश वर्ष 2031 से अपने एच.एफ.सी. उपयोग में कटौती शुरू करेंगे।
- यदि यह समझौता सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो किगाली संशोधन से इस सदी के अंत तक वैश्विक उष्मण में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि रोकने में सहायता मिलेगी।
- सी.एफ.सी. ओज़ोन-क्षयकारी होने के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैस भी है। वर्ष 1990 से 2010 के मध्य इसे समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार, करीब 135 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष उत्सर्जन को पहले ही टाल दिया गया।
- यह मौजूदा वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का तीन गुना है। यू.एन.ई.पी. का अनुमान है कि किगाली संशोधन के माध्यम से इस सदी के अंत तक 420 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन को टाला जा सकता है।

भारत के प्रयास

- भारत ने किगाली संशोधन संबंधी बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी। इस समझौते को घरेलू उद्योगों के लिये महत्त्वपूर्ण माना गया क्योंकि उद्योग अभी भी एच.सी.एफ.सी. से एच.एफ.सी. को अपनाने के लिये संक्रमण प्रक्रिया में हैं।
- गौरतलब है कि एच.एफ.सी. का जलवायु-अनुकूल विकल्प अभी तक कम लागत पर व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- किगाली संशोधन के मुख्य वास्तुकारों में से एक होने के बावजूद भारत इसकी पुष्टि करने वाला अंतिम प्रमुख देश है।
- हालाँकि, भारत ने शीतलन उद्योग के लिये एक 'महत्त्वाकांक्षी कार्य योजना' का अनावरण किया, जो एच.एफ.सी. के प्रयोग को समाप्त करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

'इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान'

- वर्ष 2019 में जारी 20 वर्षीय 'इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान' (ICAP) कूलिंग को 'विकासात्मक आवश्यकता' के रूप में वर्णित करता है और सतत् कार्यों के माध्यम से 'भवनों से लेकर कोल्ड-चेन' तक कूलिंग में बढ़ती मांग को पूरा करने का प्रयास करता है।
- योजना का अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में राष्ट्रीय शीतलन मांग आठ गुना तक बढ़ जाएगी, इसके परिणामस्वरूप एच.एफ.सी. के उपयोग में शामिल रेफ्रिजरेटर्स की मांग में पाँच से आठ गुना तक वृद्धि होगी।
- आई.सी.ए.पी. का लक्ष्य अगले 20 वर्षों में रेफ्रिजरेटर्स की मांग को 25 से 30 प्रतिशत तक कम करना है।
- आई.सी.ए.पी. के एक भाग के रूप में सरकार ने एच.एफ.सी. के कम लागत वाले विकल्प विकसित करने के उद्देश्य से 'लक्षित अनुसंधान एवं विकास प्रयासों' की घोषणा भी की है।
- हैदराबाद स्थित 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी' और आई.आई.टी. बॉम्बे में इस तरह के प्रयास पहले से ही संचालित हो रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की रिपोर्ट

संदर्भ

'जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल' (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) अपनी छठी आकलन रिपोर्ट का पहला भाग जारी करेगा। इस संस्था की 'आवधिक स्थिति जाँच रिपोर्ट' पृथ्वी की जलवायवीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे स्वीकृत स्रोत बन गया है।

रिपोर्ट की पृष्ठभूमि

- विगत कुछ सप्ताह में यूरोप और चीन में बाढ़ की अप्रत्याशित घटनाएँ देखी गई हैं। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हीट वेव्स तथा साइबेरिया, तुर्की और ग्रीस में भयंकर दावानल की घटनाएँ भी सामने आई।
- इस तरह की चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता निरंतर बढ़ रही हैं। इससे वैश्विक उष्मण की स्थिति भी विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में वैज्ञानिक 'पृथ्वी के जलवायवीय स्वास्थ्य' की व्यापक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

- रिपोर्ट का दूसरे और तीसरे भाग आगामी वर्षों में जारी किये जाएंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणामों और सबसे बुरे प्रभावों को रोकने संबंधी आवश्यक कदम सुझाए जाएंगे।

मूल्यांकन रिपोर्ट

- वर्ष 1988 में आई.पी.सी.सी. की स्थापना के उपरांत, जो विगत पाँच मूल्यांकन रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं को आधार बनाया है।
- वैश्विक तापमान में वृद्धि को कम करने के लिये विगत तीन दशकों में विश्व के सभी देश प्रयास कर रहे हैं।
- इन रिपोर्ट्स के महत्त्व को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया तथा वर्ष 2007 में आई चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट की उपयोगिता के आधार आई.पी.सी.सी. को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
- ये सभी रिपोर्ट्स वर्ष 1990 से यह स्पष्ट कर रही हैं कि 1950 के दशक के पश्चात् से वैश्विक तापमान में वृद्धि का सर्वप्रमुख कारण मानवीय गतिविधियाँ रही हैं।

आई.पी.सी.सी. द्वारा पूर्व में जारी आकलन रिपोर्टों के प्रमुख बिंदु

प्रथम रिपोर्ट, *1990*

- मानव गतिविधियों के कारण होने वाले उत्सर्जन से ग्रीनहाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि हो रही है।
- 100 वर्षों में वैश्विक तापमान में 0.3-0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2025 तक वैश्विक तापमान में पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2° सेल्सियस और 2100 तक 4° सेल्सियस वृद्धि की संभावना है।
- वर्ष 2100 तक समुद्र के स्तर में 65 सेमी. वृद्धि की संभावना है।
- रिपोर्ट ने वर्ष 1992 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र फेमवर्क कन्वेंशन के लिये आधार प्रस्तुत किया।

द्वितीय रिपोर्ट, *1995*

- पूर्व के अनुमान को संशोधित करते हुए वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में 3° सेल्सियस एवं समुद्र के स्तर में 50 सेमी. वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई।
- रिपोर्ट ने वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के लिये वैज्ञानिक आधार प्रदान किया

तृतीय रिपोर्ट, *2001*

- पूर्व में अनुमानित तापमान वृद्धि में संशोधन करते हुए 1990 की तुलना में 2100 तक 1.4-5.8° सेल्सियस अनुमानित किया गया।
- 1990 की तुलना में वर्ष 2100 तक समुद्र के जल स्तर में 80 सेमी. की वृद्धि अनुमानित की गई।
- चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता एवं अवधि में वृद्धि।
- मानव गतिविधियों के कारण वैश्विक तापन में वृद्धि के मज़बूत सबूत प्रस्तुत किये।

चौथी रिपोर्ट, *2007*

- वर्ष 1970 से 2004 के मध्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2005 में कार्बन-डाई-ऑक्साइड की वायुमंडलीय सांद्रता (379 ppm) सर्वाधिक रही।
- सबसे विषम स्थिति में, वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान में पूर्व औद्योगिक स्तर से 4.5° सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।
- समुद्र के जल स्तर में 1990 की तुलना में 60 सेमी. (वर्ष 2100 तक) की वृद्धि हो सकती है।
- वर्ष 2007 में IPCC ने नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त किया।
- वर्ष 2009 में होने वाले रोपेनहेगन सम्मेलन के महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किये।

छठीं रिपोर्ट, 2014

- वर्ष 2100 तक तापमान में पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 4.8°C की वृद्धि हो सकती है।
- वायुमंडल में कार्बन-डाई-ऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सघनता में वृद्धि हुई है।
- प्रजातियों की एक बड़ी संख्या विलुप्त होने के कगार पर है।
- 2015 में होने वाले पेरिस सम्मेलन के लिये वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया।

- यदि वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि हुई, तो 19वीं सदी की तुलना में मनुष्यों, हज़ारों पेड़-पौधों व जानवरों की प्रजातियों का पृथ्वी पर रहना दूभर हो जाएगा।

नई रिपोर्ट से अपेक्षाएँ

नवीनतम उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों को शामिल करने के अतिरिक्त, छठी आकलन रिपोर्ट सरकार को नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेगी। इस रिपोर्ट में शामिल प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं–

क्षेत्रीय फोकस

- अलग-अलग क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के अपेक्षित प्रभावों में व्यापक भिन्नता होने की संभावना है। यह रिपोर्ट क्षेत्रीय आकलन पर अधिक केंद्रित है।
- ऐसे में, यह उम्मीद की जाती है कि यह रिपोर्ट बंगाल की खाड़ी के समुद्री जल स्तर तथा समुद्रों के वैश्विक औसत जल स्तर में वृद्धि की स्थिति को दर्शा सकती है।

चरम मौसमी घटनाएँ

- वैसे तो चरम मौसमी घटनाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन चरम मौसमी घटनाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़ना हमेशा बहस का विषय रहा है।
- यद्यपि विगत कुछ वर्षों में, 'एट्रिब्यूशन विज्ञान' में पर्याप्त प्रगति हुई है, जिससे वैज्ञानिक यह बताने में सफल हुए हैं कि कोई विशेष घटना जलवायु परिवर्तन का परिणाम थी अथवा नहीं?

महानगर

- घनी आबादी वाले मेगा-शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिये सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है।
- अत: न सिर्फ महानगरों व उसकी बड़ी शहरी आबादी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन किया जाना चाहिये, बल्कि 'जलवायु परिवर्तन को सहन करने योग्य' बुनियादी ढाँचे का विकास करना चाहिये।

रिपोर्ट का महत्त्व

- जलवायु परिवर्तन पर बातचीत और कार्रवाई को निर्देशित करने में आई.पी.सी.सी. की मूल्यांकन रिपोर्ट की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
- पहली मूल्यांकन रिपोर्ट ने 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन' (UNFCCC) की स्थापना की थी। यह एक अंब्रेला समझौता है। इसी के तहत प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता होती है।
- दूसरी आकलन रिपोर्ट वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल का आधार बनी थी। यह प्रोटोकॉल वर्ष 2020 तक लागू रही थी। पाँचवीं आकलन रिपोर्ट वर्ष 2014 में सामने आई थी। इसी ने पेरिस समझौते का मार्ग प्रशस्त किया था।

भावी राह

- वैश्विक जलवायु संरचना अब पेरिस समझौते द्वारा शासित है। 'पेरिस समझौते' ने इसी वर्ष 2021 में क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया है।
- पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक काल से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होने देने का संकल्प लिया गया है। विश्व को इसे अपनी साझी ज़िम्मेदारी समझते हुए समेकित प्रयास करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

निकट भविष्य में आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट चेतावनी दे सकती है कि बढ़ते तापमान को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। अत: विश्व के समस्त देशों को तत्काल कार्रवाई करते तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

नेट ज़ीरो कार्बन लक्ष्य के समक्ष चुनौतियाँ

संदर्भ

- स्वतंत्र चैरिटेबल संगठन 'ऑक्सफैम' ने कहा है कि कई देशों द्वारा घोषित 'नेट ज़ीरो कार्बन' लक्ष्य के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। भूमि उपभोग आधारित नेट ज़ीरो के कारण वैश्विक खाद्य कीमतों में 80 प्रतिशत की वृद्धि तथा भूख की समस्या में वृद्धि हो सकती है।

रिपोर्ट की अन्य बातें

- रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना केवल अधिक वृक्ष लगाकर ही किया जाता है, तो वर्ष 2050 तक अतिरिक्त वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के अवशोषण के लिये लगभग 1.6 बिलियन हेक्टेयर नए वनों की आवश्यकता होगी।
- इसके अतिरिक्त, वैश्विक उष्मण को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से होने वाली अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के लिये विश्व को सामूहिक रूप से एक ट्रैक पर होना चाहिये।
- वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में वर्ष 2010 के स्तर से 45 प्रतिशत की कटौती करने का लक्ष्य रखना चाहिये, जिसमें सबसे बड़े उत्सर्जकों की भूमिका अधिक होनी चाहिये।
- वर्तमान में, उत्सर्जन में कटौती संबंधी देशों की योजना से वर्ष 2030 तक केवल एक प्रतिशत की कमी आएगी।
- गौरतलब है कि यदि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये केवल भूमि आधारित तरीकों का प्रयोग किया जाता है, तो खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हो सकती है।

- रिपोर्ट के अनुसार, यदि संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र, जिसका उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, समान नेट ज़ीरो लक्ष्य निर्धारित करता है, तो उसे लगभग अमेज़न वर्षावन के आकार के बराबर की भूमि की आवश्यकता होगी, जो वैश्विक कृषि भूमि के एक तिहाई के बराबर है।

नेट ज़ीरो का अभिप्राय

- नेट ज़ीरो, जिसे 'कार्बन-तटस्थता' के रूप में भी जाना जाता है। इसका आशय यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाएगा।
- नेट-ज़ीरो एक ऐसी अवस्था है, जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीनहाउस गैसों के अवशोषण और उन्हें हटाने से होती है।
- वनों को विशाल कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। ये बड़े पैमाने पर कार्बन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं।
- कुछ समय पूर्व तक, दक्षिण अमेरिका में अमेज़न वर्षावन, जो दुनिया का सबसे बड़े उष्ण कटिबंधीय वन है, कार्बन सिंक था।
- लेकिन इस वनक्षेत्र के पूर्वी हिस्सों की कटाई के परिणामस्वरूप इसने कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करने की बजाय कार्बन डाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया है।
- यदि किसी देश का अवशोषण और निष्कासन वास्तविक उत्सर्जन से अधिक हो तो उस देश को नकारात्मक उत्सर्जन वाला देश माना जाएगा।
- भूटान का उत्सर्जन नकारात्मक है, क्योंकि वह जितना उत्सर्जन करता है उससे अधिक अवशोषित करता है।

विभिन्न देशों द्वारा घोषित नेट ज़ीरो कार्बन लक्ष्य

- वर्ष 2019 में न्यूज़ीलैंड सरकार ने 'ज़ीरो कार्बन अधिनियम' पारित किया था। यह उसके पेरिस जलवायु समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयासों अर्थात् वर्ष 2050 या उससे पहले ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति से प्रेरित था।
- उसी वर्ष, यूनाइटेड किंगडम ने भी कानून पारित किया। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2050 तक 1990 के स्तर के सापेक्ष ग्रीनहाउस गैसों के शुद्ध उत्सर्जन को 100 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया।
- हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि देश वर्ष 2030 तक अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2005 के स्तर से कम से कम 50 प्रतिशत की कटौती करेगा।
- इसके अतिरिक्त, जॉन केरी, जो अमेरिका के जलवायु दूत और पेरिस जलवायु समझौते के मुख्य वास्तुकारों में से एक माने जाते हैं, ने वर्ष 2019 में 'वर्ल्ड वार ज़ीरो' नामक एक गैर-पक्षपाती संगठन (Bipartisan Organisation) बनाया। यह संगठन जलवायु परिवर्तन पर संभावित सहयोगियों को एक साथ लाने और नेट ज़ीरो तक पहुँचने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
- यूरोपीय संघ की भी इसी तरह की योजना है, जिसे 'फिट फॉर 55' कहा जाता है। यूरोपीय आयोग ने अपने सभी 27 सदस्य देशों को वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 55 प्रतिशत की कटौती करने के लिये कहा है।
- विगत वर्ष, चीन ने यह भी घोषणा की थी कि वह वर्ष 2060 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

भारत की स्थिति

- इस लक्ष्य का विरोध करने वालों में भारत अकेला है, क्योंकि इसके सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है।
- अगले दो से तीन दशकों में भारत का उत्सर्जन दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ने की संभावना है।
- वनीकरण या पुनर्वनीकरण की कोई भी मात्रा बढ़े हुए उत्सर्जन की भरपाई करने में सक्षम नहीं होगी। साथ ही, कार्बन अवशोषण की अधिकांश प्रौद्योगिकियाँ या तो अविश्वसनीय हैं या बहुत महँगी हैं।

भारत की आपत्ति

- पेरिस समझौता, 2015 में नेट ज़ीरो लक्ष्य का कोई उल्लेख नहीं है।
- पेरिस समझौते के लिये प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को केवल सर्वोत्तम जलवायु कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
- देशों को अपने लिये पाँच या दस वर्ष के जलवायु लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है तथा उन्हें यह प्रदर्शित करना होगा कि उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
- भारत बार-बार इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि विकसित देशों ने अपने पिछले वादों और प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है।
- किसी भी बड़े देश ने क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौते से पहले की जलवायु व्यवस्था के तहत उन्हें सौंपे गए उत्सर्जन-कटौती लक्ष्यों को हासिल नहीं किया है।
- किसी भी विकसित देश ने वर्ष 2020 के किये गए वादों को पूरा नहीं किया है। साथ ही, विकासशील और गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करने के लिये धन और प्रौद्योगिकी प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड और भी बुरा है।
- भारत तर्क दे रहा है कि वर्ष 2050 कार्बन-तटस्थता का हाल पुरानी प्रतिबद्धताओं के समान हो सकता है, भले ही कुछ देश अब खुद कानूनीं रूप से बाध्य कर रहे हैं।

- भारत का कहना है कि विकसित देशों को पहले के अधूरे वादों की भरपाई के लिये अब और अधिक महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई करनी चाहिये।

हाइड्रोजन उत्पादन की नई विधि और ऊर्जा-दक्षता

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन निर्माण का एक अभिनव तरीका प्रस्तुत किया है।

आवश्यकता

- एक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन हरित एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोयला और गैसोलीन (पेट्रोल) जैसे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कैलोरी मान होने के साथ-साथ ऊर्जा मुक्त करने के लिये हाइड्रोजन के दहन से पानी उत्पन्न होता है। इस प्रकार से यह पूरी तरह प्रदूषणरहित ईंधन है।
- पृथ्वी के वायुमंडल (350 ppbv: parts per billion volume) में आणविक हाइड्रोजन की अत्यंत कम प्रचुरता/उपस्थिति के कारण ही 'पानी का विद्युत-क्षेत्र चालित विघटन' हाइड्रोजन के उत्पादन का एक आकर्षक तरीका है।
- हालाँकि, ऐसे विद्युत अपघटन (Electrolysis) के लिये उच्च ऊर्जा इनपुट की आवश्यकता होती है और इसमें हाइड्रोजन उत्पादन की दर धीमी होती है।
- साथ ही, प्लेटिनम तथा इरीडियम आधारित महंगे उत्प्रेरक का उपयोग भी इसके व्यापक व्यवसायीकरण में बाधक है। इसी कारण से 'हरित-हाइड्रोजन-अर्थव्यवस्था' संक्रमण के लिये ऐसे उपायों की आवश्यकता है, जो ऊर्जा लागत और सामग्री लागत को कम करने के साथ-साथ हाइड्रोजन उत्पादन की दर को बेहतर बनाते हैं।

कार्यप्रणाली

- आई.आई.टी. बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक अभिनव प्रणाली विकसित की है, जो इन सभी चुनौतियों का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करती है। इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है।
- इस प्रणाली में तीन गुना हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिये 19 प्रतिशत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह परिणाम उत्प्रेरक पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को सह-क्रियात्मक रूप से जोड़कर प्राप्त किया जाता है।
- यह सरल पद्धति किसी भी मौजूदा इलेक्ट्रोलाइजर (जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिये विद्युत का उपयोग करता है) को बाह्य चुंबक के साथ डिज़ाइन में बिना किसी बड़े परिवर्तन के ही जोड़ने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हाइड्रोजन उत्पादन की ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होती है।
- इलेक्ट्रोकैटलिटिक पदार्थ- कोबाल्ट ऑक्साइड नैनो क्यूब, जो हार्ड-कार्बन आधारित नैनोसंरचित कार्बन फ्लोरेट्स पर फैले हुए हैं, इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।
- कार्बन और कोबाल्ट ऑक्साइड के बीच का इंटरफेस मैग्नेटो-इलेक्ट्रोकैटलिसिस की बुनियाद है। यह काफी लाभदायक है, क्योंकि इससे एक ऐसी प्रणाली विकसित होती है, जिसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही, इसमें लंबे समय तक चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता निहित होती है।
- इससे प्राप्त हुए परिणाम (वर्तमान घनत्व में 650 प्रतिशत की वृद्धि, ऊर्जा की आवश्यकता में 19 प्रतिशत कमी और वॉल्यूमेट्रिक हाइड्रोजन उत्पादन दर में 3 गुना वृद्धि) अद्वितीय हैं। इस तरीके को मौजूदा इलेक्ट्रोलाइजर में डिज़ाइन या संचालन-पद्धतियों में बदलाव के बिना ही सीधे प्रयोग किया जा सकता है और 10 मिनट के लिये एक बार चुंबकीय क्षेत्र का एक्सपोजर 45 मिनट से अधिक समय के लिये हाइड्रोजन उत्पादन की उच्च दर के लिये पर्याप्त है।
- बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का आंतरायिक उपयोग (Intermittent Use) ऊर्जा-दक्ष हाइड्रोजन उत्पादन के लिये एक नई दिशा प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिये अन्य उत्प्रेरकों का भी पता लगाया जा सकता है।

लाभ

- यह इसके उत्पादन में तीन गुना वृद्धि करने के अतिरिक्त उत्पादन के लिये आवश्यक ऊर्जा की खपत को कम करता है।
- यह कम लागत पर पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन ईंधन निर्माण की दिशा में नया मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
- हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था के महत्त्व को देखते हुए आगामी लक्ष्य परियोजना को मिशन-मोड में लागू करना और स्वदेशी व भरोसेमंद मैग्नेटो-इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोजन जनरेटर को तैयार करना है।

हिमालय का महत्त्व

संदर्भ

भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाने तथा जलवायु के निर्धारण में हिमालय की भौगोलिक अवस्थिति की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उल्लेखनीय है कि हिमालय के संदर्भ में 'भू-राजनीति और सुरक्षा चिंताओं' से संबंधित प्रश्नों का अवधारणात्मक अंकेक्षण लंबे समय से अपेक्षित है।

हिमालय के प्रति धारणाएँ

- एक निश्चित अर्थ में, हिमालय के संदर्भ में हमारी बौद्धिक चिंताओं को बड़े पैमाने पर भय, संदेह, प्रतिद्वंद्विता, विदेशी आक्रमण और सैन्य अतिक्रमण की धारणा ने आकार दिया है।
- औपनिवेशिक काल में 'रूसोफोबिया' था, जबकि वर्तमान में 'सिनोफोबिया (चीन संबंधी) या पाकिस्तानफोबिया' है, जो हिमालय के संबंध में हमारी चिंताओं को निर्धारित करता है।
- वस्तुत: हिमालय के संदर्भ में हमारी ये धारणाएँ 'दिल्ली-बीजिंग-इस्लामाबाद' त्रय से जुड़ी हैं, न कि हिमालय पर्वत से।

हिमालय की सामरिक धारणा

- हिमालयी अध्ययनों के मामले में राष्ट्रवाद की अनिवार्यता ने क्षेत्रीयकरण की राजनीतिक बाध्यता को जन्म दिया है।
- हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक योजना है, जो अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- हालाँकि, यह मिशन केवल भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) के लिये ही नीति-निर्माण तक सीमित है।
- मिशन दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार इस मिशन के साथ इस तथ्य को स्वीकार करती है कि 'हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र' भारत की पारिस्थितिक सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- हिमालय के बारे में भारत की धारणा यथार्थवाद से प्रभावित है क्योंकि हिमालय समुदाय, पारिस्थितिकी या बाजार जैसी वैकल्पिक संकल्पनाओं के विपरीत संप्रभु क्षेत्रीयता के संदर्भ में परिभाषित एक क्षेत्र है।

ऐतिहासिक गतिरोध

- हिमालय का क्षेत्रीयकरण (Territorialisation) एक औपनिवेशिक धारणा है।
- हिमालयी भू-भाग के अंतर्गत आने वाले पाँच राष्ट्र-राज्यों के मध्य संबंध क्षेत्रीयता और संप्रभुता से इतर सोचने में विफल रहे हैं।
- हिमालयी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न देशों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं को अपनाया जाता है, ताकि वे अपने हिमालयी भू-भाग को सुरक्षित कर सकें।

सीमाएँ और उनके अंतर

- हमें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक सीमाओं और सांस्कृतिक सीमाओं का संदर्भ समान नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि राजनीतिक सीमाओं को आधुनिक राष्ट्र-राज्यों की स्पेस-मेकिंग रणनीतियों के रूप में माना जाता है, जो सांस्कृतिक सीमाओं के साथ मेल खाती हों यह आवश्यक नहीं है।
- दूसरे शब्दों में, सांस्कृतिक सीमा राजनीतिक विचार को खारिज कर इसे पारगम्य मानती है।
- वस्तुत: राजनीतिक सीमा की अवधारणा, सांस्कृतिक, व्यापारिक, पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय दृष्टि से अनेकार्थी बन जाती है।
- संप्रभु क्षेत्रीयता के प्रतिमान के माध्यम से केवल मानव सुरक्षा को ही ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।
- हालाँकि, हिमालयी राज्यों की सुरक्षा प्रणालियाँ सुरक्षा संबंधी मुद्दो से निपटने के संदर्भ में कोई अन्य ढाँचा तैयार करने में विफल रहीं हैं।
- पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के एक दृष्टिकोण को स्थापित करने के अतिरिक्त, गैर-पारंपरिक सुरक्षा के क्षेत्र को परिभाषित करने के एजेंडे में अक्सर राज्य का वर्चस्व रहा है।
- अक्सर यह देखा गया है कि पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के उपायों ने वास्तव में विभिन्न मोर्चों पर गैर-पारंपरिक असुरक्षाओं को जन्म दिया है।

भावी राह

- यदि सभी संबंधित देश हिमालय को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में मानने के लिये तैयार हैं, जो मानव विषयों में गहराई से अंतर्निहित है तो हम संभवत: एक राष्ट्रीय दायरे से बाहर आ सकते हैं, जिसकी अनिवार्य रूप से आवश्यकता है।
- यदि हमें व्यापार, वाणिज्य एवं समुदायों की चिंताओं को दूर करना है, तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना होगा, जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं।
- सुरक्षा की इन वैकल्पिक धारणाओं को हिमालय के संबंध में नीति निर्माण, रणनीति निर्धारण और राजनयिक संबंधों में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिये। साथ ही, हिमालय को परस्पर टकराव की बजाय एक साझे राष्ट्रीय क्षेत्र और निवास स्थल के रूप में चिह्नित किये जाने की आवश्यकता है।

❐❐❐

9 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अंतरिक्ष और परमाणु प्रौद्योगिकियों से संबंधित नए उद्यम

संदर्भ

जेफ बेज़ोस ने विगत माह अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की थी। बिल गेट्स भी अपना परमाणु रिएक्टर लॉन्च करने का निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में, संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' के माध्यम से उत्पादित विद्युत का निर्यात विद्युत की कमी से जूझ रहे राष्ट्रों को किया जा सकेगा।

कारण

- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये इसे एक प्रमुख कदम माना जा रहा है। सभी भारी उद्योगों एवं प्रदूषणकारी उद्योगों को अंतरिक्ष में स्थानांतरित करके पृथ्वी को स्वच्छ रखने की योजना है।
- वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वच्छ ऊर्जा के रूप में परमाणु ऊर्जा के महत्त्व को स्वीकार करना है। हालाँकि परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा और परमाणु हथियारों के प्रसार का जोखिम एक बढ़ती हुई चिंता है।

परमाणु ऊर्जा का भविष्य

- वर्ष 2007-08 में 'अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी' (IAEA) के तत्कालीन महानिदेशक मोहम्मद अलबरदेई ने वर्ष 2020 और उसके पश्चात् परमाणु ऊर्जा के भविष्य के लिये एक समिति की स्थापना की थी।
- समिति ने कहा कि विश्व अपने सातवें परमाणु दशक में प्रवेश कर रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष अवसर और चुनौतियाँ दोनों ही मौजूद हैं।
- परमाणु प्रौद्योगिकियों के विस्तृत उपयोग ने विकास संबंधी आवश्यकताएँ पूरा करने की अपार संभावनाएँ प्रदान की हैं। इसके अलावा, इससे ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने में भी सहायता मिलेगी।
- रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई थी कि 'परमाणु नवजागृति' (Nuclear Renaissance) से न केवल वैश्विक ऊर्जा समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या में भी कमी आएगी।

फुकुशिमा की घटना

- मार्च 2011 को जापान में 'फुकुशिमा दाइची दुर्घटना' ने परमाणु ऊर्जा की स्थिति को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। इससे न केवल जलवायु परिवर्तन, बल्कि आर्थिक विकास के लिये भी परमाणु ऊर्जा को तेज़ी से बढ़ाने की योजना को झटका लगा था।
- आई.ए.ई.ए. के लेख 'फुकुशिमा के 10 वर्ष पश्चात् परमाणु ऊर्जा' के अनुसार, इस घटना के उपरांत वैश्विक समुदाय ने परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जबकि कई देशों ने परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का विकल्प चुना।
- रूस, चीन और भारत को छोड़कर अन्य देशों के परमाणु उद्योग कार्यरत नहीं थे। भारत में भी प्रस्तावित स्थानों पर परमाणु विरोधी आंदोलनों के कारण आयातित रिएक्टरों की स्थापना नहीं की जा सकी।
- भारत को अपने ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की भागीदारी बढ़ाने के लिये और अधिक स्वदेशी रिएक्टरों की तरफ जाना पड़ा।

जलवायु परिवर्तन

- परमाणु ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के अथक प्रयास किये जा रहे हैं। अब जब, वैश्विक उष्मण की समस्या गहराती जा रही है, तो 'परमाणु ऊर्जा' एक बार फिर 'जलवायु-अनुकूल ऊर्जा विकल्प' के रूप में वैश्विक विमर्श का हिस्सा बन गई है।
- जापान और जर्मनी जैसे देश ऊर्जा उत्पादन के लिये अपने रिएक्टरों को पुनः संचालित कर रहे हैं।
- 'जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल' (IPCC) और 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' (IEA) जैसे संगठन प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिये परमाणु ऊर्जा की क्षमता को चिह्नित करते हैं।
- हालाँकि इस पर संशय बना हुआ है कि क्या एक स्वच्छ, विश्वसनीय और टिकाऊ स्रोत के रूप में यह अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकेगा या नहीं।
- इसके अतिरिक्त, कुछ प्रमुख बाजारों में परमाणु ऊर्जा संबंधी एक ऐसी अनुकूल नीति और वित्तपोषण ढाँचे का अभाव है, जो जलवायु परिवर्तन और सतत् विकास में इसके योगदान को मान्यता देता हो।

बिल गेट्स की योजना

- बिल गेट्स ने 'टेरापावर' नामक परमाणु कंपनी की स्थापना की है तथा इसके वित्तपोषण के लिये 'वॉरेन बफेट' और 'स्टेट ऑफ व्योमिंग' जैसे निजी वित्तपोषकों के साथ समझौते की घोषणा की है।
- टेरापावर द्वारा स्थापित रिएक्टर का नाम 'नैट्रियम' है। इस रिएक्टर में ईंधन के रूप में 'प्लूटोनियम' की बजाय 20 प्रतिशत (U-235) से समृद्ध यूरेनियम का उपयोग किया जाएगा।
- चूँकि यह अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DoE) की उन्नत छोटी मॉड्यूलर रिएक्टर परियोजना के अंतर्गत आता है, इसलिये विभाग इस वर्ष इस परियोजना को $80 मिलियन तक की आर्थिक सहायता देगा।
- डी.ओ.ई. और अन्य परमाणु ऊर्जा के समर्थक भी मानते हैं कि छोटे, मॉड्यूलर रिएक्टर सस्ते और सुरक्षित होंगे तथा विदेशी खरीदारों के लिये इतने आकर्षक होंगे कि वे अमेरिका के परमाणु उद्योग को पुनर्जीवित कर सकेंगे तथा अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धी बना सकेंगे।
- यह परिकल्पना भी की गई कि 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' अमेरिकी सैन्य परमाणु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक ठोस परमाणु औद्योगिक आधार प्रदान करेंगे।

परियोजना से संबंधित चिंताएँ

- ऐसे रिएक्टरों को विकसित करने से पहले के प्रयासों की विफलता के रूप निष्क्रिय यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदलने का जोखिम और फिर प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करना।
- यह नए तीव्र रिएक्टरों को ईंधन देने के लिये अतिरिक्त प्लूटोनियम की ब्रीडिंग भी कर सकता है। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि प्लूटोनियम एक परमाणु विस्फोटक है और इसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिये किया जा सकता है।
- एक चिंता यह भी है कि वाणिज्यिक चैनलों के माध्यम से प्लूटोनियम की उपलब्धता खतरों से भरी होगी।
- वर्तमान में, केवल मुट्ठी भर देश ही 20 प्रतिशत समृद्ध यूरेनियम बना सकते हैं। आलोचकों का मानना है कि इससे वैश्विक स्तर पर 20 प्रतिशत समृद्ध यूरेनियम बनाने की प्रवृत्ति ज़ोर पकड़ेगी।
- यह आशंका व्यक्त की जाती है कि ईरान के पास एक सीमा से ज़्यादा परमाणु संवर्द्धित सामग्री उपलब्ध होगी, तो वह इसका उपयोग परमाणु बम बनाने के लिये भी कर सकता है।
- फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को प्राथमिकता देने का प्रमुख कारण 'प्लूटोनियम ब्रीडिंग क्षमता' हासिल करना है। इन रिएक्टरों को को इस तरह से अभिविन्यासित (Configure) किया जाएगा, ताकि उनमें भारी मात्रा में सामग्री का निर्माण व उसका पुन: उपयोग किया जा सके। यह सामग्री परमाणु विस्फोटक के रूप में भी प्रयुक्त की जा सकती है।

भारत और चीन पर ध्यान

- भारत के 'फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के अधीन नहीं हैं। अत: उन्हें भारत की परमाणु हथियार क्षमता के पोषक के रूप में देखा जाता है।
- हाल में रिपोर्ट किया गया कि चीन दो और फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है। इससे चीन के संभावित प्लूटोनियम उत्पादन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चिंताएँ बढ़ी हैं।
- टेरापावर के विरोधियों का मानना है कि भारत और चीन जैसे देश अपनी विद्युत आवश्यकता के मद्देनज़र बिल गेट्स की उक्त परियोजना का समर्थन करेंगे, ताकि वे उनसे विद्युत खरीद सकें।
- यह दावा भी प्रश्नांकित किया जा रहा है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 'लाइट वाटर रिएक्टरों' की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं।
- गौरतलब है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड और जिमी कार्टर ने प्लूटोनियम ईंधन वाले रिएक्टरों के व्यवसायीकरण को हतोत्साहित करने की नीति अपनाई थी।
- राष्ट्रपति फोर्ड ने घोषणा की थी कि जब तक कि 'विश्व' परमाणु प्रसार के जोखिमों को प्रभावी ढंग से दूर नहीं करने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका न तो प्लूटोनियम ईंधन पर निर्भरता का और न ही उपयोग किये गए प्रसंस्कृत ईंधन का समर्थन करेगा।

निष्कर्ष

यह भविष्यवाणी करना सही नहीं है कि बेज़ोस के अंतरिक्ष संबंधी साहसिक कार्यों या गेट्स के परमाणु उद्यम से अमेरिका व विश्व को फायदा होगा या नहीं। हालाँकि, आलोचकों का मानना है कि अरबपतियों के पास यह जानने के लिये 'सिक्स्थ सेंस' है कि निजी धन को और कैसे बढ़ाया जाए।

पॉलीहाउस तकनीक और गैर-मौसमी फसलों की खेती

संदर्भ

हाल ही में, सी.एस.आई.आर के केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (CSIR's Central Mechanical Engineering Research Institute), दुर्गापुर के निदेशक द्वारा 'प्राकृतिक रूप से हवादार पॉलीहाउस सुविधा' का उद्घाटन किया। साथ ही, लुधियाना में 'रिट्रैक्टेबल रूफ पॉलीहाउस' की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

- इसका विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्-हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.एस.आई.आर.- आई.एच.बी.टी.), पालमपुर के सहयोग से किया जा रहा है। यह फसल और मौसम की आवश्यकताओं के आधार पर पॉलीहाउस को

स्वचालित (Automating) करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (A.I.) को एकीकृत करने की प्रक्रिया में है।

- सभी मौसमों के लिये उपयोगी इस संरचना में 'ऑटोमैटिक रिट्रैक्टेबल रूफ' (स्वचालित रूप से खुलने और बंद होने वाली छत) होगी, जो पी.एल.सी. सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कंडीशनल डाटाबेस से मौसम की स्थिति और फसल की जरूरतों के आधार पर संचालित होगी।

लाभ

- 'रिट्रैक्टेबल रूफ' का उपयोग सूर्य के प्रकाश की मात्रा, गुणवत्ता और अवधि, पानी के प्रभाव, आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के साथ-साथ फसल और मृदा के तापमान में आवश्यकता के अनुसार बदलाव लाने के लिये किया जाएगा।
- यह जैविक कृषि के लिये एक व्यवहार्य तकनीक है। यह भारत के सभी 15 अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी और गैर-मौसमी फसलों की कृषि में मदद करेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- पॉलीहाउस, फसलों में कीट हमलों और अत्यधिक गर्मी जैसे खतरों को कम करने में भी सहायक है।
- यह चरम मौसमी घटनाओं से बिना किसी सुरक्षा के खुले क्षेत्र में उगने वाली फसलों के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे फसल की उपज, गुणवत्ता और परिपक्वता का समय बदल जाता है।
- किसी विशेष जलवायु क्षेत्र में यदि किसी फसल की खेती करना असंभव हो तो उन पौधों को पॉलीहाउस परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। भारत के मैदानी इलाकों में स्ट्रॉबेरी की खेती इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

क्या है पॉलीहाउस तकनीक?

- पॉलीहाउस किसी इमारत की तरह निर्मित एक विशिष्ट संरचना है, जिसमें एक विशेष प्रकार की पारदर्शी पॉलिथीन शीट का उपयोग आवरण सामग्री (Covering Material) के रूप में किया जाता है। इसमें फसलों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में उगाया जा सकता है।
- हालाँकि, पारंपरिक ग्रीनहाउस में मौसम की विसंगतियों और कीटों के प्रभाव को कम करने के लिये एक स्थिर छत होती है और इस ढकी छत के कारण कभी-कभी अत्यधिक गर्मी या अपर्याप्त प्रकाश (बिल्कुल सुबह के समय) का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, वे अपर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड स्तर, वाष्पोत्सर्जन और पानी की समस्या से भी ग्रस्त हैं।
- पॉलीहाउस, भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिये अधिक उपयुक्त हैं। सामान्यत: सिचाई के लिये पॉलीहाउस के अंदर 'ड्रिप इरिगेशन सिस्टम' (बूँद सिंचाई प्रणाली) लगाया जाता है। उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिये पॉलीहाउस, कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता प्रदान करता है। फलत: पॉलीहाउस फसलों का उत्पादन खुले क्षेत्र के फसलों की तुलना में अधिक होता है।

प्रमुख पॉलीहाउस फसलें

- **पुष्पकृषि फसल (Floriculture Crops):** जरबेरा, गुलाब, कार्नेशन्स, ऑर्किड, एन्थ्यूरियम और स्ट्रेलिट्जिया आदि।
- **विदेशी सब्जियाँ (Exotic Vegetables):** रंगीन शिमला मिर्च, खीरा, चेरी, टमाटर, तोरी आदि।
- **नर्सरी वाले पौधे (Nursery Plants):** सजावटी इनडोर पौधे, छोटे पत्तेदार पौधे, कैक्टस पौधे और रंगीन विदेशी प्रजातियाँ।

❐❐❐

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
अखिल मूर्ति के निर्देशन में
ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स
वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति
इन कोर्सेज़ के वीडियो के साथ-साथ अध्ययन सामग्री प्रिंटेड फॉर्म में कूरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

10 आंतरिक सुरक्षा

एक राष्ट्र, एक पुलिस

संदर्भ

- भारत सरकार 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड', 'एक राष्ट्र, एक रजिस्ट्री', 'एक राष्ट्र, एक गैस ग्रिड' और यहाँ तक कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक ही सुविधा के लिये अलग-अलग नियम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन एकरूपता लाने के प्रयास में स्थानीय कारकों और विशेषताओं को नज़रंदाज नहीं किया जाना चाहिये।
- वर्तमान में विभिन्न राज्य पुलिस संबंधी मामलों का समाधान करने के लिये अलग पुलिस अधिनियम बना रहे हैं।

अधिनियम का उद्देश्य

- 22 सितंबर, 2006 को उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधारों के संबंध में दिशा-निर्देश दिये थे। उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न राज्य पुलिस अधिनियम पारित कर रहे हैं।
- लेकिन, इन अधिनियमों के विश्लेषण से पता चलता है कि इनका उद्देश्य मौजूदा पुलिस व्यवस्था को विधायी सुरक्षा प्रदान करना तथा न्यायिक कार्रवाई से बचाना है।
- उल्लेखनीय है कि 18 राज्य पहले ही पुलिस अधिनियम पारित कर चुके हैं। अत: देश 'एक राष्ट्र, कई पुलिस अधिनियम' की दिशा में बढ़ रहा है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश

- शीर्ष न्यायालय ने वर्ष 2006 के 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले' में पुलिस सुधार के संबंध में निम्नलिखित 7 दिशा-निर्देश दिये थे–
  - (i) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, रिबेरो समिति (1998) या सोराबजी समिति (2006) द्वारा संस्तुत किसी मॉडल पर 'राज्य सुरक्षा आयोग' (SSC) का गठन किया जाए।
  - (ii) राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC) द्वारा उक्त रैंक में पदोन्नति के लिये पैनल में शामिल किये गए विभाग के तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाए। साथ ही, चयन के पश्चात् उनका कार्यकाल न्यूनतम 'दो वर्ष' का होना चाहिये, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो।
  - (iii) प्रचालन-संबंधी कर्तव्यों पर तैनात पुलिस अधिकारियों के लिये दो वर्षों का कार्यकाल निर्धारित हो।
  - (iv) दस लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों से आरंभ करते हुए अन्वेषण कार्यों को कानून एवं व्यवस्था से पृथक् किया जाए तथा क्रमिक रूप से इसे छोटे नगरों तक बढ़ाया जाए।
  - (v) साथ ही, पुलिस उपाधीक्षक रैंक या इससे ऊपर के अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती, पदोन्नति तथा सेवा संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिये राज्य-स्तर पर एक 'पुलिस स्थापना बोर्ड' गठित किया जाए।
  - (vi) पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों का निवारण करने के लिये राज्य एवं ज़िला-स्तर पर 'पुलिस शिकायत प्राधिकरणों' का गठन किया जाए।
  - (vii) केंद्र-स्तर पर 'राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग' का गठन किया जाए। यह न्यूनतम दो वर्ष के लिये 'केंद्रीय पुलिस संगठनों' के प्रमुखों के चयन व पदस्थापन के संबंध में एक पैनल तैयार करेगा।

न्यायिक निर्देशों के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- पुलिस सुधारों पर शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी की अध्यक्षता में 'पुलिस अधिनियम मसौदा समिति' गठित की। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 'मॉडल पुलिस अधिनियम, 2006' पारित किया गया।
- मॉडल अधिनियम के माध्यम से पूरे देश में एक समान पुलिस ढाँचा स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये।
- कई राज्यों ने किसी केंद्रीय मार्गदर्शन या निर्देश के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने-अपने पुलिस अधिनियम पारित किये हैं।
- इन राज्यों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए कानून प्रकाश सिंह मामले में न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय का उल्लंघन करते हैं।
- पुलिस सुधारों के संदर्भ में अपने निर्देशों का पालन न किये जाने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी राज्य को अवमानना नोटिस जारी नहीं किया है।

- उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत यदि दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से राज्य सूची के किसी विषय पर संसद से कानून बनाने का आग्रह करें, तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून बना सकती है।

केंद्र सरकार की रणनीति

- केंद्र सरकार कम-से-कम केंद्रशासित प्रदेशों के लिये कानून बनाकर उन राज्यों पर उस कानून को पारित करने का दबाब बना सकती थी, जहाँ उसके दल की सरकारें सत्ता में थीं। इस प्रकार, 10-12 राज्यों की पुलिस व्यवस्था में एकरूपता लाई जा सकती थी।
- लेकिन दुर्भाग्यवश, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों में से किसी ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई।

पुलिस अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 'पुलिस अधिनियम, 1861' भारत में पारित पहला पुलिस अधिनियम था। अंग्रेजों का विचार था कि पूरे भारत में पुलिस मशीनरी और कार्य की शर्तें एकसमान होनी चाहिये।
- आरंभ में यह पुलिस अधिनियम मद्रास और बॉम्बे प्रांतों में लागू नहीं था, लेकिन वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित 'पुलिस आयोग' की सिफारिश के आधार पर यह अधिनियम इन दोनों प्रांतों में भी लागू किया गया।
- समय के साथ, राज्यों ने अपने-अपने पुलिस अधिनियम पारित किये, लेकिन ये अनिवार्यत: केंद्र के कानूनी ढाँचे के अधीन थे।

पुलिस व्यवस्था में व्याप्त वर्तमान चुनौतियाँ

- राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी पुलिस सुधारों में बाधक
- पुलिस संगठन में संवेदनशील कार्य-संस्कृति का अभाव
- राजनेताओं, अपराधियों व पुलिस की आपसी साँठ-गाँठ
- पुलिसकर्मियों की कमी
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव
- सूचना प्रबंधन से संबंधित एकीकृत केंद्रीय व्यवस्था का अभाव
- अत्याधुनिक हथियारों और वाहनों की कमी
- बढ़ता भ्रष्टाचार
- पेशेवर कार्यप्रणाली का अभाव

आगे की राह

- बेहतर होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें सहकारी संघवाद की भावना का पालन करें तथा एक-दूसरे के क्षेत्राधिकार का सम्मान करें।
- अन्यथा संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित शक्तियों के वितरण पर नए सिरे से विचार करना होगा।

निष्कर्ष

- देश में प्रत्येक बड़ी घटना के बाद पुलिस सुधारों के संबंध में आयोग व समितियाँ गठित की जाती रही हैं, परंतु इन आयोगों और समितियों की अनुशंसाएँ अभिलेखागार तक ही सीमित रहती हैं।
- कुछ स्वंतत्र और निष्पक्ष विचार रखने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा समय-समय पर पुलिस सुधार की मांग की जाती रही है। अत: पूरे देश की पुलिस व्यवस्था को एक ही अधिनियम के माध्यम से विनियमित किया जाना चाहिये, ताकि देश की पुलिस व्यवस्था में एकरूपता लाई जा सके।

साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ

संदर्भ

पेगासस स्पाइवेयर के दुरुपयोग के बाद वैश्विक स्तर पर साइबर हथियारों की भूमिका को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है। पूर्व में कभी-कभार या छिटपुट साइबर हमले की घटनाएँ, अब एक खतरनाक हद तक बढ़ गई हैं, जो साइबर हथियार युग के उद्भव का संकेत देती हैं।

साइबर हथियारों का विकास-क्रम

- इस तरह के शुरुआती उदाहरण 1990 के दशक में मिलते हैं। याह्या अब्द-अल-लतीफ अय्यास, जो हमास का मुख्य बम निर्माता था, उसकी हत्या इज़राइल की खुफिया एजेंसी ने विस्फोटकों से युक्त फोन के प्रयोग द्वारा की थी।
- अतीत में हमलों के लिये कई महीनों का प्रयास और बड़ी संख्या में लोगों एवं संसाधनों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन साइबर युग में बहुत कम प्रयास और संसाधनों के साथ यह संभव है।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान वेमोर्क पावर स्टेशन (नॉर्वे) का विनाश किया गया, जिसके लिये महीनों योजना बनाई गई और मित्रदेशों के व्यापक संसाधनों का प्रयोग किया गया।
- वर्तमान समय में ऐसे लक्ष्य आसानी से प्राप्त किये जा सकते है।
- वर्ष 2019 में, नॉरस्क हाइड्रो, जो एलुमिनियम व ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है, एक साइबर हमले का शिकार हो गया, जिसे दूर से और गुमनाम रूप से कम से कम समय में पूरा किया गया था।
- वर्तमान में निजता संबंधी धारणाएँ लगभग समाप्त हो गई हैं और इंटरनेट, फायदा उठाने की कोशिश करने वालों के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार बन गया है।

साइबर युद्ध

- भूमि, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष के अतिरिक्त, साइबर को अक्सर युद्ध के पाँचवें आयाम के रूप में देखा जाता है।

- हालाँकि, यह समझने की ज़रूरत है कि साइबर, सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र के साथ-साथ रोजमर्रा की जिंदगी के एक डोमेन में भी मौजूद है।
- युद्ध अब केवल युद्धक्षेत्र में ही नहीं लड़े जाते, बल्कि अब यह बंद कमरों अथवा सीधे किसी के 'ड्राइंग रूम' के अंदर से भी लड़े जा रहे हैं, क्योंकि 'साइबर हथियारों' के कारण यह बहुत आसान हो गया है।

नया हथियार

- साइबर जगत में सिर्फ इज़राइल ही अग्रणी नहीं है, बल्कि आज चीन, रूस, कोरिया और अमेरिका भी साइबर डोमेन में हावी हैं।
- परंपरागत परमाणु उपकरणों के विपरीत, साइबर हथियारों को शुरुआत से ही विशेष हथियारों के रूप में महत्त्व दिया गया है।
- वर्ष 2010 में 'स्टक्सनेट वर्म' को मुक्त करने में संयुक्त रूप से यू.एस.-इजरायल प्रयास ने नटांज में ईरानी परमाणु सुविधा में कई सौ सेंट्रीफ्यूज को निष्क्रिय करने में मदद की थी।

वर्तमान विवाद

- वर्तमान विवाद से पहले पेगासस स्पाइवेयर के प्रयोग की कई घटनाएँ पहले भी हो चुकी हैं। वर्ष 2019 में, व्हाट्सएप ने एन.एस.ओ. (एक इज़राइली प्रौद्योगिकी फर्म) पर आरोप लगाया था कि उसके कई उपयोगकर्ता के विरुद्ध पेगासस स्पाइवेयर का प्रयोग किया गया है।
- इजराइली कंपनी का दावा है कि स्पाइवेयर केवल सरकारों और आधिकारिक एजेंसियों को ही बेचा जाता है। हालाँकि, इसके बारे में पुष्टि होना अभी शेष है।
- इजराइल, अपने हिस्से में पेगासस को एक 'साइबर हथियार' के रूप में चिह्नित करता है तथा दावा करता है कि इसका 'निर्यात नियंत्रित' है।

पेगासस स्पाइवेयर

- पेगासस स्पाइवेयर भेजे या प्राप्त किये गए संदेशों की प्रतिलिपि बना सकता है, फोटो व कॉल रिकॉर्ड, फोन के कैमरे के माध्यम से गुप्त रूप से फिल्म या बातचीत रिकॉर्ड करने के लिये माइक्रोफोन को सक्रिय कर सकता है।
- साथ ही, यह संभावित रूप से इंगित कर सकता है कि आप कहाँ हैं और किससे मिले हैं।
- यह एक बार फोन में इंस्टॉल हो जाने के पश्चात् कमोवेश किसी भी जानकारी को इकट्ठा कर सकता है या किसी भी फाइल को भेज सकता है।
- पेगासस के निर्माता, एन.एस.ओ. समूह द्वारा स्पाइवेयर का पता लगाने की प्रक्रिया को बेहद जटिल बनाते हैं।
- यह 'ज़ीरो क्लिक' द्वारा फोन में इंस्टाल किया जाता है, अर्थात् फोन उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है।
- इसका प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पाई जाने वाली कुछ 'जीरो डे' कमज़ोरियों का फायदा उठाने के लिये किया जाता है, जिसके बारे में निर्माता खुद अनभिज्ञ होता है।
- अनिवार्यत: पेगासस वायरस 'रूट प्रिविलेज' के माध्यम से अपने नियंत्रकों के साथ संचार को सक्षम बनाता है।

हालिया साइबर हमले

- एस्टोनिया के महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे पर वर्ष 2007 में साइबर हमला हुआ था। इसके बाद कुछ वर्ष उपरांत ईरान की परमाणु सुविधा पर 'स्टक्सनेट वर्म' हमला हुआ था।
- वर्ष 2012 में, सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर 'शमून वायरस' का हमला हुआ था।
- यूक्रेन के स्टेट पावर ग्रिड पर वर्ष 2016 में साइबर हमले हुआ था।
- वर्ष 2017 के 'रैनसमवेयर अटैक' ने 64 देशों में विभिन्न उपकरणों को प्रभावित किया था।
- उसी वर्ष यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पर एक 'वानाक्राई' हमला हुआ था।
- आयरलैंड की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इस वर्ष 'सोलरविंड्स' द्वारा पाइपलाइन आदि पर साइबर हमले किये गए थे।

गंभीर खतरा

- साइबर हथियार न केवल संघर्ष के दौरान बल्कि शांतिकाल में भी पसंद का हथियार बन चुके हैं।
- साइबर हथियार, नागरिक या सैन्य प्रणालियों और संरचनाओं को विकृत करने की क्षमता रखते हैं।
- सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करते हैं, जैसे घरेलू स्तर पर विभाजन को बढ़ाते हैं, उन ताकतों को मुक्त करते हैं, जिन पर स्थापित संस्थानों या यहाँ तक कि सरकारों का बहुत कम नियंत्रण होता है।

बचाव की आवश्यकता

- हमें साइबर खतरों के एक नए युग के लिये तैयार रहना चाहिये तथा उससे बचाव के उपाय करने चाहिये।
- नए अत्याधुनिक साइबर हथियारों को नियोजित करना आवश्यक है।
- जैसे-जैसे अधिक से अधिक उपकरण नेटवर्क से जुड़े होते हैं, साइबर खतरा लघु व मध्यम अवधि, दोनों में ही और तेज़ होता है।

- चिंता की बात यह है कि भागीदारी के बिना रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले उपकरणों को संक्रमित या उनमें घुसपैठ कर सकता है।
- इसमें दुरुपयोग की संभावनाएँ बहुत अधिक हैं, तथा किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान या राष्ट्र के लिये इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

विश्लेषण की आवश्यकता

- पेगासस जैसे परिष्कृत स्पाइवेयर द्वारा उत्पन्न किये गए गंभीर खतरों का सामना करना बेहद कठिन है।
- 'ज़ीरो डे' की कमज़ोरियों से निपटने के लिये केवल इंटरनेट से अलग विशेष फायरवॉल या फोन बनाने की तुलना में 'विचार और आत्मनिरीक्षण' की आवश्यकता होगी।
- ज़रूरत न केवल साइबर प्रौद्योगिकियों की गहरी समझ की है, बल्कि उन लोगों की मानसिकता को भी पहचानने की है, जो पेगासस जैसे स्पाइवेयर का प्रयोग करते हैं।

भावी राह

- पेगासस जैसे साइबर हथियारों के आगमन के साथ, एक मित्र के रूप में मानी जाने वाली प्रौद्योगिकी इस संदर्भ में निराश कर सकती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अक्सर कई मौजूदा समस्याओं और बीमारियों के 'रामबाण' के रूप में देखा जाता है, लेकिन प्रौद्योगिकी में सभी विकास एक 'दोधारी तलवार' के समान होते हैं।
- ए.आई. बदले में सभी सूचनाओं को युद्ध में बदल सकती है। कम से कम ए.आई. उपकरणों के विकास के वर्तमान चरण में कोई समाधान ढूँढना या रोकना लगभग असंभव है।

निष्कर्ष

नए साइबर जासूसी उपकरणों तक आसान पहुँच अराजकता को बढ़ाने में सहयोग करेगी। लगातार बढ़ते साइबर हथियारों के युग में सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है।

❐❐❐

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture
अखिल मूर्ति के निर्देशन में
ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स
वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति
इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे
1. इतिहास विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के ऐप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. इतिहास विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
(i) पेपर 1: प्राचीन भारत का इतिहास तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास
(ii) पेपर 2: आधुनिक भारत का इतिहास तथा विश्व इतिहास
5. इतिहास विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. प्रथम प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री
नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कूरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।
9555-124-124, 7428085757 | Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

11 आपदा प्रबंधन

पुराने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करने का निर्णय

संदर्भ

- वित्त वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 वर्ष से अधिक पुराने 'कोयला आधारित विद्युत संयंत्रो' को बंद करने का विचार व्यक्त किया था।
- पुराने कोयला विद्युत संयंत्र कार्बन उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं, अत: इन्हें बंद किये जाने से भारत द्वारा 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित उत्सर्जन लक्ष्यों' की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

संयंत्रों को बंद करने के लाभ

- 25 वर्ष से पुराने कोयला विद्युत संयंत्रो को बंद करने से आर्थिक एवं पर्यावरणीय सुधार होंगे। पुराने और अक्षम संयंत्रों के स्थान पर नई और अधिक कुशल प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कोयले के उपयोग में कमी आएगी तथा दक्षता में सुधार होगा। इससे लागत में भी कमी आएगी।
- पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिये पुराने संयंत्रों में आवश्यक 'प्रदूषण नियंत्रण उपकरण' स्थापित करना गैर-लाभकारी प्रक्रिया होगी। अत: इन संयंत्रों को बंद करना ही बेहतर होगा।
- हाल ही में, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) ने दिल्ली की विद्युत वितरण कंपनी बी.एस.ई.एस. को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC) के दादरी-I जेनरेटिंग स्टेशन (कोयला आधारित विद्युत स्टेशन, उत्तर प्रदेश) के साथ 25 वर्ष पूर्व के विद्युत खरीद समझौते से बाहर आने की अनुमति प्रदान की है। आयोग के इस निर्णय को इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।
- 25 वर्ष से अधिक पुराने विद्युत संयंत्रों की देश के विद्युत उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ये संयंत्र देश की कुल तापीय विद्युत क्षमता का लगभग 20 प्रतिशत विद्युत उत्पादन करते हैं। अत: इन संयंत्रो को बंद करने के संबंध में लिया गया निर्णय संयंत्रो से होने वाली वास्तविक क्षति के आकलन के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

पुराने कोयला विद्युत संयंत्रो का लाभ

- सी.ई.आर.सी. के आदेशानुसार, कुछ पुराने संयंत्र महँगे विद्युत खरीद समझौतों से बँधे हैं तथा कुछ संयंत्रों में विद्युत उत्पादन की लागत काफी कम है।
- उदाहरणस्वरूप- रिहंद, सिंगरौली, विंध्याचल आदि संयंत्र 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा इनकी उत्पादन लागत 1.7 रुपए/किलोवाट घंटा है। यह लागत राष्ट्रीय औसत उत्पादन लागत से काफी कम है।
- इसका प्रमुख कारण इनकी दक्षता न होकर इनका कोयला स्रोतों के नजदीक स्थापित होना है। इससे इनकी कोयला परिवहन लागत कम हो जाती है।

पुराने संयंत्रो को बंद करने का 'संभावित बचत विश्लेषण'

- एक आकलन के अनुसार, 25 वर्ष से अधिक पुराने संयंत्रों को बंद करने से उत्पादन लागत में लगभग 5000 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी। यह बचत कुल विद्युत उत्पादन लागत का मात्र 2 प्रतिशत है।
- 25 वर्ष पुराने कोयला संयंत्रों से होने वाले विद्युत उत्पादन को नए कोयला संयंत्रों से प्रतिस्थापित करने पर कोयले की खपत में मात्र 1 से 2 प्रतिशत की कमी की संभावना है।
- 25 वर्ष से पुराने संयंत्रो में उत्सर्जन में कमी के उद्देश्य से 'प्रदूषण नियंत्रण उपकरण' लगाने को अलाभकारी मानना पूर्णत: तर्कसंगत नहीं है। कुछ संयंत्र ऐसे भी हैं, जो प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के प्रयोग के साथ भी आर्थिक रूप से लाभकारी बने रह सकते हैं, क्योंकि उनकी वर्तमान निश्चित लागत, जो प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना के साथ बढ़ेगी, काफी कम है।
- गौरतलब है कि 25 वर्ष से पुराने संयंत्रों में से लगभग आधे संयंत्रों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिये टेंडर जारी कर दिये हैं।

कोयला आधरित विद्युत संयंत्रों से पर्यावरणीय प्रदूषण

- भारत के कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत कोयला आधारित संयंत्रों से किया जाता है। इन संयंत्रों से कई प्रदूषक तत्त्व भी उत्सर्जित होते हैं। इन प्रदूषकों में सल्फर डाईऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, लेड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इत्यादि प्रमुख हैं।
- इसके अतिरिक्त इन संयंत्रों से जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं भूमि के क्षरण जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। इसके स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
- मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर संयंत्रों के हानिकारक उत्सर्जन से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के मद्देनज़र पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2015 में ताप विद्युत संयंत्रो के संबंध में विशिष्ट उत्सर्जन मानकों का निर्धारण किया गया था।

- इन मानकों में संयंत्र की क्षमता के आधार पर भेद किया गया था। हालाँकि, इन मानकों का अनुपालन अभी संभव नहीं हो पाया है।
- पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयास
- सरकार ने परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट (वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट) अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
- इसके अंतर्गत 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, 10 गीगावाट जैव ऊर्जा तथा 5 गीगावाट लघु जलविद्युत ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है। इस दिशा में वर्ष 2020-21 के आँकड़ों के अनुसार 92.54 गीगावाट उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा चुकी है।
- गैर-पारंपरिक ऊर्जा की दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं-
  - **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)-** इस योजना को ऊर्जा क्षमता विकसित करने तथा किसानों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 25700 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
  - **सौर पार्कों की स्थापना-** सौर पार्कों के विकास के द्वारा 40 गीगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इन पार्कों को केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों तथा निजी उद्यमियों द्वारा विकसित किया जा रहा है।
  - **हरित ऊर्जा गलियारा-** इस योजना का आरंभ वर्ष 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में विद्युत की निकासी को सुविधाजनक बनाना है।
  - **सौर शहर-** प्रत्येक राज्य में कम से कम एक शहर (राज्य की राजधानी या कोई महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल) को सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। शहर की विद्युत आवश्यकताओं को पूरी तरह से अक्षय स्रोतों मुख्यत: सौर ऊर्जा से पूर्ण किया जाएगा।
  - **अपतटीय पवन-** देश में पवन ऊर्जा की व्यापक संभावनाएँ विद्यमान है। तमिलनाडु और गुजरात के अपतट पर लगभग 70 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा की संभाव्यता है। देश के अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यक्रम हेतु एक उपक्रम रणनीति को अंतिम रूप देने के लिये एक समिति का गठन किया गया है।

निष्कर्ष

- कोयला आधारित संयंत्रों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को कम करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिये संयंत्रों में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग को वरीयता दी जानी चाहिये। इन्हें बंद करने के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उससे होने वाले 'लाभ एवं हानि' पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।
- सरकार द्वारा गैर-परंपरागत ऊर्जा की दिशा में किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़ रही पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए 'हरित ऊर्जा का प्रयोग' ही श्रेष्ठ विकल्प होगा।

भारत-नेपाल बाढ़ प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता

संदर्भ

ज़मीनी स्तर पर किये गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद उत्तरी बिहार में अभी भी बाढ़ की समस्या बनी हुई है।

पृष्ठभूमि

- बिहार में 'आपदा प्रबंधन' को मूर्त स्वरूप प्रदान करने का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जाता है।
- बिहार के मुख्यमंत्री (2005-2010) के रूप में अपने प्रथम कार्यकाल में, उन्होंने बाँधों और जलाशयों, डिटेंशन बेसिनों, तटबंधों तथा चैनल सुधार जैसे बुनियादी ढाँचे के साथ 'संरचनात्मक परिवर्तन' किये।
- बाद के वर्षों में बाढ़भूमि प्रबंधन, बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी, बाढ़ बीमा तथा वित्तीय क्षतिपूर्ति जैसे 'गैर-संरचनात्मक उपायों' को भी अपनाया गया।

वर्तमान स्थिति

- कोविड-19 महामारी के कारण पहले से ही मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है, ऐसे में अतिरिक्त वर्षा और बाढ़ ने नागरिकों की समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है।
- बाढ़ की यह पुरानी एवं जटिल समस्या उत्तरी बिहार के पाँच करोड़ से अधिक लोगों तथा तराई क्षेत्र को और भी कमज़ोर कर रही है। लेकिन, नीति निर्माताओं द्वारा इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
- इस वर्ष मई के आरंभ में बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने दो दस्तावेज़ जारी किये- बाढ़ से पूर्व की तैयारी और बाढ़ नियंत्रण आदेश, 2021।
- इन दस्तावेज़ों का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को तैयारियों और राहत सहायता प्रणाली में मदद करना है।
- हालाँकि, बिहार में बाढ़ नियंत्रण तब तक संभव नहीं है, जब तक भारत और नेपाल के मध्य एक द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से

एक समर्पित 'अंतर-सरकारी पैनल' का गठन नहीं किया जाता है, जो इस साझा संकट का अध्ययन, आकलन और समाधान प्रस्तुत कर सके।

बाढ़ और बिहार : ऐतिहासिक तथ्य

- बिहार को भारत के सबसे अधिक 'बाढ़ संभावित राज्य' के रूप में जाना जाता है।
- बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र (FMISC), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का अनुमान है कि उत्तरी बिहार की 76 प्रतिशत आबादी बाढ़ के आवर्ती जोखिम का सामना कर रही है।
- उत्तरी बिहार का एक बड़ा भू-भाग नेपाल से संलग्न है, जिसमें कई नदियों प्रवाहित होती हैं, जिनका जलग्रहण 'स्टीप और भूगर्भीय' रूप से 'नवजात हिमालय' (Nascent Himalayas) में होता है।
- नेपाल से उद्गमित; कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालन, महानंदा तथा अधवारा जैसी नदियाँ 'हाई डिस्चार्ज और तलछट भार' द्वारा नेपाल के तराई और बिहार के मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष सामाजिक-आर्थिक नुकसान पहुँचाती हैं।
- एफ.एम.आई.एस.सी. के अनुसार, इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र का लगभग 65 प्रतिशत नेपाल/तिब्बत तथा केवल 35 प्रतिशत बिहार में स्थित है।
- काले समिति (1997) के अनुसार, उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में विगत 30 वर्षों के दौरान सबसे अधिक बाढ़ क्षेत्र दर्ज किया गया है।

दोनों देशों के मध्य सहयोग

- हाल के वर्षों में बाढ़ और जल प्रबंधन के मामलों में नेपाल द्वारा दिखाई गई उदासीनता के विपरीत 1950 के दशक में शुरू हुए तटबंधों के लिये भारत और नेपाल के मध्य सहयोग प्रशंसनीय है।
- जब वर्ष 1955 में कोसी तटबंधों पर काम शुरू हुआ था, तो सेवानिवृत्त नेपाली सैनिकों के एक समूह ने स्वेच्छा से भारतीय स्वयंसेवकों का सहयोग किया था।
- हालाँकि, यह प्रगतिशील सरकार-नागरिक इंटरफेस खुद को बनाए नहीं रख सका और दोनों देशों के मध्य जल सहयोग कम हो गया।
- परिणामस्वरूप, जलविद्युत उत्पादन के लिये ही जल संसाधनों का उपयोग को किया जा सका।

जल प्रबंधन की पुनर्रचना

- उत्तरी बिहार के लोगों के लिये बाढ़ उनके जीवन का हिस्सा है। वस्तुत: तटबंधों के निर्माण और धाराओं के परिवर्तन करने जैसे ढाँचागत हस्तक्षेपों ने धीमें जल प्रवाह के पारंपरिक प्रतिरूप को बिगाड़ दिया है।
- पूर्व में कृत्रिम अवरोधों के बिना जल का प्रवाह क्षेत्र कृषि में सहायता करता था।
- कोसी संधि (1954), जिसके तहत नेपाल में तटबंधों की स्थापना और रख-रखाव का प्रावधान था, भविष्योन्मुखी नहीं थी, क्योंकि यह तटबंधों के रख-रखाव और नदियों को अपना मार्ग बदलने के लिये पर्याप्त प्रावधान नहीं करती थी।
- पत्थरों, रेत, गाद और तलछट के जमाव के कारण नदी का तल ऊपर उठ गया है और यह लगातार अपना मार्ग बदल रहा है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है।
- 18वीं और 20वीं सदी के मध्य में, कोसी का मार्ग 100 किलोमीटर से अधिक पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मानव विस्थापन हुआ।
- भारत के साथ जल प्रबंधन से संबंधित मामलों पर नेपाल के अड़ियल रवैये के बावजूद, नेपाल को अपनी नदियों से पानी छोड़ने के लिये दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, क्योंकि भारत अतीत में शुरू की गई सभी परियोजनाओं से लाभ उठा रहा है।
- स्पष्टत: जल सहयोग को एक 'कॉमन कॉज' के रूप में फिर से स्थापित करने और 1950 के दशक से संयुक्त कार्रवाई के लिये प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।

नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता

- वर्ष 1937 की शुरुआत में बाढ़ नियंत्रण के पारंपरिक तरीके से तटबंध आधारित ब्रिटिश प्रणाली में के बारे में निर्णय लिया गया था।
- नेपाल के बाराह क्षेत्र में बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने के लिये एक उच्च बाँध की योजना बनाई गई, जिसे अंतत: वर्ष 1953 में विनाशकारी कोसी बाढ़ के बाद मूर्त रूप दिया गया।
- तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1953 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित लोगों के सुरक्षित पुनर्वास के लिये एक दूरदर्शी कोसी योजना की घोषणा की थी।
- मुख्यधारा के राजनीतिक और नीतिगत प्रतिष्ठानों द्वारा इस वार्षिक आपदा और आजीविका पर इसके विनाशकारी प्रभावों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत और नेपाल को बाढ़ के संकट को समाप्त करने के लिये कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही, दोनों देशों के मध्य जल प्रबंधन सहयोग की दीर्घकालिक रणनीति के साथ इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये।

❐❐❐

12 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति

संदर्भ

- वर्तमान युग में हमारा सामना ऐसे कम लोगों से ही होता है जो परोपकार के बदले में किसी अन्य लाभ की आकांक्षा न रखते हों।
- ऐसे ही एक वास्तविक जीवन के नायक, बंगाल के सुजीत चट्टोपाध्याय हैं, जो 350 से अधिक आदिवासी और वंचित बच्चों को पढ़ाने के लिये एक वर्ष में केवल 2 रुपए लेते हैं।

पृष्ठभूमि

- कोलकाता के बाहरी इलाके से तीन घंटे की दूरी पर बर्दवान में औसग्राम गाँव स्थित है। यह स्थान प्रायः सरसराहट वाले पेड़ों और पक्षियों के चहकने की आवाज़ से जाना जाता है। सन्नाटे के बीच सुजीत चट्टोपाध्याय के प्रांगण से व्यस्तता का भाव आकार लेता है, जो हर दिन एकत्रित होने वाले जिज्ञासु युवाओं से गुलजार हो जाता है।
- साहित्य और शिक्षा के लिये पद्मश्री से सम्मानित 76 वर्षीय चट्टोपाध्याय रामनगर उच्च माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। वे सामाजिक-पर्यावरण जागरूकता के एक सक्रिय पैरोकार हैं और सामाजिक समानता एवं पर्यावरण के अनुकूल जीवन की अवधारणाओं को भी बढ़ावा देते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद से, उन्होंने अपना समय निराश्रित परिवारों से आने वाले छात्रों के उत्थान के लिये समर्पित किया है।
- उनके द्वारा स्थापित 'सदाई फकीर पाठशाला' (द इटरनल फकीर स्कूल) वर्ष 2004 से चट्टोपाध्याय के औसग्राम घर में चल रही है।

परोपकार हेतु प्रेरणा

- चट्टोपाध्याय कहते हैं कि "सेवानिवृत्ति के बाद, मेरे पास अचानक बहुत सारा खाली समय हो गया और मुझे नहीं पता था कि उन लंबे घंटों को कैसे बिताया जाए। एक दिन तीन लड़कियाँ मेरे घर आईं और मुझसे सीखने की इच्छा जताईं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे मेरी छात्र बनने के लिये प्रतिदिन 20 किमी. से अधिक की यात्रा करने के लिये तैयार थीं।"
- उन्होंने अपने अंतःकरण से प्रेरित होकर लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करते हुए 'सदाई फकीर पाठशाला' का निर्माण किया।

परिणाम

- 32 किमी. दूर निकटतम कॉलेज के साथ-साथ अच्छे स्कूलों की संख्या में कमी के साथ संघर्ष करने के बावजूद, इस पाठशाला में उनके कई छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं में प्रभावशाली रैंक हासिल की है।
- वर्ड ऑफ माउथ के आधार पर इस स्कूल की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 3 से 350 तक बढ़ गई है। संख्या में वृद्धि के बावजूद, फीस में 1 रुपए को छोड़कर एक पैसा भी नहीं बढ़ा, जो पूर्व छात्रों के आग्रह पर भी उठाया गया था, जिन्होंने स्वेच्छा से स्कूल में पढ़ाने के लिये कहा था।

संघर्ष

- कई जगहों पर स्कूल बनाने के लिये, चट्टोपाध्याय ने स्थानीय सरकार को कई पत्र भेजे और बेहतर सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ और अधिक स्कूलों एवं कॉलेजों की अपील की। लेकिन उन्होंने कहा कि "मेरी सभी अपीलों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है।" रोज़ाना 40-45 किमी. साइकिल चलाने के बावजूद, उनके कुछ छात्रों को उनकी कक्षाओं में भाग लेने के लिये इतनी लंबी दूरी तय करने में कोई आपत्ति नहीं है।
- तीन दशकों से अधिक के शिक्षण करियर के साथ, सुजीत चट्टोपाध्याय को हमेशा अपने छात्रों के बीच पसंद किया जाता था। उनकी अनूठी शिक्षण तकनीकों के अतिरिक्त, छात्र पाठ्यक्रम से परे अन्य गतिविधियों और शिक्षाओं से लाभान्वित हुए।
- विश्व भारती विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर और चट्टोपाध्याय के शुरुआती छात्रों में से एक, पीयूष कांति घोष कहते हैं कि "सर ने हमेशा विभिन्न सामाजिक बुराइयों के खिलाफ छात्र सक्रियता के महत्त्व की वकालत की। वह हमें बार-बार याद दिलाते थे कि क्यों हमारी शिक्षा सिर्फ हमारी पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आचरण और व्यक्तित्व में भी परिलक्षित होनी चाहिए।"
- सदाई फकीर पाठशाला नियमित कक्षाओं और पीटीए (Parents Teacher Association) बैठकों के साथ किसी अन्य स्कूल की तरह संचालित नहीं होती है और 80 प्रतिशत छात्रों में निम्न-मध्यमवर्गीय परिवारों की लड़कियाँ शामिल हैं।

- चट्टोपाध्याय ऊर्जा से परिपूर्ण होकर माध्यमिक कक्षाओं को सामाजिक विज्ञान और स्नातक छात्रों को डिग्री पाठ्यक्रम बंगाली पढ़ाते हैं।
- शिक्षाविद् के अतिरिक्त, चट्टोपाध्याय को 'मास्टर मोशाय' भी कहा जाता है।

अन्य सामाजिक कार्य

- चट्टोपाध्याय कहते हैं कि वे हमेशा जल्दी उठते हैं और अपने गाँव में घूमते हैं। तीन वर्ष पूर्व, उन्होंने एक माँ को अपने बच्चे के साथ बस-स्टैंड पर इंतज़ार करते हुए पाया। जब उन्होंने उस माँ से पूछा तो उसने बताया कि उसके बेटे को थैलेसीमिया है। गरीब बच्चे को हर कुछ हफ्तों में रक्त आधान की आवश्यकता होती है। वह यह कहते हुए रो पड़ी कि उसके परिवार के लिये इलाज का खर्च उठाना बहुत मुश्किल है।
- इस घटना से चट्टोपाध्याय को गहरा सदमा लगा। उन्होंने बीमारी के विवरण का अध्ययन किया और अपने छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ानी शुरू की। उन्होंने तुरंत ही छात्रों के एक समूह को घर-घर जाकर उस थैलेसीमिक बच्चे के लिये चंदा इकट्ठा करने के लिये प्रेरित किया।
- चट्टोपाध्याय थैलेसीमिया के इलाज हेतु एक सक्रिय मंच का प्रबंधन करते हैं, जहाँ वे इसके रोगियों के इलाज के लिये धन जुटाते हैं। उनका यह अभियान गाँव और उसके आसपास 60 से अधिक थैलेसीमिक बच्चों को स्वस्थ रखने के लिये धन के संग्रह के साथ एक नियमित गतिविधि बन गया है।

आदर्श व्यक्तित्व

- सुजीत चट्टोपाध्याय एक आदर्श व्यक्तित्व (Role Model) के तौर पर भावी पीढ़ी के लिये एक मिसाल हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिये समर्पित कर दिया है।
- उनकी असाधारण सत्यनिष्ठा और सहानुभूति राष्ट्र के सच्चे पथ-प्रदर्शक हैं। वह एक ऐसे गुमनाम नायक हैं जिनके प्रयासों की देश भर में सराहना की जानी चाहिये।
- समकालीन विश्व को सुजीत चट्टोपाध्याय जैसे नायकों की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे बेहतर एवं करुणायुक्त समाज की स्थापना की जा सके।

❑❑❑

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स एवं पेनड्राइव कोर्स

इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने पर आपको प्राप्त होंगे

1. भूगोल विषय के सभी खंडों की वीडियो कक्षाएँ जो संस्कृति IAS के ऐप एवं पेनड्राइव कोर्स में उपलब्ध हैं।
2. सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण सहित वीडियो कक्षाएँ
3. परिचय पुस्तिका
4. भूगोल विषय के प्रश्नपत्र 1 तथा 2 के सभी खंडों की सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री–
   (i) पेपर 1 (भूगोल के सिद्धांत): भौतिक भूगोल– भूआकृतिक विज्ञान; जलवायु विज्ञान; समुद्र विज्ञान; जैव भूगोल; पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल– मानव भूगोल का स्वरूप/परिप्रेक्ष्य; आर्थिक भूगोल; जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल; प्रादेशिक नियोजन; मानव भूगोल से सम्बंधित मॉडल एवं सिद्धांत।
   (ii) पेपर 2 (भारत का भूगोल): भारत का भौतिक भूगोल; संसाधन भूगोल; कृषि; उद्योग; परिवहन, संचार एवं व्यापार; सांस्कृतिक भूगोल; प्रादेशिक नियोजन और विकास; राजनीतिक भूगोल; समसामयिक मुद्दे– पारिस्थितिकी, बाढ़, सूखा, महामारी, वनोन्मूलन, आपदाएँ, सतत् विकास आदि।
5. भूगोल विषय में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह
6. द्वितीय प्रश्नपत्र से सम्बंधित मानचित्र अध्ययन सामग्री

नोट : उपर्युक्त सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री कूरियर द्वारा आपके पते पर भेजी जाएगी।

9555-124-124, 7428085757 | Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

13 विविध

खेल घटनाक्रम

प्रमुख खेल गतिविधियाँ

- विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ, जिसमे भारत के युवा पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 1 सिल्वर, और 7 काँस्य पदक सहित कुल 13 पदक जीते।
- युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 'राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र' (एन.सी.एस.एस.आर.) का मुख्य उद्देश्य एथलीटों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उच्चस्तरीय अनुसंधान, शिक्षा एवं नवाचार को बढ़ावा देना है।
- 7वें आई.सी.सी. पुरुष टी.-20 विश्व कप 2021 का आयोजन भारत की जगह अब संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में 17 अक्तूबर से 14 नवंबर के मध्य किया जाना प्रस्तवित है जिसमें 16 टीमें भाग लेंगीं।
- युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा 13 अगस्त 2021 को "फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0" राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' के अंतर्गत किया गया।
- यह कार्यक्रम देश भर के 744 ज़िलों एवं प्रत्येक ज़िलों के 75 गांवों और 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में 2 अक्तूबर 2021 तक प्रत्येक सप्ताह आयोजित किया जायेगा।
- फुटबॉल टूर्नामेंट 'डूरंड कप 2021' के 130वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्तूबर 2021 तक किया जायेगा।
- 'राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार' का नाम बदलकर "मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार" कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- आई.पी.एल. के द्वितीय संस्करण का आयोजन 19 सितंबर से 15 अक्तूबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई, शारजाह, और अबुधाबी में किया जायेगा।
- अनिल कुंबले को पीछे छोड़ते हुए जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए।
- एस्टेबन ओकन (अल्पाइन-रेनॉल्ट/फ्रांस) ने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीत लिया है।
- पुणे के हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं।
- लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना छोड़ने के बाद पेरिस सेंट जर्मेन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये।
- ओडिशा सरकार वर्ष 2023 में मौजूदा प्रायोजन समाप्त होने के बाद 10 अतिरिक्त वर्षों के लिये भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करेगी।

टोक्यो ओलंपिक 2020 (ग्रीष्मकालीन ओलंपिक)

- टोक्यो ओलंपिक 2020 (32वें) का आयोजन 23 जुलाई से 08 अगस्त, 2021 को किया गया। इसमें 33 खेलों के 339 प्रतिस्पर्धाओं के लिये 205 देशों के 11 हज़ार से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया।
- इस बार के ओलंपिक में चार नए खेलों– कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल किया गया है।
- चीन की यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक (10 मीटर एयर राइफल) जीता।
- **भारतीय ध्वजवाहक:**
  - **उद्घाटन समारोह में:** मनप्रीत सिंह और एम.सी. मेरीकॉम ('लैंगिक समानता' सुनिश्चित करने के लिये पहली बार एक पुरुष और एक महिला ध्वजवाहक)
  - **समापन समारोह में:** बजरंग पुनिया
- भारत इस ओलंपिक में 7 पदक (1 + 2 + 4 = 7) के साथ 48वें स्थान पर रहा, जबकि अमेरिका (39 + 41 + 33 = 113) पहले, चीन दूसरे (38 पदक) और जापान तीसरे (27 पदक) स्थान पर रहा।
- इस ओलंपिक में भारत की प्रथम पदक विजेता साइखोम मीराबाई चानू रहीं। उन्होंने महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता।
- पी.वी. सिंधु ने इस ओलंपिक में चीन की ही बिंग जियाओ को हराकर बैडमिंटन में काँस्य पदक जीता। इस जीत के साथ ही सिंधु दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला

खिलाड़ी बन गई हैं। सिंधु ने रियो 2016 में रजत पदक जीता था। पहलवान सुशील कुमार दो ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं।

- पी.वी. सिंधु वर्ष 2019 में विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और वर्ष 2020 में उनको 'पद्म भूषण' प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, वे पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं।
- असम की रहने वाली मुक्केबाज़ लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में तुर्की की विश्व चैंपियन बुसेनाज़ सुरमेनेली से हारने के बाद 69 किग्रा. वर्ग में काँस्य पदक जीता।
- टोक्यो ओलंपिक में रूस के जावुर युगुएव से हारने के बाद रवि कुमार दहिया ने 57 किग्रा वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता। वे ओलंपिक में कुश्ती में पहलवान सुशील कुमार के बाद रजत पदक जीतने वाले भारत के दूसरे पुरुष पहलवान बन गए हैं।
- पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष फ्रीस्टाइल के 65 किग्रा. वर्ग में कज़ाकिस्तान के दौलत नियाजबेकोव को 8–0 से हराकर काँस्य पदक जीता।
- मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 वर्ष बाद ओलंपिक (टोक्यो ओलंपिक) में काँस्य पदक जीता। इस टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड और सहायक कोच पीयूष दुबे थे। ओलंपिक इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का यह तीसरा काँस्य पदक है। साथ ही, भारत इससे पहले आठ स्वर्ण और एक रजत पदक भी जीत चुका है। भारत ने अंतिम बार वर्ष 1980 में ओलंपिक पदक जीता था।
- नीरज चोपड़ा ने इस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वे एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ओलंपिक में भारत को 13 वर्ष बाद स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है।
- भारत ने टोक्यो ओलंपिक में सात पदक जीते हैं, जो कि अभी तक का सर्वाधिक है। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने छह पदक जीते थे।
- टोक्यो ओलिंपिक में पहली बार हिंदी में कॉमेंट्री की व्यवस्था की गई।
- अगले ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2024 में पेरिस में किया जाएगा। अमेरिका (लॉस एंजेल्स) वर्ष 2028 के ओलंपिक का मेजबान है।
- भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 9 खेल प्रतिस्पर्धाओं में 54 पैरा खिलाड़ी सहित अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था।
- टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह टेकचंद भारत के नए ध्वजवाहक बने।
- इस अवसर पर दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा लिखे और गाए जाने वाले पैरालंपिक थीम-गीत 'कर दे कमाल तू' को जारी किया गया।

टोक्यो पैराओलंपिक

पद तालिका

क्र.सं.	देश	स्वर्ण	रजत	काँस्य	योग
1.	चीन	96	60	51	207
2.	ब्रिटेन	41	38	45	124
3.	अमेरिका	37	36	31	104
4.	आर.पी.सी. (रूस)	36	33	49	118
24.	भारत	5	8	6	19

भारतीय पदक विजेता

खिलाड़ी	स्पर्धा
स्वर्ण पदक	
अवनी लेखरा	महिलाओं की 10 मी. एयर रायफल स्टैंडिंग एस.एच.-1
सुमित अंतिल	भाला फेंक (जैवलिन थ्रो)
मनीष नरवाल	पुरुषों की पी-4 मिश्रित 50 मी. पिस्टल एस.एच.-1
प्रमोद भगत	बैडमिंटन
कृष्णा नागर	बैडमिंटन

रजत पदक	
भाविना पटेल	टेबल टेनिस
मरियप्पन थंगावेलु	ऊँची कूद
प्रवीण कुमार	ऊँची कूद
देवेंद्र झांझरिया	भाला फेंक (जैवलिन थ्रो)
योगेश कथूरिया	डिस्कस थ्रो
निषाद कुमार	ऊँची कूद
सिंहराज अधाना	पुरुषों की पी-4 मिश्रित 50 मी. पिस्टल एस.एच.-1
सुहास एल. यातिराज	बैडमिंटन
काँस्य पदक	
सुंदर सिंह गुर्जर	भाला फेंक (जैवलिन थ्रो)
शरद कुमार	ऊँची कूद
सिंहराज अधाना	पुरुषों की पी-4 मिश्रित 50 मी. पिस्टल एस.एच.-1
अवनी लेखरा	महिलाओं की 10 मी. एयर रायफल स्टैंडिंग एस.एच.-1
हरविंदर सिंह	पुरुषों की तीरंदाजी में व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा
मनोज सरकार	बैडमिंटन

प्रमुख आयोजन/सम्मेलन

- 26 जुलाई से 06 अगस्त, 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर 'कटलास एक्सप्रेस-2021' नौसेना अभ्यास किया गया। यह पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। इसमें 12 पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ-साथ अमेरिका, यू.के., भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे– अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इंटरपोल, यूरोयूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स इंडियन ओशन और ई.यू.सी.ए.पी. सोमालिया ने भागीदारी की। भारतीय नौसेना इस अभ्यास में 'प्रशिक्षक की भूमिका' में थी।
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 के 'टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिये खाद्य प्रणालियों में बदलाव : बढ़ती चुनौती' पर पूर्व-शिखर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। विदित है कि वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष' के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।
- भारत और रूस के बीच 12वाँ संयुक्त सैन्याभ्यास 'इंद्र-21' 1 से 13 अगस्त, 2021 तक रूस के वोल्गोग्राद में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई संबंधी संयुक्त राष्ट्र के फैसले के अनुपालन में दोनों देशों की सेनाओं ने आतंक विरोधी अभ्यास में हिस्सा लिया।
- भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच 12वाँ 'इंद्र नेवी' अभ्यास बाल्टिक सागर में 28 और 29 जुलाई, 2021 को किया गया। यह सैन्याभ्यास हर दो वर्ष बाद भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच किया जाता है। 'इंद्र नेवी' अभ्यास की शुरुआत 2003 में की गई थी।
- आर्कटिक में अनुसंधान और सहयोग पर चर्चा के लिये भारत ने 'तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय' (ASM3) बैठक में भाग लिया, जिसे आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।
- लद्दाख ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों को स्वच्छ पानी का महत्त्व बताने के लिये एक महीने का अभियान– 'पानी माह' (जल माह) शुरू किया है। इस अभियान में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण, जल आपूर्ति की योजना व रणनीति तथा गाँवों में पानी सभा का निर्बाध आयोजन जैसे त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया।
- 'रेंज टेक्नोलॉजी पर दूसरे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' (IEEE ICORT 2021) 05 अगस्त, 2021 को आयोजित किया गया। इसका

आयोजन 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (DRDO) के तहत चाँदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज प्रयोगशाला कर रहा है।

- द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज ने बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता के शिकार लोगों के लिये 7 अगस्त को 'नेशनल कन्वेंशन ऑन डिजिटल बेस्ट प्रैक्टिसेज एंड नार्थ ईस्ट समिट' का आयोजन किया। यह ट्रस्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तत्वावधान में वर्ष 2000 से स्वलीनता (ऑटिज्म), मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी), मानसिक मंदता (मेंटल रिटार्डेशन) और बहु-दिव्यांगता (मल्टीपल डिसेबिलिटीज) के शिकार लोगों के सशक्तीकरण के लिये काम कर रहा है।
- भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक अगस्त, 2021 में आयोजित की गई। इस बैठक का विषय 'इंडिया/75 : आत्मनिर्भर भारत के लिये सरकार और व्यापार जगत का साथ मिलकर आगे बढ़ना' है। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त इस बैठक को विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि वक्ता के तौर पर सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री और आर्थिक नीतियों के समन्वय मंत्री श्री हेंग स्वी कीत ने संबोधित किया।
- भारतीय सेना 22 अगस्त से 4 सितंबर, 2021 तक रूस में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल-2021 में भाग ले रही है।
- तीन दिवसीय 'इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम' (IIGF) - 2021 की शुरुआत 20 अक्टूबर, 2021 को होगी। इस वर्ष का विषय 'डिजिटल इंडिया के लिये समावेशी इंटरनेट' है।
- 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से 9 और 10 अगस्त, 2021 को नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव के 5वें संस्करण का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव का विषय 'प्रौद्योगिकी सक्षम सरकारी खरीदारी– दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता की ओर' था।
- भारत और सऊदी अरब की नौसेनाओं के बीच पहला 'अल-मोहेद अल-हिंदी' अभ्यास जल्द ही शुरू होने वाला है।
- हाथियों और बाघों की संख्या का अनुमान लगाने के लिये अखिल भारतीय गणना प्रक्रिया पहली बार वर्ष 2022 में एक साथ आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है।
- भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिये 'इब्सा' (IBSA: भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका) के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया।
- भारतीय नौसेना और कतर एमिरी नेवल फोर्स के बीच युद्धाभ्यास 'जैर-अल-बहर' का दूसरा संस्करण दिनांक 9 से 14 अगस्त, 2021 तक फारस की खाड़ी में आयोजित किया गया।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के अंतर्गत 2 करोड़ उपचार पूरे होने के उपलक्ष्य में 'आरोग्य धारा- 2.0' कार्यक्रम का आयोजन किया।
- भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला अक्टूबर 2021 में प्रतिष्ठित वार्षिक 'दिल्ली सीरीज सी पावर' सेमिनार के आठवें संस्करण का आयोजन करेगी। इस वर्ष के वेबिनार का विषय 'हिंद महासागर क्षेत्र का समुद्री इतिहास' है।
- आई.एन.एस. तबर और एच.एम.एस. वेस्टोमिंस्टर के बीच कोंकण अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में 16 अगस्त, 2021 को किया गया।
- 'भारत-कज़ाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण प्रयास का 5वाँ संस्करण-काजिंद-21', कज़ाखस्तान में 30 अगस्त से 11 सितंबर, 2021 तक आयोजित किया जाना है।
- अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया नौसेनाओं के मध्य 'अभ्यास मालाबार-21' का आयोजन 26 से 29 अगस्त, 2021 तक किया गया। सामुद्रिक अभ्यास की मालाबार शृंखला वर्ष 1992 में भारतीय तथा अमेरिकी नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई और बाद में इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए।
- भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं के बीच 23 अगस्त, 2021 को पश्चिम फिलीपीन सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया।

प्रमुख पुरस्कार

- भारत सरकार ने 11 शहरों को भारत के शीर्ष 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार 'इंडिया साइकिल्स 4 चेंज चैलेंज' के पहले सीजन के अगले चरण की शुरुआत का प्रतीक है।
- वर्ष 2021 के लिये 152 पुलिसकर्मियों को 'गृहमंत्री अन्वेषण उत्कृष्टता पदक' प्रदान किया गया। इस पदक की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य अपराधों की जाँच में उच्च प्रोफेशनल मानकों को प्रोत्साहित करना तथा उत्कृष्ट अन्वेषण करने वाले जाँच अधिकारी की मेहनत को पहचान देना है।
- भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिये प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा 500 या अधिक

लोगों को रोज़गार देने वाली निजी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत व्यक्तियों को प्रदान किये जाते हैं। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किये गए–

- श्रम भूषण पुरस्कार (प्रत्येक को 1,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार)।
- श्रम वीर/श्रम वीरांगना पुरस्कार (प्रत्येक को 60,000 रुपये का नकद पुरस्कार)।
- श्रम श्री/श्रम देवी पुरस्कार (प्रत्येक को 40,000 रुपये का नकद पुरस्कार)।

- इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सेल (SAIL) के कर्मचारियों ने सर्वाधिक प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार जीते।
- केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर 22 युवाओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 और 2018-19 प्रदान किये। साथ ही, उन्होंने कृषि-उद्यम चुनौती एस.ओ.एल.वी.ई.डी. 2021 (सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित स्वयंसेवी उद्यम विकास) चैलेंज के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किया।
- विदित है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र स्वयं सेवकों और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से ग्रामीण, उप-शहरी और शहरी भारत के युवाओं के लिये दिसंबर 2020 में एस.ओ.एल.वी.ई.डी चैलेंज का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्यम कृषि-खाद्य मूल्य शृंखला में नवाचारी, युवा नेतृत्व वाले उद्यमशीलता समाधानों की पहचान और पोषण करना है।
- राष्ट्रपति ने एक अशोक चक्र, एक कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र सहित सैन्य बलों, पुलिस और अर्द्ध सैन्य बलों के जवानों के लिये 144 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। जम्मू-कश्मीर पुलिस के श्री बाबू राम को अशोक चक्र और जम्मू-कश्मीर पुलिस के ही श्री अल्ताफ हुसैन भट को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया।
- 17 अगस्त, 2021 को यूएन वूमेन (UN Women) के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय-नेसकॉम 'स्टार्ट-अप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21' के विजेताओं की घोषणा की गई। 12 महिला उद्यमियों को विजेताओं के रूप में चुना गया।
- 20 अगस्त, 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजीव गांधी उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की।
- पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (SII) के अध्यक्ष डॉ. साइरस पूनावाला को वर्ष 2021 के लिये प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

महत्त्वपूर्ण दिवस/विषय

दिवस	दिनांक	थीम/विषय
मुस्लिम महिला अधिकार दिवस	01 अगस्त	तीन तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के उपलक्ष्य में।
राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस	01 अगस्त	----------
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस	07 अगस्त	इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया। 07 अगस्त, 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस	07 अगस्त	नीरज चोपड़ा द्वारा 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में।
विश्व आदिवासी दिवस/ विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	09 अगस्त	किसी को पीछे नहीं छोड़ना : स्वदेशी लोग एवं एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान।
भारत छोड़ो आंदोलन दिवस व अगस्त क्रांति दिवस	09 अगस्त	----------
अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस	10 अगस्त	----------
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस	12 अगस्त	खाद्य प्रणालियों में बदलाव– ग्रह और मानव स्वास्थ्य के लिये युवा नवाचार।
विश्व हाथी दिवस	12 अगस्त	----------
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस	14 अगस्त	----------
सद्भावना दिवस	20 अगस्त	राजीव गांधी जयंती के उपलक्ष्य में।

विश्व मच्छर दिवस	20 अगस्त	शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुँचना।
विश्व संस्कृत दिवस	22 अगस्त	----------
महिला समानता दिवस	26 अगस्त	----------
राष्ट्रीय खेल दिवस	29 अगस्त	मेजर ध्यानचंद की जयंती।
विश्व स्तनपान सप्ताह	1-7 अगस्त	सुरक्षित स्तनपान : एक साझा ज़िम्मेदारी।

- भारत सरकार ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत सरकार महत्त्वपूर्ण स्थानों पर नेताजी और आई.एन.ए. से जुड़ी महत्त्वपूर्ण तिथियों का भी जश्न मना रही है।
- प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें

पुस्तकें	लेखक
शामल डेज	*साबिन इकबाल*
जनरेशंस	*नीला पद्मनाभन– का. ना. सुब्रमण्यम द्वारा अनूदित*
महासेना	*काला कृष्णन*
हेसिटेंसीज	*संजीव सेठी*
स्टिल लाइफ	*सराह विनमैन*
डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट्स	*कौशिक बसु द्वारा संपादित*
दि इलुसिव टिपिंग पॉइंट : चाइना-इंडिया टाइस फॉर ए न्यू ऑर्डर	*पी. एस. सूर्यनारायण*
ओरियंटिंग : एन इंडियन इन जापान	*पल्लवी अय्यर*
दि कंसेंसियस मैनेजर	*फणी मेदिचारला*
चाइना रूम	*संजीव साहोता*
दि वाइस विमेन एंड अदर स्टोरीज	*मन्नू भंडारी (विद्या प्रधान द्वारा अनूदित)*
दि स्वीटनेस ऑफ वाटर	*नाथन हैरिस*
रजनीकांत - ए लाइफ	*वासंथी*
दी हंट फॉर माउंट एवरेस्ट	*क्रैग स्टोर्टी*
दि लॉन्ग गेम	*रुष दोशी (Rush Doshi)*
सिटी ऑफ शैडोज : स्लम्स एंड इनफॉरमल वर्क इन बैंगलोर	*सुप्रिया रॉय चौधरी*
ट्रांस व्हेन ऑडियोलॉजी मीट्स रियलिटी	*हेलेन जोयस (Helen Joyce)*
राइट बिटवीन दि इयर्स	*संदीप दयाल*
इक्वेशंस	*शिवानी सिब्बल*

स्टिल वी सिंग : वॉइसेज ऑन वायलेंस अगेंस्ट विमेन	*सरिता जेनामानी द्वारा संपादित*
लेसर लाइव्स : स्टोरीज ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन इंडिया	*नितिन सिन्हा और प्रभात कुमार द्वारा संपादित*
डर्टी विमेन	*मधुमिता भट्टाचार्य*
लेडी डॉक्टर्स : द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियास फर्स्ट वूमेन इन मेडिसिन	*कविथा राव*
दि ड्रैगन फ्रॉम दि माउंटेंस	*मैथ्यू मेकार्टनी*
दि बर्सिलोना कांपलेक्स	*सिमोन कूपर*
दि फर्स्ट सेल	*अजरा राजा*
लीगल फिक्शन	*चंदन पांडे (भारत भूषण तिवारी द्वारा अनूदित)*
बैटलफील्ड	*विश्राम बेडेकर (जेरी पिंटो द्वारा अनूदित)*
हेवेन	*मिइको कावाकामी*
दि डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग इन बेड	*मारियाना एनरिक्वेज (मेगन मैकडॉवेल द्वारा अनूदित)*
एड्रेस बुक : ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड	*रितु मेनन*
नेहरू, तिब्बत एंड चाइना	*ए. एस. भसीन*
एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड	*शंकर आचार्य*
माउंटेन टेल्स	*सौम्या रॉय*
द गर्ल्स इन ग्रीन	*तनुश्री पोद्दार*
वन्स अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड	*क्वेंटिन टैरेंटिनो*
बेटर टू हैव गॉन : लव, डेथ एंड द क्वेस्ट फॉर यूटोपिया इन ऑरोविले	*आकाश कपूर*
ओपियम इंक : हाउ ए ग्लोबल ड्रग ट्रेड फंडेड ब्रिटिश एम्पायर	*थॉमस मैनुअल*
नार्सिसस या मैकियावेली? लर्निंग लीडरशिप फ्रॉम इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स	*निशांत उप्पल*

❐❐❐

मानचित्र अध्ययन

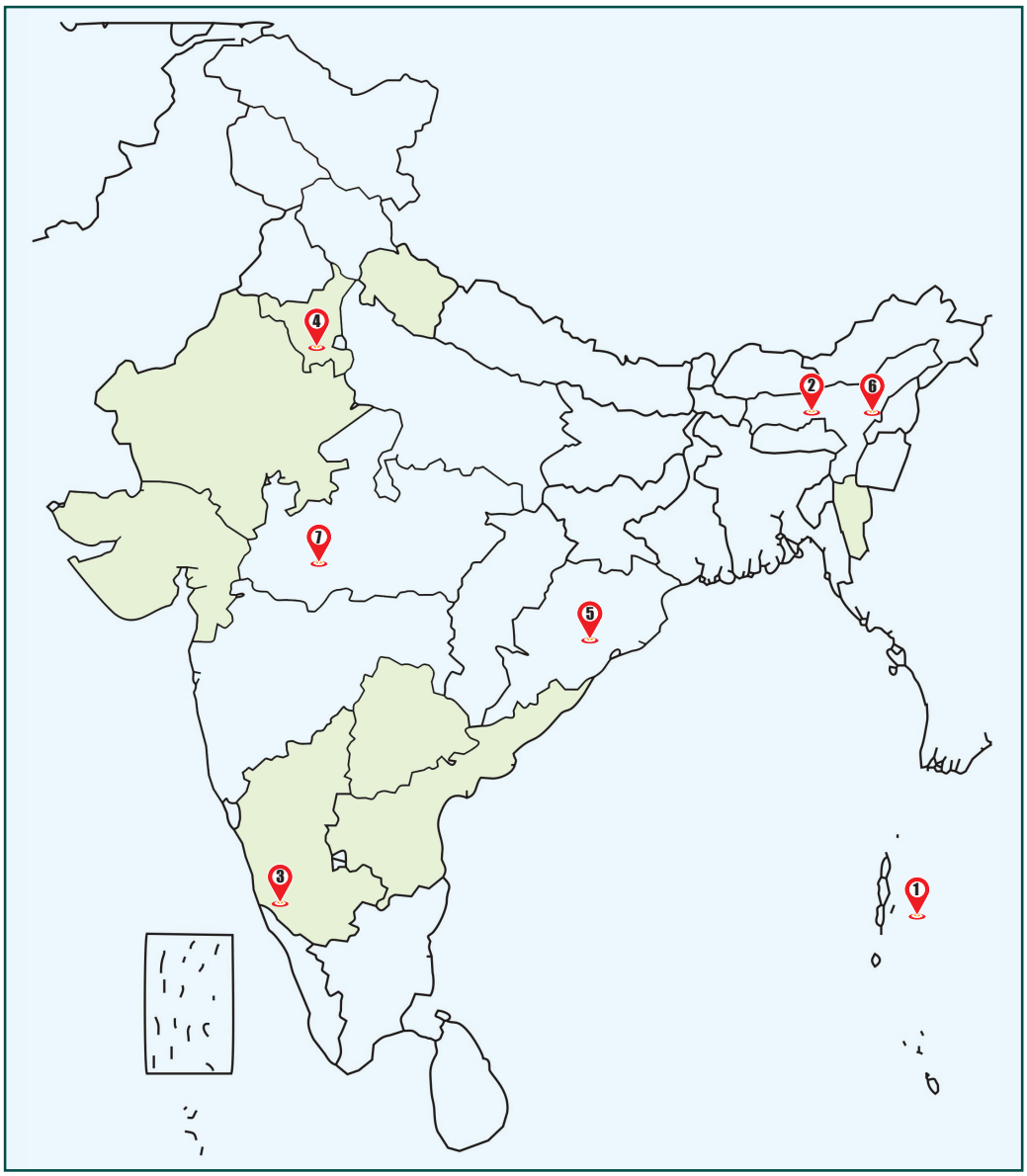

मानचित्र-1 (भारत)

1. ग्रेट अंडमानी जनजाति एक 'विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह' (PVTGs) है। इस जनजाति को कोविड-19 महामारी के संक्रमण से सुरक्षा के लिये किस द्वीप पर स्थानांतरित किया जा रहा है?
2. असम की सबसे मीठे पानी की झील एवं वन्यजीव अभयारण्य जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र' घोषित किया गया।
3. कर्नाटक का वह स्थल जो नीले नीलकुरिंजी फूलों के खिलने के कारण चर्चा में रहा।
4. हरियाणा राज्य का वह वन्यजीव अभयारण्य जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है।
5. मगरमच्छों एवं घड़ियालों की संख्या में वृद्धि करने के लिये अंगुल ज़िले से 'घड़ियाल परियोजना' को किस वन्यजीव अभयारण्य से प्रारंभ किया गया?
6. तिवा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला वांचुवा महोत्सव चर्चा में रहा।
7. स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत भारत का प्रथम 'वाटर प्लस शहर' घोषित किया गया। *(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 149 पर देखें)*

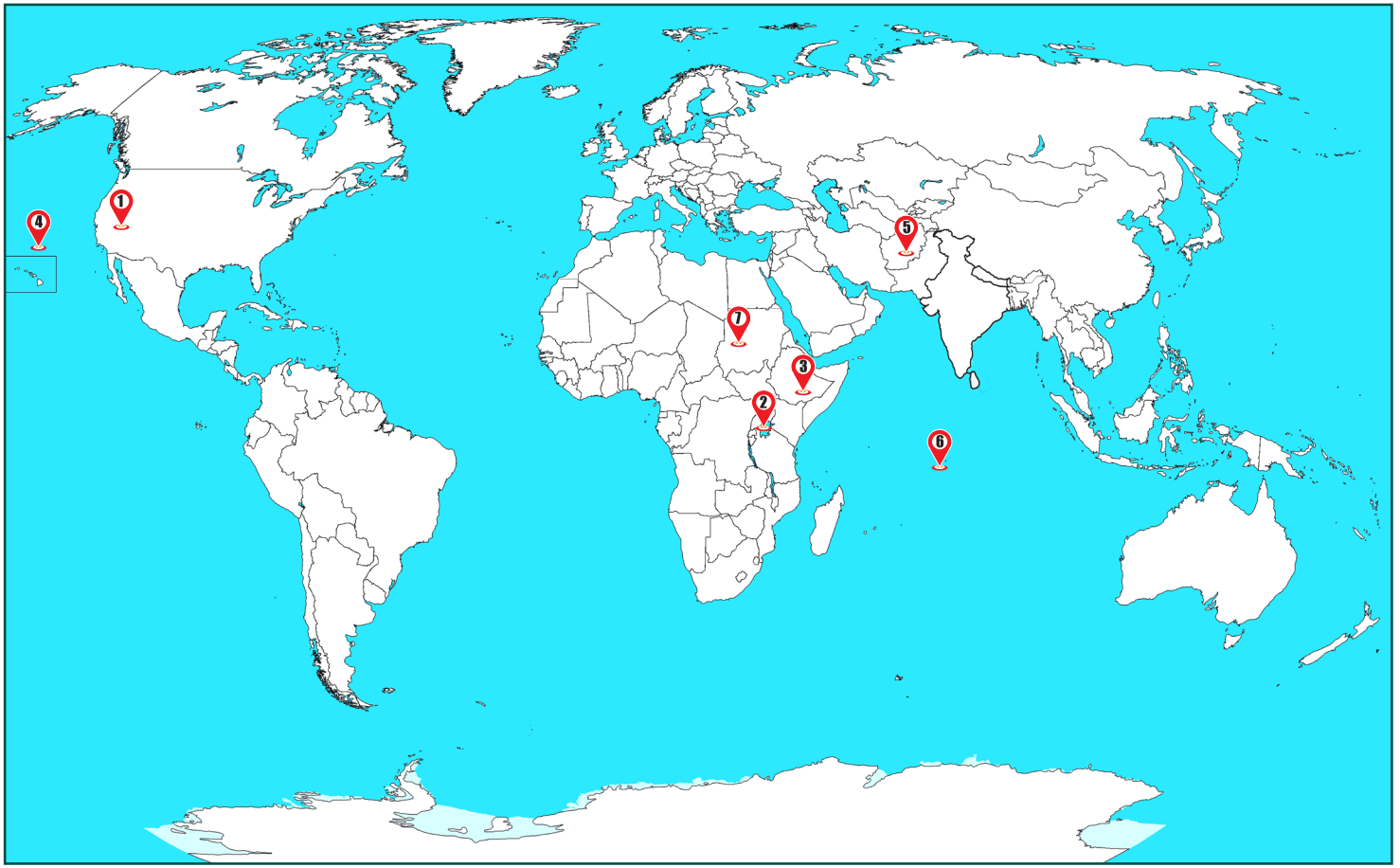

मानचित्र-2 (विश्व)

1. रॉकी पर्वत से निकलने वाली सयुंक्त राष्ट्र अमेरिका की वह नदी जिस पर हूवर बाँध का निर्माण किया गया है, सूखे के कारण इसकी बेसिन में पानी की कमी हो गई है।
2. भारत सरकार ने ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों से संबंधित किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति दी है। किगाली शहर की स्थिति?
3. अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को 'संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन' (UNFAO) तथा 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' (WFP) ने 'उच्चतम अलर्ट' वाला देश घोषित किया है।
4. वैज्ञानिकों ने हवाई द्वीप के किस ज्वालामुखी क्षेत्र में भूकंपी घटनाओं एवं भूमि के उभार में वृद्धि का पता लगाया है।
5. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित वह प्रांत जो अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतिरोधी मोर्चा के नियंत्रण में है।
6. वह द्वीपसमूह जहाँ पर ब्रिटिश टिकटों के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
7. सूडान का वह संघर्षरत क्षेत्र जहाँ के लोगों एवं अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 154 पर देखें)

योजना

भारतीय प्रशासन तंत्र

भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास

- 'सिविल सेवा' की मूल अवधारणा ईस्ट इंडिया कंपनी को देश में नागरिक एवं सैन्य व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सैनिकों को कॉडर बनाने संबंधी अधिकार देने के लिये नागरिक जनादेश अर्थात् चार्टर जारी होने के साथ शुरू हुई। इन अधिकारियों को धीरे-धीरे व्यापार अधिकारियों से प्रशासनिक अधिकारियों में परिवर्तित कर दिया गया जो 'कॉविनेन्ट्स' यानी प्रतिज्ञापत्रों पर हस्ताक्षर कर सकते थे और इस प्रकार उन्हें 'कॉविनेटेड सिविल सेवा' का अंग बना लिया गया।
- कॉविनेटेड और अनकॉविनेटेड (अधीनस्थ) सेवाओं के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर यह था कि कॉविनेटेड सेवा के अधिकारियों की भर्ती इंग्लैंड से की जाती थी, जबकि अधीनस्थ सेवा के अधिकांश अधिकारी भारत से ही होते थे। इसी 'अनकॉविनेटेड सेवा' को बाद में 'भारतीय सिविल सेवा' (ICS) का नाम दिया गया और इन अधिकारियों का दायित्व महारानी की ओर से यहाँ के मामलों को संभालना और निपटाना था।
- 19वीं सदी के मध्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली लागू हुई, जिसके अंतर्गत किसी की सिफारिश या संदर्भ के आधार पर अधिकारी रखने की जगह प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर नियुक्ति करने की व्यवस्था शुरू की गई। लोक सेवाओं में सुधार के लिये 'मैकाले कमेटी' से लेकर 'इस्लिंग्टन कमेटी' और फिर 'ली आयोग' बनाए गए थे और इन सभी ने संवैधानिक लोक सेवा आयोग गठित करने की सिफारिश की थी।
- आई.सी.एस. परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर जिन्होंने वर्ष 1864 में यह सफलता प्राप्त की थी।
- सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत में सिविल सेवाओं के गठन के लिये अग्रणी भूमिका निभाई थी।
- विदित है कि वर्ष 1922 तक यह परीक्षा सिर्फ लंदन में ली जाती थी, जिसकी वजह से भारतीय लोगों को परीक्षा देने के लिये अनेक परेशानियाँ झेलनी पड़ती थीं। इसके बावजूद अनेक भारतीयों ने यह परीक्षा पास की, जिनमें प्रमुख हैं– बिहारी लाल गुप्ता, रोमेश चंद्र दत्त और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनमें भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन का नाम भी प्रमुख है जो बाद में सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने।

संविधान और सिविल सेवाएँ

- संविधान के अनुच्छेद– 310, 311 और 312 सिविल सेवाओं से संबंधित हैं। अनुच्छेद-310 के अनुसार, केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और राज्य स्तर की सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं।
- वे राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सिविल अधिकारी अकारण राजनैतिक हस्तक्षेप (दबाव) या परेशानी के शिकार न हों। अनुच्छेद -312 के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाएँ, संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोगों को संवैधानिक संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई है।
- प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को 'सिविल सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिविल सेवाओं के अधिकारियों को लोगों की सेवा के प्रति समर्पण का भाव रखने और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाने की बात याद दिलाई जाती है।

सिविल सेवाओं की चुनौतियाँ और सुधार

- सिविल सेवाओं के अधिकारियों को बहुत अधिक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं, ऐसे में नैतिक बल के आधार पर ही सुशासन स्थापित किया जा सकता है। अनेक समितियों ने सिविल सेवाओं में भर्ती, कार्यकाल के दौरान समय-समय पर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, विशेषज्ञता हासिल करने की ज़रूरत, दक्षता, जवाबदेही आदि के बारे में बदलाव और सुधार के सुझाव दिये हैं।
- दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में) में खामियों का उल्लेख करते हुए भत्ता, कामकाज की प्रगति, कार्यकाल और परिणामोन्मुख प्रशासन तंत्र विकसित करने के सुझाव प्रस्तुत किये गए थे।
- सूचना का अधिकार कानून, 2005 जैसे विधेयक आने से नागरिकों के लिये जानकारी प्राप्त करने के नियम और प्रक्रियाएँ निर्धारित

कर दी गई हैं, जिससे प्रशासन व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आई है।

- भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा शुरू की गई 'सिटिजंस चार्टर' अर्थात् 'नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था' के अंतर्गत लोगों की अपेक्षा के अनुरूप सेवा मानक एवं समय-सीमाएँ तय की जानी चाहिये जो उचित और व्यावहारिक हों और इनमें शिकायतों की सुनवाई व उनके निवारण तथा स्वतंत्र जाँच की व्यवस्था होनी चाहिये।
- प्रशासनिक सेवा से जुड़ी हाल में एक बहस 'सभी कार्य कर सकने वाले' (Generalists) और 'विशेषज्ञ' (Specialists) अधिकारियों की तुलना पर उठी है। जन शिकायतें सुनकर शीघ्र ही कुशलतापूर्वक उनका समाधान करने के लिये ज़रूरी है कि प्रशासनिक अधिकारी को विभिन्न मुद्दों, विभागों, नियमों और दायित्वों की अच्छी जानकारी हो।
- प्रशासन की योग्यता अपने-आप में एक बड़ी विशेषज्ञता है। फिर भी, उच्च स्तर पर पहुँचकर विशेषज्ञ जानकारी अधिकारियों के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसके लिये शैक्षिक योग्यता, रुचि और अनुभव ही आधार बन सकते हैं।
- हालाँकि, प्रौद्योगिकी के विकास और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को देखते हुए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन क्रांतिकारी बदलावों के कारण कहीं हमारे नीतिगत सुधार न पिछड़ जाएँ।

प्रशासनिक सेवाओं से मिलती गति

संदर्भ

- आधुनिक काल से पहले सत्रहवीं सदी तक हर कबीले का मुखिया उनका सरदार होता था। जन-जागरण आने के साथ ही आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें लोगों द्वारा चुने गए 'प्रतिनिधि' सत्ता में आए और शासन संभालने लगे।
- मैक्स वेबर ने सत्ता को तीन वर्गों में विभाजित किया है– परंपरागत सत्ता (उत्तराधिकार, रीति-रिवाज़ों, भौतिक इच्छाओं आदि पर आधारित), प्रतिभागत सत्ता (जन्मजात प्रतिभा और गुणों पर आधारित) और तर्कसंगत वैध सत्ता यानी अफसरशाही या नौकरशाही। वास्तविकता और तर्क पर आधारित होने के कारण नौकरशाही शासन व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है।

नौकरशाही की विशेषताएँ

- 'नौकरशाही' एक 'औपचारिक संगठन' है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं:
  - औपचारिक चयन एवं पदोन्नति जो सुस्पष्ट मानकों और मानदंडों पर मुख्यतया योग्यता (मेरिट) और पारदर्शिता पर आधारित हो।
  - लिखित नियम, विनिमय प्रक्रियाएँ और तौर-तरीके हों ताकि किसी तरह के भेदभाव या व्यक्तिगत पसंद-नापसंद से किसी का समर्थन या विरोध न होने पाए।
  - परंपरागत संगठन- वरिष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ वर्गों का स्पष्ट निर्धारण।
  - विशेषज्ञता, श्रम तथा दायित्वों का निर्धारण।
  - व्यावसायिक योग्यता को व्यक्तिगत ज़िद से न दबाया जाए।
- लंबे अर्से तक कार्यकाल में विभिन्न कार्यों और प्रणालियों का अनुभव प्राप्त होता है और विविध क्षेत्रों में काम करने से परिपक्वता आती है, जिससे सार्वजनिक नीति तैयार करने की क्षमता एवं योग्यता विकसित होती है।
- मैक्स वेबर ने लोकतांत्रिक समाज सुधारने में तर्कसंगत वैध शासन व्यवस्था को अन्य प्रकार की शासन प्रणालियों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त माना है।

कार्यप्रणाली

- संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर वर्ग 'क', 'ख' और 'ग' के प्रत्याशियों का चयन करते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये प्रत्याशी काम करना शुरू कर देते हैं।
- हालाँकि, नियमों और विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों की उपेक्षा की जाती है।
- परंपरागत व्यवस्था अधीनस्थ सहयोगियों के काम के निरीक्षण, निगरानी और दिशा-निर्देश में तो उपयोगी है, पर कई बार अधीनस्थ कर्मचारी को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर फायदा पहुँचाने के लिये इन नियमों को तोड़-मरोड़ दिया जाता है, जिससे व्यवस्था संबंधी कई समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।
- श्रम विभाजन के बारे में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिये अधिकारों और दायित्वों के संतुलित विभाजन का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिये, वरना बिना किसी उत्तरदायित्व के अधिकार मिल जाने से तानाशाही एवं भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। सभी नीति-निर्माताओं और प्रशासकों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में संशोधन करें और अपने-अपने स्तर पर सत्ता और अधिकारों का विकेंद्रीकरण करके सबसे निचले स्तर तक पहुँचने की कोशिश करें।
- व्यावसायिक कुशलता और योग्यता प्रशासनिक सेवाओं का मूल मंत्र है। इसमें चार तत्त्व समाहित होते हैं: समानता, निष्पक्षता, कार्यकुशलता और गुमनाम रहना। गुमनामी में रहने से तात्पर्य है, अकारण प्रचार और प्रोपेगंडा के चक्कर में पड़े बिना चुपचाप जनहित के लिये कार्य करते रहना। प्रशासनिक अधिकारी से आशा

की जाती है कि सार्वजनिक कार्यों का निपटारा समय-सीमा के भीतर और मूल नियमों का उल्लंघन किये बिना करें।

- स्थायित्व और निरंतरता की भावना से भविष्य सुधारने के विचार से समाज में संतुलन और दूरदर्शिता आती है, विशेषकर अखिल भारतीय सेवाओं में विभिन्न समुदायों, उप-संस्कृतियों, क्षेत्रों, भाषाओं इत्यादि पर आधारित 'विविधता में एकता' का समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण पूरा करने का अवसर मिलता है। लेकिन, स्थायित्व और निरंतरता का आशय यह भी नहीं है कि परिवर्तन का सोचा ही न जाए, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। इसलिये प्रशासनिक अधिकारियों को जनता की भलाई और देश की समृद्धि के लिये परिवर्तन अपनाने होंगे।
- सरदार वल्लभभाई पटेल ने 10 अक्तूबर, 1949 को संविधान सभा में प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अखिल भारतीय सेवाओं का पुरज़ोर समर्थन किया था और उनके पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये थे:
  - देशभक्ति, स्वामीभक्ति, ईमानदारी और योग्यता की दृष्टि से इनका कोई विकल्प नहीं है। ये उतने ही कुशल हैं, जितने हम हैं।
  - पिछले दो-तीन वर्षों में इनमें से अधिकांश सेवाओं ने देशभक्ति और वफादारी की भावना से काम न किया होता तो देश बिखर जाता। प्रशासनिक सेवाएँ नहीं होंगी तो अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी।
  - देश में स्थिरता आने और देश के सशक्त बन जाने के बाद उन पर परिवर्तन का दबाव बनाया जा सकता है।

प्रशासनिक व्यवस्था में खामियाँ और उनका विश्लेषण

- नौकरशाही पर अक्सर 'लालफीताशाही' (अकारण देरी करने) का आरोप लगाया जाता है और कई तरीके अपनाकर निर्णय न ले पाने का दोष भी लगाया जाता है, जैसे–
- कई बार उच्च (बड़े) अधिकारी किसी फाइल में लिख देते हैं कि 'प्लीज डिस्कस' अर्थात् 'चर्चा करें' लेकिन यह नहीं लिखते कि किस तारीख को और किस समय चर्चा करनी है। ऐसे में जब संबद्ध अधिकारी के पास जाते हैं तो उक्त चर्चा हो ही नहीं पाती;
- उच्चतम अधिकारी कई हिस्सों में और जल्दी-जल्दी प्रश्न उठाते हैं एवं सभी पहलुओं को जोड़कर एक बार में ही स्पष्टीकरण नहीं माँगते, फलत: निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी हो जाती है;
- देरी के लिये अक्सर 'बहुत काम है' का सहारा लिया जाता है। अत: अधिक विकेंद्रीकरण, कार्य के बेहतर वितरण और काम को 'आवश्यक', 'महत्त्वपूर्ण' या 'सामान्य' श्रेणियों में बाँटने की आवश्यकता है।
- एक अन्य बाधा है– स्थानांतरण अर्थात् तबादले का डर। तीन वर्ष के कार्यकाल के सिद्धांत का बहुत ही कम पालन किया जाता है और कई अधिकारी तो एक वर्ष या उससे पहले ही स्थानांतरित कर दिये जाते है। इस कार्रवाई का कोई उचित/उपयुक्त कारण भी नहीं बताया जाता। ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई अधिकारी नौ से दस वर्षों तक एक ही पद पर बना रहता है। ऐसा या तो राजनीतिक संबंधों और समर्थन के कारण या फिर जाति, धर्म या समुदाय आधारित कारणों से होता है।
- उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की नीतियों पर विचार करें तो यह देखा गया है कि नीतिगत फैसला कई बार इसी आधार पर ले लिया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र खराब है और निजी क्षेत्र बेहतर होता है। इसी आधार पर कई कंपनियों के शेयर या फिर पूरी कंपनी को ही बेच दिया जाता है और इसे 'विनिवेश' का नाम दे दिया जाता है। फिर विकास कार्यों की बढ़ा-चढ़ाकर खबरें देना और नुकसान की बात छुपाकर रखना भी संविधान की शपथ का अनादर है।

निष्कर्ष

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधि सत्ता की बागडोर संभाले रहें, लेकिन साथ में प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी देते रहें कि उनकी सलाह को अन्यथा नहीं लिया जाएगा। जैसा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने परिपक्व अनुभव पर आधारित विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को उचित ठहराया था और दूसरी ओर उन्होंने भारत के विभिन्न भागों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक दृष्टि से संगठित तथा एकजुट बनाया था। इन सेवाओं के पास अवसर है कि नए तरीके अपनाकर चुनौतियों का सामना करें और देश की सेवा में आवश्यक योगदान दें।

शासन में ईमानदारी

संदर्भ

आचार नीति ऐसा मानक है, जो व्यक्तियों के व्यवहार, पसंद और कार्यों को निर्देशित करने में मदद करता है। यह बहुआयामी है, क्योंकि यह अधिकारों, दायित्वों, निष्पक्षता, गुणों आदि की अवधारणा सहित समाज की मूल्य प्रणाली द्वारा संचालित होता है। आचार नीति और ईमानदारी लोक प्रशासन प्रणाली की आधारशिला हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना और दूसरों के लिये स्वयं के आधिपत्य को सुगम बनाने वाले मूल्यों को कम समय में आसानी से आत्मसात् नहीं किया जा सकता है। इसके लिये सोच में बदलाव को जीवन भर विकसित करने की आवश्यकता होती है। ज़िम्मेदारी और जवाबदेही आचार नीति के अभिन्न अंग हैं। कानूनों और नियमों की प्रकृति, जिसके माध्यम से जवाबदेही लागू की जाती है, समाज के नैतिक विचारों पर आधारित है।

आचार नीति

- एथिक्स यानी आचार नीति शब्द मूल ग्रीक शब्द एथिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है– आदत से उत्पन्न होना। निस्संदेह, संस्कृति, मूल्य, चरित्र, सही-गलत का ज्ञान नैतिकता के सर्वोत्कृष्ट निर्धारक हैं। आचार नीति केवल उच्च नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। इसका संबंध सार्वजनिक पदाधिकारियों को उनकी चूक के लिये कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराने के लिये तंत्र से भी है।
- भ्रष्टाचार निवारण समिति (1964) अर्थात् संथानम समिति के अनुसार, 'नैतिक तत्परता की कमी', सबसे बड़ा कारक है, जो ईमानदारी और दक्षता की मज़बूत परंपराओं के विकास में बाधा डालता है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता के प्रमुख सिद्धांतों का पालन हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ाता है।

शासन में आचार नीति

- नैतिकता का पारिस्थितिकी तंत्र– संस्कृति, मूल्य (सत्यनिष्ठा, ईमानदारी आदि), हितों का टकराव।
- विधायी और प्रशासनिक तंत्र– मंत्रियों के लिये आचार संहिता, सिविल सेवकों के लिये आचार संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूचना का अधिकार।
- संस्थागत तंत्र– लोकायुक्त, सी.वी.सी., सी.बी.आई.।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने आचार नीति पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में शासन में नैतिकता के सिद्धांतों को अपनाने और इसमें निम्नलिखित को शामिल करने का सुझाव दिया–
  - आचार नीति मानदंडों और आचरण को संहिताबद्ध करना।
  - सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत लाभ के बीच टकराव से बचने के लिये व्यक्तिगत हित का खुलासा करना।
  - प्रासंगिक संहिताएँ लागू करने के लिये एक तंत्र का गठन।
- किसी सार्वजनिक अधिकारी की पद के लिये योग्यता और अयोग्यता के संबंध में मानदंड निर्धारित करने वाले मूल्य, समाज के सभी सदस्यों के लिये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं तथा सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे उनका सम्मान करें और पालन करें।
- समाज का लोकाचार, विश्वास और भरोसे के वातावरण का निर्माण करने वाले नागरिकों के व्यवहार के तरीके से तैयार किया गया है। सत्यनिष्ठा को आचरण के विभिन्न पहलुओं में शामिल करते हुए एक समग्र अवधारणा के रूप में देखा जाना चाहिये और इसे केवल वित्तीय ईमानदारी तक सीमित नहीं होना चाहिये। नीतिपरायणता की शक्ति और सत्यता को बनाए रखने की क्षमता भीतर से आनी चाहिये।
- हितों के टकराव से बचना चाहिये। तदनुसार, किसी भी परिस्थिति में आधिकारिक पद का उपयोग निजी उद्देश्यों के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
- सरकारी अधिकारियों को हितधारकों के साथ अपने संबंधों के बारे में सावधान रहना चाहिये, जो समाज की सर्वांगीण बेहतरी के लिये निष्पक्ष रूप से कार्य करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें जोखिम में डाल सकते हैं। निर्णय कभी भी समाज के कुछ चुनिंदा या विशिष्ट वर्गों के लाभ से प्रेरित नहीं होने चाहिये।

सिविल सेवकों के लिये आचार संहिता

- भारत सरकार ने एक आचार संहिता निर्धारित की है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की लोक सेवकों पर लागू होती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रियों द्वारा उनकी संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करने, सरकार में शामिल होने से पहले जिस व्यवसाय में थे उससे सभी संबंध विच्छेद करने एवं स्वयं या परिवार के किसी सदस्य आदि के लिये कोई योगदान या उपहार स्वीकार नहीं करने की बात कही गई है।
- 1930 के दशक में सिविल सेवकों के लिये क्या करें और क्या न करें वाले निर्देशों का एक संग्रह जारी किया गया था और इस आचरण को नियमावली कहा गया था। संथानम समिति की सिफारिशों के अनुसरण में आचरण नियमावली को संशोधित और विस्तारित किया गया, परिणामस्वरूप आज सी.सी.एस. आचरण नियम 1964 का पालन किया जा रहा है। ये नियम सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्देशों की संचालक शक्ति हैं।
- आचरण नियम, सामान्य व्यवहार के कुछ मानदंडों को निर्धारित करते हैं, जैसे– ईमानदारी तथा कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखना और एक सरकारी कर्मचारी का अशोभनीय आचरण में शामिल नहीं होना।
- सिविल सेवकों के लिये निर्धारित आचार संहिता काफी व्यापक है और एक निवारक के रूप में कार्य करती है, लेकिन फिर भी अपेक्षित व्यवहार के मानदंडों से विचलन के मामले सामने आए हैं।
- यद्यपि सिविल सेवकों की जवाबदेही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिये तंत्र प्रदान किया गया है, तथापि दंड देने की यह पूरी प्रक्रिया बहुत उबाऊ और समय लेने वाली है। ऐसे प्रक्रियात्मक मुद्दों को प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिये समय-सीमा निर्धारित करके और अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से निगरानी करके निपटाया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2003 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प को मंजूरी दी। संकल्प के अनुच्छेद-8 में सार्वजनिक

अधिकारियों के लिये आचार संहिता का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि सी.सी.एस. आचार संहिता (1964) में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा या ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन में मानकों पर समिति या स्पेन में सुशासन की संहिता में उल्लिखित अधिकांश सिद्धात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसमें निहित हैं।

- हालाँकि, इस बात पर भी जोर देने की आवश्यकता है कि सही आचरण के मानदंडों को केवल कानूनों और नियमों के कठोर प्रवर्तन के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है, इसके लिये दृष्टिकोण में परिवर्तन बहुत महत्त्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन	नोलन समिति	स्पेन की सुशासन संहिता
भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की परिकल्पना– 1. भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ अपनी कानूनी प्रणाली के मूल सिद्धांतों के अनुसार अपने सरकारी अधिकारियों के बीच सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देना। 2. सार्वजनिक कार्यों के सही, सम्मानजनक और उचित प्रदर्शन के लिए आचार संहिता या मानक स्थापित करना। सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के कृत्यों की उपयुक्त प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए उपाय करना और प्रणालियों की स्थापना करना। 3. सार्वजनिक अधिकारी अपनी उन बाहरी गतिविधियों, रोज़गार, निवेश, संपत्ति और उपहार या लाभों के बारे में घोषणा कर सकें जिनसे सार्वजनिक अधिकारियों के रूप में उनके कार्यों में हितों का टकराव हो सकता है, इसके लिये आवश्यक उपायों की घोषणा और प्रणालियों की स्थापना करना। 4. स्थापित संहिता या मानकों का उल्लंघन करने वाले सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक या अन्य कार्रवाई करना।	सार्वजनिक जीवन के सात सिद्धांत: 1. निस्वार्थता 2. सत्यनिष्ठा 3. निष्पक्षता 4. जवाबदेही 5. खुलापन 6. ईमानदारी 7. नेतृत्व	संहिता में विकसित नैतिकता और अच्छे आचरण के सिद्धांत: 1. निष्पक्षता 2. सत्यनिष्ठा 3. तटस्थता 4. ज़िम्मेदारी 5. विश्वसनीयता 6. निष्पक्षता 7. गोपनीयता 8. जनसेवा के प्रति समर्पण 9. पारदर्शिता 10. अनुकरणीय आचरण 11. आत्मसंयम 12. पहुँच 13. दक्षता 14. ईमानदारी 15. संस्कृति, पर्यावरण तथा स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा देना।

संस्थागत एवं विधायी ढाँचा

- शासन की कुशल और प्रभावी प्रणाली के लिये शासन में ईमानदारी नितांत आवश्यक है। नैतिकता और सत्यनिष्ठा को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग द्वारा वर्ष 2001 में प्रशासन में ईमानदारी पर जारी परामर्श पत्र में कई विधायी और संस्थागत मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जिनमें शामिल हैं:
  - बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम की धारा 5 को लागू करने की आवश्यकता,
  - लोक सेवकों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की ज़ब्ती का प्रावधान करने वाले कानून की आवश्यकता,
  - जनहित प्रकटीकरण कानून का अधिनियमन,
  - सूचना की स्वतंत्रता कानून का अधिनियमन,
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग कानून के अतिरिक्त लोकपाल विधेयक को अधिनियमित करने की आवश्यकता और
  - आपराधिक न्यायिक प्रणाली को मज़बूत करना।
- भारत में ईमानदारी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये एक व्यापक विधायी और संस्थागत ढाँचा है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

संस्थागत और कानूनी ढाँचा	
संस्थान	**कानून**
1. सीवीसी	1. बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम
2. सीबीआई	2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
3. सीएजी	3. सूचना का अधिकार अधिनियम
4. लोकपाल और लोकायुक्त	4. भारतीय दंडसंहिता और अपराधिक दंडसंहिता

आगे की राह

उपरोक्त ढाँचा काफी व्यापक है, फिर भी अन्य देशों की तरह हमारे पास सरकारी अधिकारियों के लिये आचार नीति संहिता और व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम जैसे कानून नहीं हैं। मौजूदा तंत्र के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों में निम्नलिखित तरीकों से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है:

- कार्य स्वतंत्रता को कम-से-कम कर,
- शासन के सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग कर,
- सेवाओं और संबंधित गतिविधियों के प्रतिपादन के लिये स्पष्ट समय-सीमा के साथ-साथ उन्हें प्रदान करने की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने के साथ नागरिक चार्टर को अधिक विस्तृत बनाकर,
- नागरिक चार्टर के अनुपालन पर एक मासिक रिपोर्ट, संगठन की वेबसाइट पर डालकर।

निष्कर्ष

सरकारी अधिकारी और कर्मचारी समाज का हिस्सा हैं और वे भी सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होते हैं। शासन संरचना का हिस्सा होने के नाते, उन्हें अधिक ज़िम्मेदार होना चाहिये। सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिये एक मज़बूत कानूनी और संस्थागत तंत्र विद्यमान है। लोगों को देश के कानूनों का पालन करने के लिये प्रेरित करके और अपराधियों को कठोर दंड देकर इसे अधिक मज़बूत और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

सामाजिक बदलाव के लिये लोक प्रशासन

संदर्भ

ई-शासन आधुनिक युग में एक सफल सरकार के लिये अपरिहार्य ज़रूरत बन गया है। सरकारों को संयोजक और सेवा प्रदाता होने के कारण अपने नागरिकों की माँगों को पूरा करने के लिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता होती है। मौजूदा समय में प्रभावी और कुशल सरकार के लिये सरल, नैतिक, जवाबदेह, ज़िम्मेदार एवं पारदर्शी शासन ज़रूरी हो गया है।

ई-शासन और भारत

- विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने 1970 के दशक में ई-शासन को अपनाना शुरू किया। ई-शासन का उद्देश्य सरकार के संवाद तथा एजेंसियों के मध्य संबंधों को नागरिकों और व्यावसायिक उद्यमों के साथ सुविधाजनक, पारदर्शी, मैत्रीपूर्ण, प्रभावी एवं किफायती बनाना है।
- ई-शासन के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल हैं– नागरिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना; सूचना के माध्यम से नागरिक सशक्तीकरण; सरकार की कार्यकुशलता में वृद्धि करना तथा व्यवसाय एवं उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार करना।
- 'गार्टनर ई-गवर्नेंस मैच्योरिटी मॉडल' के अनुसार, ई-शासन के चार चरण हैं– सूचना, संवाद, व्यवहार और बदलाव। संयुक्त राष्ट्र ई-शासन सर्वेक्षण-2008 में उक्त मॉडल को विस्तार देते हुए उसमें पाँचवें चरण– जनोन्मुख सरकार को शामिल किया गया।
- पाँचवें चरण में सरकारों द्वारा स्वयं को नागरिकों की ज़रूरतों के अनुरूप काम करने वाले संयोजक मंच के रूप में तब्दील करना है। इसके लिये निम्नलिखित विशेषताओं को अपनाया जाएगा–
  - **क्षैतिज संयोजन:** सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल के लिये प्लेटफॉर्म की स्थापना।
  - **ऊर्ध्व संयोजन:** केंद्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय शासन के बीच तालमेल के लिये प्लेटफॉर्म की स्थापना।
  - **अवसंरचना संयोजन:** अंतर-संचालकता संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये संयोजक प्लेटफॉर्म की स्थापना।
  - **सरकार और हितधारकों के मध्य संबंध तथा हितधारकों के मध्य आपसी तालमेल:** सरकार, निजी क्षेत्र, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, शैक्षिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक संस्थाओं आदि के बीच तालमेल के लिये प्लेटफॉर्म की स्थापना।
- भारत सरकार ने ई-शासन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये अनेक कदम उठाए हैं। लेकिन केंद्र, राज्य, ज़िला और स्थानीय शासन के बीच अंतर-संचालकता संबंधी जटिलताएँ अब भी मौजूद हैं।
- 'संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक मामलों के विभाग' (UNDESA) के ई-शासन सर्वेक्षण, 2020 में भारत को 100वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। इस ई-शासन विकास सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2016 में 107वाँ था, ई-भागीदारी में भारत वर्ष 2020 में 29वें स्थान पर रहा। यह वर्ष 2018 में 15वें स्थान पर था।
- मानव पूँजी सूचकांक में भारत ने यथास्थिति बरकरार रखी। मगर ऑनलाइन सेवा और दूरसंचार अवसंरचना से संबंधित सूचकांकों में वह पिछड़ गया। मौजूदा समय में भारत के सामने अंतर-संचालकता, अवसंरचना, डिजिटल विभाजन और कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

ई-शासन से संबंधित पहलें

- भारत सरकार ने अगस्त, 2019 में 'राष्ट्रीय ई-शासन सेवा आपूर्ति आकलन' (NESDA) फ्रेमवर्क की शुरुआत की इसका उद्देश्य केंद्र सरकार से स्थानीय शासन के स्तर तक विभिन्न सरकारी

विभागों की ई-शासन पहलकदमियों की प्रभावशीलता का आकलन करना है।

- भारत सरकार की ई-शासन पहलकदमियों के प्रमुख मूल अवसंरचनात्मक घटकों में 'राज्य डाटा केंद्र' (SDG), 'राज्यव्यापी क्षेत्रीय नेटवर्क' (SWAN), 'सार्वजनिक सेवा केंद्र, राष्ट्रीय ई-शासन सेवा प्रदाता गेटवे' (NSDG), 'राज्य ई-शासन सेवा प्रदाता गेटवे' (NSDG) और 'मोबाइल ई-शासन सेवा प्रदाता गेटवे', जैसे– मिडिलवेयर गेटवे, त्वरित आकलन प्रणाली, आधार डिजिटल बायोमेट्रिक पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर, उमंग इत्यादि शामिल हैं।
- बायोमेट्रिक पहचान योजना आधार ने ई-शासन में डिजिटल क्रांति ला दी है। इसके तहत सरकार ने भारतीयों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या जारी की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मनरेगा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा गरीबी उन्मूलन एवं कल्याण से संबंधित कई अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं में इसका प्रयोग किया जा रहा है।

भारत में ई-शासन की विकास यात्रा	
1970	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना
1977	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NISC) की स्थापना
1987	राष्ट्रीय उपग्रह-आधारित कंप्यूटर नेटवर्क निकनेट शुरू
1990	निकनेट को राज्यों की राजधानियों के ज़रिये सभी ज़िला मुख्यालयों तक पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू
1999	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन
2000	ई-शासन के लिये 12 सूत्री न्यूनतम एजेंडा तैयार
2006	राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NEGP) शुरू। इसमें मिशन की तरह चलायी जा रही 27 परियोजनाएँ और आठ घटक शामिल हैं।
2009	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग का गठन किया। यह डिजिटल इंडिया निगम के तहत स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग है।
2011	मिशन की तरह चलायी जा रही परियोजनाओं की संख्या 27 से बढ़कर 31 हुई। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और डाक से जुड़ी चार परियोजनाओं को शामिल किया गया।
2015	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत

राष्ट्रीय ई-शासन योजना

- इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा डिलीवरी केंद्र के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिये उसके क्षेत्र में ही उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत नागरिक सेवाओं को किफायती रखने और कुशलता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
- एन.ई.जी.पी. के सफल क्रियान्वयन के लिये निम्नलिखित रणनीति, दृष्टिकोण और तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं–
  - स्वान, एस.डी.सी., सी.एस.सी. और इलेक्ट्रॉनिक सेवा डिलीवरी गेटवे जैसी सार्वजनिक समर्थन अवसंरचनाएँ।
  - इसके क्रियान्वयन की निगरानी और तालमेल के लिये समुचित शासन प्रणालियों का विकास।
  - केंद्रीकृत योजना, वित्त क्रियान्वयन, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझीदारी।
  - राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम का दृष्टिकोण
  - विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा एन.ई.जी.पी. के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता मुहैया कराने की डीआईटी की सहायक भूमिका
  - 'मिशन मोड परियोजनाओं' (MMPs) पर मंत्रालयों का स्वामित्व।

मिशन के तौर पर चलायी जा रही परियोजनाएँ

- एन.ई.जी.पी. में 31 एम.एम.पी. शामिल हैं। इनमें 11 केंद्रीय, 13 राज्यों की और 7 समेकित एम.एम.पी. तथा आठ घटक हैं।
- एम.एम.पी. स्पष्ट उद्देश्यों, दायरों, क्रियान्वयन की समय-सीमाओं और उपलब्धियों के साथ शासन के किसी एक पहलू पर केंद्रित होती हैं।
  - **केंद्रीय एम.एम.पी.** – बैंकिंग; केंद्रीय उत्पाद और आयात शुल्क; आयकर बीमा; एम.सी.ए. 21; पासपोर्ट; आव्रजन वीजा; विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग; पेंशन; ई-कार्यालय; डाक तथा यू.आई.डी.।
  - **राज्य एम.एम.पी.** – कृषि; वाणिज्य कर; ई-ज़िला; नियोजन कार्यालय; भूमि रिकॉर्ड; नगरपालिका; ई-पंचायत; पुलिस, सड़क परिवहन; कोषागार कंप्यूटरीकरण; सार्वजनिक वितरण प्रणाली; शिक्षा और स्वास्थ्य।
  - **समेकित एम.एम.पी.** – सी.एस.सी.; ई-बिज; ई-अदालत, ई-खरीद; ई-व्यापार के लिये ई.डी.आई.; राष्ट्रीय ई-शासन सेवा डिलीवरी गेटवे और भारत पोर्टल।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। इसके तहत डिजिटल अवसंरचना में निवेश और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा तथा ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार के ज़रिये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच खाई पाटने की कोशिश की जा रही है।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है।
- इसके तहत निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है–
  - हर नागरिक के लिये मुख्य उपयोग के तौर पर डिजिटल अवसंरचना
  - माँग पर शासन और सेवाएँ
  - नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण
- इस कार्यक्रम के दायरे में सरकार के कई मंत्रालय और विभाग आते हैं। इस कार्यक्रम के पूरे तालमेल का उत्तरदायित्व इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पास है।
- इसमें विकास के इन 9 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है– ब्रॉडबैंड हाइवे, सबके लिये मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम, ई-शासन, ई-क्रांति, सबके लिये सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, रोज़गार के लिये सूचना प्रौद्योगिकी तथा शीघ्र लाभ कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग मुख्य सूचना अधिकारियों के लिये शासन नेतृत्व कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संबंधित मंत्रालयों में ई-शासन चौम्पियनों को तैयार करना है।

राष्ट्रीय ई-शासन सेवा डिलीवरी आकलन *(NESDA)*

- एन.ई.एस.डी.ए. का उद्देश्य राज्य और केंद्र के स्तर पर विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों के रोज़मर्रा के कामकाज में ई-शासन फ्रेमवर्क के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- इसके ज़रिये 'सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी' (ICT) अवसंरचना के क्षमता निर्माण से नवाचारी और उन्नत सार्वजनिक सेवा डिलीवरी के विकास का प्रयास किया जा रहा है।
- यह केंद्र से लेकर स्थानीय स्वशासन तक शासन के हर स्तर पर सभी ई-सेवाओं के लिये एक आसान और एकल प्रवेश बिंदु के विकास में सहायक है।

ई-शासन और कोविड 19 महामारी

- ई-शासन की पहलों के माध्यम से स्थापित डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ ज्ञान के आदान-प्रदान, सहयोगात्मक अनुसंधान निर्माण को बढ़ावा देने और नागरिकों को पारदर्शी भागीदारी दिशा-निर्देश मुहैया कराने में महत्त्वपूर्ण संवहनीय स्रोत बन गई हैं।
- ई-शासन के माध्यम से कोविड-19 मामलों के ऑनलाइन आँकड़ों, लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों, यात्रा अवसंरचना प्रतिबंधों, अस्पतालों में खाली बिस्तरों का पता लगाने, ऑक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध कराने तथा वित्तीय सहायता और राहत के वितरण इत्यादि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- आरोग्य सेतु और कोविन ऐप कोविड मरीजों का पता लगाने तथा टीकाकरण के प्रबंधन में नागरिकों और सरकार की मदद करने के ई-शासन के मुख्य साधन हैं। अस्पतालों में भीड़भाड़ को घटाने के लिये ई-चिकित्सक टेली-वीडियो परामर्श सुविधा शुरू की गई है।
- कोविड-19 के मामलों का पता लगाने, एकांतवास की निगरानी और शहर के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और लॉजिस्टिक्स में ऐप्स की प्रमुख भूमिका रही।

चुनौतियाँ और आगे की राह

- कोविड-19 के प्रकोप के दौरान ई-शासन परियोजनाओं के दायरे का अप्रत्याशित गति से विस्तार हुआ। इनमें अनेक नई विशेषताओं और नवाचारी ई-अवसंरचना को जोड़ा गया।
- हालाँकि, इसके साथ ही भारत के संविधान प्रदत्त बुनियादी अधिकारों और मूल्यों के अनुरूप एक सुरक्षित प्रभावशाली, विश्वसनीय और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने की महत्त्वपूर्ण चुनौती भी उत्पन्न हुई है।
- डिजिटल विभाजन को कम करने के उद्देश्य से नए तौर-तरीकों को अपनाना और सबको साथ लेकर चलने के संकल्प को पूरा करने के लिये समावेशी ई-शासन को बढ़ावा देना एक अन्य चुनौती है।
- सरकार को कोविड के बाद की स्थिति में निम्नलिखित उपायों के ज़रिये प्रभावशाली ई-शासन विकसित करने की दरकार है–
  - ई-शासन अवसंरचना की सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच अंतर-प्रचालकता।
  - समावेशी ई-शासन ढाँचे का विकास।
  - प्रभावशाली डाटा संरक्षण कानून और प्रशासनिक विनियमों का निर्माण।
  - सूचनाओं की चोरी और दुरुपयोग से बचने के लिये डाटा सुरक्षा का विकास।
  - समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी बना कर डिजिटल विभाजन घटाना।
  - संवहनीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिये अनिवार्य क्षेत्र निर्दिष्ट सेवा पर ध्यान केंद्रित करना।
  - सेवा डिलीवरी में सुधार के लिये नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाना और समेकित सेवा डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करना।

लोक सेवाओं में सुधार

संदर्भ

- लोक सेवा भारत गणराज्य की स्थायी अधिशासी शाखा है। भारत के संसदीय लोकतंत्र में प्रशासन के संचालन की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप शासन से जन प्रतिनिधियों (मंत्रिपरिषद्) और प्रशासकों की है। यहाँ मंत्रीगण नीतियाँ निर्धारित करते हैं और उन्हें कार्यान्वित करने का काम भारत के राष्ट्रपति के अधीन कार्यरत लोक सेवकों का है।
- हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 311 में लोक सेवकों को राजनीति से प्रेरित प्रतिशोधी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई है।

भारत में लोक सेवा का विकास

- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासनिक ढाँचे के सप्तांग का वर्णन है– स्वामी (शासक), अमात्य (नौकरशाह), जनपद (क्षेत्र), दुर्ग (किलाबंद राजधानी), कोष (खजाना), दंड (सेना) और मित्र (सहयोगी)। अर्थशास्त्र के अनुसार, नौकरशाही के उच्च स्तर में मंत्री और अमात्य शामिल होते थे। मंत्री, राजा के सर्वोच्च सलाहकार और अमात्य लोक सेवक हुआ करते थे।
- मुगल काल के दौरान नौकरशाही मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। मनसबदारी प्रणाली मूल रूप से लोक सेवकों का समूह थी, जिन्हें असैन्य या सैन्य सेवा में तैनात किया जाता था।
- ब्रिटिश भारत में मैकॉले की वर्ष 1835 की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से लोक सेवा में बड़े बदलाव आए। इसकी रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि सिर्फ सर्वश्रेष्ठ और मेधावी लोग ही ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की पूर्ति के लिये भारतीय लोक सेवा में शामिल होंगे।
- स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोक सेवा में ब्रिटिश ढाँचे के कुछ तत्त्वों, जैसे– शैक्षिक उपलब्धियों पर आधारित खुली प्रवेश प्रणाली और स्थायी कार्यकाल को एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर जारी रखा गया।
- आधुनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 312 (2) और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत किया गया।

लोक सेवाओं का वर्गीकरण

- संविधान के भाग 14 में सेवाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है– अखिल भारतीय सेवाएँ, राज्य सेवाएँ एवं स्थानीय तथा नगर निगम सेवाएँ। केंद्रीय सेवा के चार समूह हैं– केंद्रीय सेवा समूह क, ख, ग और घ। केंद्रीय सेवा के समूह 'क' में 34 प्रकार हैं।
- भारत में संपूर्ण लोक सेवा तंत्र में कार्मिक संवर्गों में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या केंद्रीय सचिवालय सेवा और भारतीय राजस्व सेवा में है। लोक सेवक, भारत सरकार या राज्य सरकारों के कर्मचारी होते हैं, लेकिन सरकार का हर कर्मचारी लोक सेवक नहीं होता।
- हाल के समय में प्रौद्योगिकी उन्नयन, अधिक विकेंद्रीकरण तथा सामाजिक सक्रियता के कारण वैश्विक स्तर पर बदलाव तेज़ हुए हैं। लोक सेवा सरकार का प्रमुख अंग है, इसलिये उसे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये बदलते समय के अनुसार कदम-से-कदम मिलाना होगा।
- लोक सेवा में सुधार का उद्देश्य लोक सेवा का पुनर्विन्यास कर उसे जन सेवाएँ प्रदान करने हेतु ओजस्वी, कारगर और जवाबदेह तंत्र के रूप में विकसित करना है, जो सदाचार एवं सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और तटस्थता के मूल्यों से संचालित हो।
- **भारतीय लोक सेवाओं की कमियाँ**
  - क्षमता निर्माण में कमी
  - अकुशल प्रोत्साहन प्रणाली जिसमें ईमानदार और उत्कृष्ट लोक सेवकों को सराहने की बजाय भ्रष्ट और अक्षम लोगों को सम्मानित किया जाता है
  - समयातीत नियम और कार्य प्रक्रियाएँ
  - पदोन्नति और मनोनयन में सर्वांगी असंगतियाँ
  - पर्याप्त पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रियाओं का अभाव
  - मनमाने और सनक से किये गए स्थानांतरण
  - राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक मिलीभगत
  - पदोन्नतियों, कार्य आवंटन और कार्यों में कुछ विशिष्ट सेवाओं का वर्चस्व

संरचनात्मक मुद्दे

- **सामान्य अधिकारी बनाम विशेषज्ञ अधिकारी:** लोक सेवाओं की स्थापना मुख्यत: सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा सरकारी आदेशों को लागू करने जैसे शासन के मुख्य कामकाजों को करने के लिये की गई है। परंतु कुछ समय से नीतिगत स्तर पर क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान के लिये विशेषज्ञ अधिकारियों की अधिक माँग है।
- भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा जैसी मौजूदा विशेषज्ञ सेवाओं के भीतर यह भावना बढ़ रही है कि इन्हें जिस उद्देश्य के लिये प्रशिक्षित किया गया है, उसके लिये न तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलता है और न ही अवसर।

नए सुधार: मिशन कर्मयोगी

- सरकार ने लोगों तक बेहतर सेवाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से एक नए व्यापक लोक सेवक सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है। 'नए भारत @75 हेतु रणनीति रिपोर्ट' में जन सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं कुशल बनाने के लिये लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण और कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन में सुधार करने का तंत्र स्थापित करने पर ज़ोर दिया गया है।
- सरकार ने 2 सितंबर, 2020 को यह घोषणा की थी कि मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के अंतर्गत लोक सेवकों को अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, नवप्रवर्तनशील, सक्रिय पेशेवर, प्रगतिशील, ओजस्वी, सामर्थ्यवान पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-समर्थ बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक सेवा क्षमता निर्माण के लिये नई राष्ट्रीय व्यवस्था अर्थात् 'मिशन कर्मयोगी' को स्वीकृति दी थी। इसका उद्देश्य भारत सरकार में व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियाओं के स्तर पर क्षमता निर्माण के ढाँचे का कायाकल्प करना है।
- केंद्र सरकार के 46 लाख कर्मचारियों को लक्षित करने वाली यह पहल शासन, कार्य-निष्पादन और जवाबदेही के तीन स्तंभों पर टिकी होगी।
- इसमें कहा गया है कि नियमों की जगह भूमिकाओं, संपर्कहीनता की जगह तालमेल और बहु-विभागीय संपर्क को महत्त्व दिया जाएगा तथा क्षमता निर्माण के अनवरत कार्यक्रम होंगे।
- सुधार का मूलभूत उद्देश्य 'जन-केंद्रित लोक सेवा' का निर्माण करना है, जो आर्थिक वृद्धि और जनकल्याण के लिये हितकारी सेवाओं को विकसित करने में सामर्थ्यवान हो। तदनुसार मिशन कर्मयोगी में 'नियम आधारित प्रशिक्षण की जगह भूमिका आधारित प्रशिक्षण' को महत्त्व दिया गया है।
- राष्ट्रीय लोक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिये 'एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण' (IGOT) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी।
- मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय लोक सेवकों को अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक और नागरिक हितैषी बनाकर भविष्य के लिये तैयार करना है। करियर के मध्य में प्रशिक्षण अब केवल शीर्ष स्तर के अधिकारियों की बजाय सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध होगा और उनके विवरण एवं मूल्यांकन अनवरत जारी रहेंगे।

मुख्य विशेषताएँ

- ऐसी आशा है कि ये सुधार लोक सेवकों में क्षमता निर्माण की नींव रखेंगे। यह कार्यक्रम आई.जी.ओ.टी. कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना के साथ शुरू होगा।
- कार्यक्रम के मुख्य निर्देशन सिद्धांत निम्नलिखित हैं–
  - 'नियम आधारित' से 'भूमिका आधारित' मानव संसाधन प्रबंधन की तरफ बढ़ने में सहयोग देना। पद की आवश्यतकताओं के अनुरूप लोक सेवकों की दक्षता को देखते हुए कार्य आवंटन करना।
  - 'कार्यस्थल पर सीखने' (ऑनसाइट लर्निंग) के पूरक के रूप में 'कार्यस्थल के बाहर सीखने' (ऑफसाइट लर्निंग) पर ज़ोर देना।
  - अध्ययन सामग्री, संस्थानों और कर्मियों सहित साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढाँचे का तंत्र तैयार करना।
  - सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता के ढाँचे संबंधी दृष्टिकोण के साथ व्यवस्थित करना।
  - सभी लोक सेवकों को सीखने की आत्मप्रेरित तथा अधिदेशित प्रक्रिया में अपने व्यवहार, क्रियाकलाप और कार्यक्षेत्र से संबंधित दक्षताओं को निरंतर विकसित एवं सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना।
  - सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टप्स तथा व्यक्तिगत विशेषज्ञों सहित सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री का सृजन करना।
- सहयोगी और सहभागी क्षमता निर्माण तंत्र का प्रबंधन और नियमन करने में एकसमान दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये क्षमता निर्माण आयोग गठित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

आयोग की भूमिका

- लोक सेवाओं के क्षमता निर्माण से जुड़े सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के कामकाज का निरीक्षण करना।
- आंतरिक एवं बाह्य फैकल्टी तथा संसाधन केंद्रों सहित साझा अध्ययन संसाधन का सृजन करना।
- संबद्ध विभागों के साथ क्षमता निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय और निरीक्षण करना।

वित्तीय आवश्यकता

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एन.पी.सी.एस.सी.बी. हेतु विशेष प्रयोजन व्यवस्था 'स्पेशल पर्पस व्हीकल' (SPV) स्थापित की जाएगी।
- एस.पी.वी. के पास भारत सरकार की ओर से सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का स्वामित्व होगा। आई.जी.ओ.टी. कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के सभी उपयोगकर्ताओं के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त निगरानी और मूल्यांकन ढाँचा स्थापित किया जाएगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 'आयुध निर्माणी बोर्ड' (OFB) के निगमीकरण को भी स्वीकृति दी है, जो रक्षा मंत्रालय के 'रक्षा

उत्पादन विभाग' (DDP) की उत्पादन शाखा है और 41 आयुध निर्माणियों का समन्वय करता है।

- हालाँकि, ओ.एफ.बी. कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा तथा सरकार उनके हितों की सुरक्षा के प्रति संकल्पबद्ध है।

निष्कर्ष

- लोक सेवकों के क्षमता संवर्द्धन की विविध प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने, कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा शासन के मूल क्रियाकलापों के निष्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है।
- सेवाओं के युक्तिकरण एवं समन्वय के ज़रिये केंद्र और राज्य स्तर पर मौजूदा 60 से अधिक अलग-अलग लोक सेवाओं को कम करने की ज़रूरत है।
- मौजूदा लोक सेवकों को भी उनकी शैक्षिक विशेषज्ञता तथा कार्यस्थल पर प्राप्त व्यावहारिक अनुभव के आधार पर कार्य सौंपे जाने चाहिये। एक बार परीक्षा आयोजन, पद आवंटन तथा तदनुसार जीवन भर सुविधाएँ देने पर अत्यधिक ज़ोर दिये जाने की व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिये।
- लोक सेवा में सुधारों और नागरिक सेवाओं को पुरानी संरचना तथा संस्कृति का पुनर्विन्यास कर बढ़ाया जाना चाहिये तथा औपनिवेशिक परंपरा का त्याग करना चाहिये, ताकि नागरिकों के लिये सेवाओं की गुणवत्ता एवं संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सके जो कि सतत् आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये ज़रूरी है।

कोरोना महामारी से सबक

संदर्भ

कोरोना महामारी ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इससे दोहरा संकट उत्पन्न हुआ है, जिसका स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था, दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार, लॉकडाउन की वजह से कम-से-कम 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे पहुँच गए हैं। संकट और उथल-पुथल के इस दौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ 'सबको स्वास्थ्य सुविधा' की दिशा में तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़

- 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़' (UHC) के तहत किसी तरह के वित्तीय बोझ के बिना सभी लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें बीमारियों की रोकथाम व इलाज समेत अन्य तरह की स्वास्थ्य सुविधाएँ भी शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के अनुभव ने साबित किया है कि सतत् विकास से जुड़े कुछ लक्ष्यों को हासिल करने में यू.एच.सी. योजना कारगर हो सकती है।
- 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) द्वारा वर्ष 2007 में जारी सलाह के अनुसार, स्वास्थ्य प्रणाली को 6 ब्लॉकों में बाँटा गया है– सेवाओं की डिलीवरी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्रणाली, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं के लिये वित्तीय सुविधाएँ और प्रशासनिक व्यवस्था।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ के सबक

- विश्व की 60 प्रतिशत आबादी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रहती है। विश्व भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की होने वाली मौतों में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत है। साथ ही, प्रसूताओं और नवजात की मौत के मामले में भी इस क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 44 प्रतिशत तथा 56 प्रतिशत है।
- एशिया, प्रशांत क्षेत्र में तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है और यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रवासी आबादी भी है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च काफी कम है। हालाँकि, कुछ देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च में बढ़ोतरी कर यू.एच.सी. की दिशा में काफी प्रगति की है। इन उपायों का इन देशों पर सकारात्मक असर देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर–
  - श्रीलंका ने कोविड-19 और अन्य बीमारियों के लिये मुफ्त और एकसमान स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये बेहतर नेटवर्क तैयार किया है। इसके अतिरिक्त, ज़रूरी सामानों के वितरण तंत्र पर निगरानी के लिये उच्चस्तरीय कार्यबल का गठन किया गया है। इसके तहत पूरे समाज को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है।
  - कोरिया गणराज्य राष्ट्रीय स्तर पर लागू अपनी स्वास्थ्य योजना की मदद से इस महामारी से निपटने में सफल रहा। यहाँ की लगभग 97 प्रतिशत आबादी के पास एकल-भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, जबकि बाकी 3 प्रतिशत लोगों का पूरा कवर सरकारी सब्सिडी पर आधारित है।
  - थाइलैंड में 75 प्रतिशत आबादी को यू.एच.सी. कार्यक्रम के दायरे में लाया गया है। इससे वहाँ इलाज पर नकद खर्चों को कम करने में मदद मिली है।
  - कोरोना और इससे जुड़े खर्चों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल किया गया। साथ ही, सरकारी और निजी अस्पतालों में सुविधाएँ बढ़ाकर जाँच प्रयोगशालाओं में भी बढ़ोतरी की गई। इस महामारी के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने में थाइलैंड काफी हद तक सफल रहा।
  - वियतनाम की 87 प्रतिशत आबादी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के दायरे में शामिल है। यू.एच.सी. हासिल करने के लिये

रणनीतिक तौर पर सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करने में वियतनाम का प्रदर्शन शानदार रहा।

यू.एच.सी. में निवेश से बनेगी बात

- कोरोना के प्रकोप से पहले, भारत यू.एच.सी. की दिशा में काफी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। कोरोना की वजह से यू.एच.सी. संबंधी कोशिशों को झटका लगा है। इस वजह से सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता भी प्रभावित हुई है।
- इस संदर्भ में अस्ताना घोषणा पत्र (2018) में यू.एच.सी. को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से जोड़ने को लेकर जताई गई राजनीतिक प्रतिबद्धता का भी जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अब भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त नहीं हैं। इस घोषणा पत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के खर्च में हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई थी।
- साथ ही, यह भी कहा गया था कि प्राथमिक लोगों की स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे बेहतर, असरदार और समावेशी माध्यम हैं। घोषणा पत्र के अनुसार, स्वास्थ्य संबंधी मौजूदा आधारभूत संरचना पर बोझ को कम करने के लिये रोकथाम संबधी उपायों पर भी काम करने की ज़रूरत है।
- भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को टिकाऊ बनाने के लिये आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राथमिक केंद्रों के स्तर पर 75,500 से भी अधिक वेलनेस केंद्रों का संचालन हो रहा है। केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य मद में 138 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जो एक बेहद सकारात्मक कदम है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र तरीके से काम करने में मदद मिलेगी।
- आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिये 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, ताकि प्राथमिक समेत सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में स्वास्थ्य क्षेत्र का योगदान 4.2 प्रतिशत है और इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से भी अधिक है। भारत को अपने यू.एच.सी. अभियान को निजी क्षेत्र से भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिये, ताकि स्वास्थ्य बीमा के दायरे को व्यापक बनाया जा सके।
- हालाँकि, सिर्फ आवश्यक स्रोतों, जैसे– कर राजस्व से फंड इकट्ठा करना इसके लिये पर्याप्त नहीं होगा। यू.एच.सी. कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये सरकारी फंडिंग महत्त्वपूर्ण है, लेकिन फंड्स को इकट्ठा करने, प्रशासनिक लागत कम करने और जवाबेदही तय करने में निजी क्षेत्र की भूमिका भी कारगर हो सकती है।

निष्कर्ष

- वित्तीय जवाबदेही को दुरुस्त करने के लिये किये गए उपायों को निगरानी और मूल्यांकन की बेहतर प्रणाली के साथ जोड़ा जाना चाहिये, ताकि बेहतर नतीजे मिल सके। एशिया-प्रशांत क्षेत्र का अनुभव बताता है कि समाज में सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों और कार्यक्रम के विशेष लाभों को ध्यान में रखते हुए काम करने पर बेहतर एवं ठोस नतीजे प्राप्त होते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी निर्धारकों, जैसे– पोषण, पर्यावरण, लैंगिक समानता, पानी, स्वच्छता आदि की स्थिति में भी सुधार होगा।
- प्रवासियों व सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों समेत तमाम समूहों के लिये सामाजिक सुरक्षा का दायरा मज़बूत करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े तीन पहलुओं– कवरेज़, सेवा और फंड के निदान के लिये लिये दृढ़ इच्छाशक्ति और आधारभूत संरचना बेहद ज़रूरी है।

कुरुक्षेत्र

भारत में कृषि : पुनरावलोकन एवं संभावनाएँ

संदर्भ

- स्वतंत्रता के समय भारत खाद्यान्न की कमी वाले देशों में शामिल था, किंतु वर्तमान में यह खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव तथा उर्वरकों और कीटनाशकों की अनुपलब्धता के कारण देश के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा प्राप्ति के लिये तकनीक का प्रयोग महत्त्वपूर्ण था।
- उन्नत बीजों के प्रयोग, उर्वरकों एवं कीटनाशकों की उपलब्धता में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादकता तथा खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। अपने इन प्रयासों से भारत ने खाद्यान्न सुरक्षा तो प्राप्त कर ली है, परंतु पोषण सुरक्षा अभी भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति : एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

- वर्ष 1951 में देश में गेहूँ की पैदावार 663 किग्रा./हेक्टेयर और चावल की 668 किग्रा./हेक्टेयर थी। देश में कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों के कारण वर्ष 2019 में चावल की पैदावार बढ़कर 2659 किग्रा./हेक्टेयर तथा गेहूँ की पैदावार बढ़कर 3,507 किग्रा./हेक्टेयर हो गई है।
- उत्पादकता में वृद्धि से प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में भी सुधार हुआ है। वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 349.9 ग्राम/दिन थी। वर्ष 2020 में यह बढ़कर 512.6 ग्राम/दिन हो गई।

- खाद्यान्न उत्पादन के समान ही दुग्ध उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में देश में कुल दुग्ध उत्पादन 17 मिलियन टन था।
- वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रारंभ किये गए 'ऑपरेशन फ्लड' से दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वर्ष 1980 तक दुग्ध उत्पादन बढ़कर 30.4 मिलियन टन हो गया। वर्ष 1997 में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। वर्ष 2019 में देश में दुग्ध उत्पादन बढ़कर 187.7 मिलियन टन हो गया है।

कृषि विपणन तथा सार्वजनिक खरीद एवं वितरण क्षेत्र में सुधार

- कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा कृषकों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से कृषि विपणन और सार्वजनिक खरीद एवं वितरण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
- किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से राज्य सरकारों ने 60 और 70 के दशक में 'कृषि उत्पाद बाज़ार विनियम' (APMR) अधिनियम बनाए। इन विनियमों का उद्देश्य कृषि व्यापार को पारदर्शी, निर्बाध और निष्पक्ष बनाना था, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
- वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित करना एवं खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को बनाए रखना था।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि मूल्य आयोग द्वारा किया जाता था। 1980 के दशक में इसका नाम परिवर्तित करके 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) कर दिया गया।
- पी.डी.एस. के अंतर्गत वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। इससे कृषि को प्रोत्साहन के साथ देश में खाद्यान्न उपलब्धता भी सुनिश्चित होती है।

नीतिगत सुधार की आवश्यकता

- देश के लिये खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के साथ ही कृषि क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिये कई समस्याएँ सामने आई हैं। पहली प्रमुख बाधा कृषि विपणन में आई। किसानों की सुरक्षा के लिये बनाई गई यह व्यवस्था अपने उद्देश्य के विपरीत परिणाम देने लगी। बाज़ारों की संख्या में आवश्यकतानुरूप वृद्धि नहीं की जा सकी तथा व्यवस्था में मौजूद जटिलताओं ने कृषि वस्तुओं की आवाजाही और व्यापार में अक्षमताएँ उत्पन्न कीं।
- इन बाज़ारों में केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को ही खरीद की अनुमति थी। इन व्यापारियों ने बाज़ार में नए व्यापारियों के प्रवेश को बाधित किया तथा खुली नीलामी में शामिल होने के स्थान पर कीमतों को तय करने में मिलीभगत से काम किया।
- कृषि अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश की कमी थी। इससे फसल के बाद 90,000 करोड़ रुपए के वार्षिक नुकसान का अनुमान व्यक्त किया गया था।
- हाल ही में, सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का उद्देश्य कृषि विपणन में अंतर्निहित अक्षमताओं को दूर करना है। कृषि में बुनियादी ढाँचे को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक लाख करोड़ रुपए के 'कृषि अवसंरचना कोष' का गठन किया गया है।

कृषि क्षेत्र से उत्पन्न चुनौतियाँ

- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** जलवायु परिवर्तन की समस्या वर्तमान में वैश्विक चुनौती के रूप में सामने आई है। इससे फसलों का उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है। कृषि क्षेत्र में बाढ़, सिंचाई, उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन इत्यादि से पर्यावरणीय चुनौतियों में वृद्धि हुई है। कृषि से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के साथ ही पराली जलाने से भी वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है।
- **मृदा गुणवत्ता में ह्रास:** मिट्टी की गुणवत्ता में कमी एक प्रमुख चुनौती है। पूरे भारत में मृदा जैव कार्बन (मिट्टी की गुणवत्ता का प्रमुख संकेतक) के स्तर में गिरावट आई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अनुसार, योजना के आरंभ के समय चक्र 1 (2015 -17) के दौरान मृदा जैव कार्बन स्तर बहुत कम था तथा 33 प्रतिशत नमूनों में मृदा जैव कार्बन स्तर कम निकला। चक्र 2 (2017-19) में इसमें सुधार देखा गया।
- **उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन:** 'राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी' (NAAS) में किये गए शोध के अनुसार, उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन का मिट्टी की गुणवत्ता की गिरावट में प्रमुख योगदान रहा है। हरित क्रांति के प्रभाव वाले क्षेत्रों में यह असंतुलन प्रमुख रूप से देखा गया है। पंजाब में निर्धारित 4.1.6:1 एन.पी.के. अनुपात के स्थान पर वास्तविक उपयोग 33.9 : 7.9 : 1 था। हरियाणा में 4.0 : 1.7 : 1 के निर्धारित अनुपात की बजाय वास्तविक उपयोग 22.6 : 6.2 : 1 था। यह उर्वरक असंतुलन को दर्शाता है।
- **भू-जल स्तर में गिरावट:** भू-जल स्तर में गिरावट एक अन्य प्रमुख चुनौती है। कई क्षेत्रों में भू-जल स्तर में कमी आ रही है, क्योंकि निकासी की गति पुनर्भरण की गति से अधिक है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा भू-जल का अत्यधिक दोहन करने वाले राज्य हैं। ध्यातव्य है कि सिंचाई के लिये उपयोग किये जाने वाले जल का लगभग दो-तिहाई भाग भू-जल से प्राप्त किया जाता है। देश में किसानों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली पारंपरिक बाढ़ सिंचाई प्रणाली के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के प्रयोग से जल के उपयोग को कम किया जा सकता है।
- **पोषण सुरक्षा:** खाद्य सुरक्षा के बाद अगला लक्ष्य पोषण सुरक्षा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 2015-16 के आँकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के 35.7 प्रतिशत बच्चे कम

वजन वाले तथा 38.4 प्रतिशत बच्चे अविकसित थे। इन आँकड़ों के आलोक में सरकार ने पोषण अभियान तथा मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की है। 'टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट' (TCI) के अनुसार, कृषि और पोषण परिणाम परस्पर अंतर्संबंधित हैं।

नए प्रतिमान की आवश्यकता

- आने वाले वर्षों में भारतीय कृषि को तीन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा-
  - कृषि विपणन की समस्या
  - उत्पादन स्तर को बनाए रखना
  - पोषण सुरक्षा प्राप्त करना
- चूँकि ये तीनों चुनौतियाँ एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं, अत: इनके लिये संयुक्त नीति तैयार की जानी चाहिये।

प्रौद्योगिकी की भूमिका

- आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उच्च प्रौद्योगिकियाँ उद्योगों में गहरी पैठ बना रही हैं। स्टार्टअप के लिये एग्रीटेक या एजी-टेक सबसे लुभावने निवेश प्रस्तावों में से एक के रूप में उभरा है। बैन एंड कंपनी की हालिया रिपोर्ट ने भारत में एग्रीटेक के बढ़ते महत्त्व पर प्रकाश डाला है, जबकि भारत पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा एग्रीटेक बाज़ार है।
- विभिन्न कंपनियों द्वारा 'आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस-मशीन लर्निंग' (AI-ML)के माध्यम से उपग्रह डेटा, प्रशासनिक डेटा तथा मौसम डेटा का उपयोग करके पैदावार का पूर्वानुमान लगाने के लिये मॉडल विकसित किये जा रहे हैं।
- कृषि क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन की संभावना को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 'आइडिया' प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। यह 10 करोड़ से अधिक किसानों का एक डेटाबेस है। इसके आधार पर निजी क्षेत्र ऐसे समाधान तैयार कर सकता है, जिन्हें देश भर में व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से कृषि उत्पादन में और अधिक वृद्धि की जा सकती है।

सतत् उत्पादन में वृद्धि

- मृदा की गुणवत्ता एवं जल-स्तर में कमी जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत चावल एवं गेहूँ के उत्पादन आधार को उन क्षेत्रों में स्थानांतरित करना है, जहाँ हरित क्रांति के लाभ अभी तक नही पहुँच सके हैं।
- केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्राकृतिक कृषि को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्यति कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी पद्धतियों को बढ़ावा देना है। यह पुन:चक्रण, पलवार लगाने, समय-समय पर मिट्टी के वायु संचारण एवं सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों के बहिष्करण के साथ खेत में गाय के गोबर-मूत्र के साथ यौगिकों के उपयोग पर आधारित है।

पिछली उपलब्धियों से सीख

- खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में हरित क्रांति के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं सिंचाई के आधारभूत ढाँचे में निवेश के साथ ही सार्वजनिक खरीद एवं वितरण प्रणाली की सफलता का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। सार्वजनिक खरीद ने माँग सृजित करने एवं किसानों को चावल, गेहूँ उगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- पोषण सुरक्षा के संबंध में मोटा अनाज, उदाहरणस्वरूप– बाज़रा जैसी फसलें महत्त्वपूर्ण हैं। ये फसलें पौष्टिक तत्त्वों से भरपूर हैं तथा इन्हें उगाने के लिये कम जल की आवश्यकता होती है। हालाँकि, आर्थिक लाभ की दृष्टि से ये फसलें अन्य प्रकार के अनाजों से पिछड़ जाती हैं। सरकार के द्वारा मोटे अनाजों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, परंतु उनकी खरीद एवं वितरण चावल एवं गेहूँ की तुलना में काफी कम है।
- श्वेत क्रांति के अंतर्गत सहकारी मॉडल की सफलता स्पष्ट हुई है। किसान समूहों के महत्त्व को देखते हुए केंद्र सरकार 10,000 'किसान उत्पादक संगठन' (FPO) बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय किसान समूहों को मज़बूत बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

निष्कर्ष

भारत ने अपने सतत् प्रयासों से खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर ली है। इसकी इस सफलता में अनाज की निरंतर आपूर्ति, उन्नत प्रौद्योगिकी तथा सार्वजनिक खरीद एवं वितरण प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। किसान समूहों के कारण भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। परंतु, इस क्षेत्र में अभी भी संभावनाएँ विद्यमान हैं। वर्तमान में पोषक तत्त्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास किये जाने चाहिये।

कृषि स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता विकास

संदर्भ

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में भारत ने खाद्यान्न, दूध, फल, सब्ज़ियों, मसालों एवं जूट उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। भारत चावल एवं गेहूँ का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

कृषि स्टार्टअप्स की आवश्यकता क्यों?

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसार, देश में वर्ष 2030 में खाद्यान्न की माँग 345 मिलियन टन हो जाएगी। इसके लिये उत्पादन में प्रतिवर्ष 5.5 मिलियन टन की वृद्धि करनी होगी।
- कृषि भूमि में कमी, रोज़गार में गिरावट तथा निवेश एवं बाज़ार के जोखिम कृषि को लाभकारी बनाने के प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
- कृषि में उत्पादन, उत्पादकता के साथ कौशल विकास एवं आय सृजन में वृद्धि के लिये।
- इन चुनौतियों के समाधान के लिये कृषि में उद्यम एवं कृषि स्टार्टअप्स की आवश्यकता है।

कृषि स्टार्टअप्स की वर्तमान स्थिति

- भारत में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप प्रणाली है। इसमें लगभग 12-15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होती है। वर्ष 2018 में भारत में लगभग 50,000 स्टार्टअप्स थे तथा वर्ष 2019 में 1300 नवीन स्टार्टअप्स का सृजन हुआ है। हालाँकि, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं।
- वर्ष 2013 से 2017 तक 366 कृषि आधारित स्टार्टअप्स प्रारंभ हुए हैं। इन स्टार्टअप्स को भारत सरकार की विभिन्न उद्यम विकास योजनाओं, जैसे– स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, न्यूजेन इनोवेशन तथा उद्यमिता विकास केंद्र, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और एस्पायर योजना द्वारा प्रचारित 'वेंचर कैपिटल फाइनेंस असिस्टेंस योजना' से सहयोग प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2018 में भारत के सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप्स से 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें एग्रीटेक स्टार्टअप का संयुक्त राजस्व लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

कृषि स्टार्टअप्स एवं उद्यम विकास के समक्ष चुनौतियाँ

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का घटता प्रतिशत

- जनगणना 2011 के अनुसार, देश की 57.8 प्रतिशत आबादी आजीविका हेतु कृषि कार्यों में संलग्न है। वर्ष 1999 से प्रतिदिन लगभग 2000 किसान कृषि छोड़ रहे हैं तथा लगभग आधे से अधिक कृषक, कृषक मज़दूर की श्रेणी में आ गए हैं।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी आई है। वर्ष 1951 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 60 प्रतिशत था, जो वर्ष 2017 में घटकर मात्र 17 प्रतिशत रह गया है।

कृषि कार्य में संलग्न किसानों एवं युवाओं में कौशल की कमी

- देश में कृषि क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल में वर्ष 2022 में 33 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है, जो घटकर 19 करोड़ रह जाएगा।
- कृषि क्षेत्र में कार्यरत कुल कार्यबल का मात्र 18.5 प्रतिशत ही कृषि में औपचारिक रूप से दक्षता प्राप्त है। वर्तमान में कृषि में कौशल की भारी कमी है।

कृषि जोत, उत्पादकता एवं सिंचाई व्यवस्था

- भारत की 70 प्रतिशत कृषि जोत एक हेक्टेयर से कम है, जबकि राष्ट्रीय औसत दो हेक्टेयर से कम है। इसके कारण देश में उत्पादन अधिक होते हुए भी उत्पादकता काफी कम है।
- छोटी एवं खंडित जोतों के कारण सामूहिक उत्पादन प्राप्त करना तथा उसका विपणन कृषि स्टार्टअप के लिये प्रमुख चुनौती है।

कृषि विपणन में मध्यस्थों की भूमिका

- विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, किसान की उपज का मात्र 20 प्रतिशत ही संगठित खुदरा विक्रेता सीधे किसानों से प्राप्त करते हैं, जबकि 80 प्रतिशत भाग देश की मंडियों में बेचा जाता है। यहाँ बिचौलियों के द्वारा कृषि विपणन किया जाता है।
- कृषि उत्पादों के विपणन में किसानों के मध्य एकता का अभाव, पर्याप्त परिवहन सुविधाओं का अभाव, संगठित विपणन प्रणाली की कमी, गोदामों एवं वित्तीय संसाधनों की कमी, बाज़ार की जानकारी का अभाव तथा बिचौलियों की उपस्थिति प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

वित्तपोषण एवं तकनीक अभिग्रहण में कमी

- देश में आई.टी. आधारित स्टार्टअप की तुलना में कृषि तकनीक स्टार्टअप में प्रौद्योगिकी निवेश बहुत लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ है।
- देश में 80 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसान हैं। इनके लिये उच्च कीमत वाली प्रौद्योगिकी को अपनाना जटिल कार्य है।

कृषि में स्टार्टअप की संभावनाएँ

- कृषि भूमि क्षेत्र में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ विश्व की सभी 15 प्रमुख जलवायु तथा 60 में से 46 प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं। यह ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं ट्रिलर जैसे कृषि उपकरणों के बड़े निर्माताओं में से एक है।
- कृषि क्षेत्र में भारत की ये उपलब्धियाँ स्टार्टअप एवं उद्यम विकास के लिये असीम संभावनाएँ प्रस्तुत करती हैं। कृषि स्टार्टअप की असीम संभावनाओं वाले प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं–
  - **विपणन:** कृषि उत्पादों का सीधा विपणन आवश्यक है। कृषकों को अपने उत्पादों की उचित कीमत प्राप्त करने के लिये इन उत्पादों को बाज़ारों तक भेजने की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिये।
  - **सस्योत्तर प्रबंधन तथा मूल्यवर्द्धन:** फसलों की कटाई के बाद उचित प्रबंधन न होने के कारण फलों एवं सब्जियों का

25-40 प्रतिशत तथा अनाजों का 10-30 प्रतिशत भाग नष्ट हो जाता है। किसानों द्वारा कम लागत वाली नवीन प्रसंस्करण तकनीकों को अपनाकर स्वयं की प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। अपने उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग एवं प्रसंस्करण करके किसान रोज़गार में वृद्धि के साथ ही अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।

- **संगठित उत्पादन:** किसानों द्वारा संगठित होकर एक ही तरह की फसलों के उत्पादन से उनकी परिवहन लागत में कमी आएगी तथा उन्हें उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। इससे किसानों को 'ई-नाम' पोर्टल का सहयोग भी प्राप्त होगा।
- **समेकित कृषि प्रणाली:** किसानों की आय में वृद्धि के लिये एक विशेष उत्पाद के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। फसल प्रणाली की सघनता में वृद्धि करके प्रति इकाई उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। समेकित कृषि से पर्यावरण की सुरक्षा भी की जा सकेगी। इससे पशुओं की गतिविधियों, जैसे– सूकर पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन आदि से उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का प्रभावी रूप से पुन:चक्रण करना संभव हो पाता है।
- **बागवानी फसलों की संरक्षित कृषि:** परंपरागत कृषि उत्पादन प्रणाली के स्थान पर बागवानी फसलों की संरक्षित कृषि एक बेहतर विकल्प हो सकती है। इससे बेमौसम सब्ज़ियों, फूलों तथा फलों की उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
- **उन्नत तकनीकें:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान विभिन्न फसलों की प्रजातियों को उन्नत करने के लिये वर्षों से कार्यरत हैं। इन संस्थानों ने बासमती चावल, गेहूँ, सरसों, अरहर, मसूर दाल आदि की उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का विकास करके किसानों की आय बढ़ाने में योगदान दिया है।
- **मधुमक्खी पालन:** मधुमक्खी पालन वन एवं ग्रामीण कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिये बहुत कम कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इससे शहद के अतिरिक्त मोम, प्रोपोलिस, पराग, रॉयल जैली, रानी मधुमक्खियों की वंशावली जैसे महत्त्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं।
- **खुंबी (मशरूम) की कृषि:** खुंबी, कृषि विविधिकरण के साथ ही गुणवत्तापूर्ण खाद्य, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण से संबधित मुद्दों के समाधान में सहायता करती है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कृषि उद्योग अपशिष्ट सहित कृषि अपशिष्टों के पुनर्चक्रण द्वारा उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता रखता है। खुंबी की कृषि रोज़गार एवं आय में वृद्धि के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा, पोषण और औषधि के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। इसकी कृषि बहुत ही कम भूमि में की जा सकती है, अत: इसे छोटे और सीमांत किसानों द्वारा आसानी से अपनाया जा सकता है।
- **डेयरी पालन:** परंपरागत कृषि के साथ दुग्ध उत्पादन प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध बीमा का कार्य करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं पोषणिक पुनश्चक्रण में भीं सहायता करता है। डेयरी उद्योग से संबंधित व्यक्तियों को डेरी से संबंधित क्रिया विधियों, सामग्री एवं डेयरी पशुओं के उपयुक्त उत्पादन में कौशल विकास किये जाने से इस उद्योग में होने वाले लाभ में वृद्धि की जा सकती है।
- **कुक्कुट पालन:** कुक्कुट पालन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक तेज़ी से वृद्धि करने वाला व्यवसाय है। इसकी वृद्धि दर 8 प्रतिशत वार्षिक है। संरचना एवं परिचालन में हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन से यह महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक उद्योग बन गया है। इसके अतिरिक्त, केंचुआ खाद उत्पादन, सब्ज़ियों की कृषि एवं अन्य आयामों से कृषकों की आय में वृद्धि एवं स्वरोज़गार की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास किये जा सकते हैं।
- **कृषि वानिकी:** कृषि वानिकी एक प्रभावी भूमि उपयोग प्रणाली है। इसमें कृषकों की आय में वृद्धि के साथ ही रोज़गार सृजन की अतिरिक्त क्षमता विद्यमान है। इससे छोटी जोत वाले किसानों, भूमिहीन मज़दूरों एवं खेतिहर महिलाओं की आजीविका में वृद्धि की जा सकती है।
- **कृषि पर्यटन:** कृषि पर्यटन में पर्यटकों को कृषि से संबंधित कार्यों एवं उत्पादों की जानकारी देते हुए कृषि एवं ग्रामीण स्थितियों से अवगत कराया जाता है। यह ग्रामीण पर्यटन का ही एक रूप है। देश में कृषि पर्यटन की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं।
- इस क्षेत्र में विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से फार्म विविधिकरण के नवीन अवसर सृजित हो रहे हैं तथा किसानों एवं अन्य भागीदारों को आय के अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे कृषक जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि, जल संसाधन, फार्म हाउस है तथा वे पर्यटकों के मनोरंजन में रुचि रखते हों, कृषि पर्यटन के व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं।

स्टार्टअप एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रयास

स्टार्टअप एवं उद्यमिता विकास हेतु सरकार द्वारा किये गए महत्त्वपूर्ण प्रयास निम्नलिखित हैं–

- **मेक इन इंडिया:** इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2014 में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य रोज़गार का सृजन एवं कौशल संवर्द्धन करना है। इसके अंतर्गत पूँजीगत एवं प्रौद्योगिकी निवेशों को आकर्षित करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

- **स्टार्टअप इंडिया:** युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इसमें वित्तीय सहायता के साथ ही अन्य प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं। इसके अंतर्गत लगभग 1.25 लाख बैंक शाखाओं द्वारा दलित, आदिवासी एवं महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- **वेयरहाउसिंग एवं कोल्डचेन में निवेश:** कृषि उत्पादों की आपूर्ति शृंखला में होने वाले नुकसान में कमी लाने तथा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े स्टार्टअप एवं उद्यमों के लिये सरकार द्वारा मेगाफूड पार्क, एकीकृत शीत चेन, मूल्य संवर्द्धन तथा संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जा रही है।
- **अटल इनोवेशन मिशन:** यह मिशन नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये सरकार का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तर के नवाचार केंद्रों, स्टार्टअप व्यवसायों एवं अन्य रोज़गार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये रोज़गार मंच के रूप में कार्य करना है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** यह योजना, युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिये प्रमुख कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 24 लाख युवाओं को नए उद्यम हेतु प्रशिक्षण दायरे में लाया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तथा उद्योग द्वारा निर्धारित मानदंडों पर होगा।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:** वर्ष 2007-08 में इस योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को उच्च उत्पादकता वाले बीजों की उपलब्धता, प्रजनक बीजों के उत्पादन, प्रमाणिक बीजों के उत्पादन इत्यादि के साथ कृषकों के प्रशिक्षण के लिये सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कौशल विकास के लिये उठाए गए कदम

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कौशल विकास के लिये उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं–

- **कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें सशक्त करना (आर्या):** इस परियोजना का संचालन देश के 25 राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से की जा रही है। इसके अंतर्गत एक ज़िले में 200-300 ग्रामीण युवाओं की पहचान उद्यमशीलता की गतिविधियों में उनके कौशल विकास और संबंधित सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिये की जाएगी।
- **आंचलिक प्रौद्योगिकी प्रबंधन और व्यवसाय योजना तथा विकास इकाई:** इसके अंतर्गत देश के पाँच क्षेत्रों में पाँच आंचलिक प्रौद्योगिकी प्रबंधन और व्यवसाय योजना तथा विकास इकाइयाँ स्थापित की गई है।
- **कृषि विज्ञान केंद्रों में कौशल विकास:** कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से वर्मी कंपोस्ट, डेयरी फार्मिंग, मशरूम उत्पादन इत्यादि के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह कृषि में कौशल विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

निष्कर्ष

सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में स्टार्टअप एवं उद्यमिता विकास की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। इससे कृषकों की आय में वृद्धि के साथ ही युवाओं को रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इसके महत्त्व को देखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता एवं कौशल विकास के लिये प्रयास किया जा रहे हैं।

भारत में व्यवहार्य कृषि वित्त का विस्तार

संदर्भ

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्ष 2018 के आँकड़ों के अनुसार, देश की लगभग 44 प्रतिशत आबादी कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है। सकल मूल्यवर्द्धन में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2000-01 से 2020-21 की अवधि में औसतन 19.2 प्रतिशत तथा वार्षिक वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत रही। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के इस योगदान के बावजूद इसे कई गंभीर संकटों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने, कृषि विकास को बढ़ावा देने तथा किसानों को समृद्ध बनाने में संस्थागत ऋण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

विकास की गति बढ़ाने में कृषि ऋण की भूमिका

- कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों के विकास में कृषि वित्तपोषण की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। किसान के लिये एक अच्छे फसल चक्र की शुरुआत करने और उसे बनाए रखने के लिये संस्थागत ऋण तक पहुँच आवश्यक होती है। इसकी सहायता से विपणन, भंडारण एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो पाती है।
- प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के प्रकोप तथा मूल्य में गिरावट से होने वाले नुकसान को झेलने में सक्षम होने के लिये किसानों का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना आवश्यक है।
- वर्तमान में कृषि क्षेत्र कई आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके कारण औपचारिक वित्तीय संस्थान इस क्षेत्र को महत्त्व नही दे पा रहे हैं।
- कृषि उत्पादन की दो मुख्य विशेषताएँ हैं– निवेश एवं लाभ प्राप्ति के मध्य लंबा अंतराल तथा मौसम के आघातों से कृषि उत्पादन पर लगे सहसंयोजन जोखिम। ये आयाम आपूर्ति पक्ष एवं माँग पक्ष दोनों के लिये समस्या उत्पन्न करते हैं।

कृषि संस्थागत ऋण नीतियों का विकास

- सहकारी ऋण संरचना के पुनर्वितरण के लिये आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में कृषि ऋण विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 1960 के दशक के अंत तक इस संरचना ने किसानों को उत्पादन ऋण प्रदान करने की ज़िम्मेदारी संभाली।
- वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण, 1991 के राष्ट्रीय सुधार तथा वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के प्रारंभ के बाद कृषि ऋण को दोगुना करने (2004) के निर्णय से बड़े पैमाने पर ऋण विस्तार हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ संस्थागत आधार स्थापित करना था।
- वर्ष 1976 के बाद वाणिज्यिक बैंक प्राथमिक ऋण देने वाले प्रमुख संस्थान बन गए। वर्ष 1976 में ग्रामीण क्षेत्र में इनकी शाखाएँ 7690 थीं, जो बढ़कर वर्ष 2019 में 36,168 हो गई हैं।
- वर्ष 1976 में कृषि ऋण कवरेज़ के विस्तार के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। मार्च 2020 के अंत तक 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूरे देश में 22,042 शाखाओं के नेटवर्क का प्रबंधन कर रहे थे।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधारी के तहत कृषि ऋण

- बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण का एक अंश प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने की प्रणाली वर्ष 1974 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर एवं वंचित वर्गों तक ऋण की पहुँच प्रदान करना था।
- बैंकों को कुल पी.एस.एल. लक्ष्यों (40 प्रतिशत) के अतिरिक्त 18 प्रतिशत के कृषि लक्ष्य और छोटे एवं सीमांत किसानों के लिये समायोजित निवल बैंक ऋण के 8 प्रतिशत के उपलक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है।

नाबार्ड: ग्रामीण समृद्धि को प्रोत्साहन

- कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1982 में 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक' (नाबार्ड) की स्थापना की गई। वंचित वर्गों के वित्तीय समावेशन को और अधिक बढ़ाने के लिये नाबार्ड द्वारा 'स्वयं सहायता समूह' (SHG) मॉडल प्रस्तुत किया गया।
- अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एस.एच.जी. बैंकों की एजेंसियों के माध्यम से अपने एकत्रित किये गए संसाधनों का नियोजन अपने सदस्यों को ऋण वितरित करने के लिये करते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

- इस योजना का प्रारंभ वर्ष 1998 में किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करना है। वर्ष 2020 के आँकड़ों के अनुसार, देश में कुल 65.3 मिलियन किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) सक्रिय हैं। इन के.सी.सी. पर लगभग 6.97 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं।
- के.सी.सी. को आधार से जोड़े जाने की आवश्यकता है। राज्यों में एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया जाना चाहिये, जिससे के.सी.सी. की संख्या, उनकी सक्रियता, लिये गए ऋण की राशि आदि की निगरानी की जा सके।

कृषि क्षेत्र एवं बैंकिंग सुविधाएँ

- सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से औपचारिक कृषि ऋण के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र के लिये बकाया अग्रिम बढ़कर 16.04 ट्रिलियन (कुल बैंक ऋण का 15.2 प्रतिशत) हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि ऋण 1970 के दो प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 47 प्रतिशत हो गया है।
- कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (79 प्रतिशत), ग्रामीण सहकारी बैंक (15 प्रतिशत), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (5 प्रतिशत) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (1 प्रतिशत) का प्रमुख योगदान है।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लघु वित्त बैंकों की स्थापना की गई है। ये बैंक छोटे और सीमांत किसानों, कम आय वाले परिवारों तथा छोटे व्यवसायों एवं अन्य संगठित संस्थाओं को सेवाएँ प्रदान करेंगे।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में किया गया। किसानों की भागीदारी के संदर्भ में यह विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इसके अंतर्गत प्रति वर्ष लगभग 5.5 करोड़ किसानों से आवेदन प्राप्त होते हैं। इस योजना के अंतर्गत नामांकित किसानों में 84 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसान हैं। इस प्रकार, इस योजना से सबसे असुरक्षित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 में भूमि अभिलेख योजना का कंप्यूटरीकरण प्रारंभ किया गया। वर्ष 2008 में भूमि एवं संपत्ति विवादों में कमी लाने तथा भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता बढाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

एक राष्ट्र एक बाज़ार

- 'राष्ट्रीय कृषि बाज़ार' (ई-नाम) का प्रारंभ वर्ष 2018 में किया गया। इसका उद्देश्य किसानों की बाज़ारों और खरीदारों तक डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करते हुए मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में

सुधार तथा गुणवत्ता के अनुरूप कीमत तथा कृषि उपज के लिये 'एक राष्ट्र एक बाज़ार' की अवधारणा को विकसित करना है।

- अभी तक ई-नाम प्लेटफार्म के अंतर्गत लगभग 1.69 करोड़ से अधिक किसान तथा 1.55 लाख व्यापारियों ने अपना पंजीकरण कराया है। इस प्लेटफार्म पर कुल कारोबार की संख्या 4.13 करोड़ मीट्रिक टन है।

कृषि वित्तपोषण में चुनौतियाँ

- नाबार्ड की वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार, कृषि क्षेत्र की ऋण आवश्यकता का 72 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से तथा 28 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से प्राप्त हुआ था। इस रिपोर्ट के अनुसार, कुल कृषि परिवारों में से लगभग 30 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं।
- भूमिहीन किसानों एवं पट्टे पर कृषि करने वालों से होने वाले समझौतों का स्वरूप प्राय: मौखिक होता है। इससे उन्हें दस्तावेज़ी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे उन्हें ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आती है।

रिज़र्व बैंक द्वारा सुझाव

- ब्याज सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिये केवल के.सी.सी. मोड के माध्यम से फसल ऋण प्रदान किये जाने चाहिये।
- बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के अंतर्गत किसानों को 1 लाख रुपए की स्वीकृत सीमा तक उपभोग ऋण देने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि बैंक उधारकर्ता की चुकौती क्षमता से संतुष्ट हों।
- टाई-अप व्यवस्था के संबंध में बैंकों द्वारा संपार्श्विक जमानत की छूट के लिये 3 लाख रुपए की सीमा को संशोधित करके 5 लाख रुपए किया जाना चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि टाई-अप व्यवस्थाएँ बिना किसी मध्यस्थ के उत्पादकों एवं प्रसंस्करण इकाइयों के मध्य हों।
- ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की राशि में वृद्धि की जानी चाहिये तथा राज्य सरकारों को इस कोष से प्राप्त ऋण का एक बड़ा भाग ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये आवंटित करने के लिये प्रेरित करना चाहिये।
- राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने एवं उनको अपडेट करने के लिये प्रेरित करना चाहिये।
- बैंकों को ऐसे अभिनव प्रयासों को ऋण प्रदान करने के लिये अपनाना जाना चाहिये, जो कृषि क्षेत्र का समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण भारत की समस्याओं में कमी लाने, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा देश के समावेशी विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्र को बैंक से जोड़ना अति आवश्यक है। इस दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। परंतु अभी भी कुछ समस्याएँ विद्यमान हैं, जिनके समाधान के लिये प्रभावी कदम उठाए जाने का आवश्यकता है।

डाउन टू अर्थ

सामूहिक कृषि

संदर्भ

कोरोना महामारी के इस दौर में सामूहिक कृषि की प्रासंगिकता बढ़ी है। महामारी के प्रकोप से बचने के लिये लघु, सीमांत और भूमिहीन किसानों का एक साथ आना कृषि एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में नई आशाओं को जन्म दे रहा है।

पृष्ठभूमि

- हैदराबाद स्थित गैर-लाभकारी संस्था 'भूमिका वीमेंस कलेक्टिव' द्वारा महामारी काल में तेलंगाना के करीमनगर और सिद्दीपेट ज़िलों में महिला कृषि समूहों की स्थापना ने सामूहिक खेती की अवधारणा को व्यापक रूप प्रदान किया है। इससे कृषि क्षेत्र के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- 'भूमिका वीमेंस कलेक्टिव' एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था, जो मुख्य रूप से बाल एवं युवा विकास और महिला सशक्तीकरण के लिये कार्य करता है। इसका मुख्य कार्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है।

सामूहिक कृषि की प्रासंगिकता

- सामूहिक कृषि में स्वेच्छानुसार भूमि, श्रम और पूँजी को एकत्रित करना और खेती करना शामिल है। भारत में सामूहिक कृषि की अवधारणा नई नहीं है। कई राज्यों ने अतीत में भी सामूहिक कृषि के विकास को लेकर प्रयास किया है लेकिन आशानुरूप सफलता नहीं मिली है।
- चूँकि भारत में लगभग 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि पर खेती करते हैं। दूसरी ओर, कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा है।
- अधिकांश किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है। उन्हें बैंक ऋण प्राप्त करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, उनके पास कृषि प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यक सूचनाओं का भी अभाव है। ये सभी समस्याएँ आर्थिक विकास की दिशा में अवरोधक की भूमिका में हैं।

- इस तरह सामूहिक कृषि उन्हें एक संस्थागत समाधान प्रदान करती है, जिसके माध्यम से छोटे किसान कृषि उत्पादन से जुड़ी बाधाओं को दूर कर सकते हैं।
- इससे छोटे किसान अर्थव्यवस्था के बड़े दायरे से जुड़ेंगे और उसी अनुरूप में निवेश की मात्रा भी बढ़ेगी। इसका एक मुख्य लाभ यह होगा कि महिलाएँ किसान के रूप में स्वतंत्र पहचान हासिल कर सकती हैं।

किसान उत्पादक संगठन और सामूहिक कृषि

- किसान उत्पादक संगठन (FPO) मुख्यत: कृषि उत्पाद का संयुक्त विपणन और कभी-कभी थोक इनपुट खरीद जैसे कार्य करते हैं। सामान्यत: संयुक्त खेती या किसानों के साथ भूमि और श्रम में एफ.पी.ओ. का योगदान नहीं होता।
- हालाँकि, यदि एफ.पी.ओ. समूह खेत बनाते हैं तो सामूहिक कृषि के क्षेत्र में यह सार्थक कदम होगा।

विभिन्न राज्यों में सामूहिक कृषि की वर्तमान स्थिति

- सामूहिक कृषि के मामले में केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में अच्छा कार्य हुआ है। केरल में सामूहिक कृषि बड़े पैमाने पर भूमि पट्टे पर आधारित है। आज यहाँ ऐसे 68000 से अधिक 'समूह खेत' (Collective Farms) हैं।
- 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) द्वारा तेलंगाना में 500 समूह खेत बनाने के लिये एक छोटा प्रयोग किया गया। इस प्रयोग को वर्ष 2001 में केंद्र के सहयोग से एक गैर-सरकारी संगठन आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी द्वारा कार्यान्वित किया गया। यहाँ भी महिलाओं को पट्टे की भूमि पर निर्भर होना पड़ा।
- हालाँकि, तेलंगाना में सामूहिक कृषि ने उत्पादकता के क्षेत्र में आशानुरूप सफलता प्राप्त नहीं की। लेकिन केरल और तेलंगाना दोनों राज्यों में सामूहिक कृषि ने महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है।
- बिहार और पश्चिम बंगाल में सामूहिक कृषि के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में महिलाएँ भी निर्णायक भूमिका में रहीं हैं।
- गोवा में सामूहिक खेती का संशोधित संस्करण महामारी के दौरान लोगों को कृषि क्षेत्र में लौटने में सहायक साबित हो रहा है। यहाँ छोटे और सीमांत किसानों की अधिकता एवं पीढ़ी-दर-पीढ़ी भूमि का और अधिक विभाजन होने के कारण भूमि का बड़ा भाग कृषि कार्य के लिये अनुपयोगी हो गया।
- इसे देखते हुए गोवा सरकार द्वारा वर्ष 2018 में यह निर्णय लिया गया कि किसान सामूहिक रूप से सिंचाई की सुविधा एवं खेतों में बाड़ लगाने के लिये प्रति हेक्टेयर 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
- इस मॉडल का मुख्य पहलू यह है कि किसानों को सामूहिक रूप से संपत्तियों का निर्माण तो करना होता है, परंतु उन्हें खेती एक साथ नहीं करनी होती।
- गोवा राज्य में सामूहिक कृषि के संशोधित रूप का परिणाम यह हुआ कि 20-25 हेक्टेयर अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया गया। साथ ही, कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि दर्ज की गई।

कुदुंबश्री मिशन और सामूहिक कृषि

- केरल सरकार ने वर्ष 2000 के दशक के आरंभिक दौर में अपने गरीबी उन्मूलन मिशन 'कुदुंबश्री' के अंतर्गत सामूहिक कृषि के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना शुरू किया।
- केरल में सामूहिक कृषि से जुड़ी महिलाओं को कुदुंबश्री मिशन से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। कुदुंबश्री केरल का गरीबी उन्मूलन मिशन है, जिसका उद्देश्य पूर्णरूप से गरीबी को मिटाना है।
- इसका उद्देश्य राज्य की प्रत्येक गरीब महिला को अपने दायरे में लाने के साथ-साथ उन तक सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है। यह मिशन 'परियोजना दृष्टिकोण' (Project Approach) की बजाय एक 'प्रक्रिया दृष्टिकोण' (Process Approach) पर आधारित है।
- महिलाएँ स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आय सृजन गतिविधियों जैसे कई मुद्दों पर कार्य करती हैं और इस संदर्भ में वे माइक्रोक्रेडिट चाहती हैं।
- माइक्रोक्रेडिट एक कम राशि का ऋण देने वाला ब्याज है, जो उन सूक्ष्म उद्यमियों को दिया जाता है जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं होती है।
- कुदुंबश्री मिशन के माध्यम से महिला सशक्तीकरण, गरीबी में कमी, शासन में नागरिकों की सामूहिक भागीदारी, समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित किया जा सका है।

आगे की राह

- सामूहिक कृषि के विकास के लिये किसानों को सरकार से तकनीकी सहयोग और आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों इत्यादि का सहयोग भी महत्त्वपूर्ण है।
- सामूहिक कृषि के विकास के लिये सफल स्वयं-सहायता समूह मॉडल को अपनाया जाना चाहिये, जिसने बचत और ऋण के लिये बेहतर कार्य किया है।
- इस प्रकार, सरकार द्वारा सामूहिक कृषि को गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिये ताकि भारतीय कृषि और किसानों की आजीविका को सुदृढ़ किया जा सके।

जल संचयन की हवेली व्यवस्था

संदर्भ

- मध्य प्रदेश में जल संचयन के अनेक तरीके प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक अनूठा तरिका 'हवेली व्यवस्था' है। कि फसलों की बुआई के साथ-साथ भू-जल स्तर को बनाए रखने में इस व्यवस्था का बड़ा योगदान है।
- किंतु, यह चिंताजनक है कि फसल चक्र में निरंतर आ रहे बदलावों से यह व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है।

हवेली व्यवस्था का विकास और इसकी विशेषताएँ

- इस व्यवस्था में नर्मदा घाटी के ऊपरी हिस्से के खेतों में ऊँचे बाँध बनाकर बारिश के पानी को फसलों की बुआई तक रोके रखा जाता है। तत्पश्चात् पानी निकालकर खेतों को सुखा दिया जाता है और फसलों की बुआई की जाती है।
- इस व्यवस्था का विकास उत्तर-पश्चिम की उर्वर समतल भूमि में हुआ था। इसके बाद नर्मदा पार और नरसिंहपुर ज़िले में भी यही व्यवस्था अपनाई जाने लगी।
- उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्रों में काँस नामक घास बड़ी मात्रा में होती है। ऐसे में, यदि खेत में कुछ समय तक जल-जमाव रहे तो काँस सड़कर नष्ट हो जाती है, जिससे फसलों की बुआई आसान हो जाती है और उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित नहीं होती। इसलिये किसानों ने यह व्यवस्था विकसित की।
- यह तरीका मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह और सागर ज़िले के कुछ हिस्सों को मिलाकर लगभग 1.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रचलित है।

हवेली व्यवस्था से जुड़े प्रमुख तथ्य

- हवेली व्यवस्था मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, जहाँ काली मृदा पायी जाती है।
- काली मृदा की विशेषता यह है कि यह अधिकाधिक पानी सोख लेती है। यद्यपि यह मिट्टी धान या कपास जैसी खरीफ फसलों के लिये उपयुक्त नहीं होती, लेकिन गेहूँ के लिये उपयुक्त होती है।
- जबलपुर और नरसिंहपुर ज़िलों में दो तरह की काली मृदा पायी जाती है– काबर और मुंड। काबर भारी काली मिट्टी और मुंड हल्की मिट्टी होती है। साथ ही, काबर मिट्टी की तुलना में मुंड कम उर्वर होती है।

हवेली व्यवस्था की वर्तमान स्थिति

- गौरतलब है कि किसानों द्वारा फसलों की बुआई में प्राथमिकताएँ बदली हैं। अब खरीफ फसल, जैसे– सोयाबीन की बुआई में इन क्षेत्रों के किसानों की रुचि बढ़ी है।
- चूँकि, हवेली व्यवस्था खरीफ फसलों के लिये उपयुक्त नहीं होती, इसलिये किसान अब खेतों में पानी का जमाव नहीं होने देते हैं।
- इस प्रकार, फसलों के बदल जाने से हवेली व्यवस्था लगभग आधी रह गई है।

निष्कर्ष

- अनगिनत नलकूपों के लग जाने से दिनोंदिन भू-जल स्तर नीचे जा रहा है। खेतों में पानी के लगातार जमा रहने से भू-जल स्तर सामान्य बनाए रखने में हवेली व्यवस्था को एक समाधान के तौर पर देखा जाना चाहिये।
- इससे न केवल भू-जल स्तर बढ़ेगा, बल्कि छिड़काव सिंचाई के लिये नलकूपों से अधिक पानी मिल सकेगा।

संतुलित आहार में दाल की प्रासंगिकता : संबंधित पक्ष

संदर्भ

भारत में दालों का उत्पादन सदियों से होता आया है लेकिन अन्य फसलों की तुलना में दालों के उत्पादन में कमी आई है, जिससे इनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप दालों का बजट से बाहर होना भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में पोषण और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1976 के राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई थी कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 ग्राम दाल की उपलब्धता होनी चाहिये। वर्तमान में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति केवल 55 ग्राम दाल की उपलब्धता है। वहीं, वर्ष 1951 में यह उपलब्धता 60.7 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी।
- लेकिन वर्ष 1976 के राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझावों के परिणामस्वरूप निर्धारित लक्ष्य को अभी भी पूरा नहीं किया जा सका है।
- कृषि मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, पूरे विश्व में दाल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत (22-25 मिलियन टन), उपभोग में 27 प्रतिशत और आयात में सबसे अधिक है।
- वर्ष 1950-51 में कुल खाद्य उत्पादन में दालों का योगदान 16.6 प्रतिशत था जो वर्ष 2014-15 में घटकर 7 प्रतिशत रह गया है।

दाल उत्पादन में विभिन्न राज्यों की स्थिति

- वर्तमान में दालों के उत्पादन में छह राज्यों की हिस्सेदारी (लगभग 80 प्रतिशत) प्रमुख है। ये राज्य हैं– मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश।
- उत्तर प्रदेश का सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड दलहन की खेती के लिये प्रसिद्ध रहा है।

- उत्तर भारत के प्रमुख दाल उत्पादक राज्य हैं– उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब।
- उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली अत्यधिक वर्षा कृषि के फसल चक्र को प्रभावित कर रही है।
- केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जुलाई 2021 में जारी आँकड़ो के अनुसार, खरीफ के मौसम में छह उक्त प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों में दाल उत्पादन से जुड़े क्षेत्र व दालों की बुवाई में कमी आई है।
- सर्वाधिक कमी राजस्थान में दर्ज की गई। उदाहरणस्वरूप– वर्ष 2017 में यहाँ दालों का बुवाई क्षेत्र 27.228 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2021 में घटकर 9.918 हेक्टेयर रह गया है।

दाल उत्पादन से जुड़े महत्त्वपूर्ण पक्ष

- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, दालों के कृषि क्षेत्र, उत्पादन और उपज की स्थिति कई दशकों तक स्थिर रही है।
- उल्लेखनीय है कि 'स्कीम ऑफ ऑयलसीड्स, पल्सेस, ऑयलपॉम एंड मेज' (Integrated Scheme of Oilseeds, Pulses, Oilpalm and Maize) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसे कार्यक्रमों के कारण रबी के मौसम की दलहनी फसलों के कृषि क्षेत्र और उपज बढ़ने से विकास दर में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2017-18 के दौरान 25.41 मिलियन टन दालों का उत्पादन हुआ था। तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020-21 में भी 25.5 मिलियन टन दालों का रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है।

दाल उत्पादन में कमी से प्रभावित क्षेत्र

- खरीफ के मौसम में दालों की बुवाई में आई कमी उत्पादन आँकड़ों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरणस्वरूप– प्रत्येक वर्ष दलहन की मांग और आपूर्ति का अनुपात ठीक करने के लिये लगभग 30 टन दालों का आयात करना पड़ता है।
- भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर के वैज्ञानिकों का मानना है कि खाद्य संकट के समय अनाज उपलब्धता पर अधिक ध्यान था, अब सर्वाधिक बल पोषण पर है। इसलिये अरहर के साथ-साथ अन्य दलहनी फसलों के उत्पादन पर अधिक बल दिया जा रहा है।

दालों के उत्पादन के प्रति किसानों का घटता रुझान: कारण

- मवेशियों द्वारा दलहनी फसलों को हानि पहुँचाना।
- मूँग, उड़द आदि जायद मौसम (खरीफ और रबी मौसम के बीच की अवधि) में उगायी जाने वाली फसलों के स्थान पर व्यावसायिक फसल के रूप में सोयाबीन उत्पादन पर अधिक ज़ोर दिया जाना।
- दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लागत मूल्य के बराबर या कम होना।
- राज्यों द्वारा सही सही बीज किस्मों की ज़रूरत का अनुमान न लगाया जाना।

दालों के उत्पादन में वृद्धि हेतु सुझाव

- कृषि पर संसद की स्टैंडिंग कमिटी की अनुशंसा पर वर्ष 1999 में विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष रहे वैज्ञानिक आर.एस. परोडा द्वारा वर्ष 2000 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, 'नेशनल पल्सेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट' (NPDP) की समीक्षा करते हुए दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये कार्ययोजना निर्मित की जानी चाहिये।
- इस रिपोर्ट में यह अनुशंसा की गई थी कि बीजों को उन्नत बनाते हुए किसानों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिये। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन राज्यों से बीज की मांग के आधार पर बीजों को तैयार करता है। अत: मांग के अनुरूप बीजों का उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिये।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) में दालों का स्थान

- कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान भारत सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (PMGKAY) की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे 20 करोड़ से अधिक लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिये जाने वाले राशन के अतिरिक्त चावल, गेंहूँ और दालें दिये जाने का प्रावधान किया गया।
- उल्लेखनीय है कि चावल और गेंहूँ पहले से ही भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
- चूँकि, वर्षों से 'भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड' (NAFED/ नेफेड) और 'भारतीय दलहन व अनाज संगठन' (IPGA) की ओर से यह मांग की जा रही थी कि सरकार को अन्य दो प्रमुख अनाजों के साथ 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (PDS) में दालों को भी शामिल किया जाना चाहिये। इसलिये यह पहला अवसर था जब सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर दालों का वितरण किया गया।
- उल्लेखनीय है कि नेफेड भारत में कृषि उत्पादों के लिये विपणन सहकारी समितियों की एक शीर्ष ऐजेंसी है।
- लेकिन यह चिंताजनक है कि कोविड राहत कार्यक्रम में केवल गेंहूँ और चावल ही पी.डी.एस. का हिस्सा रहे, दालों को पूर्णत: वितरण से बाहर कर दिया गया।

दालों को पी.डी.एस. का हिस्सा बनाने के संभावित लाभ

- भारत में पोषण के संकेत अत्यधिक निराशाजनक हैं। ध्यान देने योग्य है कि 'वैश्विक भुखमरी सूचकांक' (Global Hunger Index– GHI) के द्वारा वर्ष 2020 में जारी की गई सूची में 107 देशों में भारत का 94वाँ स्थान था। इसलिये भारत में दालों को पी.डी.एस. में शामिल करना उचित कदम है।
- हालाँकि, कुछ राज्यों द्वारा दालों को पहले से 'समेकित बाल विकास योजना' (Integrated Child Development Scheme– ICDS) और मिड डे मील कार्यक्रमों में शामिल किया गया है।
- दालों को पी.डी.एस. में शामिल करने का कदम सरकार को पोषण अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक हो सकता है।
- विशेषज्ञों का तर्क है कि पी.डी.एस. में दालों को शामिल करने से दाल उत्पादन के प्रति किसानों का उत्साह बढ़ेगा। साथ ही, आउटपुट बढ़ने से जी.डी.पी. में वृद्धि होगी और राजकोषीय घाटा कम होगा। इस प्रकार, उत्पादकता बढ़ने से दालों पर आयात निर्भरता कम हो जाएगी।

भारत में कुपोषण की स्थिति

- वर्ष 2015-16 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में में पाँच वर्ष तक के 28.5 प्रतिशत बच्चे वेस्टेड (लंबाई के अनुसार कम वजन), 38.4 प्रतिशत बच्चे स्टंटेड (उम्र के अनुसार कम लंबाई) एवं 35.8 प्रतिशत बच्चे अंडरवेट अर्थात् अल्पपोषित हैं।
- सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में बच्चों और महिलाओं में रक्ताल्पता की गंभीर स्थिति है।
- ये आँकड़े भारत में कुपोषण की गंभीर स्थिति के संकेतक हैं।

भारत में दालों के अनुमानित उपभोग संबंधी अध्ययन

- अकादमिक जर्नल 'एनल्स ऑफ न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज' में वर्ष 2017 में प्रकाशित जॉन मैकडरमोट और अमांडा जे वाट का अध्ययन यह दर्शाता है कि विश्व में संपूर्ण आहार में दालों की हिस्सेदारी बहुत कम है।
- खाद्य और पोषण सुरक्षा में दालों के महत्त्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा वर्ष 2016 को 'अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष' घोषित किया गया था। इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति दालों के उपभोग को बढ़ाना था।
- राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने वर्ष 2011 में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 80 ग्राम दाल के सेवन की अनुशंसा की थी। ध्यातव्य है कि आई.सी.एम.आर. के अनुसार, भारत में पुरुषों और महिलाओं के लिये 'आर.डी.ए.' (Recommended Dietary Allowance– RDA) प्रतिदिन क्रमशः 60 और 55 ग्राम दाल है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन भी भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 80 ग्राम दाल के सेवन की अनुशंसा करता है।

पोषण में दालों की महत्ता

- खाद्य सुरक्षा, पोषण और मानव को स्वस्थ रखने के लिये दलहन महत्त्वपूर्ण खाद्य है। एक फसल के रूप में यह कृषि को अधिक टिकाऊ बनाती है।
- मानव उपभोग के लिये दाल प्रोटीन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। इसके माध्यम से मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। साथ ही, दालें रक्ताल्पता से लड़ने में सहायक हैं।
- गौरबतल है कि भोजन में प्रोटीन की कम मात्रा कई बार 'प्रोटीन-ऊर्जा-कुपोषण' (Protein-Energy-Malnutrition) का कारण बनती है।
- दालों के उपभोग से प्रोटीन प्राप्त करके सैचुरेटेड फैट को सीमित किया जा सकता है और फाइबर की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।

पर्यावरण सुरक्षा में सहायक दालें

- 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (FAO) की 'सिंबायोसिस ऑफ लाइफ' शीर्षक से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में दालें और मिट्टी की गुणवत्ता का बने रहना अत्यावश्यक है। ध्यातव्य है कि अत्यधिक उत्पादन के दबाव के कारण मृदा गुणवत्ता क्षीण हो रही है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने या उसमें वृद्धि करने में दालें उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।
- दालें पर्यावरणीय नाइट्रोजन का जैविक स्थरीकरण करके मृदा की जैव विविधता को सुनिश्चित करती हैं।
- प्रोटीन के अन्य स्रोतों की तुलना में दालों के उत्पादन में बहुत कम कार्बन फुटप्रिंट होता है। साथ ही, ये अन्य फसलों से उत्पन्न कार्बन फुटप्रिंट को कम करती हैं।

आगे की राह

- दालों के उत्पादन हेतु उन्नत बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयोगी दलहनी फसलों को अन्य फसलों की तरह उत्पादन में प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 900 ग्राम दाल प्रति व्यक्ति का प्रावधान किया जाना चाहिये, ताकि कुपोषण मुक्त भारत का सपना साकार किया जा सके।

विश्व में निर्धनता और बच्चों की स्थिति

संदर्भ

- कोरोना महामारी ने विश्व के कई देशों में निर्धनता में वृद्धि की है। इसके कारण सतत् विकास लक्ष्यों में निर्धारित वर्ष 2030 तक गरीबी को पूर्णत: हटाने का उद्देश्य धूमिल होता नज़र आ रहा है।
- पिछले वर्ष 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) एवं 'ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास उपक्रम' (OPHI) द्वारा गरीबी से संबंधित एक सूची तैयार की गई थी। इस सूची के अनुसार, विश्व के 1.8 अरब गरीबों की उम्र 18 वर्ष से भी कम है। इसलिये, विश्व को गरीबी मुक्त बनाने हेतु बच्चों की गरीबी को दूर करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा गरीबी से संबंधित अध्ययन

- अमेरिकी शोध समूह 'ब्रुकिंग्स' ने बच्चों की गरीबी से जुड़े विभिन्न पक्षों पर एक अध्ययन किया है। इसमें यह पाया गया कि दक्षिण एशिया और अफ्रीका में गरीबी का स्तर ऊँचा बना रहेगा।
- वैश्विक डाटा लैब की 'वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक' का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक विश्व के दो-तिहाई गरीब उन 39 देशों में रहेंगे, जिन्हें विश्व बैंक 'कमज़ोर राष्ट्र' की श्रेणी में रखता है। 'वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक' गरीबी से निपटने के प्रयासों का अंकेक्षण और विश्व के किसी भी राष्ट्र में गरीबी के तत्कालीन स्तर को सूचित करती है।
- कमज़ोर राष्ट्र से आशय ऐसे देशों से है, जिनमें संस्थागत और सामाजिक कमज़ोरी उच्च स्तर की है और वे हिंसात्मक अंतर्विरोधों से प्रभावित हैं।
- वर्तमान में, विश्व के दस सबसे गरीब जनसंख्या वाले देशों में चार कमज़ोर देश हैं। वर्ष 2030 तक इनकी संख्या 5 हो जाएगी। सबसे गरीब आबादी वाले राष्ट्रों में शीर्ष पर नाइज़ीरिया और कांगो गणराज्य होंगे।
- एक अनुमान के अनुसार, महामारी के दौर से उबरने पर पूरे विश्व में गरीबी का स्तर वर्ष 2020 से पहले के स्तर पर आ जाएगा। लेकिन आँकड़ों से ये संकेत मिलते हैं कि वर्ष 2030 तक जनसांख्यिकी और भौगोलिक स्तर पर गरीबी के स्वरूप में बदलाव आएगा।
- ब्रुकिंग्स के विश्लेषण में इस बात पर बल दिया गया है कि क्या एक नवजात बच्चे का गरीब होना उसके जन्म स्थान पर निर्भर करेगा। इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि कमज़ोर राष्ट्रों में बच्चों की आधी से ज़्यादा आबादी 'आत्यंतिक गरीबी' (Absolute Poverty) की शिकार है।
- इस आधार पर ब्रुकिंग्स के विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि कोई बच्चा कमज़ोर राष्ट्र में जन्म लेता है तो इसकी संभावना प्रबल है कि वह आत्यंतिक गरीबी झेलते हुए ही बड़ा होगा।

बच्चों को गरीबी

- बच्चों में गरीबी को सामान्यत: उन स्थितियों से जोड़कर देखा जाता है, जिनमें उनके माता-पिता बड़े हुए हों। यह इस बात का परिचायक है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही गरीबी बच्चों को अवश्य प्रभावित करती है।
- बच्चों की गरीबी दूर करने के लिये सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि एक गरीब बच्चा उन स्थितियों का शिकार न हो, जिनसे उसके माता-पिता को होना पड़ा हो।
- दूसरा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बच्चों के कल्याण का कार्यक्रम बनाते हुए उन्हें गरीबी के जाल से निकालने में सहायता करनी चाहिये।

गंगा घाटी में जलीय पौधों की विविधता में कमी

संदर्भ

- मानवीय गतिविधियों के कारण विश्व में मीठे जल वाले पोषक तत्त्वों से भरपूर अपवाह तंत्र, जैसे– आर्द्रभूमियाँ, झीलें एवं नदियाँ गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं। साथ ही, इनकी संख्या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में तेज़ी से घट रही है।
- भारत में मीठे जल की विशिष्ट पारिस्थितिक जल विज्ञान की स्थिति में यह बदलाव मुख्यत: गंगा घाटी में देखा जा रहा है।
- मीठे जल की झीलों में बढ़ता प्रदूषण जलीय जीव-जंतुओं पर भारी दबाव डाल रहा है। साथ ही, इससे जलीय पौधों की विविधता में परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक

- पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल 'टाइटल एंड जर्नल' में प्रकाशित एक शोध-पत्र के अनुसार, झीलों और आर्द्रभूमि की देसी प्रजातियों के लिये कई आक्रामक प्रजातियाँ अत्यधिक खतरे को जन्म दे रही हैं।
- उल्लेखनीय है कि जलीय पौधों की मूल प्रजातियाँ मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र के लिये अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उचित पारिस्थितिक कार्यों में सहायता करती हैं।
- नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आक्रामक प्रजातियों की संख्या बढ़ जाती है, जो झीलों की सतह को पूर्ण रूप से आच्छादित कर देती है। इसके कारण प्राकृतिक

प्रकाश संश्लेषण को क्षति पहुँचती है और जल के अंदर भोजन चक्र प्रभावित होता है।

- अन्य प्रदूषकों के साथ उच्च फॉस्फेट और नाइट्रेट के फलस्वरूप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे– झीलों में पोषक तत्त्व संवर्द्धन (Eutrophication) होता है। परिणामस्वरूप जलीय पौधों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है।
- यह भी देखा गया है कि अत्यधिक शैवाल, अन्य जलीय पौधों और जलीय जीव-जंतुओं को नष्ट कर देते हैं।

हैबतमऊ झील, कठौता झील और समसपुर आर्द्रभूमि का उदाहरण

- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित झीलों में पौधों की जलीय विविधता और जल की गुणवता के मध्य संबंध का आकलन करने के लिये एक अध्ययन किया गया है।
- इस अध्ययन का उद्देश्य झीलों के पोषक तत्त्वों की सूचना प्रदान करने वाली 'ट्रॉफिक अवस्था' में वृद्धि और मानवीय हस्तक्षेपों के कारण झीलों की जलीय विविधता में हुए प्रभाव का पता लगाना था।
- लखनऊ की हैबतमऊ एवं कठौता झीलों और रायबरेली के रामसर स्थल के समीप समसपुर आर्द्रभूमि के बीच यह तुलनात्मक अध्ययन किया गया। ध्यान देने योग्य है कि समसपुर आर्द्रभूमि रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छह झीलों का संयोजन है।
- झीलों की 'ट्रॉफिक अवस्था' को मापने के लिये तीन मुख्य मानकों का उपयोग किया गया– झील में उपस्थित कुल फॉस्फोरस की मात्रा, क्लोरोफिल ए और गहराई।
- इस अध्ययन में जलमग्न, तैरती और उभरते मैक्रोफाइट्स प्रजातियों की समृद्धि को उनके बायोमास के अनुरूप निर्धारित किया गया।
  - ध्यातव्य है कि मैक्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं, जो जल में या उसके आस-पास उगते हैं। ये उभरते (Emergent), तैरते (Floating) या जलमग्न (Submergent) होते हैं। तैरते, जलीय, अतिसंचित पौधे अपनी जड़ों से संदूषकों (Contaminants) को अवशोषित या जमा करते हैं, जबकि जलमग्न पौधों में धातुओं का जमाव होता है।
- मैक्रोफाइटिक विविधता पर प्रदूषण के प्रभाव को मापने के लिये शैनन-वीनर इंडेक्स व महत्त्व सूचकांक जैसे विविध सूचकांकों का आकलन किया गया।
  - शैनन-वीनर इंडेक्स का उपयोग व्यक्तिगत प्रजातियों के विकार (Disorder) और अनिश्चितता (Uncertainty) का वर्णन करने के लिये किया जाता है। अनिश्चितता जितनी अधिक होगी, विविधता उतनी ही अधिक होगी। शैनन-वीनर विविधता सूचकांक में दो कारक हैं: प्रजातियों की संख्या अर्थात् समृद्धि एवं प्रजातियों में व्यक्तिगत वितरण का औसत या समरूपता।
- यह देखा गया कि कुल फॉस्फोरस में वृद्धि के साथ जलमग्न मैक्रोफाइट्स की प्रजातियों की समृद्धि में उल्लेखनीय कमी आई। वहीं दूसरी ओर, तैरते मैक्रोफाइट्स की प्रजातियों की समृद्धि में वृद्धि हुई।
- समसपुर आर्द्रभूमि अल्पपोषी स्थिति में पाई गई।
  - अल्पपोषी झील वह झील है, जिसमें पोषक तत्त्व कम होने के कारण प्राथमिक उत्पादकता कम होती है। इन झीलों में कम शैवाल उत्पादन होता है, परिणामस्वरूप जल बहुत साफ होता है, जिसमें उच्च पेयजल गुणवत्ता होती है।
- झीलों में मानवजनित दबावों का प्रतिकूल प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। उदाहरण के लिये, कठौता झील में कीटनाशकों का प्रयोग कर सिंघाड़े की खेती और मत्स्यन का काम किया गया। इसका प्रतिकूल प्रभाव जलीय जीवों पर देखने को मिला।
- कठौता झील की तुलना में अल्पपोषी समसपुर आर्द्रभूमि कम मानवजनित हस्तक्षेपों के कारण प्रजाति विविधता और समृद्धि को प्रदर्शित करती है।
- इस प्रकार, मेसोट्रोफिक और यूट्रोफिक झीलों की तुलना में ओलिगोट्रोफिक या अल्पपोषी झीलों में उच्च प्रजाति विविधता और समृद्धि का प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखता है।
  - मेसोट्रोफिक झीलें 1 हेक्टेयर से अधिक सतह वाले जल निकाय हैं, जिनमें क्षारीयता और पोषक तत्त्वों का स्तर सामान्य होता है।
  - एक यूट्रोफिक स्थिति तब निर्मित होती है, जब एक जल निकाय अपनी घुलित ऑक्सीजन की इतनी अधिक मात्रा नष्ट कर देता है कि सामान्य जलीय जीवन नष्ट होना शुरू हो जाता है। प्रकृति में यूट्रोफिक झीलों में उच्च स्तर की जैव उत्पादकता होती है।
- इस शोध के अनुसार, अशोधित सीवेज (मुख्यत: उच्च फॉस्फोरस और नाइट्रेट) जैविक समरूपीकरण का कारण बनने वाली आक्रामक या विदेशी प्रजातियों को जन्म देता है। भविष्य में ये आक्रामक प्रजातियाँ देसी प्रजातियों को हानि पहुँचाती हैं।

प्राकृतिक आवासों को बाधित करने वाले अन्य उत्तरदायी कारक

- बाँधों का निर्माण
- मानव उपयोग के लिये अत्यधिक जल निकासी
- कृषि और शहरी क्षेत्रों से अपवाह
- घरेलू स्रोतों से अशोधित सीवेज
- अत्यधिक दोहन और प्रदूषण
- आक्रामक या विदेशी प्रजातियों का प्रवेश

विदेशी या आक्रामक प्रजातियों का प्रभाव

- आक्रामक प्रजातियाँ या विदेशी प्रजातियाँ जो किसी पारिस्थितिक तंत्र को महत्त्वपूर्ण रूप से संशोधित या बाधित करती हैं। ऐसी प्रजातियाँ प्राकृतिक प्रवास के माध्यम से नए क्षेत्रों में आ सकती हैं।
- इन आक्रामक प्रजातियों में हैं– ट्रैपा नटान, एजोला फ्लिक्यूलोइड्स, आईकोर्निआ क्रैसिप्स, सेराटोफिलम डेमर्सम इत्यादि।
- उल्लेखनीय है कि पोटामोगेटन क्रिस्पस, मायरियोफिलम एक्वाटिकम और टायफा एन्गुस्टिफोलिया जैसी आक्रामक प्रजातियाँ गंगा बेसिन की उष्ण कटिबंधीय शहरी झीलों में व्यापक रूप से बढ़ रही हैं।
- परिणामस्वरूप मैक्रोफाइट्स की विविधता प्रभावित हो रही है।

अन्य कारकों का प्रभाव

- मानवजनित हस्तक्षेप के साथ-साथ बढ़ते प्रदूषण से तैरते मैक्रोफाइट्स का आक्रमण भी होता है, जिससे झीलों की मूल जैव विविधता में कमी आती है।
- मेसोट्रोफिक झीलों में यूट्रोफिकेशन के कारण मैक्रोफाइट्स की देसी प्रजातियों की समृद्धि में कमी आती है।
- आर्द्रभूमि में कम पानी के कारण मीठे जल के बायोटा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जलीय पौधों और जंतुओं की कई प्रजातियाँ समाप्त हो गई हैं।

आगे की राह

- कठोरतापूर्वक सुरक्षित आर्द्रभूमि क्षेत्रों को संरक्षित करने और मानव उपयोग के लिये जल निकासी को नियमित किया जाना चाहिये।
- जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण निर्वहन की निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता है।
- नगरीय विस्तार के कारण गंगा बेसिन की कई झीलों और तालाबों में हो रहे अतिक्रमण पर नगर निगमों द्वारा रोक लगाई जानी चाहिये।

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

एफ.पी.टी.सी. अधिनियम और एकीकृत आपूर्ति शृंखला

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने कृषि विपणन में सुधार करने के लिये सितंबर 2020 में 'किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020' पारित किया, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने की आज़ादी मिल सके।
- एक अन्य विधेयक, 'कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 ने 'कृषि उपज बाज़ार समिति' (A.P.M.C.) के अधिकार को केवल उसके परिसर तक सीमित कर दिया है।
- इन दो विधेयकों के अतिरिक्त एक अन्य विधेयक के माध्यम से 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' में भी संशोधन किया गया, ताकि कृषि वस्तुओं की मुक्त आवाजाही को सुगम बनाया जा सके।
- एक साथ इन तीन अधिनियमों के पारित होने से एक 'एकीकृत आपूर्ति शृंखला' विकसित होने तथा निजी निवेश आने की उम्मीद है। इन अधिनियमों के माध्यम से छोटे किसानों को 'एक राष्ट्र, एक बाज़ार' के अंतर्गत बेहतर मूल्य मिलने की अपेक्षा है।

कृषि-खाद्य मूल्य शृंखला

- आर्थिक सुधारों के तीन दशकों के दौरान भारत की 'कृषि-खाद्य मूल्य शृंखला' में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसका मुख्य कारण प्रसंस्करण और खुदरा फर्मों की बढ़ती भागीदारी है।
- हालाँकि, इसी अवधि में ए.पी.एम.सी. बाज़ारों में भी क्रमिक गिरावट देखी गई है। गौरतलब है कि ए.पी.एम.सी. बाज़ारों की शुरुआत वर्ष 1920 के दशक के अंत में भ्रष्ट व्यापारियों और साहूकारों से किसानों की रक्षा करने के लिये की गई थी।
- इन बाज़ारों ने पहले से तय कीमतों पर उपज को बेचने के लिये एक मंच प्रदान करके हरित क्रांति की सफलता में प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही, इसने किसानों को नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये भी प्रोत्साहित किया।
- वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत तक ए.पी.एम.सी. बाज़ारों को सार्वजनिक क्षेत्र का भरपूर समर्थन मिलता रहा, क्योंकि ऐसे बाज़ारों के विस्तार ने कृषि उत्पादन वृद्धि के साथ भरपूर तालमेल स्थापित किया था।
- आर्थिक सुधारों के बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से भी कम हो गया, जिसने ए.पी.एम.सी. बाज़ारों की वृद्धि को प्रभावित किया।
- यद्यपि सुधार के शुरुआती 17 वर्षों में ए.पी.एम.सी. बाज़ारों की वृद्धि केवल 22 प्रतिशत तक रह गई लेकिन इसी अवधि में कृषि उत्पादन में 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- ध्यातव्य है कि ए.पी.एम.सी. बाज़ारों की अवसंरचना अपर्याप्त है, इसी कारण औसत भारतीय का उपभोग प्रतिरूप धीरे-धीरे उच्च मूल्य वाली फसलों के पक्ष में चला गया।
- इन बाज़ारों में नीलामी प्लेटफॉर्म, उचित ग्रेडिंग, भंडारण और सुखाने की सुविधा का अभाव है, जिसके कारण अक्सर उपज

का अपव्यय होता है। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2013 के आँकडों के अनुसार वर्ष 2009 के 'थोक बाज़ार मूल्य' पर 44,000 करोड़ रुपए की उपज का अपव्यय हुआ था।

- अवसंरचना की इस कमी से छोटे किसानों को अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि बड़े किसान, जिनके पास बड़े विपणन योग्य अधिशेष होते हैं, वे इन बाज़ारों की सीमित सुविधाओं से प्रभावित नहीं होते हैं।
- क्रेडिट तक पहुँच की कमी और छोटे उपजधारकों का खराब संसाधन आधार उन्हें कमीशन एजेंटों पर अत्यधिक निर्भर बनाता है। हालाँकि इस तरह की निर्भरता किसानों को उनकी पसंद के खरीदारों को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता से भी वंचित करती है।
- प्रसंस्करण और खुदरा सेगमेंट में संगठित फर्मों की नई मांगों ने कम वित्तपोषित और उपेक्षित ए.पी.एम.सी. बाज़ारों के लिये नई चुनौतियाँ पेश की हैं। नतीजतन, ए.पी.एम.सी. अधिनियम में सुधारों की मांग और तेज़ हो गई तथा केंद्र ने 'मॉडल ए.पी.एम.सी. अधिनियम, 2003' को स्वीकृत किया।
- इस अधिनियम के प्रावधानों में ए.पी.एम.सी. नियमों के तहत अनुबंध खेती, निजी थोक बाज़ार और ए.पी.एम.सी. बाज़ारों के बाहर किसानों से सीधी खरीद शामिल हैं। हालाँकि इन सुधारों को असमान तरीके से क्रियान्वित किया गया।
- वर्ष 2015 तक केवल 18 राज्यों ने अपने संबंधित ए.पी.एम.सी. अधिनियमों में संशोधन किया तथा केवल 10 राज्यों ने उन्हें लागू किया था।
- इसके बाद, 'कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017' (APLM) ए.पी.एम.सी. बाज़ारों के अंदर और बाहर कृषि-विपणन में सुधार करने के लिये प्रस्तुत किया गया था।
- इसके अंतर्गत ए.पी.एम.सी. बाज़ारों के भीतर प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिये कमीशन एजेंटों की दुकान संबंधी आवश्यकता को समाप्त करना, ए.पी.एम.सी. बाज़ारों के अधिदेश से ताज़ा उपज के विपणन को समाप्त करना तथा और पूरे राज्य को एकल बाज़ार क्षेत्र घोषित करना शामिल है।
- हालाँकि ए.पी.एम.सी. को निजी थोक बाज़ार और प्रत्यक्ष सोर्सिंग के लिये लाइसेंस जारी करने जैसे मामलों में अंतिम प्राधिकरण बनाए रखा गया। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम का कार्यान्वयन राज्यों के क्षेत्राधिकार में रहने दिया गया।
- वर्तमान एफ.पी.टी.सी. अधिनियम, 2020 ने राज्यों से सुधारों को लागू करने की शक्ति को छीन लिया है। साथ ही, इस अधिनियम के माध्यम से ए.पी.एम.सी. बाज़ारों के क्षेत्राधिकार को केवल उनके अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित करने का प्रयास किया गया है।
- अधिनियम के पक्षधरों ने तर्क दिया है कि ए.पी.एम.सी. के नियंत्रण से मुक्त होने से निजी क्षेत्र आपूर्ति शृंखला में निवेश करेंगे, जिससे किसानों को अपनी उपज को बेहतर कीमतों पर बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी।

कृषि-खाद्य आपूर्ति शृंखला

- संगठित फर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली खरीद प्रथाओं की समीक्षा से संकेत मिलता है कि उपज का बहिष्करण कई स्तरों पर होता है।
- बहिष्करण का आरंभिक स्तर आपूर्ति शृंखला के भौगोलिक स्थान के माध्यम से होता है क्योंकि इन फर्मों की आपूर्ति शृंखला केवल संपन्न शहरी केंद्रों के करीब तक सीमित होती हैं।
- गरीब किसानों को आपूर्ति शृंखला से या तो बाहर रखा गया है या उनकी सीमित भागीदारी है, क्योंकि केवल बड़े या अपेक्षाकृत छोटे किसान ही उचित प्रतिफल का प्रबंधन कर पाते हैं।
- परिणामस्वरूप संगठित आपूर्ति शृंखला के समावेश ने ग्रामीण भारत में असमानता को बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान अधिनियम से कृषि-उत्पाद के विपणन पर क्या फर्क पड़ता है, जबकि कुल कृषि-उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत ही ए.पी.एम.सी. बाज़ारों में आता है तथा ताज़ा उपज विपणन पहले ही इसके दायरे से बाहर है।
- एफ.पी.टी.सी. अधिनियम उन क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्द्धा को कमज़ोर कर सकता है, जहाँ ए.पी.एम.सी. बाज़ार ने संगठित फर्मों के लिये एक बेंचमार्क स्थापित किया है। सामान्यतया सुपरमार्केट-संचालित मूल्य शृंखलाओं के भीतर कीमतों के निर्धारण में कोई बोली या नीलामी नहीं होती है।
- 'एक राष्ट्र, एक बाज़ार' बनाने के लिये पारित अधिनियम ने अलग-अलग 'कर व्यवस्थाओं' के साथ दो अलग-अलग बाज़ारों का निर्माण किया है। इस कारण आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ए.पी.एम.सी. बाज़ारों को टर्नओवर में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

बिहार परीक्षण

- बिहार ने वर्ष 2006 में अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियम को निरस्त कर दिया था। वर्तमान अधिनियम से पूरे देश पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, इस संदर्भ में बिहार का प्रयोग एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- राज्य में ए.पी.एम.सी. बाज़ारों की अनुपस्थिति के कारण किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (M.S.P.) से 30 प्रतिशत कम कीमतों पर उपज बेचना पड़ रहा है।
- एक उदाहरण के अनुसार, एक कंपनी जिसने मखाना आपूर्ति शृंखला में अपने 'अभिनव कृषि व्यवसाय मॉडल' (Innovative

Agribussiness Model) के लिये मीडिया में बहुत प्रशंसा प्राप्त की है। हालाँकि राज्य में मखाना आपूर्ति श्रृंखला पर एक विस्तृत अध्ययन से पता चला है कि ज़मीन पर कंपनी की उपस्थिति बहुत कम है।

- इसके विपरीत नाबार्ड और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी ने राज्य के कुछ सबसे गरीब ज़िलों में आलू से संबंधित मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज को नए वाणिज्य केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है।

आगे की राह

- एफ.पी.टी.सी. अधिनियम, 2020 ने प्रतिस्पर्द्धी और समावेशी कृषि-खाद्य बाज़ार प्रणाली में ए.पी.एम.सी. बाज़ारों को कमज़ोर करके एक 'एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला' की एक धुँधली दृष्टि को प्रदर्शित किया है।
- विपणन अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता को देखते हुए सार्वजनिक वित्तपोषण और सार्वजनिक संस्थानों को ऐसे मामलों में एक बड़ी भूमिका निभानी होगी।
- हालाँकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ए.पी.एम.सी. बाज़ारों के कामकाज में भी समस्याएँ हैं। फिर भी, समस्याओं का हवाला देकर ऐसे बाज़ारों को हाशिये पर नहीं रखना चाहिये, बल्कि ऐसे बाज़ारों के कामकाज में सुधार करने की आवश्यकता है।
- साथ ही, हरित क्रांति के दौरान सफलतापूर्वक निभाई गई भूमिकाओं को दोहराने के लिये उनका उन्नयन और विस्तार करना भी जरूरी है।
- ए.पी.एम.सी. बाज़ार की समस्याएँ सरकार की अपनी त्रुटिपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई हैं। कर्नाटक में ई-नाम योजना को लागू करने के हालिया अनुभव से ज्ञात हुआ है कि ऐसी समस्याओं का कोई त्वरित समाधान नहीं है।
- सरकार को कमीशन एजेंटों जैसे अनौपचारिक स्रोतों से निर्भरता को कम करने के लिये विस्तार सेवा संबंधी पर्याप्त प्रावधान करने चाहिये। इसके अतिरिक्त, सरकार को ए.पी.एम.सी. बाज़ारों के भीतर प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना चाहिये।
- ए.पी.एम.सी. बाज़ारों के असमान प्रसार और संगठित आपूर्ति श्रृंखला की कमी को देखते हुए भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के लिये अधिक ए.पी.एम.सी. बाज़ारों की आवश्यकता है।
- विशेष रूप से वंचित क्षेत्र, जो लंबे समय से एम.एस.पी. पर खरीद के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप से वंचित हैं। इस तरह के क्षेत्रों में बाज़ार विकसित करने से परिवहन लागत कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, गरीब क्षेत्रों में स्थानीय किसानों को गारंटीकृत मूल्य की प्राप्ति भी होगी।

परिवर्तन के साथ निरंतरता : पंद्रहवें वित्त आयोग का दृष्टिकोण

संदर्भ

- संविधान ने 'अंतर-सरकारी हस्तांतरण' में वित्त आयोगों की बुनियादी भूमिका और उसके कार्यों को रेखांकित किया है।
- सामयिक चुनौतियों के साथ-साथ बृहद् राजकोषीय वातावरण से संबंधित राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रत्येक आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अनुशंसाएँ प्रस्तुत की जाती है।
- प्रत्येक वित्त आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह बदलती परिस्थितियों के आलोक में आवश्यक परिवर्तनों को प्रस्तुत करते हुए विक्स संबंधी निरंतरता को सुनिश्चित करें।

राजकोषीय संघवाद पर हालिया अध्ययन

- राजकोषीय संघवाद से संबंधित एक हालिया अध्ययन ने 14वें वित्त आयोग के दृष्टिकोण और सिफारिशों के निम्नलिखित पहलुओं को चिह्नित किया है–
  - राजस्व संसाधनों और राजस्व व्यय से संबंधित मूल्यांकन और सिफारिशों पर जोर देने के साथ-साथ राजस्व खाते पर ध्यान केंद्रित करना।
  - संसाधनों के वितरण में अनुदान के ऊपर 'हस्तांतरण' को प्राथमिकता देना।
  - बिना किसी शर्त के राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करना, लेकिन अन्य प्रकार के 'क्षेत्र-विशिष्ट या राज्य-विशिष्ट अनुदानों' के लिये कुछ 'शर्तों या प्रदर्शन मानदंडों' को निर्धारित करना।
  - छठे वित्त आयोग के पश्चात् राजस्व वितरण को वर्ष 1971 की जनगणना का आधार बना दिया गया, ताकि जनांकिकीय मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दंडित न किया जाए।
- उक्त सिद्धांत संवैधानिक भावना के अनुरूप हैं और केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक न्याय पर आधारित हैं।
- वित्त आयोग की सिफारिशों को कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतया सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

राजकोषीय संरचना में परिवर्तन

- 1 जनवरी, 2015 को 'नीति आयोग' (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) की स्थापना 'योजना आयोग' के स्थान पर की गई थी। हालाँकि, यह अपने पूर्ववर्ती निकाय के विपरीत संसाधनों के आवंटन में कोई भूमिका नहीं निभाता है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट से 'योजना और गैर-योजना व्यय' के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था।

- मार्च 2017 में बारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात् 'राजस्व और पूंजीगत व्यय' को अधिक स्वीकृत श्रेणियों के रूप में स्वीकार किया गया।
- उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग के अतिरिक्त योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये 'अनुदानों और ऋणों' के माध्यम से राज्यों की सहायता की थी।
- देश के वित्तीय परिदृश्य में अगला बड़ा परिवर्तन 1 जुलाई, 2017 को 'वस्तु और सेवा कर' (G.S.T.) के क्रियान्वयन के द्वारा हुआ, जिसने देश की 'अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली' की संरचना को बदल दिया। इसने केंद्र और राज्य के कई अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक अप्रत्यक्ष कर में परिवर्तित कर दिया।
- एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधित्व वाली जी.एस.टी. परिषद् का गठन किया गया, जो कर की संरचना, डिजाइन और संचालन के बारे में निर्णय लेने के लिये का एक संस्थागत तंत्र है।

कोविड-*19* और अर्थव्यवस्था

- पंद्रहवें वित्त आयोग के गठन के समय अर्थव्यवस्था धीमी संवृद्धि के दौर से गुजर रही थी। इन्ही परिस्थितियों में वित्त आयोग के कार्यकाल को एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया।
- चूँकि आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2020-25 की अवधि को कवर करने के लिये थी लेकिन इसने वर्ष 2020-21 के लिये भी एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- पंद्रहवें वित्त आयोग के विस्तारित कार्यकाल में कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा।
- कोविड-19 का प्रकोप वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में शुरू हुआ। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से और धीमी हो रही थी।
- कोविड-19 का अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्रक को, चाहे वह मौद्रिक हो या राजकोषीय व्यापक तौर पर प्रभावित किया।
- इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार को वित्तीय प्रबंधन के सभी स्तरों पर असामयिक या अनियोजित व्यय से जूझना पड़ा। एक ओर जहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रक को अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता थी, वहीं दूसरी तरफ राजस्व संग्रह में तेज़ी से गिरावट भी हो रही थी।
- उल्लेखनीय है कि 'वैश्विक आर्थिक संकट' के आलोक में तेरहवें वित्त आयोग ने भी वर्ष 2010-15 की अवधि के लिये की सिफारिशें प्रस्तुत की थी।
- कोविड-19 के दौरान बाहरी अनिश्चितताओं, उच्च बाह्य खाता असंतुलन, धीमी संवृद्धि दर, राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी आदि ने सरकार के लिये 'नीतिगत स्थान' को कम कर दिया।
- चौदहवें वित्त आयोग को भी जी.डी.पी. की घटती दर, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कम राजस्व संग्रहण और उच्च राजकोषीय असंतुलन का सामना करना पड़ा था।
- हालाँकि कच्चे तेल की कीमतों में कमी, मुद्रास्फीति में गिरावट और केंद्र स्तर पर सत्ता परिवर्तन के कारण घरेलू नीतियों में बदलाव की उम्मीद थी।
- संवृद्धि दर में गिरावट का तात्पर्य है, कर आधारों में संकुचन के कारण सरकार के लिये राजस्व की कम उपलब्धता।
- इस पृष्ठभूमि को देखते हुए पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक 'कोविड काल में वित्त आयोग' दिया है।
- आयोग ने पाँच प्रमुख सिद्धांतों के तहत अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है–
  - संवैधानिक आदेश का पालन करना और उस जनादेश के भीतर टी.ओ.आर. को संबोधित करना।
  - हस्तांतरण, अनुदान और राजकोषीय घाटे की सीमा के इष्टतम समायोजन के माध्यम से केंद्र और राज्यों के लिये वित्त की 'स्थिरता और पूर्वानुमेयता' को सुनिश्चित करना।
  - सहयोगात्मक संघवाद को संतुलित रखते हुए 'लचीलेपन और स्वतंत्रता' के साथ महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को उत्प्रेरित करना।
  - वांछित राष्ट्रीय उद्देश्यों से जुड़े परिणामों के लिये 'नवाचार और सुधारों' को प्रोत्साहित करना।
  - आर्थिक विकास और संवृद्धि के उद्देश्यों के साथ 'नियम-आधारित राजकोषीय समेकन'।

राज्यों का कर में हिस्सा

- ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण से संबंधित टी.ओ.आर. मुख्यत: अनुच्छेद-280(3) के संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग के लिये सबसे विवादास्पद टी.ओ.आर. वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के आँकड़ों का उपयोग करना था।

ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण

- ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के लिये चौदहवें वित्त आयोग का दृष्टिकोण दो विचारों पर आधारित था, अर्थात् हस्तांतरण की स्थिरता तथा राज्यों को अपनी प्राथमिकताएँ पूरा करने के लिये पर्याप्त लचीलापन।
- वर्ष 2009-10 और वर्ष 2014-15 के मध्य कुल हस्तांतरण के मौजूदा स्तर के आधार पर यह सीमा 'सकल राजस्व प्राप्तियों' का लगभग 49 प्रतिशत निर्धारित की गई थी, जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 39 प्रतिशत से कहीं अधिक था।

- चौदहवें वित्त आयोग ने 'उपकर और अधिभार' में तेज़ वृद्धि को भी ध्यान में रखा गया तथा वैधानिक हस्तांतरण की तुलना में गैर-वैधानिक हस्तांतरण के हिस्से में वृद्धि को भी ध्यान में रखा गया था।
- चौदहवें वित्त आयोग ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के विभाज्य पूल को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया था।
- संसाधन से संबंधित पूर्वानुमान राज्यों को अग्रिम योजनाएँ बनाने में सक्षम बनाता है, साथ ही वित्तीय स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि धन के प्रवाह में कोई आकस्मिक बाधा उत्पन्न न हो।
- तीन अन्य कारकों ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण की मात्रा के निर्धारण में भूमिका निभाई–
  - दीर्घावधिक बजट व राजकोषीय लक्ष्यों को पूर्वानुमेयता और स्थिरता प्रदान करने के लिये निधियों के प्रवाह में निरंतरता।
  - कर हस्तांतरण के संबंध में किन्हीं शर्तों की अनुपस्थिति, जिससे राज्यों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नम्यता प्रदान की जा सके।
  - तीसरा, तीव्र संवृद्धि वाली अर्थव्यवस्था में उच्च कर संग्रह से राज्यों को उच्च राजस्व की प्राप्ति।
- इस प्रकार राज्यों के लिये विभाज्य पूल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सकल राजस्व प्राप्तियों के 50 प्रतिशत पर हस्तांतरण का समग्र दृष्टिकोण लेते हुए विभाज्य पूल को 41 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया था।

क्षैतिज हस्तांतरण

- क्षैतिज हस्तांतरण का उद्देश्य पूरे संघ में क्षैतिज समानता या समान व्यवहार (भौगोलिक समानता के विपरीत) को सुनिश्चित करना है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग का क्षैतिज हस्तांतरण सिद्धांत चार विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित है–
  - राज्यों के ऊर्ध्वाधर राजकोषीय अंतर को समाप्त करना।
  - गरीब क्षेत्रों को अधिक हिस्सा प्रदान करके क्षैतिज समानता प्रदान करना।
  - राज्यों की राजकोषीय क्षमता में साम्यता लाना।
  - बुनियादी सार्वजनिक सेवा (व्यय बराबरी) प्रदान करने के लिये राज्यों के मध्य लागत भिन्नता प्रदान करना।
- क्षैतिज हस्तांतरण के मामले में चौदहवें वित्त आयोग का दृष्टिकोण निम्नलिखित मामलों में 'भटक' गया था–
  - टी.ओ.आर. ने हस्तांतरण और अनुदान के निर्धारण के लिये वर्ष 1971 की जनसंख्या का प्रयोग किया, किंतु वर्ष 1971 के बाद हुए जनांकिकीय परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया।
  - वनावरण से संबंधित नया मानदंड।
  - राजकोषीय दक्षता मानदंड की समाप्ति।
- पंद्रहवें वित्त आयोग ने चौदहवें वित्त आयोग से जनसंख्या, क्षेत्रफल, वनावरण तथा आय असमानता मानदंड को जारी रखा लेकिन इसने राजकोषीय दक्षता मानदंड को पुनः प्रस्तुत किया।

निष्कर्ष

- पंद्रहवें वित्त आयोग ने पहले से विद्यमान विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कई राजकोषीय और गैर-राजकोषीय मुद्दों को भी संबोधित किया है, जो सार्वजनिक वित्त को प्रभावित करते हैं।
- महामारी के विरुद्ध लड़ाई जारी रहने के साथ-साथ यह उम्मीद की जाती है कि अंतर-सरकारी वित्त में स्थिरता बनी रहेगी तथा पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित सुधारों के साथ विकास की संभावनाएँ भी मज़बूत होंगी।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्रिप्टोकरेंसी का विनियमन

संदर्भ

- हाल के दिनों में 'फिएट मुद्रा' एक नए युग की डिजिटल मुद्रा में स्थानांतरित हो रही है, जिसे 'क्रिप्टोकरेंसी' कहा जाता है।
- फिएट मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं, जिसे उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वैधता प्राप्त होती है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग में व्यापक बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित, गुमनाम और सरकारी हस्तक्षेप रहित लेनदेन की मांग बढ़ रही है।
- वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक 32 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

क्रिप्टोकरेंसी

- ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार "क्रिप्टोकरेंसी से आशय एक ऐसी डिजिटल मुद्रा से है, जिसमें 'एनक्रिप्शन तकनीकों' का उपयोग मुद्रा की इकाइयों के उत्पादन को विनियमित करने तथा केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले धन के हस्तांतरण को सत्यापित करने के रूप में किया जाता है'।
- क्रिप्टोकरेंसी को कभी-कभी क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के पर्यायवाची रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इन डिजिटल परिसंपत्तियों में क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है।
- क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के तीन मुख्य उपवर्ग हैं- क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrencies), क्रिप्टो-कमोडिटीज (Cryptocommodities) और क्रिप्टो-टोकन (Cryptotoken)।

क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन

- क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को 'पीयर टू पीयर' इलेक्ट्रॉनिक नकद प्रणाली के रूप में वर्णित किया जाता है। क्रिप्टोग्राफिक लेनदेन की विशेषता होती है कि ये तात्कालिक, पारदर्शी और तेज़ प्रकृति के होते हैं।

- क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में केंद्रीय सर्वर के रूप में एक विश्वसनीय तृतीय पक्ष होता है, जो शेष राशि, लेनदेन के विवरण और लेनदेन की पार्टियों के व्यक्तिगत विवरण को रिकॉर्ड करता है।
- इस तरह के लेनदेन में कोई 'भौगोलिक बाधा' नहीं होती हैं और न ही ऐसे लेनदेन के लिये कोई 'कमीशन' लिया जाता है।
- फंड्स को सुरक्षित करने के लिये क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है और इन फंड्स को उसका स्वामी ही आदान-प्रदान कर सकता है।
- एक बार लेनदेन की पुष्टि हो जाने और ब्लॉकचेन में जुड़ने के बाद इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। यदि कोई क्रिप्टोकरेंसी गलती से भेज दी जाती है, तो इसे ठीक करने का कोई विकल्प नहीं है।

क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक मुद्रा में अंतर

- फिएट मुद्रा सरकार द्वारा जारी की जाती है और इसे 'लीगल टेंडर' घोषित किया जाता है। साथ ही, यह भौतिक डॉलर, रुपए, पाउंड आदि का रूप ले सकता है तथा सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में ऐसा नहीं है।
- क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन आमतौर पर सभी प्रतिभागियों की पूर्ण सहमति पर आधारित होता है।
- क्रिप्टोकरेंसी को संग्रहित करने के लिये एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी की इकाइयाँ संग्रहीत नहीं की जाती हैं, क्योंकि यह आमतौर पर निजी कुंजियाँ होती हैं, जिनका उपयोग सुरक्षित रूप से संग्रहीत लेनदेन पर हस्ताक्षर करने के लिये किया जाता है।

वॉलेट के प्रकार

- उपयोग के आधार पर वॉलेट को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है- पहला 'हॉट' और दूसरा 'कोल्ड'।
- 'हॉट वॉलेट' का उपयोग ऑनलाइन लेनदेन करने के लिये किया जाता है और यह इंटरनेट से जुड़ा होता है। इस प्रकार के वॉलेट को सरलता से स्थापित किया जा सकता है और यह धन की त्वरित पहुँच को सक्षम बनाता है।
- ऑफलाइन वॉलेट को 'कोल्ड वॉलेट' कहा जाता है। इसे किसी व्यक्ति की हार्ड ड्राइव पर संग्रहीत किया जा सकता है तथा एक्सचेंजों या स्वतंत्र प्लेटफार्मों से संबद्ध किया जा सकता है।

क्रिप्टोकरेंसी के प्रकार

- बिटकॉइन (Bitcoin), बिटकॉइन कैश (Bitcoin cash), एथेरियम (Ethereum), रिपल (Ripple), मोनेरो (Monero) और जेडकैश (ZCash) विभिन्न प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी हैं।
- बिटकॉइन पहली विकेंद्रीकृत मुद्रा है, जिसने 'पीयर-टू-पीयर' भुगतान की सुविधा प्रदान की है। बिटकॉइन लेनदेन में एक सार्वजनिक खाता बही के साथ ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है।
- एक अन्य प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन कैश है, जिसे 'मापनीयता' (Scalability) के मुद्दों को ठीक करने के लिये बनाया गया है।

क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग

- क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल सामान खरीदने के लिये किया जा सकता है क्योंकि कई व्यावसायिक संस्थाओं ने इसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया है।
- ओवरस्टॉक (Overstock) और न्यूएग (Newegg) जैसे- ऑनलाइन खुदरा विक्रेता बिटकॉइन और गिफ्ट कार्ड बेचने वाली वेबसाइट गिफ्ट ऑफ (Gift Off) भी विभिन्न प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी को स्वीकार करती हैं।
- क्रिप्टोकरेंसी को निवेश का एक अच्छा साधन माना जाता है क्योंकि उपयोगकर्ता इसके लाभ को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
- हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी उच्च जोखिम वाले निवेश हैं क्योंकि बाज़ार मूल्य में अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में इसमें अधिक उतार-चढ़ाव होता है।
- क्रिप्टोकरेंसी के अवैध होने के साथ-साथ ही क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज़ के हैक होने का भी खतरा होता है।
- व्यवसाय करने वाले व्यक्ति भुगतान के रूप में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर सकते हैं।
- ऐसी कई सेवाएँ हैं, जो क्रिप्टोकरेंसी स्वीकार करती हैं, जैसे कॉइन भुगतान (Coin payment), क्रिप्टोनेटर (Cryptonator), कॉइन गेट (Coin Gate) और बिट पे (Bit Pay)।

मुद्दे और चिंताएँ

- क्रिप्टोकरेंसी की डिज़ाइन में कई कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, जो उपभोक्ताओं को फिशिंग, साइबर हमलों और पोंजी स्कीम जैसे जोखिम में डाल सकती हैं।
- इसके अलावा, इस प्रकार का लेनदेन अपरिवर्तनीय हैं, जिसका अर्थ है कि गलत लेनदेन का कोई निवारण मौजूद नहीं है।
- क्रिप्टोकरेंसी के लिये बड़ी मात्रा में भंडारण और प्रसंस्करण शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे देश के ऊर्जा संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- आमतौर पर वॉलेट निजी निगमों द्वारा निर्मित और प्रबंधित किये जाते हैं।
- इन वॉलेट्स के उपयोग के माध्यम से हुए किसी भी वित्तीय अपराध के लिये इन निगमों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

- क्रिप्टोकरेंसी प्रकृति में छद्म या अनाम हैं, इसलिये उनके संपत्ति विवरण को छुपाकर कर चोरी में प्रयुक्त किया जाता है।
- इसके अलावा, इनका उपयोग ऑनलाइन लेनदेन में किया जाता है, जिससे करों की चोरी को रोकना और भी मुश्किल हो जाता है।

2 परिभाषित कानूनी ढाँचे का अभाव

अधिकांश देशों में अंदर और बाहर आभासी मुद्राओं के मूल्य व प्रवाह को विनियमित और नियंत्रित करने के लिये उचित कानूनी ढाँचे का अभाव है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य

- भारत में, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिये कोई अलग कानून नहीं है। इसलिये सभी संबंधित विभाग और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ जैसे– भारतीय रिज़र्व बैंक (R.B.I.), प्रवर्तन निदेशालय (E.D.), आयकर विभाग आदि मौजूदा कानूनों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।
- इससे पहले आर.बी.आई. ने क्रिप्टो-व्यवसायों को सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिये एक परिपत्र जारी किया था। हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2020 के अपने के द्वारा इस प्रतिबंध को हटा लिया था। तब से देश में क्रिप्टोकरेंसी चलन में है।
- वर्ष 2017 में आभासी मुद्राओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिये एक उच्चस्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया, जिसने फरवरी 2019 में निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की–
  - आभासी मुद्राओं का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जा सकता है। हालाँकि, इसका लीगल टेंडर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।
  - यद्यपि लीगल टेंडर की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, फिर भी सभी पक्ष कानूनी रूप से इसे भुगतान के तरीके के रूप में स्वीकार करने के लिये बाध्य हैं।
  - भारत में डिजिटल मुद्रा के उपयुक्त मॉडल की जाँच व उसे विकसित करने के लिये आर.बी.आई., इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों व वित्त मंत्रालय को मिलाकर एक समिति का गठन किया जाए।
  - इसके अतिरिक्त, एक स्थायी समिति की स्थापना करना, जिसे इस क्षेत्र की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित मुद्दों को संबोधित करने का काम सौंपा जाए।
  - समिति का विचार था कि डिजिटल मुद्रा में लेनदेन फायदेमंद होते हैं क्योंकि सभी लेनदेन के रिकॉर्ड सुरक्षित होते हैं तथा इससे वितरण में आसानी, सुरक्षा व सस्ता सीमा पार भुगतान भी हो सकता है।
- अंतर-मंत्रालयी समिति ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और 'आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019' नामक एक मसौदा विधेयक भी प्रस्तुत किया था।
- विधेयक में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, आर.बी.आई. के केंद्रीय बोर्ड के परामर्श के पश्चात् मुद्रा के डिजिटल रूप को लीगल टेंडर के रूप में मंजूरी दे सकती है।
- हाल ही में, सरकार ने 'आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021' के द्वारा क्रिप्टोकरेंसी और उसके विनियमन के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है।
- विधेयक का उद्देश्य आर.बी.आई. द्वारा एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा जारी करने तथा सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिये एक सुविधाजनक ढाँचा प्रदान करना है।

निष्कर्ष

- निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित आज की स्थिति, उस समय के समान है, जब 'वस्तु विनिमय प्रणाली' को बदलने के लिये मुद्रा की शुरुआत की गई थी।
- 'आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021' का प्रस्ताव क्रिप्टोकरेंसी और उसके विनियमन की दिशा में एक सही कदम है।
- क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के साथ-साथ उचित सुरक्षा उपायों व निगरानी तंत्र को विकसित कर इसे लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देने की तत्काल आवश्यकता है।
- यह विशेष रूप से भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों में महत्त्वपूर्ण है, जहाँ अधिकांश आबादी तकनीक-सक्षम नहीं है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक को क्रिप्टोकरेंसी के सभी पहलुओं को विनियमित करने का कार्य सौंपा जाना चाहिये।
- आर.बी.आई. को विनियमन और निगरानी में सहायता करने के लिये क्रिप्टोकरेंसी के विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिये।
- समय की आवश्यकता है कि क्रिप्टोकरेंसी के सभी पहलुओं को विनियमित करने वाला एक मॉडल कानून अधिनियमित किया जाना चाहिये।

❐❐❐

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में

- 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' (NRCP) जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देश में नदियों (गंगा बेसिन की नदियों को छोड़कर) के चिह्नित हिस्सों में प्रदूषण को कम करने के लिये लागू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है।
- वर्ष 2015 में प्रारंभ 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' एक छत्रक योजना (Umbrella Scheme) है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे दो प्रमुख घटक– 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' और 'हर खेत को पानी' शामिल हैं।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जयपुर स्थित इकाई 'कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट' ने गाय के गोबर से खादी प्राकृतिक पेंट विकसित किया है।
- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय सामाजिक आर्थिक परिसंपत्ति और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के उद्देश्य से देश के चिह्नित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' को लागू कर रहा है।
- 'सामरिक पेट्रोलियम भंडार' (SPR) कार्यक्रम के पहले चरण के तहत भारत सरकार ने 'इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड' के माध्यम से 3 स्थानों– (i) विशाखापत्तनम (ii) मंगलुरु और (iii) पादुर में पेट्रोलियम भंडारण सुविधाएँ स्थापित की हैं। पेट्रोलियम रिज़र्व कार्यक्रम के दूसरे चरण में सरकार ने पी.पी.पी. मोड में चाँदीखोल और पादुर में दो अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण सुविधा स्थापित करने को मंजूरी दी है।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' के अंतर्गत वर्ष 2022 तक कम-से-कम 30 करोड़ कुशल लोगों को प्रशिक्षित करने की परिकल्पना की है।
- रॉक फॉस्फेटिक डी.ए.पी. और एन.पी.के. उर्वरकों के लिये प्रमुख कच्चा माल है। वर्तमान में इस कच्चे माल के लिये भारत की आयात पर निर्भरता 90% है।
- कांडला सेज़ भारत का पहला हरित सेज़ बन गया है। कांडला सेज़ (Kandala SEZ) (भारतीय हरित भवन परिषद– ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग) प्राप्त करने वाला पहला हरित सेज (Green SEZ) है।
- 'उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा' में 06 नोड्स– आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झाँसी, कानपुर व लखनऊ तथा 'तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा' में 05 नोड्स– चेन्नई, कोयंबटूर, होसुर, सेलम व तिरुचिरापल्ली को चिह्नित किया गया है।
- शिक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 में 'दीक्षा' (DIKSHA) प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कोविड-19 की चुनौतियों और प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिये 'निष्ठा' (NISHTHA) को लॉन्च किया है।
- भारत सरकार ने देश में अनुसंधान पारितंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये 'राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' के गठन का प्रस्ताव किया है। इसकी परिकल्पना एक व्यापक संरचना के रूप में की जा रही है, जो अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा क्षेत्र तथा उद्योग के बीच संपर्कों में सुधार लाएगा। इसका कुल प्रस्तावित परिव्यय पाँच वर्ष की अवधि के दौरान 50,000 करोड़ रुपए है।
- संसद ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021 पारित कर दिया है। इसके पारित होने से 'राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान', कुंडली (हरियाणा) और 'भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान', तंजावुर (तमिलनाडु) नामक दो शैक्षणिक संस्थान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान बन गए हैं।
- नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने नैनो यूरिया लिक्विड के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये 'भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड' (इफको) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नैनो यूरिया, यूरिया के उपयोग को 50 प्रतिशत तक कम करेगा तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद होने के कारण मिट्टी की रक्षा करेगा।
- भारत सरकार ने देश में आदिवासियों के लोक नृत्य, कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करने के लिये सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किये हैं।

- बाल्यावस्था में निमोनिया के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिये वर्ष 2019 में 'सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिये कार्रवाई (Social Awareness and Actions to Neutralize Pneumonia Successfully: SAANS)' नामक एक पहल शुरू की गई।

- 'राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम' (NOTP) के तहत 'राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन' (NOTTO), नई दिल्ली में ऊतकों के भंडारण के लिये एक राष्ट्रीय स्तर के ऊतक बैंक (बायोमैटेरियल सेंटर) की स्थापना की गई है।

- सरकार ने जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना 2021 का संचालन दो चरणों में करने का निर्णय लिया है। लेकिन कोविड-19 के कारण जनगणना गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

- उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सीमांकन को लेकर हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-नागालैंड, असम-मेघालय और असम-मिज़ोरम के बीच सीमा विवाद है।

- 'आंध्र प्रदेश दिशा (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ निर्दिष्ट अपराधों के लिये विशेष न्यायालय) विधेयक, 2020' को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिये भेजा गया है।

- 'खासी' भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग होती रही है। विदित है कि पहवा समिति (1996) और सीताकांत महापात्रा समिति (2003) के माध्यम से किसी को 'बोली मानने' या उसे 'भाषा के रूप में आठवीं अनुसूची में शामिल करने' के लिये निश्चित मानदंड विकसित करने के पूर्व प्रयास अनिर्णायक रहे हैं।

- संसद ने 'प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927' को निरस्त और प्रतिस्थापित करने के लिये 'नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021' को पारित किया है।

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये 'प्रोजेक्ट बोल्ड' की शुरुआत की, जिसके तहत बाँस के पौधों की रोपाई की गई।

- नागालैंड की 'राजा मिर्च' या 'किंग चिली' को लंदन निर्यात किया गया। इस मिर्च को भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। इसे वर्ष 2008 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था। यह सोलानेसी परिवार की शिमला मिर्च की प्रजाति से संबंधित है। नागा राजा मिर्च को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना गया है और स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में शीर्ष पांच में लगातार बनी हुई है।

- रक्षा उत्पादन विभाग ने 'रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार' (Innovations for Defence Excellence: iDEX) नाम से 498.80 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंज़ूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य रक्षा नवाचार संगठन के माध्यम से स्टार्टअप्स, एम.एस.एम.ई. व व्यक्तिगत नवोन्मेषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

- केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़ ने दृष्टिबाधित लोगों के लिये व्यक्तिगत पाठन मशीन 'दिव्य नयन' विकसित की है, जिससे किसी भी प्रकाशित या डिजिटल दस्तावेज़ को स्पीच आउटपुट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

- तीन तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त को देश भर में 'मुस्लिम महिला अधिकार दिवस' मनाया गया। विदित है कि केंद्र सरकार ने 1 अगस्त, 2019 को तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया था।

- विश्व के बाघों का 70 प्रतिशत भारत में पाया जाता हैं। भारत में बाघों के 51 अभयारण्य हैं, जो 18 राज्यों में फैले हैं। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा-पत्र बाघ संरक्षण से संबंधित है।

- भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को बाघों के बेहतर संरक्षण के लिये ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड/टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA/TS) की मान्यता मिली है। अभयारण्यों मानस, काजीरंगा और ओरंग (असम), सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना (मध्य प्रदेश), पेंच (महाराष्ट्र), वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व (बिहार), दुधवा (उत्तर प्रदेश), सुंदरबन (पश्चिम बंगाल), परम्बिकुलम (केरल), बांदीपुर टाइगर रिज़र्व (कर्नाटक) और मुदुमलई व अनामलई टाइगर रिज़र्व (तमिलनाडु) शामिल हैं। इस दौरान 'तेंदुओं, सह-परभक्षियों और शाकभक्षियों की स्थिति-2018' शीर्षक रिपोर्ट भी जारी की गई।

- केंद्रीय गृह मंत्री ने मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। साथ ही, उन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का भी शिलान्यास किया।

- केरल की पहली सड़क सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया गया है। इसका नाम कुथिरन है। इससे केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से संपर्क में काफी सुधार होगा। 1.6 किमी लंबी यह सुरंग पीची-वजहानी वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुज़रती है।

- 2 अगस्त, 2021 को मद्रास विधान परिषद् की 100वीं वर्षगाँठ थी। इस दौरान राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. कलाईनार एम. करुणानिधि के चित्र का अनावरण किया। मद्रास विधान परिषद का इतिहास सन् 1861 से शुरू होता है और तब इसे एक सलाहकार निकाय बनाया गया था, जो वर्ष 1921 में कानून बनाने वाली सभा बनी।

- भारत सरकार ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेताजी सुभाषचंद्र बोस संग्रहालय लाल किले में स्थापित किया गया है।

- नेताजी सुभाषचंद्र बोस के नाम से निम्नलिखित संस्थान हैं– नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय (जमशेदपुर), नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय (कोलकाता), नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (नई दिल्ली) और नेताजी सुभाष (पटियाला) राष्ट्रीय खेल संस्थान (पटियाला)।

- आठवीं अनुसूची की कुछ भाषाओं को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख संस्थान इस प्रकार हैं–

संस्कृत भाषा के लिये–

  - केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
  - श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
  - राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति।

हिंदी भाषा के लिये–

  - केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
  - केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली
  - वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली
  - सिंधी भाषा के लिये 'राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रचार परिषद्, नई दिल्ली'।
  - उर्दू भाषा के लिये 'राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रचार परिषद्, नई दिल्ली'।
  - केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के अतिरिक्त चार शास्त्रीय भाषाओं– कन्नड़, तेलुगू, मलयालम और ओडिया के प्रचार के लिये भी काम करता है।
  - शास्त्रीय तमिल का विकास और प्रचार केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई द्वारा किया जाता है।

- भारत और बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी (भारत)-चिलाहाटी (बांग्लादेश) रेल मार्ग के ज़रिये 01 अगस्त, 2021 से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया। भारत और बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी पाँचवाँ रेल लिंक है। अन्य चार रेल लिंक हैं– पेट्रापोल (भारत)-बेनापोल (बांग्लादेश), गेडे (भारत)-दर्शन (बांग्लादेश), सिंहबाद (भारत)-रोहनपुर (बांग्लादेश), राधिकापुर (भारत)-बिरोल (बांग्लादेश)। 27 मार्च, 2021 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से न्यू जलपाईगुड़ी-ढाका-न्यू जलपाईगुड़ी मिताली एक्सप्रेस नाम से यात्री गाड़ी शुरू करने की घोषणा की।

- अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 (1917 का 1) को प्रतिस्थापित करने के लिये संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 को पारित कर दिया है। सरकार ने 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है।

- जनजातीय मामले मंत्रालय, राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा संस्थान और इस मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित अन्य संगठनों द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के केंद्रीय भंडार के लिये 'आदि-प्रशिक्षण पोर्टल' लॉन्च किया गया है।

- पी.एम. केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 29 मई, 2021 को शुरू की गई थी। यह योजना 11 मार्च 2020 के बाद अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक को कोविड-19 से खोने वाले बच्चों को सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों की व्यापक देखभाल, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और 23 वर्ष की आयु पूरी होने तक वित्तीय सहायता देना है।

- एग्रीस्टैक (Agristack) बनाने के लिये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 'इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (India Digital Ecosystem of Agriculture : IDEA)' को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जो एग्रीस्टैक के लिये एक रूपरेखा तैयार करेगा।

- गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों से प्राप्त फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध ड्रैगन फ्रूट को पहली बार लंदन और बहरीन को निर्यात किया गया। ड्रैगन फ्रूट को भारत में कमलम भी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम हाइलोसेरेसुंडाटस है। इसकी मुख्य रूप से तीन किस्में हैं। वर्तमान में इसकी पैदावार अधिकांशत: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की जाती है।

- ड्रैगन फ्रूट के लिये पानी की आवश्यकता कम होती है और इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। यह फल किसी व्यक्ति में तनाव के कारण क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को दुरुस्त करने, शरीर में आई सूजन में कमी लाने और पाचन तंत्र में सुधार करने में सहायक होता है।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत दो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान– 'राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM), कुंडली (हरियाणा) और 'भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (IIFPT) तंजावुर, तमिलनाडु में कार्यरत हैं।
- सरकार ने सात उच्च फोकस वाले राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम) के 146 उच्च प्रजनन क्षमता वाले ज़िलों में मिशन परिवार विकास शुरू किया है ताकि गर्भ निरोधकों तक पहुँच में सुधार किया जा सके।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 'झाँसी रेलवे स्टेशन' का नाम बदलकर 'वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन' करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।
- ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने अथवा नवीनीकरण करने तथा नए पंजीकरण चिह्न आवंटित करने के लिये शुल्क-भुगतान से छूट दी है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 21 मई, 2021 को 'राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर' (National Mobile Monitoring Software: NMMS) ऐप लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और योजनाओं की उचित निगरानी सुनिश्चित करना है। यह ऐप नरेगा श्रमिकों की वास्तविक समय में उपस्थिति लेने के साथ-साथ जियो-टैग की गई तस्वीर की अनुमति देता है।
- अनुसूचित जातियों के कल्याण व विकास के लिये केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति से धर्मांतरित ईसाइयों को नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि, राज्य इसके लिये स्वतंत्र हैं।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये गठित मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.आर. सिंहो की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा 'आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग' (EWS) को दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।
- सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिये राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नं. 14567 को 'एल्डरलाइन' नाम से शुरू किया है।
- भारत सरकार ने 'बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना' (Dam Rehabilitation and Improvement Project: DRIP/ड्रिप) के दूसरे चरण के लिये विश्व बैंक के साथ 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। ड्रिप केंद्रीय घटक के साथ राज्य क्षेत्र की योजनाएँ हैं। चीन और अमेरिका के बाद भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जहाँ 5,334 बड़े बाँध संचालित किये जा रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग बाँध स्वामित्वधारियों द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार 'बड़े बाँधों के राष्ट्रीय रजिस्टर' (NRLD) का संकलन और रखरखाव करता है। इसके अनुसार, देश में 227 बड़े बाँध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
- सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे के पास 19,300 फुट से अधिक की ऊँचाई पर मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण कर नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। यह दर्रा ब्लैक टॉप सड़क से जुड़ा है। इसने बोलीविया की ज्वालामुखी उतूरुंकू को जोड़ने वाली सबसे ऊँची सड़क के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस सड़क का निर्माण माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी ऊँचे स्थान पर किया गया है। साथ ही, जिस ऊँचाई पर इस सड़क का निर्माण किया गया है, वह सियाचीन ग्लेशियर (17,700 फीट) से काफी ऊँचा है। लेह में खर्दुंग ला दर्रा भी इस सड़क से कम ऊँचाई पर है।
- भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अनंतिम आँकड़ा) के साथ अब तक का सर्वाधिक वार्षिक एफ.डी.आई. प्रवाह दर्ज किया है।
- स्वदेशी विमान वाहक पोत 'विक्रांत' को भारतीय नौसेना द्वारा डिज़ाइन और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है।
- देश में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में लगभग 3.1% है।
- भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2021 संसद में पारित कर दिया गया है। यह विधेयक 'प्रमुख हवाई अड्डे' की परिभाषा में संशोधन करके 'हवाई अड्डों के समूह' को शुल्क निर्धारण की अनुमति देता है। इस विधेयक से छोटे हवाई अड्डों के विकास को बल मिलेगा।
- 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' (KVIC) ने प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज़ के लिये सरकार द्वारा पेटेंट पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। पेटेंट प्रमाण-पत्र के.वी.आई.सी. के 'कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, जयपुर' को जारी किया गया। इस कागज़ को 'प्रोजेक्ट रिप्लान' (प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना) के तहत विकसित किया गया था।
- प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्ष 2030 तक 15% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट ई-कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है।

- 'आजीविका संवर्धन के लिये कौशल अर्जन एवं ज्ञान जागरूकता' (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion: Sankalp/संकल्प) योजना विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक कार्यक्रम है। यह तीन प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर आधारित है– (i) केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण (ii) कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता का आश्वासन (iii) हाशिए की आबादी को कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल करना। संकल्प की कार्यान्वयन अवधि मार्च 2023 तक है।

- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 'पीएम-दक्ष' पोर्टल और 'पीएम-दक्ष' मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस पोर्टल और ऐप को पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूहों के लिये कौशल विकास योजनाओं को आसान बनाने हेतु विकसित किया गया है।

- हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ हैं। 7 अगस्त, 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत सरकार ने वर्ष 2015 से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का फैसला किया।

- ईटानगर को 'भोर की रोशनी वाले पहाड़ों' की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के दो प्रमुख ट्रेक– बेली ट्रेल और गोरीचेन ट्रेक प्रसिद्ध हैं। अनिनी, दिबांग घाटी का सेवन लेक्स ट्रेक अरुणाचल प्रदेश के सबसे अच्छे रहस्यों में से एक है। गोरीचेन मासिफ में गोरीचेन मेन के साथ पाँच चोटियाँ शामिल हैं, जिन्हें 'व्हाइट जाइंट' भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इस शिखर को 'सा-नगा-फू' के नाम से जाना जाता है।

- बिजली गिरने के कारण होने वाली मौतों में शीर्ष राज्य– बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड हैं। आसमान में बिजली की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये 'दामिनी' लाइटनिंग ऐप विकसित किया गया है।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग योग और ध्यान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2015-16 से 'योग और ध्यान का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी' (Science and Technology of Yoga and Meditation: SATYAM/सत्यम) कार्यक्रम चला रहा है।

- 'रीजनल एनवॉयरेन्मेंट चेंज' पत्रिका में छपे एक अध्ययन के अनुसार, तापमान में बढ़ोतरी और सर्दियों में कम बर्फबारी के कारण लद्दाख के जंस्कार में स्थित पेनसिलुंगपा ग्लेशियर (पीजी) पीछे खिसक रहा है।

- श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में देश के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो-बैंक का उद्घाटन किया गया।

- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत श्रीमती रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में 3 साल के एक अन्य कार्यकाल के लिये नामांकित किया है। वह 65 वर्ष की उम्र तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इस पद पर बनी रहेंगी।

- प्रधानमंत्री ने 'समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता' विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्चस्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता की।

- प्रधानमंत्री ने 10 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा में एल.पी.जी. कनेक्शन देकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0) का शुभारंभ किया। वर्ष 21-22 के बजट में इस योजना के तहत एक करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को एल.पी.जी. कनेक्शन की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य कम आय वाले उन परिवारों को जमा-मुक्त एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान करना है, जिन्हें इसके पहले चरण में शामिल नहीं किया जा सका था। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को जमा मुक्त एल.पी.जी. कनेक्शन के साथ-साथ पहला रिफिल और हॉटप्लेट निशुल्क प्रदान किया जाएगा।

- वर्ष 2016 में शुरू किये गए उज्ज्वला योजना 1.0 के दौरान, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 5 करोड़ (संशोधित लक्ष्य 8 करोड़) महिला सदस्यों को मार्च 2020 तक एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को सात माह पूर्व अगस्त 2019 में ही प्राप्त कर लिया गया था।

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा श्रम और रोज़गार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने ओ.एन.जी.सी. समर्थित असम हथकरघा परियोजना 'उज्ज्वल अबाहन' का शुभारंभ किया।

- सरकार ने नोएडा में 'भारतीय विरासत संस्थान' स्थापित करने का निर्णय लिया है।

- अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिये एक अभियान 'जान है तो जहान है' शुरू किया है।

- अल्पसंख्यक मंत्रालय की 'सीखो और कमाओ' 14 से 35 वर्ष के युवाओं के लिये एक कौशल विकास योजना है। इसका उद्देश्य रोज़गार के अवसर प्रदान करना और मौजूदा श्रमिकों, स्कूल छोड़ने वालों आदि की रोज़गार क्षमता में सुधार करना है।

- भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार सहकारिता मंत्रालय सभी क्षेत्रों में सहयोग व सहयोग गतिविधियों के समन्वय के क्षेत्र में सामान्य नीति की देखरेख करेगा।

- वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण-4 भारत, 2019 के नेशनल फैक्ट शीट के अनुसार–
  - लड़कों में तंबाकू के सेवन का प्रसार 9.6 प्रतिशत और लड़कियों में 7.4 प्रतिशत था।
  - पिछले दशक में स्कूल जाने वाले 13 से 15 वर्ष के बच्चों के बीच तंबाकू सेवन में 42 प्रतिशत की गिरावट हुई है।
  - स्कूल जाने वाले बच्चों (13-15 वर्ष) में तंबाकू का उपयोग– अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम में सबसे अधिक तथा हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक में सबसे कम है।
  - 29% से अधिक छात्र दूसरों के द्वारा धूम्रपान से प्रभावित है।
- केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता की।

- 26 मार्च, 2020 को शुरू हुई 'दूध दुरंतो' विशेष ट्रेनों के माध्यम से आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से राष्ट्रीय राजधानी के लिये दूध की आपूर्ति 10 करोड़ लीटर के आंकड़े को पार कर गई है। ये विशेष ट्रेनें आमतौर पर दूध के 6 टैंकर लेकर चलती हैं और प्रत्येक टैंकर की क्षमता 40,000 लीटर है।

- अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट (ई.ओ.एस.-03)एक उत्कृष्ट व कुशल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जा रहा है। इसे जी.एस.एल.वी-एफ10 द्वारा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा।

- मुख्य चुनाव आयुक्त और फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया के वर्तमान चेयरमैन श्री सुशील चंद्रा ने वर्ष 2021 के लिये इसकी 11वीं वार्षिक बैठक का शुभारंभ किया। इस बैठक की मेजबानी भूटान के चुनाव आयोग ने की थी। भारत के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडलों ने इसमें भाग लिया।

- सियाचिन ग्लेशियर के पास तेहराम शेहर ग्लेशियर स्थित है।

- सरकार स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्गों, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण राजमार्ग और भारत के प्रमुख खनन समूहों में तरल प्राकृतिक गैस (LNG) स्टेशन स्थापित करने की पहल कर रही है।

- 'प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्' (EAC-PM) के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय ने 'बुज़ुर्गों के लिये जीवन गुणवत्ता सूचकांक' (Quality of Life for Elderly Index) जारी किया। ई.ए.सी.-पी.एम. के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने यह सूचकांक तैयार किया है। इस सूचकांक में चार स्तंभ– वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा तथा आठ उप-स्तंभ शामिल हैं। इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–
  - राज्यों के बीच स्वास्थ्य प्रणाली स्तंभ का औसत उच्चतम तथा आय सुरक्षा स्तंभ का औसत सबसे कम रहा है। 'बुज़ुर्गों के लिये जीवन गुणवत्ता सूचकांक' की समग्र रैंकिंग को 'बुज़ुर्ग' आबादी वाले राज्यों (जहाँ बुज़ुर्ग आबादी 5 मिलियन से अधिक है) और 'अपेक्षाकृत बुज़ुर्ग' आबादी वाले राज्यों में (जहाँ बुज़ुर्गों की आबादी 5 मिलियन से कम है) विभाजित किया गया है।
  - 'बुज़ुर्ग' आबादी वाले राज्यों में राजस्थान प्रथम तथा तेलंगाना अंतिम (10वें) स्थान पर हैं। वहीं, 'अपेक्षाकृत बुज़ुर्ग' आबादी वाले राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में क्रमशः हिमाचल प्रदेश, मिज़ोरम एवं चंडीगढ़ प्रथम तथा गुजरात (10वें), अरुणाचल प्रदेश (8वें) एवं जम्मू और कश्मीर (8वें) अंतिम स्थाम पर हैं।
- बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को छोड़कर भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 100 गीगावॉट के महत्त्वपूर्ण पड़ाव को पार कर गई है। यदि बड़ी जलविद्युत परियोजना को शामिल कर लिया जाता है तो स्थापित ऊर्जा क्षमता बढ़कर 146 गीगावाट हो जाती है। भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा में पाँचवें और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021' को अधिसूचित कर दिया है। यह नियम वर्ष 2022 तक एकल उपयोग की प्लास्टिक वस्तुओं (Single Use Plastic Items) को प्रतिबंधित करता है। साथ ही, 30 सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर, 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई है। मोटाई में इस वृद्धि के कारण प्लास्टिक कैरी का दोबारा उपयोग भी संभव होगा।

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी स्वयं-सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिये 'सोनचिरैया' (एक ब्रांड और लोगो) को लॉन्च किया।

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित पहले नैसल वैक्सीन (नाक द्वारा दिए जाने वाले टीके) को 2/3 चरण परीक्षण की मंजूरी मिल गई है।

- गिर, कंकरेज, साहीवाल, अंगोल आदि देशी पशुओं की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिये भारत की पहली एकल पॉलीमॉर्फिज्म आधारित चिप 'इंडिगऊ' का शुभारंभ किया गया। इसका विकास जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद' ने किया गया है। इंडिगऊ एक स्वदेशी चिप है और 11,496 मार्कर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पशु चिप है।

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्तशासी संस्थान– जैवसंसाधन एवं सतत् विकास संस्थान ने मणिपुर के आकांक्षी ज़िला चंदेल में एक वैज्ञानिक संग्रहालय की स्थापना की है।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने 'ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम – सियाचिन ग्लेशियर पर लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड' को हरी झंडी दिखाई। पूर्व सशस्त्र बलों की एक टीम द्वारा प्रशिक्षित चुने हुए दिव्यांगजन 'कुमार चौकी' (सियाचिन ग्लेशियर) तक अभियान जारी रखेंगे। 'ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम' की सफलता दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगी।

- आकांक्षी ज़िलों में प्राथमिकता के साथ वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 27 राज्यों में 200 वन धन उत्पादक कंपनियाँ स्थापित करने की योजना है।

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने बच्चों और किशोरों का समग्र मनोसामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिये 'संवाद कार्यक्रम' के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

- भारत की चार अन्य आर्द्रभूमियों– गुजरात के थोल व वाधवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर एवं भिंडावास (वेटलैंड्स) को रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिल गई है। ये हरियाणा की अपनी पहली रामसर साइट हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है और इन स्थलों से आच्छादित सतह क्षेत्र अब 1,083,322 हेक्टेयर हो गया है।

- केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लगभग सभी 20 ज़िलों में लैवेंडर की खेती में अग्रणी होकर भारत 'बैंगनी क्रांति' की शुरुआत कर रहा है।

- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान द्वारा विकसित किये गए ऑनलाइन पोर्टल 'तपस' (उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ावा देने वाला प्रशिक्षण/ Training for Augmenting Productivity and Services: TAPAS) का शुभारंभ किया। यह विषय से संबंधित विशेषज्ञों, अध्ययन सामग्रियों और व्याख्यान तक लोगों को पहुँच प्रदान करता है।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 'अमृत महोत्सव' के तहत देश भर में आयोजित होने वाले 75 'हुनर हाटों' के माध्यम से 7.50 लाख कारीगरों व शिल्पकारों को रोज़गार प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'कौमी बोर्ड वक्फ तरक्कियाती योजना' और 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के तहत देश भर में खाली हुई वक्फ भूमि पर 75 'अमृत महोत्सव पार्कों' का निर्माण भी किया जाएगा। 'अमृत महोत्सव' तथा 'मेरा वतन, मेरा चमन' के तहत वर्ष 2023 तक देश भर में मुशायरे और कवि सम्मेलन भी आयोजित किए जाएँगे।

- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ, भागलपुर और पानीपत के बुनकर सेवा केंद्रों में 10 अतिरिक्त डिज़ाइन संसाधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

- राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा (नई दिल्ली) में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत-अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय जीन बैंक' का लोकार्पण किया गया।

- घरेलू रक्षा उत्पाद और एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु लिये रक्षा मंत्रालय ने निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये 8 मई, 2020 को 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 'रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना' (DTIS) शुरू की है।

- भारत में पिछले 7 वर्षों (2013-14 की तुलना में 2020-21 में) में पेटेंट प्रदान करने में 572% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 75 वर्षों (1940-2015) के दौरान 11 लाख की तुलना में पिछले 4 वर्षों (2016-2020) में 14.2 लाख ट्रेडमार्क पंजीकृत किए गए।

- 'ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स' (GII) में भारत की रैंकिंग 2020 में 48वें स्थान पर रही, जो कि 2015-16 में 81वें स्थान पर थी।

- हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग ने सिक्किम हिमालय की चार छोटी चोटियों पर 'क्लाइंब-ए-थॉन' का आयोजन किया। इससे पूर्व सिक्किम हिमालय की चोटी माउंट रेनॉक पर 7,500 वर्ग फुट और 75 किग्रा. का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस स्थान का नाम सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी 'त्रिलोचन पोखरेल' (गांधी पोखरेल) के नाम पर रखा गया है।

- नेसकॉम के अनुसार, कुल आई.टी. कार्यबल में 35 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ हैं।

- सरकार ने 2021-22 के लिये बजट भाषण में 'ऑपरेशन ग्रीन्सल स्कीम' को टमाटर, प्याज एवं आलू से बढ़ाकर 22 शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं तक बढ़ाने की घोषणा की है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र और द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जिनेवा के तहत आने वाले सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटिग्रेशन के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन एवं राहत मंत्रालय के बीच आपदा प्रबंधन, सहनीयता तथा शमन के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इससे पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख के वितलीय शैलों से जुड़े भूगर्भीय ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिये ओज़ोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किये गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति दी है। इस संशोधन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिये अक्टूबर, 2016 में रवांडा के किगाली में आयोजित बैठक के दौरान अंगीकृत किया गया था।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ताड़ के तेल (पाम ऑयल) के लिये 'राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल' के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना है और इसका फोकस पूर्वोत्तर के क्षेत्रों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है।
- रक्षा मंत्री ने 'रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार' (i-DEX) के अंतर्गत 'डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0' का शुभारंभ किया। आई-डेक्स रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- दक्षिणी असम में 'हमार' जनजाति द्वारा पारंपरिक रूप से प्रचलित अनन्नास आधारित कृषि वानिकी पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती का एक स्थायी विकल्प हो सकती है। यह पारंपरिक प्रथा जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की दोहरी चुनौतियों का समाधान कर सकती है। झूम खेती को 'स्विडन एग्रीकल्चकर' भी कहा जाता है और यह इस क्षेत्र की प्रमुख कृषि पद्धति है।
- 'भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड' (BHEL) द्वारा स्थापित सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ ही दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक-वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है।
- ओणम विभिन्न भागों में फसल-कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। केरल के प्राचीन त्योहार के रूप में ओणम पौराणिक राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। फूलों के इस त्योहार पर परंपरागत खेल, संगीत व नृत्य के साथ-साथ प्रीतिभोज 'ओनासद्या' का भी आयोजन होता है।
- प्रधानमंत्री ने सोमनाथ (गुजरात) में सोमनाथ समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने (जूना) सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर का उद्घाटन किया, साथ ही श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला रखी, जिसे सोमपुरा सलात शैली में विकसित किया जाना है।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग-जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् की मदद से जायडस कैडिला द्वारा विकसित 'जाइकोव-डी' को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग के लिये मंजूरी दी। यह विश्व का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित डी.एन.ए. आधारित कोविड-19 टीका है। इसका उपयोग बच्चों के साथ-साथ 12 साल से अधिक उम्र के वयस्कों के लिये किया जा सकता है।
- 'नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन' (NTPC) लिमिटेड ने विशाखापत्तनम में अपने सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पी.वी. परियोजना की शुरुआत की। यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पहली सौर परियोजना भी है।
- केंद्र सरकार ने 'ई-श्रम पोर्टल– असंगठित श्रमिकों पर राष्ट्रीय डाटाबेस' की शुरुआत 26 अगस्त को की। यह पोर्टल असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस होगा और उन तक सभी कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाना इसका का लक्ष्य होगा।
- नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इंडिया ने संयुक्त रूप से 23 अगस्त को 'एन.डी.सी.-ट्रांसपोर्ट इनीशियेटिव फोर एशिया' परियोजना के तहत भारत में 'फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट' का शुभारंभ किया।
- जल शक्ति मंत्रालय ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत 'सुजलम' की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन करते हुए विशेष रूप से दस लाख सोख-गड्ढों का निर्माण करके और अन्य ग्रेवॉटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिकतम गाँवों को ओ.डी.एफ. प्लस गाँवों में परिवर्तित किया जाएगा। यह अभियान 25 अगस्त, 2021 से अगले 100 दिनों तक चलाया जाएगा।
- केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजमंत्री द्वारा भुवन 'युक्तधारा' भू-स्थानिक योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों यानी मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों (जियोटैग) के भंडार के रूप में कार्य करेगा, जिसमें फील्ड फोटोग्राफी भी शामिल है।

करेंट अफेयर्स आधारित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

   1. नंद लाल बोस ने वर्ष 1907 में कलकत्ता में 'इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरियंटल आर्ट्स' की स्थापना की।
   2. अवनींद्रनाथ टैगोर का मुगल एवं राजपूत कला शैली के आधुनिकीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/है?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) केवल 1और 2
   (d) न तो 1 न ही 2

2. उद्योग 4.0 से संबंधित प्रौद्योगिकियों में शामिल हैं–

   1. एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग
   2. इंटरनेट ऑफ थिंग्स
   3. साइबर सुरक्षा प्रणाली
   4. क्लाउड कंप्यूटिंग
   5. डेटा एनालिटिक्स

   नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिये–

   (a) केवल 1, 2 और 4
   (b) केवल 2, 3 और 5
   (c) केवल 1 और 4
   (d) 1, 2, 3, 4 और 5

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

   1. कालीघाट चित्रकला में विशेष रूप से हिंदू देवी-देवताओं तथा पारंपरिक किंवदंतियों के पात्रों का चित्रण किया जाता है।
   2. कालीघाट चित्रकला का प्रारंभ मंगल काव्यों या देवी-देवताओं की कहानियों को वर्णित करने वाले चित्रकारों की ग्रामीण परंपरा को दर्शाने के लिये किया गया था।
   3. पटुआ कला में धार्मिक कहानियों का वर्णन परंपरागत रूप से कपड़े पर चित्रण कर किया जाता था।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1 और 3
   (b) केवल 2
   (c) केवल 2 और 3
   (d) उपर्युक्त सभी।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

   1. आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना के तहत किसी पंजीकृत प्रतिष्ठान में नियुक्त कर्मचारी को प्रारंभिक 2 वर्ष तक कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
   2. 1 जून 2020 को प्रारंभ स्वनिधि योजना के तहत दिये गए ऋणों पर एक वर्ष तक ब्याज में 2 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है।
   3. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं को अपना कार्य पुन: प्रारंभ करने के लिये 10000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1 और 2
   (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1
   (d) उपर्युक्त सभी।

5. 'संवाद' कार्यक्रम' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

   1. इसका नेतृत्व राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा किया जाता है।
   2. यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
   3. इसके तहत बाल संरक्षण एवं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का कार्य किया जाता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

   (a) केवल 1 और 3
   (b) केवल 2
   (c) केवल 1 और 2
   (d) उपर्युक्त सभी।

6. पिछले कुछ समय से विनाशकारी चक्रवातों की आवृत्ति में लगातार वृद्धि हुई है, इससे राहत हेतु उपायों में शामिल हैं–
   1. शेल्टरबेल्ट वृक्षारोपण
   2. मैंग्रोव वन क्षेत्र में वृद्धि
   3. चक्रवात-लचीले तटबंधों व नहरों का निर्माण
   4. नदी संपर्क में सुधार
   5. तटीय ज़िलों में आपदारोधी विद्युत अवसंरचना की स्थापना
   6. सामुदायिक जागरूकता अभियान

   नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये–
   (a) केवल 1, 2, 4 और 5
   (b) केवल 1, 2, 4 और 6
   (c) केवल 1, 3, 4 और 5
   (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

7. वाँचुवा महोत्सव, के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. यह तिवा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण उत्सवों में से एक है।
   2. इस उत्सव में कीटों और प्राकृतिक आपदाओं से फसल की सुरक्षा के लिये प्रार्थना की जाती है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

8. आर्कटिक परिषद् के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. इसे 'ओटावा घोषणा' के तहत वर्ष 1996 में एक उच्चस्तरीय अंतर्सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
   2. इसके स्थायी सदस्यों में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, भारत तथा चीन आदि देश शामिल हैं।
   3. जापान, इटली तथा सिंगापुर को परिषद् में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 2 और 3
   (b) केवल 1
   (c) केवल 1 और 3
   (d) उपर्युक्त सभी।

9. 'गति शक्ति मास्टर प्लान' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
   1. यह परियोजना 'समग्र बुनियादी ढाँचे' का विकास कर भविष्य में युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर प्रदान करेगी।
   2. इसका उद्देश्य स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाना तथा नए आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करने में मदद करना है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 न हो 2

10. 'विकेंदीकृत खरीद योजना' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
    1. इस योजना की शुरुआत राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न की खरीद, संग्रहण व वितरण करने के उद्देश्य से वर्ष 1997-98 में की गई थी।
    2. इसके तहत लोगों को स्थानीय फसलों व अनाजों की आपूर्ति के माध्यम से पोषक तत्त्व प्रदान किये जा सकते हैं।
    3. वर्तमान में इस योजना के तहत राज्यों द्वारा केवल चावल व गेहूँ की खरीद व वितरण किया जाता है।
    4. इस योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा अनाज की खरीद, संग्रहण एवं वितरण पर व्यय की गई धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

    उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
    (a) केवल 1 और 3
    (b) केवल 1, 2 और 4
    (c) केवल 2 और 3
    (d) उपर्युक्त सभी।

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
    1. संसद में प्रस्तुत सभी विधेयकों को जाँच के लिये संसदीय समितियों के पास भेजा जाता है।
    2. संसदीय समितियाँ किसी विधेयक के निहितार्थ को समझने के लिये सांसदों को विशेषज्ञों, हितधारकों एवं सरकारी अधिकारियों के साथ जुड़ने का एक मंच प्रदान करती हैं।
    3. संसदीय समितियाँ किसी विधेयक में शामिल विभिन्न प्रावधानों पर विचार-विमर्श कर संशोधनों की अनुशंसा करती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3

(d) उपर्युक्त सभी।

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

1. मुद्रीकरण के तहत सरकार 'अग्रिम धनराशि, राजस्व हिस्सेदारी तथा निवेश प्रतिबद्धता' के बदले 'निजी क्षेत्र' को एक निर्दिष्ट अवधि के लिये राजस्व अधिकार हस्तांतरित कर देती है।
2. 'सार्वजनिक निजी भागीदारी' के मुद्रीकरण मॉडल ऑपरेशन, मेनटेन एंड डेवलपमेंट का उपयोग सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र में किया जा रहा है।
3. 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' का उद्देश्य निजी क्षेत्र को स्वामित्व व राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

13. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) संयुक्त राष्ट्र के सात सदस्य देश 'फारस की खाड़ी' के समीप अवस्थित हैं।

(b) 'होर्मुज जलसंधि' फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है।

(c) ओमान की खाड़ी को 1970 के दशक की शुरुआत तक एक 'ब्रिटिश झील' के रूप में जाना जाता था।

(d) फारस की खाड़ी ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है।

14. निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है–

	सैन्य अभ्यास	संबंधित देश
(a)	'अल-मोहेद अल-हिंदी'	भारत-सऊदी अरब के मध्य
(b)	'जैर-अल-बहर'	भारत एवं बहरीन के मध्य
(c)	'इंद्र-21'	भारत एवं रूस के मध्य
(d)	'काजिंद-21'	भारत-कजाकिस्तान के मध्य

15. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है–

(a) अनुच्छेद-324 के अनुसार, चुनाव आयोग किसी भी चुनाव को संपन्न कराने के लिये समय-सीमा को बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा विस्तार छह महीने से अधिक नहीं होना चाहिये।

(b) अनुच्छेद-172(1) के अनुसार, आपातकाल की स्थिति में चुनाव को एक वर्ष के लिये स्थगित किया जा सकता है। परंतु, आपातकाल की समाप्ति के बाद किसी भी दशा में उसका विस्तार छह माह से अधिक नहीं होगा।

(c) अनुच्छेद-164(4) के अनुसार, एक मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि के लिये राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

(d) अनुच्छेद-171 के अनुसार, किसी राज्य की विधानपरिषद् में सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक तथा 60 से कम नहीं होनी चाहिये।

16. पॉलीहाउस तकनीक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

1. यह किसी इमारत के समान संरचना है, जिसमें एक विशेषीकृत पॉलिथीन शीट का उपयोग आवरण सामग्री के रूप में किया जाता है।
2. इसका उपयोग फसलों को आंशिक या पूर्णता नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में उगाने के लिये किया जाता है।
3. यह तकनीक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) उपर्युक्त सभी।

17. नेट ज़ीरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

1. इसे 'कार्बन-तटस्थता' के रूप में भी जाना जाता है, जिसके तहत किसी देश को अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाना होता है।
2. यह कार्बन सिंक बनाने का एक तरीका है, जिसके द्वारा कार्बन को अवशोषित किया जा सकता है।
3. नेट ज़ीरो लक्ष्य का उल्लेख पेरिस समझौता, 2015 में किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 2

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

18. कोयला आधारित संयंत्रों से उत्सर्जित होने वाले प्रदूषक तत्त्वों में शामिल हैं–

1. सल्फर डाइऑक्साइड
2. कार्बन मोनोऑक्साइड
3. नाइट्रोजन ऑक्साइड
4. ओज़ोन
5. लेड
6. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये–

(a) केवल 1, 2, 4 और 5
(b) केवल 1, 2, 4 और 6
(c) केवल 1, 3, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

19. सौर शहर योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

1. इसके तहत प्रत्येक राज्य की राजधानी या किसी महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल को सौर शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
2. सौर शहर में विद्युत आवश्यकताओं की आपूर्ति पूर्णता अक्षय स्रोतों से की जाएगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

20. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये–

सूची-I (पुस्तक)	**सूची-II (लेखक)**
A. हेसिटेंसीज	1. सौम्या रॉय
B. डर्टी विमेन	2. मधुमिता भट्टाचार्य
C. माउंटेन टेल्स	3. संजीव सेठी
D. एड्रेस बुक : ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड	4. रितु मेनन

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये–

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	2	1	3	4
(b)	3	2	1	4
(c)	1	3	4	2
(d)	4	2	3	1

21. हवेली व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

1. यह व्यवस्था मुख्य रूप से काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है।
2. इस व्यवस्था में खेतों में ऊँचे बाँध बनाकर बारिश के पानी को फसलों की बुवाई तक रोके रखा जाता है।
3. यह मध्य प्रदेश में जल संचयन की एक अनूठी विधि है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिये–

कथन (A): अल्पपोषी झीलों में शैवाल का उत्पादन कम होता है।

प्रभाव (R): शैवालों के उत्पादन में कमी से इनकी प्राथमिक उत्पादकता प्रभावित होती है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में उत्तर चुनिये–

(a) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(b) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।
(c) (A) और (R) दोनों सही हैं, तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
(d) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) का सही व्याख्या नहीं है।

23. शैनन वीनर इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–

1. इसका उपयोग विशिष्ट प्रजातियों के विकार और अनिश्चितता को मापने के लिये किया जाता है।
2. इसे प्रजातियों की संख्या तथा व्यक्तिगत वितरण के औसत या समरूपता जैसे कारकों के आधार पर तैयार किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

24. 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है?
(a) विश्व आर्थिक मंच
(b) विश्व बैंक
(c) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(d) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
1. 'भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड' कृषि उत्पादों के विपणन के लिये सहकारी समितियों की एक शीर्ष एजेंसी है।
2. 'राष्ट्रीय पोषण संस्थान' हैदराबाद में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण एवं मध्यवर्ती अनुसंधान केंद्र है।
3. 'खाद्य एवं कृषि संगठन' संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
4. 'भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्' जैव चिकित्सा अनुसंधान के निरूपण, समन्वय और संवर्द्धन के लिये सर्वोच्च निकाय है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
(a) केवल 1 और 4
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

26. निम्नलिखित में से कौन सी समिति/आयोग लोक सेवाओं में सुधार से संबंधित हैं–
1. मैकाले समिति
2. रिचर्ड स्ट्रेची समिति
3. इस्लिंग्टन समिति
4. ली आयोग
5. सार्जेंट समिति

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
(a) केवल 1, 3 और 5
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4
(d) केवल 2, 4 और 5

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-312 के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
2. केंद्रीय एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

28. कोलोराडो नदी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
1. इसका उद्गम रॉकी पर्वतश्रेणी से होता है।
2. यह एरीजोना तथा मैक्सिको से प्रवाहित होती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है।
3. हूवर, डेविस, पार्कर एवं इंपीरियल आदि इस नदी पर निर्मित बाँध हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

29. भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये–
1. इस अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आर्द्रभूमि स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है।
2. यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में मीठे पानी का सबसे बड़ा मानव निर्मित आर्द्रभूमि स्थल है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

30. स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का प्रथम 'वाटर प्लस' शहर घोषित किया गया है?
(a) इंदौर
(b) अहमदाबाद
(c) सूरत
(d) लखनऊ

❐❐❐

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्नों के उत्तर

1.	(b)	**2.**	(d)	**3.**	(a)	**4.**	(c)	**5.**	(a)	**6.**	(d)	**7.**	(c)	**8.**	(c)
9.	(c)	**10.**	(d)	**11.**	(d)	**12.**	(c)	**13.**	(c)	**14.**	(b)	**15.**	(d)	**16.**	(a)
17.	(c)	**18.**	(d)	**19.**	(c)	**20.**	(b)	**21.**	(d)	**22.**	(c)	**23.**	(c)	**24.**	(c)
25.	(d)	**26.**	(b)	**27.**	(c)	**28.**	(d)	**29.**	(a)	**30.**	(a)				

मानचित्र अध्ययन (पृष्ठ संख्या 102) के उत्तर

मानचित्र-1 (भारत)

1. **स्ट्रेट द्वीप–** ग्रेट अंडमानी जनजाति को कोविड-19 महामारी के विरुद्ध उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उन्हें स्ट्रेट द्वीप में स्थानांतरित किया गया है। यह द्वीप इसी जनजाति के लिये रिज़र्व किया गया, जहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश निषिद्ध है।
2. **दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य–** दीपोर बील, असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्वी चैनल में स्थित है। यह असम का एक मात्र रामसर स्थल है जो मुख्यत: पक्षीयों के लिये प्रसिद्ध है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे पारिस्थितकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है।
3. **मंडलपट्टी की पहाड़ियाँ–** कर्नाटक राज्य में स्थित मंडलपट्टी की पहाड़ियाँ इन दिनों नीले नीलकुरिंजी के फूलों से खिल उठी है। ज्ञातव्य है कि ये फूल प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं। ये फूल कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पश्चमी घाट के शोला वनों में पाए जाते हैं।
4. **भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य–** झज्जर स्थित इस वन्यजीव अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। यह अभयारण्य हरियाणा में मीठे पानी का सबसे बड़ा मानव निर्मित आर्द्रभूमि स्थल है।
5. **टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य–** ओड़िसा के अंगुल ज़िले में स्थित टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य घड़ियाल या मगरमच्छ के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ वर्ष 1975 में 'घड़ियाल परियोजना' की शुरुआत की गई थी। यहीं 'घरवले अभयारण्य' घड़ियालों का प्रजनन स्थल भी है।
6. **वांचुवा महोत्सव–** यह महोत्सव असम के 'कार्बी आंगलोंग' ज़िले के मोर्टेन गाँव में संपन्न हुआ। यह तिवा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण त्योहार है। इस दौरान ये लोग प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा के लिये प्रार्थना करते हैं।
7. **इंदौर–** स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इंदौर को भारत का प्रथम 'वाटर प्लस शहर' घोषित किया गया है। किसी शहर को वाटर प्लस शहर तब घोषित किया जाता है, जब उस शहर के सभी घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि द्वारा निष्काषित संपूर्ण अपशिष्ट जल को भलीभाँति उपचारित करके ही पर्यावरण में निस्तारित (Disposed of) किया जाता है।

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न

1. आधुनिक कृषि तकनीकों में पॉलीहाउस तकनीक के लाभों और इससे जुड़ी हुई चुनौतियों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

आधुनिक कृषि तकनीकों में एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक्स, ग्रीनहाउस का उल्लेख करते हुए पॉलीहाउस तकनीक के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें।

मुख्य भाग

- पॉलीहाउस तकनीक के लाभों के अंतर्गत फसलों को आंशिक या पूर्ण रूप से नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में उगाना; कीटों के हमले और अत्यधिक गर्मी जैसे खतरों का कम होना; उपज, गुणवत्ता और फसल की परिपक्वता अवधि में सुधार होना; विभिन्न जलवायु का अनुकूल होना इत्यादि का उल्लेख करें।
- चुनौतियों के अंतर्गत पॉलीहाउस के निर्माण और प्रबंधन में तकनीक और लागत का अधिक होना, कुशल और विशेषज्ञ मानव संसाधनों की आवश्यकता इत्यादि पर चर्चा करें।

निष्कर्ष

कृषि में जलवायु अनुकूल तकनीक प्रणाली की आवश्यकता को बताते हुए पॉलीहाउस तकनीक से मिलने वाले लाभ एवं किसानों की आर्थिक संपन्नता के संदर्भ में निष्कर्ष लिखें।

2. खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बावजूद भारत में भूखमरी एवं खाद्य असुरक्षा एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इस समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

'खाद्य एवं कृषि संगठन' द्वारा प्रकाशित विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की कुल खाद्य असुरक्षित आबादी का लगभग 25 प्रतिशत भारत में होने का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- भारत में खाद्य असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या, मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता में लगभग 6.8 प्रतिशत की वृद्धि, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण कुपोषण होना इत्यादि का उल्लेख करें।
- समस्या के समाधान हेतु सरकारी प्रयासों के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इत्यादि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी के कारण मज़दूरों एवं किसानों के समक्ष उत्पन्न गंभीर संकट की स्थिति में सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।

3. क्वाड एक सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि क्षेत्रीय सहयोग एवं सुरक्षा को तीव्र करने की व्यवस्था है, इसके बावजूद चीन क्वाड के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। टिप्पणी कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

क्वाड के बारे में उल्लेख करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- हिंद-प्रशांत और उसके आसपास के क्षेत्रों में क्वाड समूह के बीच बढ़ते सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, अमेरिका का खुलकर चीन का विरोध करना इत्यादि महत्त्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करें।
- क्वाड की प्रतिक्रिया में चीन द्वारा पाँच-पक्षीय (चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की) व्यवस्था, इन देशों का अमेरिका के साथ विरोध, बांग्लादेश के क्वाड में शामिल होने की संभावना पर चीन की कड़ी आपत्ति इत्यादि बातों की चर्चा करें।

निष्कर्ष

अविश्वास के मुद्दों, स्व-केंद्रित रणनीतिक उद्देश्य और दृष्टिकोण में संकीर्णता को समाप्त करके बेहतर कूटनीति की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखें।

4. अल्पसंख्यक विद्यालयों को 'शिक्षा का अधिकार' *(RTE)* नीति से छूट मिलने के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दे कौन-से हैं? चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालयों के मूल्यांकन से संबंधित रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए इन विद्यालयों के बच्चों के अधिकार संबंधी मामले, निश्चित वर्ग के छात्रों को प्रवेश देना, मदरसों में शिक्षा का स्तर, पंथनिरपेक्ष पाठ्यक्रम, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में बाधक इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करें।

निष्कर्ष

शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्वीकृत करने एवं शिक्षा के बेहतर परिवेश हेतु इन संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखें।

5. वर्ष *1991* में औद्योगिक लाइसेंस के उन्मूलन के साथ भारत में आर्थिक सुधारों का दौर आरंभ हुआ। इस संदर्भ में पड़ने वाले किन्हीं तीन महत्त्वपूर्ण प्रभावों को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

औद्योगिक लाइसेंस के उन्मूलन से आर्थिक सुधारों के प्रभाव के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश, प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि, उपभोक्ताओं की केंद्रीयता तीन महत्त्वपूर्ण पक्षों का उल्लेख करें। इसके तहत भारतीय और विदेशी कंपनियों से वास्तविक प्रतिस्पर्द्धा का सामना, निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा मिलना, भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तु एवं सेवाओं के विकल्प प्रदान होना, मांग आधारित बाजार का विकास इत्यादि पर चर्चा करें।

निष्कर्ष

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।

6. नेट ज़ीरो की अवधारणा क्या है? भारत के समक्ष इस संबंध में कौन सी दुविधाएँ हैं? चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में नेट ज़ीरो को स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

विभिन्न देशों द्वारा घोषित नेट ज़ीरो कार्बन लक्ष्य का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए भारत की दुविधाओं के अंतर्गत पेरिस समझौता, 2015 में नेट ज़ीरो लक्ष्य का उल्लेख नहीं होना, विकसित देशों द्वारा अपने पिछले वादों और प्रतिबद्धताओं को पूर्ण न करना, अन्य देशों द्वारा उत्सर्जन-कटौती लक्ष्यों को अब तक हासिल न कर पाना इत्यादि मुद्दों पर चर्चा करें।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये वनीकरण एवं अन्य पर्यावरण अनुकूल तकनीक की आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखें।

7. बाल तस्करी के प्रति बढ़ती सुभेद्यता के लिये उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिये। इस समस्या के समाधान हेतु उपाय भी सुझाइये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

बाल तस्करी से जुड़े आँकड़ों का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- बाल तस्करी के लिये उत्तरदायी कारकों के अंतर्गत गरीबी एवं बेरोज़गारी की चरम दशाएँ, शिक्षा एवं जागरूकता में कमी, कोरोना वायरस के कारण आय और आर्थिक संकट, ऑनलाइन जालसाजी इत्यादि पर चर्चा करें।
- समाधान के अंतर्गत एंटी-ट्रैफिकिंग बिल के प्रावधानों को कड़ा करना एवं इसका उचित क्रियान्वयन, 'फास्ट ट्रैक' अदालतों की स्थापना, समुदाय-आधारित जागरूकता तथा सतर्कता गतिविधियों को मज़बूत करना इत्यादि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

बाल तस्करी को रोकने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के साथ-साथ दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखें।

8. लगातार बढ़ते साइबर हथियारों के युग में सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इस संदर्भ में कुछ हालिया उदाहरणों का उल्लेख करते हुए साइबर हमलों से बचने हेतु उपाय सुझाइये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

पेगासस स्पाइवेयर के दुरुपयोग एवं कुछ अन्य मामलों का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें।

मुख्य भाग

- साइबर हथियारों के कारण वैयक्तिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चिंताओं को स्पष्ट करें, जैसे– निजी एवं गोपनीय

सूचनाओं का चोरी होना, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे (बैंक, विद्युत उत्पादन इकाई एवं रक्षा अनुसंधान) पर हमलों इत्यादि का उल्लेख करें।

- साइबर हथियारों से बचाव के अंतर्गत सुरक्षा नेटवर्क, फायरवॉल को मज़बूत करना, अनाधिकृत सॉफ्टवेयर के उपयोग से बचना, प्रशिक्षण एवं जागरूकता को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश इत्यादि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

साइबर हथियारों से निपटने के लिये विशेषज्ञ और कुशल मानव संसाधनों एवं बेहतर रणनीति की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए संतुलित निष्कर्ष लिखें।

9. उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

उज्ज्वला योजना का संक्षिप्त परिचय दें, जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्यों को एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराना आदि।

मुख्य भाग

- उज्ज्वला योजना की उपलब्धियों के बारें में लिखें, जैसे 8 करोड़ परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन, 11,000 से ज़्यादा नए एल.पी.जी. वितरण केंद्र शुरू किये गए आदि।
- महिलाओं के सशक्तीकरण के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी, ईंधन के जलने से होने वाली मृत्यु में कमी, जलावन एकत्रण से मुक्ति आदि।
- उक्त योजना से संबंधित चुनौतियों में रिफिलिंग, मूल्यवृद्धि, वितरण व्यवस्था आदि को लिखें।

निष्कर्ष

उज्ज्वला योजना को बेहतर बनाने के लिये कुछ सुझाव प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष लिखें।

10. क्या आप सहमत है कि वर्ष *1991* के आर्थिक सुधार अपने लक्ष्यों में पूरी तरह सफल नहीं हुए? अपने तर्कों सहित इस कथन का परीक्षण कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों को सामान्य रूप से परिभाषित करते हुए संक्षिप्त भूमिका लिखें, जैसे– अर्थव्यवस्था में सुधार, पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण संबंधी नीतियाँ आदि।

मुख्य भाग

- सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के लिये अपनाए गए 'पैकेज' के बारे में लिखें, जैसे– लाइसेंस, परमिट, कोटा व्यवस्था का उन्मूलन, राज्य की भूमिका का पुनर्निर्धारण तथा निजी कंपनियों के कार्य क्षेत्र का विस्तार आदि।
- आर्थिक सुधारों के सकारात्मक पक्ष का विवरण प्रस्तुत करें, जैसे तीव्र संवृद्धि दर, विदेशी मुद्रा भंडार व विदेशी निवेश में वृद्धि, नए मध्यम वर्ग का जन्म आदि।
- आर्थिक सुधारों के नकारात्मक पक्ष में कृषि क्षेत्रक व मानव संसाधन की उपेक्षा, रोज़गार विहीन संवृद्धि, असंतुलित विकास आदि को लिखें।

निष्कर्ष

आर्थिक सुधार 2.0 की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए निष्कर्ष लिखें।

11. राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसे प्रभावी तौर पर रोकने वाले उपायों को बताइए।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

राजनीतिक अपराधीकरण का संक्षिप्त परिचय दें, जैसे– राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का प्रवेश आदि।

मुख्य भाग

- राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के प्रवेश के कारणों को रेखांकित कीजिये, जैसे जाति एवं धर्म, जीतने की क्षमता, वोट बैंक आदि।
- राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने वाले प्रावधानों को दो भागों में विभक्त करें, पहला विधिक (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम) दूसरा न्यायिक (उच्चतम न्यायालय के विभिन्न दिशा-निर्देश)।
- राजनीतिक अपराधीकरण को प्रभावी तौर से रोकने वाले उपायों में राजनीतिक इच्छाशक्ति, वित्तपोषण में पारदर्शिता, पार्टियों पर प्रतिबंध, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, आर्थिक दंड व सजा आदि को लिखें।

निष्कर्ष

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिये अपराधीकरण की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए निष्कर्ष लिखें।

12. अधिकरण सुधार अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख करते हुए भारतीय न्यायिक प्रणाली में अधिकरणों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

अधिकरणों का संवैधानिक उपबंधों के आलोक में परिचय दें, जैसे– 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में प्रवेश आदि।

मुख्य भाग

- अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के मुख्य प्रावधानों में चलचित्र अधिनियम 1952, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 आदि के अंतर्गत गठित अधिकरणों का विलय, अधिकरण के सदस्यों की सेवा-शर्तों में बदलाव आदि।
- भारतीय न्यायिक प्रणाली में अधिकरणों की भूमिका में तीव्र समाधान, गुणवत्तापूर्ण न्याय, न्यायालय के बोझ में कमी आदि को लिखें।
- अधिकरणों से संबंधित मुद्दों में शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन, न्यायिक विलंब, न्यायालयों की शक्तियों में कटौती आदि का उल्लेख करें।

निष्कर्ष

अधिकरणों की गुणवत्ता में सुधार तथा कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य संतुलन की आवश्यकता बताते हुए निष्कर्ष लिखें।

13. भारत में वृद्ध जनसंख्या से संबंधित समस्याओं को चिह्नित करते हुए कुछ उपाय भी प्रस्तुत करें।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

भारत में वृद्ध जनसंख्या से संबंधित आँकड़ें प्रस्तुत करें, वर्ष 2050 तक भारत की वृद्ध आबादी मौजूदा 60 मिलियन से बढ़कर 227 मिलियन हो जाएगी आदि।

मुख्य भाग

- वृद्ध आबादी से संबंधित समस्याओं को सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप में वर्गीकृत करते हुए लिखें, जैसे सुभेद्य और अकेलापन, आर्थिक निर्भरता, स्वास्थ्य संबंधी व्यय आदि।
- वृद्ध जनसंख्या के रक्षोपाय हेतु सरकारी प्रयासों में राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वृद्धावस्था पेंशन, वय वंदना योजना आदि का ज़िक्र करें।
- उक्त आयु वर्ग की बेहतरी से संबंधित कुछ उपायों को लिखें।

निष्कर्ष

वृद्ध जनसंख्या से संबंधित भविष्योन्मुखी नीति निर्माण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए निष्कर्ष लिखें।

14. फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता और इससे संबंधित चुनौतियों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

फूड फोर्टिफिकेशन को परिभाषित करें, जैसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), विचारपूर्वक भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की सामग्री को बढ़ाने के रूप में परिभाषित करता है, ताकि भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि की जा सके।

मुख्य भाग

- फूड फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता के संदर्भ में महिलाओं व बच्चों में कुपोषण का स्तर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स' (GHI) में भारत का 'गंभीर भूख' श्रेणी में वर्गीकरण आदि के बारे में लिखें।
- फूड फोर्टिफिकेशन से जुड़े लाभों में तीव्र क्रियान्वयन, उच्च लाभ-लागत अनुपात आदि को लिखें।
- फूड फोर्टिफिकेशन से संबंधित चुनौतियों में प्राकृतिक तत्त्वों की हानि, उच्च लागत, लघु उद्योगों पर प्रभाव आदि को लिखें।

निष्कर्ष

फूड फोर्टिफिकेशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने वाले कुछ उपायों के साथ निष्कर्ष लिखें।

15. भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बढ़ती आवृति के कारणों की चर्चा करते हुए इससे पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिये।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें।

मुख्य भाग

- उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बढ़ती आवृत्ति के कारणों में 'समुद्री सतह के तापमान' में वृद्धि, भू-जलवायविक परिस्थितियाँ आदि को लिखें।
- उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के प्रभावों से आर्थिक और मानवीय क्षति को संस्थागत आँकड़ों के साथ लिखें।
- उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से निपटने वाले उपायों में चक्रवात चेतावनी प्रणाली और आपदा तैयारियों में सुधार, शेल्टरबेल्ट वृक्षारोपण, चक्रवात-लचीले बुनियादी ढाँचे का निर्माण आदि पर संक्षिप्त चर्चा करें।

निष्कर्ष

आपदाजनित क्षति को न्यूनतम करने के लिये केंद्र-राज्य समन्वय को महत्त्व देते हुए निष्कर्ष लिखें।

16. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है? इसके उद्देश्यों और संबंधित चुनौतियों की चर्चा करें।

उत्तर प्रारूप–

भूमिका

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संक्षिप्त परिचय दें।

मुख्य भाग

- मुद्रीकरण के उद्देश्यों में ब्राउनफील्ड परियोजनाओं से धन अर्जित करना, बुनियादी ढाँचे का विकास आदि को लिखें।
- मुद्रीकरण पद को परिभाषित करते हुए इससे जुड़े ऑपरेट मेनटेन ट्रांसफर, टोल ऑपरेट ट्रांसफर आदि मॉडल्स की चर्चा करें।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से जुड़ी चुनौतियों में राजस्व क्षमताओं की पहचान, विवाद समाधान तंत्र का अभाव, विद्युत क्षेत्र में विनियमित टैरिफ आदि की चर्चा करें।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के बेहतर निष्पादन के लिये कुछ उपायों सहित निष्कर्ष लिखें।

❐❐❐

मानचित्र अध्ययन (पृष्ठ संख्या 103) के उत्तर

मानचित्र-2 (विश्व)

कोलोराडो नदी–

- अमेरिका की कोलोराडो नदी बेसिन में सूखे के कारण पानी की कमी हो गई।
- यह नदी रॉकी पर्वत से निकलने के पश्चात दक्षिण पश्चिम अमेरिका और मैक्सिको से बहती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है।
- इस नदी की बेसिन में स्थित हूवर बाँध से निर्मित जलाशय से बाढ़, जल आपूर्ति जैसी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस नदी पर डेविस, पार्कर, एवं इंपीरियल आदि अन्य बांध निर्मित हैं।

किगाली–

- किगाली, रवांडा की राजधानी एवं यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। हाल ही में, भारत ने ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों से संबंधित मान्ट्रियल प्रोटोकोल के तहत किये गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति दी है। इस संशोधन को अक्तूबर 2016 में किगाली में आयोजित किया गया था।

इथियोपिया–

- 'संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन' (UNFAO) तथा 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' (WFP) ने विश्व के 23 देशों में खाद्य असुरक्षा के उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की है।
- इथियोपिया विश्व का सबसे नया 'उच्चतम अलर्ट' वाला हंगर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है।

किलाऊआ ज्वालामुखी–

- यह ज्वालामुखी एक शील्ड ज्वालामुखी की श्रेणी की सबसे सक्रीय ज्वालामुखियों में से एक है। यह हवाई द्वीप के बिग आइलैंड पर स्थित है। आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत मौना लोआ, हवाई द्वीप में ही स्थित है।

पंजशीर प्रांत–

- तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेने के बाद भी उसे पंजशीर से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। पंजशीर काबुल के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी बाजारक है। यह क्षेत्र वर्तमान में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा द्वारा नियंत्रित है।

चागोस द्वीप–

- मारीशस ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के निर्णय के प्रति आभार प्रकट किया है। यह निर्णय चागोस द्वीपसमूह पर ब्रिटिश टिकटों पर प्रतिबंध आरोपित करने से संबंधित है।
- ज्ञातव्य है कि मॉरीशस वर्ष 1968 में ही ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त हो गया था, फिर भी चागोस द्वीपसमूह अभी भी ब्रिटिश नियंत्रण में है।
- इस द्वीप पर ब्रिटेन एवं अमेरिका का एक संयुक्त सैन्य अड्डा भी है।

दारफुर क्षेत्र–

- यह क्षेत्र सूडान के पश्चिमी क्षेत्र में लीबिया, चाड, और मध्य अफ्रीकी गणराज्य की सीमाओं के निकट स्थित है। सूडान की राजधानी खार्तूम, देश के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है।

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

ऑनलाइन वीडियो कोर्स

सामान्य अध्ययन
प्रिलिम्स कोर्स

GS (PT & Mains)
Ques-Ans. Discussion Course

पेनड्राइव कोर्स

वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - कुमार गौरव

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - अखिल मूर्ति

नोट

नोट्स की गुणवत्ता एवं डेमो क्लास देखने के लिये गूगल प्ले स्टोर से SANSKRITI IAS का ऐप डाउनलोड करें

श्री अखिल मूर्ति इतिहास कला एवं संस्कृति	**श्री अमित कुमार सिंह** (IGNITED MINDS) एथिक्स	**श्री ए.के. अरुण** भारतीय अर्थव्यवस्था	**श्री सीबीपी श्रीवास्तव** (DISCOVERY IAS) राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा
श्री कुमार गौरव भूगोल, पर्यावरण आपदा प्रबंधन	**श्री राजेश मिश्रा** भारतीय राजव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंध	**श्री रीतेश आर जायसवाल** सामान्य विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	**श्री विकास रंजन** (TRIUMPH IAS) सामाजिक मुद्दे

ऑनलाइन वीडियो कोर्स की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

- 500 से अधिक घंटों की कक्षाएँ
- 24×7 क्लास एक्सेस, कभी भी कहीं से भी
- विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर परिचर्चा
- अद्यतन एवं विस्तृत पाठ्य सामग्री कूरियर द्वारा आपके पास भेजी जाएगी
- प्रत्येक माह करेंट अफेयर्स मैगज़ीन पी.डी.एफ. फॉर्मेट में
- प्रत्येक वीडियो को जी.एस. में 4 बार और वैकल्पिक विषय में 3 बार देखने की सुविधा
- नियमित क्लास टेस्ट
- वीडियो कोर्स में वही अध्यापक पढ़ाएंगे जो दिल्ली केंद्र पर ऑफलाइन कक्षा कार्यक्रम में पढ़ाते हैं

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 | सम्पर्क करें: 9555-124-124, 7428085757/58
Website: www.sanskritiIAS.com | Follows us on: YouTube

संस्कृति IAS
The Complete Administrative Culture

टीम वही, कोचिंग नई

अखिल मूर्ति के निर्देशन में

श्री अखिल मूर्ति
इतिहास
कला एवं संस्कृति

श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)
एथिक्स

श्री ए.के. अरुण
भारतीय अर्थव्यवस्था

श्री सीबीपी श्रीवास्तव
(DISCOVERY IAS)
राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय
गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा

श्री कुमार गौरव
भूगोल, पर्यावरण
आपदा प्रबंधन

श्री राजेश मिश्रा
भारतीय राजव्यवस्था
अंतर्राष्ट्रीय संबंध

श्री रीतेश आर जायसवाल
सामान्य विज्ञान
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

श्री विकास रंजन
(TRIUMPH IAS)
सामाजिक मुद्दे

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स

(प्रिलिम्स+मेन्स)

ऑफलाइन बैच में नमांकन जारी

ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध

वैकल्पिक विषय

इतिहास
द्वारा –
अखिल मूर्ति

भूगोल
द्वारा –
कुमार गौरव

राजनीति विज्ञान
द्वारा –
राजेश मिश्रा

9555-124-124

Website: www.sanskritiIAS.com
Follows us on: YouTube

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009